



# बिहार सरकार वित्त विभाग

प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण

**2013-14**

(यथा विधान मंडल के समक्ष उपस्थापित)

जुलाई, 2013

**बिहार सरकार**  
**वित्त विभाग**

**प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण**

**2013-14**

**(यथा विधान मंडल के समक्ष उपस्थापित)**

**जुलाई, 2013**

**वर्ष 2013-2014**

**का**

**प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण**

**सामान्य सारांश**

**Summary for Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**  
**वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश**

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                      | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष | राशि                  | आयोजना भिन्न       | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत           | योग                   |
|-------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| 01 - कृषि विभाग               | खण्ड- 1 भाग-1 | D/53/2013        | 1,93,000              | 1,93,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0                | 1,93,000              |
|                               |               | D/165/2013       | 16,60,00,000          | 0                  | 16,60,00,000          | 0                       | 0                              | 0                | 16,60,00,000          |
|                               |               | D/166/2013       | 3,20,00,000           | 0                  | 3,20,00,000           | 0                       | 0                              | 0                | 3,20,00,000           |
|                               |               | D/167/2013       | 20,00,000             | 0                  | 20,00,000             | 0                       | 0                              | 0                | 20,00,000             |
|                               |               | D/168/2013       | 8,30,00,000           | 0                  | 8,30,00,000           | 0                       | 0                              | 0                | 8,30,00,000           |
|                               |               | D/169/2013       | 1,60,00,000           | 0                  | 1,60,00,000           | 0                       | 0                              | 0                | 1,60,00,000           |
|                               |               | D/170/2013       | 10,00,000             | 0                  | 10,00,000             | 0                       | 0                              | 0                | 10,00,000             |
|                               |               | D/171/2013       | 98,38,82,000          | 0                  | 98,38,82,000          | 0                       | 0                              | 0                | 98,38,82,000          |
|                               |               | D/172/2013       | 18,96,64,000          | 0                  | 18,96,64,000          | 0                       | 0                              | 0                | 18,96,64,000          |
|                               |               | D/173/2013       | 1,18,54,000           | 0                  | 1,18,54,000           | 0                       | 0                              | 0                | 1,18,54,000           |
|                               |               | D/174/2013       | 84,54,38,000          | 0                  | 84,54,38,000          | 0                       | 0                              | 0                | 84,54,38,000          |
|                               |               | D/175/2013       | 16,29,76,000          | 0                  | 16,29,76,000          | 0                       | 0                              | 0                | 16,29,76,000          |
|                               |               | D/176/2013       | 1,01,86,000           | 0                  | 1,01,86,000           | 0                       | 0                              | 0                | 1,01,86,000           |
|                               |               | D/177/2013       | 9,99,60,000           | 0                  | 9,99,60,000           | 0                       | 0                              | 0                | 9,99,60,000           |
|                               |               | D/178/2013       | 1,90,40,000           | 0                  | 1,90,40,000           | 0                       | 0                              | 0                | 1,90,40,000           |
|                               |               | D/179/2013       | 20,00,00,000          | 0                  | 20,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0                | 20,00,00,000          |
|                               |               | D/243/2013       | 2,00,00,000           | 0                  | 0                     | 2,00,00,000             | 0                              | 0                | 2,00,00,000           |
|                               |               | <b>योग - 01</b>  | <b>2,84,31,93,000</b> | <b>1,93,000</b>    | <b>2,82,30,00,000</b> | <b>2,00,00,000</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>2,84,31,93,000</b> |
| 03 - भवन निर्माण विभाग        | खण्ड- 1 भाग-1 | D/88/2013        | 2,00,00,00,000        | 0                  | 2,00,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0                | 2,00,00,00,000        |
|                               |               | D/91/2013        | 12,21,94,000          | 0                  | 12,21,94,000          | 0                       | 0                              | 0                | 12,21,94,000          |
|                               |               | D/92/2013        | 87,78,06,000          | 0                  | 87,78,06,000          | 0                       | 0                              | 0                | 87,78,06,000          |
|                               |               | D/93/2013        | 1,000                 | 1,000              | 0                     | 0                       | 0                              | 0                | 1,000                 |
|                               |               | D/94/2013        | 2,33,00,000           | 0                  | 2,33,00,000           | 0                       | 0                              | 0                | 2,33,00,000           |
|                               |               | D/117/2013       | 8,50,00,000           | 0                  | 8,50,00,000           | 0                       | 0                              | 0                | 8,50,00,000           |
|                               |               | D/118/2013       | 5,00,00,000           | 0                  | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0                | 5,00,00,000           |
|                               |               | D/145/2013       | 12,24,00,000          | 0                  | 0                     | 0                       | 12,24,00,000                   | 0                | 12,24,00,000          |
|                               |               | D/146/2013       | 3,00,00,000           | 0                  | 0                     | 0                       | 3,00,00,000                    | 0                | 3,00,00,000           |
|                               |               | D/147/2013       | 76,00,000             | 0                  | 76,00,000             | 0                       | 0                              | 0                | 76,00,000             |
|                               |               | D/148/2013       | 3,05,00,000           | 0                  | 3,05,00,000           | 0                       | 0                              | 0                | 3,05,00,000           |
|                               |               | D/181/2013       | 5,00,00,000           | 0                  | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0                | 5,00,00,000           |
|                               |               | D/182/2013       | 2,44,71,000           | 0                  | 2,44,71,000           | 0                       | 0                              | 0                | 2,44,71,000           |
|                               |               | <b>योग - 03</b>  | <b>3,42,32,72,000</b> | <b>1,000</b>       | <b>3,27,08,71,000</b> | <b>0</b>                | <b>15,24,00,000</b>            | <b>0</b>         | <b>3,42,32,72,000</b> |
| 04 - मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | खण्ड- 1 भाग-1 | D/125/2013       | 3,00,00,000           | 0                  | 3,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0                | 3,00,00,000           |
|                               |               | D/140/2013       | 1,000                 | 0                  | 1,000                 | 0                       | 0                              | 0                | 1,000                 |
|                               |               | D/141/2013       | 1,00,000              | 1,00,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0                | 1,00,000              |
|                               |               | D/241/2013       | 1,19,88,000           | 1,19,88,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0                | 1,19,88,000           |
|                               |               | <b>योग - 04</b>  | <b>4,20,89,000</b>    | <b>1,20,88,000</b> | <b>3,00,01,000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>4,20,89,000</b>    |
| 05 - राज्यपाल सचिवालय         | खण्ड- 1 भाग-1 | D/126/2013       | 5,30,000              | 0                  | 0                     | 0                       | 0                              | 5,30,000         | 5,30,000              |
|                               |               | D/151/2013       | 11,78,000             | 0                  | 0                     | 0                       | 0                              | 11,78,000        | 11,78,000             |
|                               |               | D/235/2013       | 41,50,000             | 0                  | 0                     | 0                       | 0                              | 41,50,000        | 41,50,000             |
|                               |               | <b>योग - 05</b>  | <b>58,58,000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>58,58,000</b> | <b>58,58,000</b>      |

**Summary for Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**  
**वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश**

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                                         | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष | राशि                   | आयोजना भिन्न        | राज्य योजना            | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत          | योग                    |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| 08 - कला, संस्कृति एवं युवा विभाग                | खण्ड- 1 भाग-1 | D/114/2013       | 7,50,00,000            | 0                   | 7,50,00,000            | 0                       | 0                              | 0               | 7,50,00,000            |
|                                                  |               | D/115/2013       | 3,00,00,000            | 0                   | 3,00,00,000            | 0                       | 0                              | 0               | 3,00,00,000            |
|                                                  |               | D/116/2013       | 6,00,00,000            | 0                   | 6,00,00,000            | 0                       | 0                              | 0               | 6,00,00,000            |
|                                                  | खण्ड- 1 भाग-2 | B/13/2013        | 70,00,000              | 70,00,000           | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 70,00,000              |
|                                                  |               | <b>योग - 08</b>  | <b>17,20,00,000</b>    | <b>70,00,000</b>    | <b>16,50,00,000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>17,20,00,000</b>    |
| 09 - सहकारिता विभाग                              | खण्ड- 1 भाग-1 | D/55/2013        | 3,00,000               | 3,00,000            | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 3,00,000               |
|                                                  |               | D/56/2013        | 3,00,000               | 3,00,000            | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 3,00,000               |
|                                                  |               | D/57/2013        | 1,00,000               | 1,00,000            | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 1,00,000               |
|                                                  |               | D/112/2013       | 25,000                 | 25,000              | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 25,000                 |
|                                                  |               | D/113/2013       | 40,29,000              | 0                   | 40,29,000              | 0                       | 0                              | 0               | 40,29,000              |
|                                                  |               | <b>योग - 09</b>  | <b>47,54,000</b>       | <b>7,25,000</b>     | <b>40,29,000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>47,54,000</b>       |
| 10 - उर्जा विभाग                                 | खण्ड- 1 भाग-1 | D/4/2013         | 25,00,00,000           | 0                   | 25,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0               | 25,00,00,000           |
|                                                  |               | D/5/2013         | 15,00,00,000           | 0                   | 15,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0               | 15,00,00,000           |
|                                                  |               | D/6/2013         | 85,00,00,000           | 0                   | 85,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0               | 85,00,00,000           |
|                                                  |               | D/7/2013         | 80,00,00,000           | 0                   | 80,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0               | 80,00,00,000           |
|                                                  |               | D/8/2013         | 10,00,00,000           | 0                   | 10,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0               | 10,00,00,000           |
|                                                  |               | D/9/2013         | 25,00,00,000           | 0                   | 25,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0               | 25,00,00,000           |
|                                                  |               | D/11/2013        | 3,77,000               | 3,77,000            | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 3,77,000               |
|                                                  |               | D/138/2013       | 31,43,000              | 31,43,000           | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 31,43,000              |
|                                                  |               | D/139/2013       | 35,00,00,000           | 0                   | 35,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0               | 35,00,00,000           |
|                                                  |               | D/156/2013       | 19,50,00,000           | 19,50,00,000        | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 19,50,00,000           |
|                                                  |               | D/157/2013       | 18,51,73,000           | 18,51,73,000        | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 18,51,73,000           |
|                                                  |               | D/158/2013       | 9,53,46,000            | 9,53,46,000         | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 9,53,46,000            |
|                                                  |               | D/159/2013       | 9,00,00,000            | 9,00,00,000         | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 9,00,00,000            |
|                                                  |               | D/160/2013       | 10,00,00,000           | 10,00,00,000        | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 10,00,00,000           |
|                                                  |               | D/161/2013       | 5,00,00,000            | 5,00,00,000         | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 5,00,00,000            |
|                                                  |               | D/162/2013       | 5,00,00,000            | 5,00,00,000         | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 5,00,00,000            |
|                                                  |               | D/163/2013       | 10,00,00,000           | 10,00,00,000        | 0                      | 0                       | 0                              | 0               | 10,00,00,000           |
|                                                  |               | D/237/2013       | 1,50,00,00,000         | 0                   | 1,50,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0               | 1,50,00,00,000         |
|                                                  |               | D/238/2013       | 4,00,00,00,000         | 0                   | 4,00,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0               | 4,00,00,00,000         |
|                                                  |               | D/239/2013       | 7,00,00,00,000         | 0                   | 7,00,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0               | 7,00,00,00,000         |
|                                                  |               | D/240/2013       | 5,00,00,00,000         | 0                   | 5,00,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0               | 5,00,00,00,000         |
|                                                  |               | D/242/2013       | 25,00,00,000           | 0                   | 25,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0               | 25,00,00,000           |
|                                                  |               | <b>योग - 10</b>  | <b>21,36,90,39,000</b> | <b>86,90,39,000</b> | <b>20,50,00,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>21,36,90,39,000</b> |
| 11 - पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | खण्ड- 1 भाग-1 | D/58/2013        | 7,48,00,000            | 0                   | 7,48,00,000            | 0                       | 0                              | 0               | 7,48,00,000            |
|                                                  |               | D/74/2013        | 2,92,52,00,000         | 0                   | 2,92,52,00,000         | 0                       | 0                              | 0               | 2,92,52,00,000         |
|                                                  |               | <b>योग - 11</b>  | <b>3,00,00,00,000</b>  | <b>0</b>            | <b>3,00,00,00,000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>3,00,00,00,000</b>  |
| 13 - सूद भुगतान                                  | खण्ड- 1 भाग-1 | D/3/2013         | 3,38,000               | 0                   | 0                      | 0                       | 0                              | 3,38,000        | 3,38,000               |
|                                                  |               | <b>योग - 13</b>  | <b>3,38,000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>3,38,000</b> | <b>3,38,000</b>        |
| 14 - ऋण अदायगियाँ                                | खण्ड- 1 भाग-1 | D/2/2013         | 3,75,000               | 0                   | 0                      | 0                       | 0                              | 3,75,000        | 3,75,000               |
|                                                  |               | <b>योग - 14</b>  | <b>3,75,000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>3,75,000</b> | <b>3,75,000</b>        |

**Summary for Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**  
**वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश**

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                              | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष | राशि                  | आयोजना भिन्न       | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                   |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 16 - पंचायती राज विभाग                | खण्ड- 1 भाग-1 | D/193/2013       | 1,12,05,00,000        | 0                  | 1,12,05,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,12,05,00,000        |
|                                       |               | D/194/2013       | 22,95,00,000          | 0                  | 22,95,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 22,95,00,000          |
|                                       |               | D/195/2013       | 92,13,000             | 0                  | 92,13,000             | 0                       | 0                              | 0        | 92,13,000             |
|                                       |               | D/196/2013       | 18,87,000             | 0                  | 18,87,000             | 0                       | 0                              | 0        | 18,87,000             |
|                                       |               | D/197/2013       | 6,64,00,000           | 0                  | 6,64,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 6,64,00,000           |
|                                       |               | D/198/2013       | 1,36,00,000           | 0                  | 1,36,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 1,36,00,000           |
|                                       |               | D/199/2013       | 27,34,02,000          | 0                  | 27,34,02,000          | 0                       | 0                              | 0        | 27,34,02,000          |
|                                       |               | D/200/2013       | 5,59,98,000           | 0                  | 5,59,98,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,59,98,000           |
|                                       |               | D/201/2013       | 50,58,85,000          | 0                  | 50,58,85,000          | 0                       | 0                              | 0        | 50,58,85,000          |
|                                       |               | D/202/2013       | 10,36,15,000          | 0                  | 10,36,15,000          | 0                       | 0                              | 0        | 10,36,15,000          |
|                                       |               | D/203/2013       | 1,65,60,79,000        | 0                  | 1,65,60,79,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,65,60,79,000        |
|                                       |               | D/204/2013       | 29,99,60,000          | 0                  | 29,99,60,000          | 0                       | 0                              | 0        | 29,99,60,000          |
|                                       |               | D/205/2013       | 1,95,61,000           | 0                  | 1,95,61,000           | 0                       | 0                              | 0        | 1,95,61,000           |
|                                       |               | D/206/2013       | 1,00,000              | 1,00,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,00,000              |
|                                       |               | D/207/2013       | 99,56,000             | 99,56,000          | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 99,56,000             |
|                                       |               | D/208/2013       | 10,000                | 10,000             | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 10,000                |
|                                       |               | D/209/2013       | 3,00,000              | 3,00,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 3,00,000              |
|                                       |               | <b>योग - 16</b>  | <b>4,36,59,66,000</b> | <b>1,03,66,000</b> | <b>4,35,56,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>4,36,59,66,000</b> |
| 18 - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | खण्ड- 1 भाग-1 | D/87/2013        | 6,00,000              | 6,00,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 6,00,000              |
|                                       |               | <b>योग - 18</b>  | <b>6,00,000</b>       | <b>6,00,000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>6,00,000</b>       |
| 19 - पर्यावरण एवं वन विभाग            | खण्ड- 1 भाग-1 | D/86/2013        | 34,45,000             | 34,45,000          | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 34,45,000             |
|                                       |               | D/101/2013       | 2,50,00,000           | 0                  | 2,50,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 2,50,00,000           |
|                                       |               | D/102/2013       | 2,50,00,000           | 0                  | 2,50,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 2,50,00,000           |
|                                       |               | D/103/2013       | 16,00,00,000          | 0                  | 16,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 16,00,00,000          |
|                                       |               | D/104/2013       | 4,00,00,000           | 0                  | 4,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 4,00,00,000           |
|                                       |               | D/105/2013       | 34,00,00,000          | 0                  | 34,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 34,00,00,000          |
|                                       |               | D/106/2013       | 5,00,00,000           | 0                  | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                       |               | D/107/2013       | 4,50,00,000           | 0                  | 4,50,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 4,50,00,000           |
|                                       |               | D/108/2013       | 1,50,00,000           | 0                  | 1,50,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 1,50,00,000           |
|                                       |               | D/186/2013       | 30,00,000             | 30,00,000          | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 30,00,000             |
|                                       | खण्ड- 1 भाग-2 | B/9/2013         | 10,00,000             | 10,00,000          | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 10,00,000             |
|                                       |               | <b>योग - 19</b>  | <b>70,74,45,000</b>   | <b>74,45,000</b>   | <b>70,00,00,000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>70,74,45,000</b>   |
| 20 - स्वास्थ्य विभाग                  | खण्ड- 1 भाग-1 | D/127/2013       | 80,00,000             | 0                  | 80,00,000             | 0                       | 0                              | 0        | 80,00,000             |
|                                       |               | D/128/2013       | 20,00,000             | 0                  | 20,00,000             | 0                       | 0                              | 0        | 20,00,000             |
|                                       |               | D/129/2013       | 1,75,00,00,000        | 0                  | 1,75,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,75,00,00,000        |
|                                       |               | D/130/2013       | 75,00,00,000          | 0                  | 75,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 75,00,00,000          |
|                                       |               | D/131/2013       | 24,00,00,000          | 0                  | 24,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 24,00,00,000          |
|                                       |               | D/132/2013       | 25,00,00,000          | 0                  | 25,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 25,00,00,000          |
|                                       |               | D/143/2013       | 32,09,000             | 32,09,000          | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 32,09,000             |
|                                       |               | D/210/2013       | 4,78,00,000           | 4,78,00,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 4,78,00,000           |
|                                       |               | <b>योग - 20</b>  | <b>3,05,10,09,000</b> | <b>5,10,09,000</b> | <b>3,00,00,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>3,05,10,09,000</b> |

**Summary for Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**  
**वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश**

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                      | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष | राशि                   | आयोजना भिन्न       | राज्य योजना            | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                    |
|-------------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|------------------------|
| 21 - शिक्षा विभाग             | खण्ड- 1 भाग-1 | D/75/2013        | 75,00,00,000           | 0                  | 75,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 75,00,00,000           |
|                               |               | D/76/2013        | 1,000                  | 1,000              | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                  |
|                               |               | D/77/2013        | 2,75,00,00,000         | 0                  | 2,75,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 2,75,00,00,000         |
|                               |               | D/78/2013        | 1,25,00,00,000         | 0                  | 1,25,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 1,25,00,00,000         |
|                               |               | D/80/2013        | 5,00,00,00,000         | 0                  | 5,00,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,00,000         |
|                               |               | D/164/2013       | 5,00,00,000            | 0                  | 5,00,00,000            | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000            |
|                               |               | D/244/2013       | 25,00,00,000           | 0                  | 25,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 25,00,00,000           |
|                               | खण्ड- 1 भाग-2 | B/15/2013        | 1,000                  | 1,000              | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                  |
|                               |               | B/17/2013        | 3,58,71,000            | 3,58,71,000        | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 3,58,71,000            |
|                               |               | B/18/2013        | 1,39,52,000            | 1,39,52,000        | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 1,39,52,000            |
|                               |               | B/19/2013        | 2,06,86,000            | 2,06,86,000        | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 2,06,86,000            |
|                               |               | <b>योग - 21</b>  | <b>10,12,05,11,000</b> | <b>7,05,11,000</b> | <b>10,05,00,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>10,12,05,11,000</b> |
| 22 - गृह विभाग                | खण्ड- 1 भाग-1 | D/134/2013       | 6,00,00,000            | 0                  | 0                      | 0                       | 6,00,00,000                    | 0        | 6,00,00,000            |
|                               |               | D/190/2013       | 3,98,000               | 3,98,000           | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 3,98,000               |
|                               | खण्ड- 1 भाग-2 | B/4/2013         | 63,03,000              | 63,03,000          | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 63,03,000              |
|                               |               | B/5/2013         | 34,50,000              | 34,50,000          | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 34,50,000              |
|                               |               | B/8/2013         | 50,89,000              | 50,89,000          | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 50,89,000              |
|                               |               | <b>योग - 22</b>  | <b>7,52,40,000</b>     | <b>1,52,40,000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>6,00,00,000</b>             | <b>0</b> | <b>7,52,40,000</b>     |
|                               |               |                  |                        |                    |                        |                         |                                |          |                        |
| 23 - उद्योग विभाग             | खण्ड- 1 भाग-1 | D/51/2013        | 14,00,00,000           | 0                  | 14,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 14,00,00,000           |
|                               |               | D/52/2013        | 2,00,00,000            | 0                  | 2,00,00,000            | 0                       | 0                              | 0        | 2,00,00,000            |
|                               |               | D/59/2013        | 3,00,00,000            | 0                  | 3,00,00,000            | 0                       | 0                              | 0        | 3,00,00,000            |
|                               |               | D/133/2013       | 5,00,00,00,000         | 0                  | 5,00,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,00,000         |
|                               |               | D/137/2013       | 2,00,00,00,000         | 0                  | 2,00,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 2,00,00,00,000         |
|                               |               | D/150/2013       | 7,00,00,000            | 0                  | 7,00,00,000            | 0                       | 0                              | 0        | 7,00,00,000            |
|                               |               | D/153/2013       | 7,00,00,000            | 0                  | 7,00,00,000            | 0                       | 0                              | 0        | 7,00,00,000            |
|                               |               | D/184/2013       | 7,00,00,000            | 0                  | 7,00,00,000            | 0                       | 0                              | 0        | 7,00,00,000            |
|                               |               | D/185/2013       | 10,00,00,000           | 0                  | 10,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 10,00,00,000           |
|                               |               | <b>योग - 23</b>  | <b>7,50,00,00,000</b>  | <b>0</b>           | <b>7,50,00,00,000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>7,50,00,00,000</b>  |
| 24 - सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | खण्ड- 1 भाग-1 | D/89/2013        | 24,22,000              | 24,22,000          | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 24,22,000              |
|                               |               | D/90/2013        | 65,15,000              | 65,15,000          | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 65,15,000              |
|                               |               | <b>योग - 24</b>  | <b>89,37,000</b>       | <b>89,37,000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>89,37,000</b>       |
| 25 - सूचना प्राविधिकी विभाग   | खण्ड- 1 भाग-1 | D/111/2013       | 9,62,00,000            | 0                  | 9,62,00,000            | 0                       | 0                              | 0        | 9,62,00,000            |
|                               |               | <b>योग - 25</b>  | <b>9,62,00,000</b>     | <b>0</b>           | <b>9,62,00,000</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>9,62,00,000</b>     |
| 26 - श्रम संसाधन विभाग        | खण्ड- 1 भाग-1 | D/60/2013        | 1,28,000               | 1,28,000           | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 1,28,000               |
|                               |               | D/82/2013        | 5,00,000               | 5,00,000           | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,000               |
|                               |               | D/83/2013        | 6,54,54,000            | 6,54,54,000        | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 6,54,54,000            |
|                               |               | D/191/2013       | 5,30,000               | 5,30,000           | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 5,30,000               |
|                               | खण्ड- 1 भाग-2 | B/3/2013         | 6,40,000               | 6,40,000           | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 6,40,000               |
|                               |               | <b>योग - 26</b>  | <b>6,72,52,000</b>     | <b>6,72,52,000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>6,72,52,000</b>     |
| 27 - विधि विभाग               | खण्ड- 1 भाग-1 | D/119/2013       | 6,000                  | 6,000              | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 6,000                  |
|                               |               | D/120/2013       | 31,00,000              | 31,00,000          | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 31,00,000              |
|                               | खण्ड- 1 भाग-2 | B/1/2013         | 16,88,000              | 16,88,000          | 0                      | 0                       | 0                              | 0        | 16,88,000              |
|                               |               | <b>योग - 27</b>  | <b>47,94,000</b>       | <b>47,94,000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>47,94,000</b>       |

**Summary for Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**  
**वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश**

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                                 | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष | राशि                  | आयोजना भिन्न        | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत             | योग                   |
|------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 30 - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग             | खण्ड- 1 भाग-1 | D/70/2013        | 16,14,000             | 16,14,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0                  | 16,14,000             |
|                                          | खण्ड- 1 भाग-2 | B/6/2013         | 81,20,000             | 81,20,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0                  | 81,20,000             |
|                                          |               | <b>योग - 30</b>  | <b>97,34,000</b>      | <b>97,34,000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>97,34,000</b>      |
| 32 - विधान मंडल                          | खण्ड- 1 भाग-1 | D/13/2013        | 21,00,000             | 21,00,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0                  | 21,00,000             |
|                                          |               | D/14/2013        | 2,00,000              | 2,00,000            | 0                     | 0                       | 0                              | 0                  | 2,00,000              |
|                                          |               | <b>योग - 32</b>  | <b>23,00,000</b>      | <b>23,00,000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>23,00,000</b>      |
| 33 - सामान्य प्रशासन विभाग               | खण्ड- 1 भाग-2 | B/14/2013        | 59,73,000             | 59,73,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0                  | 59,73,000             |
|                                          |               | <b>योग - 33</b>  | <b>59,73,000</b>      | <b>59,73,000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>59,73,000</b>      |
| 34 - बिहार लोक सेवा आयोग                 | खण्ड- 1 भाग-1 | D/12/2013        | 1,35,00,000           | 0                   | 0                     | 0                       | 0                              | 1,35,00,000        | 1,35,00,000           |
|                                          |               | <b>योग - 34</b>  | <b>1,35,00,000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>1,35,00,000</b> | <b>1,35,00,000</b>    |
| 35 - योजना एवं विकास विभाग               | खण्ड- 1 भाग-1 | D/24/2013        | 8,60,00,00,000        | 0                   | 8,60,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0                  | 8,60,00,00,000        |
|                                          |               | D/84/2013        | 3,000                 | 0                   | 0                     | 0                       | 3,000                          | 0                  | 3,000                 |
|                                          |               | D/85/2013        | 2,000                 | 0                   | 2,000                 | 0                       | 0                              | 0                  | 2,000                 |
|                                          |               | D/180/2013       | 59,00,00,000          | 0                   | 59,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0                  | 59,00,00,000          |
|                                          |               | <b>योग - 35</b>  | <b>9,19,00,05,000</b> | <b>0</b>            | <b>9,19,00,02,000</b> | <b>0</b>                | <b>3,000</b>                   | <b>0</b>           | <b>9,19,00,05,000</b> |
| 36 - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग       | खण्ड- 1 भाग-1 | D/187/2013       | 55,30,00,000          | 0                   | 55,30,00,000          | 0                       | 0                              | 0                  | 55,30,00,000          |
|                                          |               | D/188/2013       | 14,00,00,000          | 0                   | 14,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0                  | 14,00,00,000          |
|                                          |               | D/189/2013       | 70,00,000             | 0                   | 70,00,000             | 0                       | 0                              | 0                  | 70,00,000             |
|                                          |               | <b>योग - 36</b>  | <b>70,00,00,000</b>   | <b>0</b>            | <b>70,00,00,000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>70,00,00,000</b>   |
| 37 - ग्रामीण कार्य विभाग                 | खण्ड- 1 भाग-1 | D/154/2013       | 96,97,00,000          | 0                   | 96,97,00,000          | 0                       | 0                              | 0                  | 96,97,00,000          |
|                                          |               | D/155/2013       | 4,00,00,00,000        | 0                   | 4,00,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0                  | 4,00,00,00,000        |
|                                          | खण्ड- 1 भाग-2 | B/12/2013        | 12,00,000             | 12,00,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0                  | 12,00,000             |
|                                          |               | <b>योग - 37</b>  | <b>4,97,09,00,000</b> | <b>12,00,000</b>    | <b>4,96,97,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>4,97,09,00,000</b> |
| 38 - निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग | खण्ड- 1 भाग-1 | D/110/2013       | 99,00,000             | 0                   | 99,00,000             | 0                       | 0                              | 0                  | 99,00,000             |
|                                          |               | <b>योग - 38</b>  | <b>99,00,000</b>      | <b>0</b>            | <b>99,00,000</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>99,00,000</b>      |
| 39 - आपदा प्रबंधन विभाग                  | खण्ड- 1 भाग-1 | D/48/2013        | 1,000                 | 1,000               | 0                     | 0                       | 0                              | 0                  | 1,000                 |
|                                          |               | D/183/2013       | 1,03,82,000           | 0                   | 0                     | 0                       | 1,03,82,000                    | 0                  | 1,03,82,000           |
|                                          |               | <b>योग - 39</b>  | <b>1,03,83,000</b>    | <b>1,000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>1,03,82,000</b>             | <b>0</b>           | <b>1,03,83,000</b>    |
| 40 - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग         | खण्ड- 1 भाग-1 | D/109/2013       | 30,000                | 30,000              | 0                     | 0                       | 0                              | 0                  | 30,000                |
|                                          |               | D/144/2013       | 2,00,000              | 2,00,000            | 0                     | 0                       | 0                              | 0                  | 2,00,000              |
|                                          |               | D/149/2013       | 2,00,00,00,000        | 0                   | 2,00,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0                  | 2,00,00,00,000        |
|                                          |               | D/152/2013       | 15,67,47,000          | 0                   | 0                     | 0                       | 15,67,47,000                   | 0                  | 15,67,47,000          |
|                                          |               | D/192/2013       | 1,09,63,000           | 1,09,63,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0                  | 1,09,63,000           |
|                                          | खण्ड- 1 भाग-2 | B/2/2013         | 34,08,000             | 34,08,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0                  | 34,08,000             |
|                                          |               | B/10/2013        | 90,00,000             | 90,00,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0                  | 90,00,000             |
|                                          |               | B/11/2013        | 14,02,05,000          | 14,02,05,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0                  | 14,02,05,000          |
|                                          |               | <b>योग - 40</b>  | <b>2,32,05,53,000</b> | <b>16,38,06,000</b> | <b>2,00,00,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>15,67,47,000</b>            | <b>0</b>           | <b>2,32,05,53,000</b> |
| 41 - पथ निर्माण विभाग                    | खण्ड- 1 भाग-1 | D/49/2013        | 3,00,00,00,000        | 0                   | 3,00,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0                  | 3,00,00,00,000        |
|                                          |               | D/50/2013        | 4,00,00,00,000        | 0                   | 4,00,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0                  | 4,00,00,00,000        |
|                                          |               | <b>योग - 41</b>  | <b>7,00,00,00,000</b> | <b>0</b>            | <b>7,00,00,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>7,00,00,00,000</b> |

**Summary for Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**  
**वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश**

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                                            | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष | राशि                  | आयोजना भिन्न        | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                   |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 44 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | खण्ड- 1 भाग-1 | D/54/2013        | 20,00,000             | 20,00,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 20,00,000             |
|                                                     |               | D/61/2013        | 20,00,00,000          | 0                   | 20,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 20,00,00,000          |
|                                                     |               | D/62/2013        | 1,80,00,00,000        | 0                   | 1,80,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,80,00,00,000        |
|                                                     |               | D/135/2013       | 2,00,00,000           | 2,00,00,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 2,00,00,000           |
|                                                     |               | D/136/2013       | 1,00,000              | 1,00,000            | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,00,000              |
|                                                     |               | <b>योग - 44</b>  | <b>2,02,21,00,000</b> | <b>2,21,00,000</b>  | <b>2,00,00,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>2,02,21,00,000</b> |
| 45 - गन्ना उद्योग विभाग                             | खण्ड- 1 भाग-1 | D/47/2013        | 27,93,000             | 27,93,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 27,93,000             |
|                                                     |               | D/63/2013        | 5,00,00,000           | 0                   | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                                     | खण्ड- 1 भाग-2 | B/7/2013         | 24,36,00,000          | 24,36,00,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 24,36,00,000          |
|                                                     |               | <b>योग - 45</b>  | <b>29,63,93,000</b>   | <b>24,63,93,000</b> | <b>5,00,00,000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>29,63,93,000</b>   |
| 46 - पर्यटन विभाग                                   | खण्ड- 1 भाग-1 | D/211/2013       | 24,60,00,000          | 0                   | 24,60,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 24,60,00,000          |
|                                                     |               | D/212/2013       | 2,39,46,000           | 0                   | 0                     | 0                       | 2,39,46,000                    | 0        | 2,39,46,000           |
|                                                     |               | D/213/2013       | 88,77,000             | 88,77,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 88,77,000             |
|                                                     | खण्ड- 1 भाग-2 | B/16/2013        | 25,00,00,000          | 0                   | 25,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 25,00,00,000          |
|                                                     |               | <b>योग - 46</b>  | <b>52,88,23,000</b>   | <b>88,77,000</b>    | <b>49,60,00,000</b>   | <b>0</b>                | <b>2,39,46,000</b>             | <b>0</b> | <b>52,88,23,000</b>   |
|                                                     |               |                  |                       |                     |                       |                         |                                |          |                       |
| 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग                       | खण्ड- 1 भाग-1 | D/71/2013        | 7,53,48,000           | 7,53,48,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 7,53,48,000           |
|                                                     |               | D/72/2013        | 5,93,87,000           | 5,93,87,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 5,93,87,000           |
|                                                     |               | D/73/2013        | 4,26,21,000           | 4,26,21,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 4,26,21,000           |
|                                                     |               | D/214/2013       | 12,60,00,000          | 0                   | 12,60,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 12,60,00,000          |
|                                                     |               | D/215/2013       | 2,25,00,000           | 0                   | 2,25,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 2,25,00,000           |
|                                                     |               | D/216/2013       | 15,00,000             | 0                   | 15,00,000             | 0                       | 0                              | 0        | 15,00,000             |
|                                                     |               | D/217/2013       | 37,80,00,000          | 0                   | 37,80,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 37,80,00,000          |
|                                                     |               | D/218/2013       | 6,75,00,000           | 0                   | 6,75,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 6,75,00,000           |
|                                                     |               | D/219/2013       | 45,00,000             | 0                   | 45,00,000             | 0                       | 0                              | 0        | 45,00,000             |
|                                                     |               | D/220/2013       | 12,60,00,000          | 0                   | 12,60,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 12,60,00,000          |
|                                                     |               | D/221/2013       | 2,25,00,000           | 0                   | 2,25,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 2,25,00,000           |
|                                                     |               | D/222/2013       | 15,00,000             | 0                   | 15,00,000             | 0                       | 0                              | 0        | 15,00,000             |
|                                                     |               | D/223/2013       | 25,20,00,000          | 0                   | 25,20,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 25,20,00,000          |
|                                                     |               | D/224/2013       | 4,50,00,000           | 0                   | 4,50,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 4,50,00,000           |
|                                                     |               | D/225/2013       | 30,00,000             | 0                   | 30,00,000             | 0                       | 0                              | 0        | 30,00,000             |
|                                                     |               | D/226/2013       | 20,00,00,000          | 0                   | 20,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 20,00,00,000          |
|                                                     |               | D/227/2013       | 30,00,00,000          | 0                   | 30,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 30,00,00,000          |
|                                                     |               | D/228/2013       | 5,00,00,000           | 0                   | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                                     |               | D/229/2013       | 5,00,00,000           | 0                   | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                                     |               | D/230/2013       | 5,00,00,000           | 0                   | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                                     |               | D/231/2013       | 5,00,00,000           | 0                   | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                                     |               | D/232/2013       | 21,25,00,000          | 0                   | 21,25,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 21,25,00,000          |
|                                                     |               | D/233/2013       | 3,75,00,000           | 0                   | 3,75,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 3,75,00,000           |
|                                                     |               | D/234/2013       | 1,00,00,00,000        | 0                   | 1,00,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,00,00,00,000        |
|                                                     |               | <b>योग - 48</b>  | <b>3,17,73,56,000</b> | <b>17,73,56,000</b> | <b>3,00,00,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>3,17,73,56,000</b> |

**Summary for Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**  
**वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश**

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                 | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष | राशि                  | आयोजना भिन्न | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                   |
|--------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 49 - जल संसाधन विभाग     | खण्ड- 1 भाग-1 | D/15/2013        | 28,00,00,000          | 0            | 28,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 28,00,00,000          |
|                          |               | D/16/2013        | 1,000                 | 1,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                          |               | D/17/2013        | 1,000                 | 1,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                          |               | D/18/2013        | 1,000                 | 1,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                          |               | D/19/2013        | 1,000                 | 1,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                          |               | D/20/2013        | 1,000                 | 1,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                          |               | D/21/2013        | 1,000                 | 1,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                          |               | D/22/2013        | 1,000                 | 1,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                          |               | D/23/2013        | 2,000                 | 2,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 2,000                 |
|                          |               | D/25/2013        | 30,00,00,000          | 0            | 30,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 30,00,00,000          |
|                          |               | D/26/2013        | 2,67,00,000           | 0            | 2,67,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 2,67,00,000           |
|                          |               | D/27/2013        | 27,36,50,000          | 0            | 27,36,50,000          | 0                       | 0                              | 0        | 27,36,50,000          |
|                          |               | D/28/2013        | 70,00,000             | 0            | 70,00,000             | 0                       | 0                              | 0        | 70,00,000             |
|                          |               | D/29/2013        | 67,25,50,000          | 0            | 67,25,50,000          | 0                       | 0                              | 0        | 67,25,50,000          |
|                          |               | D/30/2013        | 1,30,91,40,000        | 0            | 1,30,91,40,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,30,91,40,000        |
|                          |               | D/31/2013        | 12,29,90,000          | 0            | 12,29,90,000          | 0                       | 0                              | 0        | 12,29,90,000          |
|                          |               | D/32/2013        | 40,00,00,000          | 0            | 40,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 40,00,00,000          |
|                          |               | D/33/2013        | 14,50,00,000          | 0            | 14,50,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 14,50,00,000          |
|                          |               | D/34/2013        | 61,27,70,000          | 0            | 61,27,70,000          | 0                       | 0                              | 0        | 61,27,70,000          |
|                          |               | D/35/2013        | 62,20,00,000          | 0            | 62,20,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 62,20,00,000          |
|                          |               | D/36/2013        | 33,22,00,000          | 0            | 33,22,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 33,22,00,000          |
|                          |               | D/37/2013        | 14,71,00,000          | 0            | 14,71,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 14,71,00,000          |
|                          |               | D/38/2013        | 13,79,00,000          | 0            | 13,79,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 13,79,00,000          |
|                          |               | D/39/2013        | 8,52,00,000           | 0            | 8,52,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 8,52,00,000           |
|                          |               | D/40/2013        | 14,40,00,000          | 0            | 14,40,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 14,40,00,000          |
|                          |               | D/41/2013        | 3,09,00,000           | 0            | 3,09,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 3,09,00,000           |
|                          |               | D/42/2013        | 11,20,00,000          | 0            | 11,20,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 11,20,00,000          |
|                          |               | D/43/2013        | 1,62,45,00,000        | 0            | 1,62,45,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,62,45,00,000        |
|                          |               | D/44/2013        | 1,48,46,00,000        | 0            | 1,48,46,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,48,46,00,000        |
|                          |               | D/45/2013        | 23,19,00,000          | 0            | 23,19,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 23,19,00,000          |
|                          |               | D/46/2013        | 2,43,00,000           | 0            | 2,43,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 2,43,00,000           |
|                          |               | <b>योग - 49</b>  | <b>9,12,64,09,000</b> | <b>9,000</b> | <b>9,12,64,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>9,12,64,09,000</b> |
| 50 - लघु जल संसाधन विभाग | खण्ड- 1 भाग-1 | D/95/2013        | 80,00,00,000          | 0            | 80,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 80,00,00,000          |
|                          |               | D/96/2013        | 4,20,00,00,000        | 0            | 4,20,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 4,20,00,00,000        |
|                          |               | D/97/2013        | 1,60,00,000           | 0            | 1,60,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 1,60,00,000           |
|                          |               | D/98/2013        | 6,90,00,000           | 0            | 6,90,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 6,90,00,000           |
|                          |               | D/99/2013        | 4,06,40,000           | 0            | 4,06,40,000           | 0                       | 0                              | 0        | 4,06,40,000           |
|                          |               | D/100/2013       | 21,33,60,000          | 0            | 21,33,60,000          | 0                       | 0                              | 0        | 21,33,60,000          |
|                          |               | D/236/2013       | 48,60,00,000          | 0            | 48,60,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 48,60,00,000          |
|                          |               | <b>योग - 50</b>  | <b>5,82,50,00,000</b> | <b>0</b>     | <b>5,82,50,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>5,82,50,00,000</b> |

**Summary for Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**  
**वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश**

(राशि रुपये में)

| मांग सं०               | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष | राशि                     | आयोजना भिन्न          | राज्य योजना              | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत             | योग                      |
|------------------------|---------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 51 - समाज कल्याण विभाग | खण्ड- 1 भाग-1 | D/64/2013        | 1,00,00,00,000           | 0                     | 1,00,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0                  | 1,00,00,00,000           |
|                        |               | D/65/2013        | 40,00,00,000             | 0                     | 40,00,00,000             | 0                       | 0                              | 0                  | 40,00,00,000             |
|                        |               | D/66/2013        | 34,00,00,000             | 0                     | 34,00,00,000             | 0                       | 0                              | 0                  | 34,00,00,000             |
|                        |               | D/67/2013        | 20,00,00,000             | 0                     | 20,00,00,000             | 0                       | 0                              | 0                  | 20,00,00,000             |
|                        |               | D/68/2013        | 4,00,00,000              | 0                     | 4,00,00,000              | 0                       | 0                              | 0                  | 4,00,00,000              |
|                        |               | D/69/2013        | 5,86,00,000              | 0                     | 0                        | 5,86,00,000             | 0                              | 0                  | 5,86,00,000              |
|                        |               | D/121/2013       | 5,18,75,00,000           | 0                     | 5,18,75,00,000           | 0                       | 0                              | 0                  | 5,18,75,00,000           |
|                        |               | D/122/2013       | 1,06,25,00,000           | 0                     | 1,06,25,00,000           | 0                       | 0                              | 0                  | 1,06,25,00,000           |
|                        |               | D/123/2013       | 59,76,00,000             | 0                     | 59,76,00,000             | 0                       | 0                              | 0                  | 59,76,00,000             |
|                        |               | D/124/2013       | 12,24,00,000             | 0                     | 12,24,00,000             | 0                       | 0                              | 0                  | 12,24,00,000             |
|                        |               | <b>योग - 51</b>  | <b>9,00,86,00,000</b>    | <b>0</b>              | <b>8,95,00,00,000</b>    | <b>5,86,00,000</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>9,00,86,00,000</b>    |
| <b>महायोग -</b>        |               |                  | <b>1,11,07,68,01,000</b> | <b>1,76,29,49,000</b> | <b>1,08,81,17,03,000</b> | <b>7,86,00,000</b>      | <b>40,34,78,000</b>            | <b>2,00,71,000</b> | <b>1,11,07,68,01,000</b> |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                                         | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष  | राशि                | मांग सं० | आयोजना भिन्न       | राज्य योजना | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत             | योग                 |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 2011 - संसद/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र विधानमंडल       | खण्ड- 1 भाग-1 | D/13/13-14        | 21,00,000           | 32       | 21,00,000          | 0           | 0                       | 0                              | 0                  | 21,00,000           |
|                                                     |               | D/14/13-14        | 2,00,000            | 32       | 2,00,000           | 0           | 0                       | 0                              | 0                  | 2,00,000            |
|                                                     |               | <b>योग - 2011</b> | <b>23,00,000</b>    |          | <b>23,00,000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>23,00,000</b>    |
| 2012 - राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य | खण्ड- 1 भाग-1 | D/126/13-14       | 5,30,000            | 05       | 0                  | 0           | 0                       | 0                              | 5,30,000           | 5,30,000            |
|                                                     |               | D/151/13-14       | 11,78,000           | 05       | 0                  | 0           | 0                       | 0                              | 11,78,000          | 11,78,000           |
|                                                     |               | D/235/13-14       | 41,50,000           | 05       | 0                  | 0           | 0                       | 0                              | 41,50,000          | 41,50,000           |
|                                                     |               | <b>योग - 2012</b> | <b>58,58,000</b>    |          | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>58,58,000</b>   | <b>58,58,000</b>    |
| 2013 - मंत्रिपरिषद                                  | खण्ड- 1 भाग-1 | D/241/13-14       | 1,19,88,000         | 04       | 1,19,88,000        | 0           | 0                       | 0                              | 0                  | 1,19,88,000         |
|                                                     |               | <b>योग - 2013</b> | <b>1,19,88,000</b>  |          | <b>1,19,88,000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>1,19,88,000</b>  |
| 2014 - न्याय प्रशासन                                | खण्ड- 1 भाग-1 | D/119/13-14       | 6,000               | 27       | 6,000              | 0           | 0                       | 0                              | 0                  | 6,000               |
|                                                     |               | D/192/13-14       | 1,09,63,000         | 40       | 1,09,63,000        | 0           | 0                       | 0                              | 0                  | 1,09,63,000         |
|                                                     |               | <b>योग - 2014</b> | <b>1,09,69,000</b>  |          | <b>1,09,69,000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>1,09,69,000</b>  |
| 2029 - भू राजस्व                                    | खण्ड- 1 भाग-1 | D/152/13-14       | 15,67,47,000        | 40       | 0                  | 0           | 0                       | 15,67,47,000                   | 0                  | 15,67,47,000        |
|                                                     |               | <b>योग - 2029</b> | <b>15,67,47,000</b> |          | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>                | <b>15,67,47,000</b>            | <b>0</b>           | <b>15,67,47,000</b> |
| 2045 - वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क      | खण्ड- 1 भाग-1 | D/11/13-14        | 3,77,000            | 10       | 3,77,000           | 0           | 0                       | 0                              | 0                  | 3,77,000            |
|                                                     |               | <b>योग - 2045</b> | <b>3,77,000</b>     |          | <b>3,77,000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>3,77,000</b>     |
| 2049 - ब्याज अदायगियां                              | खण्ड- 1 भाग-1 | D/3/13-14         | 3,38,000            | 13       | 0                  | 0           | 0                       | 0                              | 3,38,000           | 3,38,000            |
|                                                     |               | <b>योग - 2049</b> | <b>3,38,000</b>     |          | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>3,38,000</b>    | <b>3,38,000</b>     |
| 2051 - लोक सेवा आयोग                                | खण्ड- 1 भाग-1 | D/12/13-14        | 1,35,00,000         | 34       | 0                  | 0           | 0                       | 0                              | 1,35,00,000        | 1,35,00,000         |
|                                                     |               | <b>योग - 2051</b> | <b>1,35,00,000</b>  |          | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>1,35,00,000</b> | <b>1,35,00,000</b>  |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                   | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष  | राशि               | मांग सं० | आयोजना भिन्न       | राज्य योजना        | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                |
|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएँ | खण्ड- 1 भाग-1 | D/109/13-14       | 30,000             | 40       | 30,000             | 0                  | 0                       | 0                              | 0        | 30,000             |
|                               |               | D/141/13-14       | 1,00,000           | 04       | 1,00,000           | 0                  | 0                       | 0                              | 0        | 1,00,000           |
|                               |               | D/144/13-14       | 2,00,000           | 40       | 2,00,000           | 0                  | 0                       | 0                              | 0        | 2,00,000           |
|                               | खण्ड- 1 भाग-2 | B/1/13-14         | 16,88,000          | 27       | 16,88,000          | 0                  | 0                       | 0                              | 0        | 16,88,000          |
|                               |               | B/14/13-14        | 59,73,000          | 33       | 59,73,000          | 0                  | 0                       | 0                              | 0        | 59,73,000          |
|                               |               | <b>योग - 2052</b> | <b>79,91,000</b>   |          | <b>79,91,000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>79,91,000</b>   |
| 2053 - जिला प्रशासन           | खण्ड- 1 भाग-2 | B/6/13-14         | 81,20,000          | 30       | 81,20,000          | 0                  | 0                       | 0                              | 0        | 81,20,000          |
|                               |               | <b>योग - 2053</b> | <b>81,20,000</b>   |          | <b>81,20,000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>81,20,000</b>   |
| 2056 - जेल                    | खण्ड- 1 भाग-1 | D/190/13-14       | 3,98,000           | 22       | 3,98,000           | 0                  | 0                       | 0                              | 0        | 3,98,000           |
|                               |               | <b>योग - 2056</b> | <b>3,98,000</b>    |          | <b>3,98,000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>3,98,000</b>    |
| 2059 - लोक निर्माण कार्य      | खण्ड- 1 भाग-1 | D/93/13-14        | 1,000              | 03       | 1,000              | 0                  | 0                       | 0                              | 0        | 1,000              |
|                               |               | D/94/13-14        | 2,33,00,000        | 03       | 0                  | 2,33,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 2,33,00,000        |
|                               |               | <b>योग - 2059</b> | <b>2,33,01,000</b> |          | <b>1,000</b>       | <b>2,33,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>2,33,01,000</b> |
| 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ  | खण्ड- 1 भाग-1 | D/134/13-14       | 6,00,00,000        | 22       | 0                  | 0                  | 0                       | 6,00,00,000                    | 0        | 6,00,00,000        |
|                               |               | D/183/13-14       | 1,03,82,000        | 39       | 0                  | 0                  | 0                       | 1,03,82,000                    | 0        | 1,03,82,000        |
|                               | खण्ड- 1 भाग-2 | B/4/13-14         | 63,03,000          | 22       | 63,03,000          | 0                  | 0                       | 0                              | 0        | 63,03,000          |
|                               |               | B/5/13-14         | 34,50,000          | 22       | 34,50,000          | 0                  | 0                       | 0                              | 0        | 34,50,000          |
|                               |               | B/8/13-14         | 50,89,000          | 22       | 50,89,000          | 0                  | 0                       | 0                              | 0        | 50,89,000          |
|                               |               | <b>योग - 2070</b> | <b>8,52,24,000</b> |          | <b>1,48,42,000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>7,03,82,000</b>             | <b>0</b> | <b>8,52,24,000</b> |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                       | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष  | राशि                  | मांग सं० | आयोजना भिन्न       | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                   |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 2202 - सामान्य शिक्षा             | खण्ड- 1 भाग-1 | D/76/13-14        | 1,000                 | 21       | 1,000              | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                                   |               | D/77/13-14        | 2,75,00,00,000        | 21       | 0                  | 2,75,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 2,75,00,00,000        |
|                                   |               | D/78/13-14        | 1,25,00,00,000        | 21       | 0                  | 1,25,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,25,00,00,000        |
|                                   |               | D/164/13-14       | 5,00,00,000           | 21       | 0                  | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                   |               | D/244/13-14       | 25,00,00,000          | 21       | 0                  | 25,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 25,00,00,000          |
|                                   |               | <b>योग - 2202</b> | <b>4,30,00,01,000</b> |          | <b>1,000</b>       | <b>4,30,00,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>4,30,00,01,000</b> |
| 2205 - कला एवं संस्कृति           | खण्ड- 1 भाग-1 | D/114/13-14       | 7,50,00,000           | 08       | 0                  | 7,50,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 7,50,00,000           |
|                                   |               | D/115/13-14       | 3,00,00,000           | 08       | 0                  | 3,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 3,00,00,000           |
|                                   |               | D/116/13-14       | 6,00,00,000           | 08       | 0                  | 6,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 6,00,00,000           |
|                                   |               | D/140/13-14       | 1,000                 | 04       | 0                  | 1,000                 | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                                   | खण्ड- 1 भाग-2 | B/13/13-14        | 70,00,000             | 08       | 70,00,000          | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 70,00,000             |
|                                   |               | B/15/13-14        | 1,000                 | 21       | 1,000              | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                                   |               | B/17/13-14        | 3,58,71,000           | 21       | 3,58,71,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 3,58,71,000           |
|                                   |               | B/18/13-14        | 1,39,52,000           | 21       | 1,39,52,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,39,52,000           |
|                                   |               | B/19/13-14        | 2,06,86,000           | 21       | 2,06,86,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 2,06,86,000           |
|                                   |               | <b>योग - 2205</b> | <b>24,25,11,000</b>   |          | <b>7,75,10,000</b> | <b>16,50,01,000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>24,25,11,000</b>   |
| 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | खण्ड- 1 भाग-1 | D/143/13-14       | 32,09,000             | 20       | 32,09,000          | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 32,09,000             |
|                                   |               | D/210/13-14       | 4,78,00,000           | 20       | 4,78,00,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 4,78,00,000           |
|                                   | खण्ड- 1 भाग-2 | B/3/13-14         | 6,40,000              | 26       | 6,40,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 6,40,000              |
|                                   |               | <b>योग - 2210</b> | <b>5,16,49,000</b>    |          | <b>5,16,49,000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>5,16,49,000</b>    |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                  | खण्ड/भाग      | क्रमांक<br>एवं वर्ष | राशि                  | मांग<br>सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत<br>योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित<br>योजना | प्रभृत   | योग                   |
|------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|
| 2215 - जल पूर्ति तथा<br>सफाई | खण्ड- 1 भाग-1 | D/214/13-14         | 12,60,00,000          | 48          | 0            | 12,60,00,000          | 0                          | 0                                 | 0        | 12,60,00,000          |
|                              |               | D/215/13-14         | 2,25,00,000           | 48          | 0            | 2,25,00,000           | 0                          | 0                                 | 0        | 2,25,00,000           |
|                              |               | D/216/13-14         | 15,00,000             | 48          | 0            | 15,00,000             | 0                          | 0                                 | 0        | 15,00,000             |
|                              |               | D/217/13-14         | 37,80,00,000          | 48          | 0            | 37,80,00,000          | 0                          | 0                                 | 0        | 37,80,00,000          |
|                              |               | D/218/13-14         | 6,75,00,000           | 48          | 0            | 6,75,00,000           | 0                          | 0                                 | 0        | 6,75,00,000           |
|                              |               | D/219/13-14         | 45,00,000             | 48          | 0            | 45,00,000             | 0                          | 0                                 | 0        | 45,00,000             |
|                              |               | D/220/13-14         | 12,60,00,000          | 48          | 0            | 12,60,00,000          | 0                          | 0                                 | 0        | 12,60,00,000          |
|                              |               | D/221/13-14         | 2,25,00,000           | 48          | 0            | 2,25,00,000           | 0                          | 0                                 | 0        | 2,25,00,000           |
|                              |               | D/222/13-14         | 15,00,000             | 48          | 0            | 15,00,000             | 0                          | 0                                 | 0        | 15,00,000             |
|                              |               | D/223/13-14         | 25,20,00,000          | 48          | 0            | 25,20,00,000          | 0                          | 0                                 | 0        | 25,20,00,000          |
|                              |               | D/224/13-14         | 4,50,00,000           | 48          | 0            | 4,50,00,000           | 0                          | 0                                 | 0        | 4,50,00,000           |
|                              |               | D/225/13-14         | 30,00,000             | 48          | 0            | 30,00,000             | 0                          | 0                                 | 0        | 30,00,000             |
|                              |               | <b>योग - 2215</b>   | <b>1,05,00,00,000</b> |             | <b>0</b>     | <b>1,05,00,00,000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>1,05,00,00,000</b> |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                                          | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष  | राशि                  | मांग सं० | आयोजना भिन्न        | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                   |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 2217 - शहरी विकास                                    | खण्ड- 1 भाग-1 | D/71/13-14        | 7,53,48,000           | 48       | 7,53,48,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 7,53,48,000           |
|                                                      |               | D/72/13-14        | 5,93,87,000           | 48       | 5,93,87,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 5,93,87,000           |
|                                                      |               | D/73/13-14        | 4,26,21,000           | 48       | 4,26,21,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 4,26,21,000           |
|                                                      |               | D/226/13-14       | 20,00,00,000          | 48       | 0                   | 20,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 20,00,00,000          |
|                                                      |               | D/227/13-14       | 30,00,00,000          | 48       | 0                   | 30,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 30,00,00,000          |
|                                                      |               | D/228/13-14       | 5,00,00,000           | 48       | 0                   | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                                      |               | D/229/13-14       | 5,00,00,000           | 48       | 0                   | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                                      |               | D/230/13-14       | 5,00,00,000           | 48       | 0                   | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                                      |               | D/231/13-14       | 5,00,00,000           | 48       | 0                   | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                                      |               | D/232/13-14       | 21,25,00,000          | 48       | 0                   | 21,25,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 21,25,00,000          |
|                                                      |               | D/233/13-14       | 3,75,00,000           | 48       | 0                   | 3,75,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 3,75,00,000           |
|                                                      |               | D/234/13-14       | 1,00,00,00,000        | 48       | 0                   | 1,00,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,00,00,00,000        |
|                                                      |               | <b>योग - 2217</b> | <b>2,12,73,56,000</b> |          | <b>17,73,56,000</b> | <b>1,95,00,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>2,12,73,56,000</b> |
| 2220 - सूचना तथा प्रचार                              | खण्ड- 1 भाग-1 | D/90/13-14        | 65,15,000             | 24       | 65,15,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 65,15,000             |
|                                                      |               | <b>योग - 2220</b> | <b>65,15,000</b>      |          | <b>65,15,000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>65,15,000</b>      |
| 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य | खण्ड- 1 भाग-1 | D/54/13-14        | 20,00,000             | 44       | 20,00,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 20,00,000             |
|                                                      |               | D/74/13-14        | 2,92,52,00,000        | 11       | 0                   | 2,92,52,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 2,92,52,00,000        |
|                                                      |               | D/135/13-14       | 2,00,00,000           | 44       | 2,00,00,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 2,00,00,000           |
|                                                      |               | <b>योग - 2225</b> | <b>2,94,72,00,000</b> |          | <b>2,20,00,000</b>  | <b>2,92,52,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>2,94,72,00,000</b> |
| 2230 - श्रम तथा रोजगार                               | खण्ड- 1 भाग-1 | D/60/13-14        | 1,28,000              | 26       | 1,28,000            | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,28,000              |
|                                                      |               | D/82/13-14        | 5,00,000              | 26       | 5,00,000            | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,000              |
|                                                      |               | D/83/13-14        | 6,54,54,000           | 26       | 6,54,54,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 6,54,54,000           |
|                                                      |               | <b>योग - 2230</b> | <b>6,60,82,000</b>    |          | <b>6,60,82,000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>6,60,82,000</b>    |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                       | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष  | राशि                  | मांग सं० | आयोजना भिन्न     | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                   |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | खण्ड- 1 भाग-1 | D/64/13-14        | 1,00,00,00,000        | 51       | 0                | 1,00,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,00,00,00,000        |
|                                   |               | D/65/13-14        | 40,00,00,000          | 51       | 0                | 40,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 40,00,00,000          |
|                                   |               | D/66/13-14        | 34,00,00,000          | 51       | 0                | 34,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 34,00,00,000          |
|                                   |               | D/67/13-14        | 20,00,00,000          | 51       | 0                | 20,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 20,00,00,000          |
|                                   |               | D/68/13-14        | 4,00,00,000           | 51       | 0                | 4,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 4,00,00,000           |
|                                   |               | D/69/13-14        | 5,86,00,000           | 51       | 0                | 0                     | 5,86,00,000             | 0                              | 0        | 5,86,00,000           |
|                                   |               | D/120/13-14       | 31,00,000             | 27       | 31,00,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 31,00,000             |
|                                   |               | D/123/13-14       | 59,76,00,000          | 51       | 0                | 59,76,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 59,76,00,000          |
|                                   |               | D/124/13-14       | 12,24,00,000          | 51       | 0                | 12,24,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 12,24,00,000          |
|                                   |               | <b>योग - 2235</b> | <b>2,76,17,00,000</b> |          | <b>31,00,000</b> | <b>2,70,00,00,000</b> | <b>5,86,00,000</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>2,76,17,00,000</b> |
| 2236 - पोषण                       | खण्ड- 1 भाग-1 | D/121/13-14       | 5,18,75,00,000        | 51       | 0                | 5,18,75,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 5,18,75,00,000        |
|                                   |               | D/122/13-14       | 1,06,25,00,000        | 51       | 0                | 1,06,25,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,06,25,00,000        |
|                                   |               | <b>योग - 2236</b> | <b>6,25,00,00,000</b> |          | <b>0</b>         | <b>6,25,00,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>6,25,00,00,000</b> |
| 2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ     | खण्ड- 1 भाग-1 | D/48/13-14        | 1,000                 | 39       | 1,000            | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                                   |               | D/70/13-14        | 16,14,000             | 30       | 16,14,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 16,14,000             |
|                                   |               | D/89/13-14        | 24,22,000             | 24       | 24,22,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 24,22,000             |
|                                   |               | D/136/13-14       | 1,00,000              | 44       | 1,00,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,00,000              |
|                                   |               | D/191/13-14       | 5,30,000              | 26       | 5,30,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 5,30,000              |
|                                   |               | <b>योग - 2251</b> | <b>46,67,000</b>      |          | <b>46,67,000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>46,67,000</b>      |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष          | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष | राशि           | मांग सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना    | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग            |
|----------------------|---------------|------------------|----------------|----------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 2401 - फसल कृषि-कर्म | खण्ड- 1 भाग-1 | D/113/13-14      | 40,29,000      | 09       | 0            | 40,29,000      | 0                       | 0                              | 0      | 40,29,000      |
|                      |               | D/165/13-14      | 16,60,00,000   | 01       | 0            | 16,60,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 16,60,00,000   |
|                      |               | D/166/13-14      | 3,20,00,000    | 01       | 0            | 3,20,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 3,20,00,000    |
|                      |               | D/167/13-14      | 20,00,000      | 01       | 0            | 20,00,000      | 0                       | 0                              | 0      | 20,00,000      |
|                      |               | D/168/13-14      | 8,30,00,000    | 01       | 0            | 8,30,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 8,30,00,000    |
|                      |               | D/169/13-14      | 1,60,00,000    | 01       | 0            | 1,60,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 1,60,00,000    |
|                      |               | D/170/13-14      | 10,00,000      | 01       | 0            | 10,00,000      | 0                       | 0                              | 0      | 10,00,000      |
|                      |               | D/171/13-14      | 98,38,82,000   | 01       | 0            | 98,38,82,000   | 0                       | 0                              | 0      | 98,38,82,000   |
|                      |               | D/172/13-14      | 18,96,64,000   | 01       | 0            | 18,96,64,000   | 0                       | 0                              | 0      | 18,96,64,000   |
|                      |               | D/173/13-14      | 1,18,54,000    | 01       | 0            | 1,18,54,000    | 0                       | 0                              | 0      | 1,18,54,000    |
|                      |               | D/174/13-14      | 84,54,38,000   | 01       | 0            | 84,54,38,000   | 0                       | 0                              | 0      | 84,54,38,000   |
|                      |               | D/175/13-14      | 16,29,76,000   | 01       | 0            | 16,29,76,000   | 0                       | 0                              | 0      | 16,29,76,000   |
|                      |               | D/176/13-14      | 1,01,86,000    | 01       | 0            | 1,01,86,000    | 0                       | 0                              | 0      | 1,01,86,000    |
|                      |               | D/179/13-14      | 20,00,00,000   | 01       | 0            | 20,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 20,00,00,000   |
|                      |               | योग - 2401       | 2,70,80,29,000 |          | 0            | 2,70,80,29,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,70,80,29,000 |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                     | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष  | राशि                | मांग सं० | आयोजना भिन्न       | राज्य योजना         | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                 |
|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी   | खण्ड- 1 भाग-1 | D/86/13-14        | 34,45,000           | 19       | 34,45,000          | 0                   | 0                       | 0                              | 0        | 34,45,000           |
|                                 |               | D/101/13-14       | 2,50,00,000         | 19       | 0                  | 2,50,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 2,50,00,000         |
|                                 |               | D/102/13-14       | 2,50,00,000         | 19       | 0                  | 2,50,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 2,50,00,000         |
|                                 |               | D/103/13-14       | 16,00,00,000        | 19       | 0                  | 16,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 16,00,00,000        |
|                                 |               | D/104/13-14       | 4,00,00,000         | 19       | 0                  | 4,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 4,00,00,000         |
|                                 |               | D/105/13-14       | 34,00,00,000        | 19       | 0                  | 34,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 34,00,00,000        |
|                                 |               | D/106/13-14       | 5,00,00,000         | 19       | 0                  | 5,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000         |
|                                 |               | D/107/13-14       | 4,50,00,000         | 19       | 0                  | 4,50,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 4,50,00,000         |
|                                 |               | D/186/13-14       | 30,00,000           | 19       | 30,00,000          | 0                   | 0                       | 0                              | 0        | 30,00,000           |
|                                 | खण्ड- 1 भाग-2 | B/9/13-14         | 10,00,000           | 19       | 10,00,000          | 0                   | 0                       | 0                              | 0        | 10,00,000           |
|                                 |               | <b>योग - 2406</b> | <b>69,24,45,000</b> |          | <b>74,45,000</b>   | <b>68,50,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>69,24,45,000</b> |
| 2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | खण्ड- 1 भाग-1 | D/177/13-14       | 9,99,60,000         | 01       | 0                  | 9,99,60,000         | 0                       | 0                              | 0        | 9,99,60,000         |
|                                 |               | D/178/13-14       | 1,90,40,000         | 01       | 0                  | 1,90,40,000         | 0                       | 0                              | 0        | 1,90,40,000         |
|                                 |               | <b>योग - 2415</b> | <b>11,90,00,000</b> |          | <b>0</b>           | <b>11,90,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>11,90,00,000</b> |
| 2425 - सहकारिता                 | खण्ड- 1 भाग-1 | D/55/13-14        | 3,00,000            | 09       | 3,00,000           | 0                   | 0                       | 0                              | 0        | 3,00,000            |
|                                 |               | D/56/13-14        | 3,00,000            | 09       | 3,00,000           | 0                   | 0                       | 0                              | 0        | 3,00,000            |
|                                 |               | D/57/13-14        | 1,00,000            | 09       | 1,00,000           | 0                   | 0                       | 0                              | 0        | 1,00,000            |
|                                 |               | <b>योग - 2425</b> | <b>7,00,000</b>     |          | <b>7,00,000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>7,00,000</b>     |
| 2506 - भूमि सुधार               | खण्ड- 1 भाग-2 | B/2/13-14         | 34,08,000           | 40       | 34,08,000          | 0                   | 0                       | 0                              | 0        | 34,08,000           |
|                                 |               | B/10/13-14        | 90,00,000           | 40       | 90,00,000          | 0                   | 0                       | 0                              | 0        | 90,00,000           |
|                                 |               | <b>योग - 2506</b> | <b>1,24,08,000</b>  |          | <b>1,24,08,000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>1,24,08,000</b>  |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                       | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष  | राशि                  | मांग सं० | आयोजना भिन्न       | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                   |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | खण्ड- 1 भाग-1 | D/193/13-14       | 1,12,05,00,000        | 16       | 0                  | 1,12,05,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,12,05,00,000        |
|                                   |               | D/194/13-14       | 22,95,00,000          | 16       | 0                  | 22,95,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 22,95,00,000          |
|                                   |               | D/195/13-14       | 92,13,000             | 16       | 0                  | 92,13,000             | 0                       | 0                              | 0        | 92,13,000             |
|                                   |               | D/196/13-14       | 18,87,000             | 16       | 0                  | 18,87,000             | 0                       | 0                              | 0        | 18,87,000             |
|                                   |               | D/197/13-14       | 6,64,00,000           | 16       | 0                  | 6,64,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 6,64,00,000           |
|                                   |               | D/198/13-14       | 1,36,00,000           | 16       | 0                  | 1,36,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 1,36,00,000           |
|                                   |               | D/199/13-14       | 27,34,02,000          | 16       | 0                  | 27,34,02,000          | 0                       | 0                              | 0        | 27,34,02,000          |
|                                   |               | D/200/13-14       | 5,59,98,000           | 16       | 0                  | 5,59,98,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,59,98,000           |
|                                   |               | D/201/13-14       | 50,58,85,000          | 16       | 0                  | 50,58,85,000          | 0                       | 0                              | 0        | 50,58,85,000          |
|                                   |               | D/202/13-14       | 10,36,15,000          | 16       | 0                  | 10,36,15,000          | 0                       | 0                              | 0        | 10,36,15,000          |
|                                   |               | D/203/13-14       | 1,65,60,79,000        | 16       | 0                  | 1,65,60,79,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,65,60,79,000        |
|                                   |               | D/204/13-14       | 29,99,60,000          | 16       | 0                  | 29,99,60,000          | 0                       | 0                              | 0        | 29,99,60,000          |
|                                   |               | D/205/13-14       | 1,95,61,000           | 16       | 0                  | 1,95,61,000           | 0                       | 0                              | 0        | 1,95,61,000           |
|                                   |               | D/206/13-14       | 1,00,000              | 16       | 1,00,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,00,000              |
|                                   |               | D/207/13-14       | 99,56,000             | 16       | 99,56,000          | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 99,56,000             |
|                                   |               | D/208/13-14       | 10,000                | 16       | 10,000             | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 10,000                |
|                                   | खण्ड- 1 भाग-2 | B/12/13-14        | 12,00,000             | 37       | 12,00,000          | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 12,00,000             |
|                                   |               | <b>योग - 2515</b> | <b>4,36,68,66,000</b> |          | <b>1,12,66,000</b> | <b>4,35,56,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>4,36,68,66,000</b> |
| 2700 - मुख्य सिंचाई               | खण्ड- 1 भाग-1 | D/22/13-14        | 1,000                 | 49       | 1,000              | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                                   |               | D/23/13-14        | 2,000                 | 49       | 2,000              | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 2,000                 |
|                                   |               | <b>योग - 2700</b> | <b>3,000</b>          |          | <b>3,000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>3,000</b>          |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                       | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष  | राशि                  | मांग सं० | आयोजना भिन्न        | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                   |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 2701 - मध्यम सिंचाई               | खण्ड- 1 भाग-1 | D/19/13-14        | 1,000                 | 49       | 1,000               | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                                   |               | D/20/13-14        | 1,000                 | 49       | 1,000               | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                                   |               | D/21/13-14        | 1,000                 | 49       | 1,000               | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                                   |               | <b>योग - 2701</b> | <b>3,000</b>          |          | <b>3,000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>3,000</b>          |
| 2702 - लघु सिंचाई                 | खण्ड- 1 भाग-1 | D/95/13-14        | 80,00,00,000          | 50       | 0                   | 80,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 80,00,00,000          |
|                                   |               | D/96/13-14        | 4,20,00,00,000        | 50       | 0                   | 4,20,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 4,20,00,00,000        |
|                                   |               | D/97/13-14        | 1,60,00,000           | 50       | 0                   | 1,60,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 1,60,00,000           |
|                                   |               | D/98/13-14        | 6,90,00,000           | 50       | 0                   | 6,90,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 6,90,00,000           |
|                                   |               | <b>योग - 2702</b> | <b>5,08,50,00,000</b> |          | <b>0</b>            | <b>5,08,50,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>5,08,50,00,000</b> |
| 2705 - कमान क्षेत्र विकास         | खण्ड- 1 भाग-1 | D/15/13-14        | 28,00,00,000          | 49       | 0                   | 28,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 28,00,00,000          |
|                                   |               | <b>योग - 2705</b> | <b>28,00,00,000</b>   |          | <b>0</b>            | <b>28,00,00,000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>28,00,00,000</b>   |
| 2711 - बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास | खण्ड- 1 भाग-1 | D/17/13-14        | 1,000                 | 49       | 1,000               | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                                   |               | D/18/13-14        | 1,000                 | 49       | 1,000               | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                                   |               | <b>योग - 2711</b> | <b>2,000</b>          |          | <b>2,000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>2,000</b>          |
| 2801 - बिजली                      | खण्ड- 1 भाग-1 | D/160/13-14       | 10,00,00,000          | 10       | 10,00,00,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 10,00,00,000          |
|                                   |               | D/161/13-14       | 5,00,00,000           | 10       | 5,00,00,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                   |               | D/162/13-14       | 5,00,00,000           | 10       | 5,00,00,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                   |               | D/163/13-14       | 10,00,00,000          | 10       | 10,00,00,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 10,00,00,000          |
|                                   |               | <b>योग - 2801</b> | <b>30,00,00,000</b>   |          | <b>30,00,00,000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>30,00,00,000</b>   |
| 2810 - अपारंपरिक उर्जा स्रोत      | खण्ड- 1 भाग-1 | D/139/13-14       | 35,00,00,000          | 10       | 0                   | 35,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 35,00,00,000          |
|                                   |               | <b>योग - 2810</b> | <b>35,00,00,000</b>   |          | <b>0</b>            | <b>35,00,00,000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>35,00,00,000</b>   |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                           | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष  | राशि                  | मांग सं० | आयोजना भिन्न        | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                   |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग           | खण्ड- 1 भाग-1 | D/51/13-14        | 14,00,00,000          | 23       | 0                   | 14,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 14,00,00,000          |
|                                       |               | D/59/13-14        | 3,00,00,000           | 23       | 0                   | 3,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 3,00,00,000           |
|                                       |               | D/150/13-14       | 7,00,00,000           | 23       | 0                   | 7,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 7,00,00,000           |
|                                       |               | <b>योग - 2851</b> | <b>24,00,00,000</b>   |          | <b>0</b>            | <b>24,00,00,000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>24,00,00,000</b>   |
| 2852 - उद्योग                         | खण्ड- 1 भाग-1 | D/52/13-14        | 2,00,00,000           | 23       | 0                   | 2,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 2,00,00,000           |
|                                       |               | D/63/13-14        | 5,00,00,000           | 45       | 0                   | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                       |               | D/111/13-14       | 9,62,00,000           | 25       | 0                   | 9,62,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 9,62,00,000           |
|                                       |               | D/137/13-14       | 2,00,00,00,000        | 23       | 0                   | 2,00,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 2,00,00,00,000        |
|                                       |               | D/153/13-14       | 7,00,00,000           | 23       | 0                   | 7,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 7,00,00,000           |
|                                       |               | D/184/13-14       | 7,00,00,000           | 23       | 0                   | 7,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 7,00,00,000           |
|                                       |               | D/185/13-14       | 10,00,00,000          | 23       | 0                   | 10,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 10,00,00,000          |
|                                       |               | <b>योग - 2852</b> | <b>2,40,62,00,000</b> |          | <b>0</b>            | <b>2,40,62,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>2,40,62,00,000</b> |
| 3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ          | खण्ड- 1 भाग-1 | D/16/13-14        | 1,000                 | 49       | 1,000               | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                                       |               | D/47/13-14        | 27,93,000             | 45       | 27,93,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 27,93,000             |
|                                       |               | D/112/13-14       | 25,000                | 09       | 25,000              | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 25,000                |
|                                       |               | D/138/13-14       | 31,43,000             | 10       | 31,43,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 31,43,000             |
|                                       |               | D/209/13-14       | 3,00,000              | 16       | 3,00,000            | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 3,00,000              |
|                                       |               | <b>योग - 3451</b> | <b>62,62,000</b>      |          | <b>62,62,000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>62,62,000</b>      |
| 3452 - पर्यटन                         | खण्ड- 1 भाग-1 | D/213/13-14       | 88,77,000             | 46       | 88,77,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 88,77,000             |
|                                       |               | <b>योग - 3452</b> | <b>88,77,000</b>      |          | <b>88,77,000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>88,77,000</b>      |
| 3454 - जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | खण्ड- 1 भाग-1 | D/84/13-14        | 3,000                 | 35       | 0                   | 0                     | 0                       | 3,000                          | 0        | 3,000                 |
|                                       |               | D/85/13-14        | 2,000                 | 35       | 0                   | 2,000                 | 0                       | 0                              | 0        | 2,000                 |
|                                       | खण्ड- 1 भाग-2 | B/11/13-14        | 14,02,05,000          | 40       | 14,02,05,000        | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 14,02,05,000          |
|                                       |               | <b>योग - 3454</b> | <b>14,02,10,000</b>   |          | <b>14,02,05,000</b> | <b>2,000</b>          | <b>0</b>                | <b>3,000</b>                   | <b>0</b> | <b>14,02,10,000</b>   |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                                        | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष | राशि           | मांग सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना    | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग            |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 3456 - सिविल पूर्ति                                | खण्ड- 1 भाग-1 | D/87/13-14       | 6,00,000       | 18       | 6,00,000     | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 6,00,000       |
|                                                    |               | योग - 3456       | 6,00,000       |          | 6,00,000     | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 6,00,000       |
| 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ                  | खण्ड- 1 भाग-1 | D/53/13-14       | 1,93,000       | 01       | 1,93,000     | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 1,93,000       |
|                                                    |               | D/243/13-14      | 2,00,00,000    | 01       | 0            | 0              | 2,00,00,000             | 0                              | 0      | 2,00,00,000    |
|                                                    |               | योग - 3475       | 2,01,93,000    |          | 1,93,000     | 0              | 2,00,00,000             | 0                              | 0      | 2,01,93,000    |
| 4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय     | खण्ड- 1 भाग-1 | D/110/13-14      | 99,00,000      | 38       | 0            | 99,00,000      | 0                       | 0                              | 0      | 99,00,000      |
|                                                    |               | D/149/13-14      | 2,00,00,00,000 | 40       | 0            | 2,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,00,00,00,000 |
|                                                    |               | योग - 4047       | 2,00,99,00,000 |          | 0            | 2,00,99,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,00,99,00,000 |
| 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय        | खण्ड- 1 भाग-1 | D/92/13-14       | 87,78,06,000   | 03       | 0            | 87,78,06,000   | 0                       | 0                              | 0      | 87,78,06,000   |
|                                                    |               | D/117/13-14      | 8,50,00,000    | 03       | 0            | 8,50,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 8,50,00,000    |
|                                                    |               | D/118/13-14      | 5,00,00,000    | 03       | 0            | 5,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 5,00,00,000    |
|                                                    |               | D/145/13-14      | 12,24,00,000   | 03       | 0            | 0              | 0                       | 12,24,00,000                   | 0      | 12,24,00,000   |
|                                                    |               | D/148/13-14      | 3,05,00,000    | 03       | 0            | 3,05,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 3,05,00,000    |
|                                                    |               | D/181/13-14      | 5,00,00,000    | 03       | 0            | 5,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 5,00,00,000    |
|                                                    |               | योग - 4059       | 1,21,57,06,000 |          | 0            | 1,09,33,06,000 | 0                       | 12,24,00,000                   | 0      | 1,21,57,06,000 |
| 4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय    | खण्ड- 1 भाग-1 | D/24/13-14       | 8,60,00,00,000 | 35       | 0            | 8,60,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 8,60,00,00,000 |
|                                                    |               | योग - 4070       | 8,60,00,00,000 |          | 0            | 8,60,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 8,60,00,00,000 |
| 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत | खण्ड- 1 भाग-1 | D/75/13-14       | 75,00,00,000   | 21       | 0            | 75,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 75,00,00,000   |
|                                                    |               | D/80/13-14       | 5,00,00,00,000 | 21       | 0            | 5,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 5,00,00,00,000 |
|                                                    |               | योग - 4202       | 5,75,00,00,000 |          | 0            | 5,75,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 5,75,00,00,000 |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                                          | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष  | राशि                  | मांग सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                   |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | खण्ड- 1 भाग-1 | D/127/13-14       | 80,00,000             | 20       | 0            | 80,00,000             | 0                       | 0                              | 0        | 80,00,000             |
|                                                      |               | D/128/13-14       | 20,00,000             | 20       | 0            | 20,00,000             | 0                       | 0                              | 0        | 20,00,000             |
|                                                      |               | D/129/13-14       | 1,75,00,00,000        | 20       | 0            | 1,75,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,75,00,00,000        |
|                                                      |               | D/130/13-14       | 75,00,00,000          | 20       | 0            | 75,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 75,00,00,000          |
|                                                      |               | D/131/13-14       | 24,00,00,000          | 20       | 0            | 24,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 24,00,00,000          |
|                                                      |               | D/132/13-14       | 25,00,00,000          | 20       | 0            | 25,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 25,00,00,000          |
|                                                      |               | <b>योग - 4210</b> | <b>3,00,00,00,000</b> |          | <b>0</b>     | <b>3,00,00,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>3,00,00,00,000</b> |
| 4215 - जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय         | खण्ड- 1 भाग-1 | D/187/13-14       | 55,30,00,000          | 36       | 0            | 55,30,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 55,30,00,000          |
|                                                      |               | D/188/13-14       | 14,00,00,000          | 36       | 0            | 14,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 14,00,00,000          |
|                                                      |               | D/189/13-14       | 70,00,000             | 36       | 0            | 70,00,000             | 0                       | 0                              | 0        | 70,00,000             |
|                                                      |               | <b>योग - 4215</b> | <b>70,00,00,000</b>   |          | <b>0</b>     | <b>70,00,00,000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>70,00,00,000</b>   |
| 4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय                       | खण्ड- 1 भाग-1 | D/91/13-14        | 12,21,94,000          | 03       | 0            | 12,21,94,000          | 0                       | 0                              | 0        | 12,21,94,000          |
|                                                      |               | D/146/13-14       | 3,00,00,000           | 03       | 0            | 0                     | 0                       | 3,00,00,000                    | 0        | 3,00,00,000           |
|                                                      |               | D/147/13-14       | 76,00,000             | 03       | 0            | 76,00,000             | 0                       | 0                              | 0        | 76,00,000             |
|                                                      |               | <b>योग - 4216</b> | <b>15,97,94,000</b>   |          | <b>0</b>     | <b>12,97,94,000</b>   | <b>0</b>                | <b>3,00,00,000</b>             | <b>0</b> | <b>15,97,94,000</b>   |
| 4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा      | खण्ड- 1 भाग-1 | D/58/13-14        | 7,48,00,000           | 11       | 0            | 7,48,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 7,48,00,000           |
|                                                      |               | D/61/13-14        | 20,00,00,000          | 44       | 0            | 20,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 20,00,00,000          |
|                                                      |               | D/62/13-14        | 1,80,00,00,000        | 44       | 0            | 1,80,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,80,00,00,000        |
|                                                      |               | <b>योग - 4225</b> | <b>2,07,48,00,000</b> |          | <b>0</b>     | <b>2,07,48,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>2,07,48,00,000</b> |
| 4401 - फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय              | खण्ड- 1 भाग-1 | D/180/13-14       | 59,00,00,000          | 35       | 0            | 59,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 59,00,00,000          |
|                                                      |               | <b>योग - 4401</b> | <b>59,00,00,000</b>   |          | <b>0</b>     | <b>59,00,00,000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>59,00,00,000</b>   |
| 4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय        | खण्ड- 1 भाग-1 | D/108/13-14       | 1,50,00,000           | 19       | 0            | 1,50,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 1,50,00,000           |
|                                                      |               | <b>योग - 4406</b> | <b>1,50,00,000</b>    |          | <b>0</b>     | <b>1,50,00,000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>1,50,00,000</b>    |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                                            | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष | राशि           | मांग सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना    | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग            |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 4408 - खाद्य, भंडारण तथा भंडागार                       | खण्ड- 1 भाग-1 | D/88/13-14       | 2,00,00,00,000 | 03       | 0            | 2,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,00,00,00,000 |
|                                                        |               | योग - 4408       | 2,00,00,00,000 |          | 0            | 2,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,00,00,00,000 |
| 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | खण्ड- 1 भाग-1 | D/154/13-14      | 96,97,00,000   | 37       | 0            | 96,97,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 96,97,00,000   |
|                                                        |               | D/155/13-14      | 4,00,00,00,000 | 37       | 0            | 4,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 4,00,00,00,000 |
|                                                        |               | योग - 4515       | 4,96,97,00,000 |          | 0            | 4,96,97,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 4,96,97,00,000 |
| 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय                 | खण्ड- 1 भाग-1 | D/32/13-14       | 40,00,00,000   | 49       | 0            | 40,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 40,00,00,000   |
|                                                        |               | D/33/13-14       | 14,50,00,000   | 49       | 0            | 14,50,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 14,50,00,000   |
|                                                        |               | D/34/13-14       | 61,27,70,000   | 49       | 0            | 61,27,70,000   | 0                       | 0                              | 0      | 61,27,70,000   |
|                                                        |               | D/35/13-14       | 62,20,00,000   | 49       | 0            | 62,20,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 62,20,00,000   |
|                                                        |               | D/42/13-14       | 11,20,00,000   | 49       | 0            | 11,20,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 11,20,00,000   |
|                                                        |               | D/43/13-14       | 1,62,45,00,000 | 49       | 0            | 1,62,45,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 1,62,45,00,000 |
|                                                        |               | D/44/13-14       | 1,48,46,00,000 | 49       | 0            | 1,48,46,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 1,48,46,00,000 |
|                                                        |               | D/45/13-14       | 23,19,00,000   | 49       | 0            | 23,19,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 23,19,00,000   |
|                                                        |               | D/46/13-14       | 2,43,00,000    | 49       | 0            | 2,43,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 2,43,00,000    |
|                                                        |               | योग - 4700       | 5,25,70,70,000 |          | 0            | 5,25,70,70,000 | 0                       | 0                              | 0      | 5,25,70,70,000 |
| 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय                 | खण्ड- 1 भाग-1 | D/36/13-14       | 33,22,00,000   | 49       | 0            | 33,22,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 33,22,00,000   |
|                                                        |               | D/37/13-14       | 14,71,00,000   | 49       | 0            | 14,71,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 14,71,00,000   |
|                                                        |               | D/38/13-14       | 13,79,00,000   | 49       | 0            | 13,79,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 13,79,00,000   |
|                                                        |               | D/39/13-14       | 8,52,00,000    | 49       | 0            | 8,52,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 8,52,00,000    |
|                                                        |               | D/40/13-14       | 14,40,00,000   | 49       | 0            | 14,40,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 14,40,00,000   |
|                                                        |               | D/41/13-14       | 3,09,00,000    | 49       | 0            | 3,09,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 3,09,00,000    |
|                                                        |               | योग - 4701       | 87,73,00,000   |          | 0            | 87,73,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 87,73,00,000   |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                                        | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष  | राशि                   | मांग सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना            | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                    |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|------------------------|
| 4702 - लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय               | खण्ड- 1 भाग-1 | D/99/13-14        | 4,06,40,000            | 50       | 0            | 4,06,40,000            | 0                       | 0                              | 0        | 4,06,40,000            |
|                                                    |               | D/100/13-14       | 21,33,60,000           | 50       | 0            | 21,33,60,000           | 0                       | 0                              | 0        | 21,33,60,000           |
|                                                    |               | D/236/13-14       | 48,60,00,000           | 50       | 0            | 48,60,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 48,60,00,000           |
|                                                    |               | <b>योग - 4702</b> | <b>74,00,00,000</b>    |          | <b>0</b>     | <b>74,00,00,000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>74,00,00,000</b>    |
| 4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | खण्ड- 1 भाग-1 | D/25/13-14        | 30,00,00,000           | 49       | 0            | 30,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 30,00,00,000           |
|                                                    |               | D/26/13-14        | 2,67,00,000            | 49       | 0            | 2,67,00,000            | 0                       | 0                              | 0        | 2,67,00,000            |
|                                                    |               | D/27/13-14        | 27,36,50,000           | 49       | 0            | 27,36,50,000           | 0                       | 0                              | 0        | 27,36,50,000           |
|                                                    |               | D/28/13-14        | 70,00,000              | 49       | 0            | 70,00,000              | 0                       | 0                              | 0        | 70,00,000              |
|                                                    |               | D/29/13-14        | 67,25,50,000           | 49       | 0            | 67,25,50,000           | 0                       | 0                              | 0        | 67,25,50,000           |
|                                                    |               | D/30/13-14        | 1,30,91,40,000         | 49       | 0            | 1,30,91,40,000         | 0                       | 0                              | 0        | 1,30,91,40,000         |
|                                                    |               | D/31/13-14        | 12,29,90,000           | 49       | 0            | 12,29,90,000           | 0                       | 0                              | 0        | 12,29,90,000           |
|                                                    |               | <b>योग - 4711</b> | <b>2,71,20,30,000</b>  |          | <b>0</b>     | <b>2,71,20,30,000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>2,71,20,30,000</b>  |
| 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय         | खण्ड- 1 भाग-1 | D/8/13-14         | 10,00,00,000           | 10       | 0            | 10,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 10,00,00,000           |
|                                                    |               | D/9/13-14         | 25,00,00,000           | 10       | 0            | 25,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 25,00,00,000           |
|                                                    |               | D/237/13-14       | 1,50,00,00,000         | 10       | 0            | 1,50,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 1,50,00,00,000         |
|                                                    |               | D/238/13-14       | 4,00,00,00,000         | 10       | 0            | 4,00,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 4,00,00,00,000         |
|                                                    |               | D/239/13-14       | 7,00,00,00,000         | 10       | 0            | 7,00,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 7,00,00,00,000         |
|                                                    |               | D/240/13-14       | 5,00,00,00,000         | 10       | 0            | 5,00,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,00,000         |
|                                                    |               | D/242/13-14       | 25,00,00,000           | 10       | 0            | 25,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 25,00,00,000           |
|                                                    |               | <b>योग - 4801</b> | <b>18,10,00,00,000</b> |          | <b>0</b>     | <b>18,10,00,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>18,10,00,00,000</b> |
| 4885 - उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय | खण्ड- 1 भाग-1 | D/133/13-14       | 5,00,00,00,000         | 23       | 0            | 5,00,00,00,000         | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,00,000         |
|                                                    |               | <b>योग - 4885</b> | <b>5,00,00,00,000</b>  |          | <b>0</b>     | <b>5,00,00,00,000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>5,00,00,00,000</b>  |
| 5053 - नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय              | खण्ड- 1 भाग-1 | D/125/13-14       | 3,00,00,000            | 04       | 0            | 3,00,00,000            | 0                       | 0                              | 0        | 3,00,00,000            |
|                                                    |               | <b>योग - 5053</b> | <b>3,00,00,000</b>     |          | <b>0</b>     | <b>3,00,00,000</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>3,00,00,000</b>     |

## Summary for Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का सामान्य सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                                 | खण्ड/भाग      | क्रमांक एवं वर्ष  | राशि                     | मांग सं० | आयोजना भिन्न          | राज्य योजना              | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत             | योग                      |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | खण्ड- 1 भाग-1 | D/49/13-14        | 3,00,00,00,000           | 41       | 0                     | 3,00,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0                  | 3,00,00,00,000           |
|                                             |               | D/50/13-14        | 4,00,00,00,000           | 41       | 0                     | 4,00,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0                  | 4,00,00,00,000           |
|                                             |               | <b>योग - 5054</b> | <b>7,00,00,00,000</b>    |          | <b>0</b>              | <b>7,00,00,00,000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>7,00,00,00,000</b>    |
| 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय            | खण्ड- 1 भाग-1 | D/182/13-14       | 2,44,71,000              | 03       | 0                     | 2,44,71,000              | 0                       | 0                              | 0                  | 2,44,71,000              |
|                                             |               | D/211/13-14       | 24,60,00,000             | 46       | 0                     | 24,60,00,000             | 0                       | 0                              | 0                  | 24,60,00,000             |
|                                             |               | D/212/13-14       | 2,39,46,000              | 46       | 0                     | 0                        | 0                       | 2,39,46,000                    | 0                  | 2,39,46,000              |
|                                             | खण्ड- 1 भाग-2 | B/16/13-14        | 25,00,00,000             | 46       | 0                     | 25,00,00,000             | 0                       | 0                              | 0                  | 25,00,00,000             |
|                                             |               | <b>योग - 5452</b> | <b>54,44,17,000</b>      |          | <b>0</b>              | <b>52,04,71,000</b>      | <b>0</b>                | <b>2,39,46,000</b>             | <b>0</b>           | <b>54,44,17,000</b>      |
| 6004 - केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम   | खण्ड- 1 भाग-1 | D/2/13-14         | 3,75,000                 | 14       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                              | 3,75,000           | 3,75,000                 |
|                                             |               | <b>योग - 6004</b> | <b>3,75,000</b>          |          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>3,75,000</b>    | <b>3,75,000</b>          |
| 6801 - बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज         | खण्ड- 1 भाग-1 | D/4/13-14         | 25,00,00,000             | 10       | 0                     | 25,00,00,000             | 0                       | 0                              | 0                  | 25,00,00,000             |
|                                             |               | D/5/13-14         | 15,00,00,000             | 10       | 0                     | 15,00,00,000             | 0                       | 0                              | 0                  | 15,00,00,000             |
|                                             |               | D/6/13-14         | 85,00,00,000             | 10       | 0                     | 85,00,00,000             | 0                       | 0                              | 0                  | 85,00,00,000             |
|                                             |               | D/7/13-14         | 80,00,00,000             | 10       | 0                     | 80,00,00,000             | 0                       | 0                              | 0                  | 80,00,00,000             |
|                                             |               | D/156/13-14       | 19,50,00,000             | 10       | 19,50,00,000          | 0                        | 0                       | 0                              | 0                  | 19,50,00,000             |
|                                             |               | D/157/13-14       | 18,51,73,000             | 10       | 18,51,73,000          | 0                        | 0                       | 0                              | 0                  | 18,51,73,000             |
|                                             |               | D/158/13-14       | 9,53,46,000              | 10       | 9,53,46,000           | 0                        | 0                       | 0                              | 0                  | 9,53,46,000              |
|                                             |               | D/159/13-14       | 9,00,00,000              | 10       | 9,00,00,000           | 0                        | 0                       | 0                              | 0                  | 9,00,00,000              |
|                                             |               | <b>योग - 6801</b> | <b>2,61,55,19,000</b>    |          | <b>56,55,19,000</b>   | <b>2,05,00,00,000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>2,61,55,19,000</b>    |
| 6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज        | खण्ड- 1 भाग-2 | B/7/13-14         | 24,36,00,000             | 45       | 24,36,00,000          | 0                        | 0                       | 0                              | 0                  | 24,36,00,000             |
|                                             |               | <b>योग - 6860</b> | <b>24,36,00,000</b>      |          | <b>24,36,00,000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>24,36,00,000</b>      |
| <b>महायोग -</b>                             |               |                   | <b>1,11,07,68,01,000</b> |          | <b>1,76,29,49,000</b> | <b>1,08,81,17,03,000</b> | <b>7,86,00,000</b>      | <b>40,34,78,000</b>            | <b>2,00,71,000</b> | <b>1,11,07,68,01,000</b> |

# अनुदानों की पूरक मांगें

## Supplementary Demands for Grants

2013-2014

नोट :-अनुदानों की मांगों की राशि को लाख में दर्शाया गया है ।  
अनुसूची/सारांश में आँकड़ें ईकाई में दर्शाये गये हैं ।  
आँकड़ें लाख करने में हुए घट-बढ़, अगर कोई है तो वह  
दशमलव के बाद पूर्णांकन के कारण है ।

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 01**

**कृषि विभाग Agriculture Department**

|                                                                     |                 | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |          |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|-----------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए) |                 | राजस्व                         | पूंजी    | योग       |
| (See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )       |                 | Revenue                        | Capital  | Total     |
| I. मूल अनुदान                                                       | मतदेय / Voted   | 255019.11                      | 10000.00 | 265019.11 |
| Original Estimate                                                   | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00     | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                                                       | मतदेय / Voted   | 28431.93                       | 0.00     | 28431.93  |
| 1st Supplementary                                                   | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00     | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक )                                                 | मतदेय / Voted   | 283451.04                      | 10000.00 | 293451.04 |
| Total(Original plus Supplementary)                                  | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00     | 0.00      |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                              | योजना          | गैर योजना   | योग             |
|------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Major Head                               | Plan           | Non Plan    | Total           |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>        |                |             |                 |
| 2401 Crop Husbandry                      | Voted          | 0.00        | 27040.00        |
| फसल कृषि-कर्म                            | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| 2415 Agricultural Research and Education | Voted          | 0.00        | 1190.00         |
| कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा                 | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| 3475 Other General Economic Services     | Voted          | 1.93        | 201.93          |
| अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ               | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| <b>Total Revenue Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>1.93</b> | <b>28431.93</b> |
| योग- राजस्व भाग                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b> | <b>Voted</b>   | <b>1.93</b> | <b>28431.93</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 03**

**भवन निर्माण विभाग Building Construction Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs )

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |           |           |
|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 44747.16 | 105754.13 | 150501.29 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 233.01   | 33999.71  | 34232.72  |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 44980.17 | 139753.84 | 184734.01 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                                          | योजना          | गैर योजना   | योग             |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Major Head                                           | Plan           | Non Plan    | Total           |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>                    |                |             |                 |
| 2059 Public Works                                    | Voted          | 0.01        | 233.01          |
| लोक निर्माण कार्य                                    | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| <b>Total Revenue Section</b>                         | <b>Voted</b>   | <b>0.01</b> | <b>233.01</b>   |
| योग- राजस्व भाग                                      | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>                     |                |             |                 |
| 4059 Capital Outlay on Public Works                  | Voted          | 0.00        | 12157.06        |
| लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय                 | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| 4216 Capital Outlay on Housing                       | Voted          | 0.00        | 1597.94         |
| आवास पर पूंजीगत परिव्यय                              | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| 4408 Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing | Voted          | 0.00        | 20000.00        |
| खाद्य, भंडारण तथा भंडागार                            | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| 5452 Capital Outlay on Tourism                       | Voted          | 0.00        | 244.71          |
| पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय                            | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| <b>Total Capital Section</b>                         | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b> | <b>33999.71</b> |
| योग- पूंजी भाग                                       | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>             | <b>Voted</b>   | <b>0.01</b> | <b>34232.72</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                                | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 04**

**मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग Cabinet Secretariat Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs )

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |         |          |
|------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 14565.73 | 907.00  | 15472.73 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 120.89   | 300.00  | 420.89   |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 14686.62 | 1207.00 | 15893.62 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00    | 0.00     |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                              | योजना          | गैर योजना     | योग           |
|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Major Head                               | Plan           | Non Plan      | Total         |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>        |                |               |               |
| 2013 Council of Ministers                | Voted          | 119.88        | 119.88        |
| मंत्रिपरिषद                              | Charged        | 0.00          | 0.00          |
| 2052 Secretariat-General Services        | Voted          | 1.00          | 1.00          |
| सचिवालय-सामान्य सेवाएँ                   | Charged        | 0.00          | 0.00          |
| 2205 Art and Culture                     | Voted          | 0.00          | 0.01          |
| कला एवं संस्कृति                         | Charged        | 0.00          | 0.00          |
| <b>Total Revenue Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>120.88</b> | <b>120.89</b> |
| योग- राजस्व भाग                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>         |                |               |               |
| 5053 Capital Outlay on Civil Aviation    | Voted          | 0.00          | 300.00        |
| नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय           | Charged        | 0.00          | 0.00          |
| <b>Total Capital Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b>   | <b>300.00</b> |
| योग- पूंजी भाग                           | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b> | <b>Voted</b>   | <b>120.88</b> | <b>420.89</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 05**

**राज्यपाल सचिवालय Secretariat of the Governor**

|                                                                                                                                      |                 | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)<br>(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants ) |                 | राजस्व<br>Revenue              | पूंजी<br>Capital | योग<br>Total |
| I. मूल अनुदान<br>Original Estimate                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 787.35                         | 0.00             | 787.35       |
| प्रथम अनुपूरक<br>1st Supplementary                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 58.58                          | 0.00             | 58.58        |
| जोड़ (मूल और पूरक )<br>Total(Original plus Supplementary)                                                                            | मतदेय / Voted   | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 845.93                         | 0.00             | 845.93       |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष<br>Major Head                                                                                | योजना<br>Plan  | गैर योजना<br>Non Plan | योग<br>Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Revenue Section</b> राजस्व भाग                                                                        |                |                       |              |
| 2012 President, Vice President/Governor,<br>Adm. of U.T.<br>राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य | Voted          | 0.00                  | 0.00         |
|                                                                                                          | Charged        | 0.00                  | 58.58        |
| <b>Total Revenue Section</b>                                                                             | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |
| योग- राजस्व भाग                                                                                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>           | <b>58.58</b> |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>                                                                 | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                                                                                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>           | <b>58.58</b> |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 08**

**कला, संस्कृति एवं युवा विभाग Art, Culture and Youth Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs )

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |         |      |         |
|------------------------------------|-----------------|---------|------|---------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 7869.80 | 0.00 | 7869.80 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00    | 0.00 | 0.00    |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 1720.00 | 0.00 | 1720.00 |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00    | 0.00 | 0.00    |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 9589.80 | 0.00 | 9589.80 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00    | 0.00 | 0.00    |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                              | योजना          | गैर योजना    | योग            |
|------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Major Head                               | Plan           | Non Plan     | Total          |
| <b>Revenue Section</b> राजस्व भाग        |                |              |                |
| 2205 Art and Culture                     | Voted          | 70.00        | 1720.00        |
| कला एवं संस्कृति                         | Charged        | 0.00         | 0.00           |
| <b>Total Revenue Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>70.00</b> | <b>1720.00</b> |
| योग- राजस्व भाग                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b> | <b>Voted</b>   | <b>70.00</b> | <b>1720.00</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 09**

**सहकारिता विभाग Co-operative Department**

|                                                                                                                                      |                 | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)<br>(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants ) |                 | राजस्व<br>Revenue              | पूंजी<br>Capital | योग<br>Total |
| I. मूल अनुदान<br>Original Estimate                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 45159.04                       | 7083.65          | 52242.69     |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| प्रथम अनुपूरक<br>1st Supplementary                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 47.54                          | 0.00             | 47.54        |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| जोड़ (मूल और पूरक )<br>Total(Original plus Supplementary)                                                                            | मतदेय / Voted   | 45206.58                       | 7083.65          | 52290.23     |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष<br>Major Head                                         |                | योजना<br>Plan | गैर योजना<br>Non Plan | योग<br>Total |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>Revenue Section</b> राजस्व भाग                                 |                |               |                       |              |
| 2401 Crop Husbandry<br>फसल कृषि-कर्म                              | Voted          | 40.29         | 0.00                  | 40.29        |
|                                                                   | Charged        | 0.00          | 0.00                  | 0.00         |
| 2425 Co-Operation<br>सहकारिता                                     | Voted          | 0.00          | 7.00                  | 7.00         |
|                                                                   | Charged        | 0.00          | 0.00                  | 0.00         |
| 3451 Secretariat Economic Services<br>सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ       | Voted          | 0.00          | 0.25                  | 0.25         |
|                                                                   | Charged        | 0.00          | 0.00                  | 0.00         |
| <b>Total Revenue Section</b><br>योग- राजस्व भाग                   | <b>Voted</b>   | <b>40.29</b>  | <b>7.25</b>           | <b>47.54</b> |
|                                                                   | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b><br>योग- राजस्व एवं पूंजी | <b>Voted</b>   | <b>40.29</b>  | <b>7.25</b>           | <b>47.54</b> |
|                                                                   | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 10**

**उर्जा विभाग Energy Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs )

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |           |           |           |
|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 249956.02 | 185082.63 | 435038.65 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 6535.20   | 207155.19 | 213690.39 |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 256491.22 | 392237.82 | 648729.04 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                                             | योजना          | गैर योजना      | योग              |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Major Head                                              | Plan           | Non Plan       | Total            |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>                       |                |                |                  |
| 2045 Other Taxes and Duties on Commodities and Services | Voted          | 3.77           | 3.77             |
| वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क                 | Charged        | 0.00           | 0.00             |
| 2801 Power                                              | Voted          | 3000.00        | 3000.00          |
| बिजली                                                   | Charged        | 0.00           | 0.00             |
| 2810 Non-Conventional Sources of Energy                 | Voted          | 0.00           | 3500.00          |
| अपारंपरिक उर्जा स्रोत                                   | Charged        | 0.00           | 0.00             |
| 3451 Secretariat Economic Services                      | Voted          | 31.43          | 31.43            |
| सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ                                   | Charged        | 0.00           | 0.00             |
| <b>Total Revenue Section</b>                            | <b>Voted</b>   | <b>3035.20</b> | <b>6535.20</b>   |
| योग- राजस्व भाग                                         | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>      |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>                        |                |                |                  |
| 4801 Capital Outlay on Power Projects                   | Voted          | 0.00           | 181000.00        |
| बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय                     | Charged        | 0.00           | 0.00             |
| 6801 Loans for Power Projects                           | Voted          | 5655.19        | 26155.19         |
| बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज                            | Charged        | 0.00           | 0.00             |
| <b>Total Capital Section</b>                            | <b>Voted</b>   | <b>5655.19</b> | <b>207155.19</b> |
| योग- पूंजी भाग                                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>      |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>                | <b>Voted</b>   | <b>8690.39</b> | <b>213690.39</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                                   | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>      |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 11**

**पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग BC and MBC Welfare Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs )

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |           |         |           |
|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 86342.18  | 287.00  | 86629.18  |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 29252.00  | 748.00  | 30000.00  |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 115594.18 | 1035.00 | 116629.18 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00      | 0.00    | 0.00      |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                                              | योजना          | गैर योजना   | योग             |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Major Head                                               | Plan           | Non Plan    | Total           |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>                        |                |             |                 |
| 2225 Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & OBC | Voted          | 0.00        | 29252.00        |
| अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य            | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| <b>Total Revenue Section</b>                             | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b> | <b>29252.00</b> |
| योग- राजस्व भाग                                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>                         |                |             |                 |
| 4225 Capital Outlay on Welfare of SC, ST and OBC         | Voted          | 0.00        | 748.00          |
| अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा                 | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| <b>Total Capital Section</b>                             | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b> | <b>748.00</b>   |
| योग- पूंजी भाग                                           | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>                 | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b> | <b>30000.00</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 13**

**सूद भुगतान Interest Payment**

|                                                                                                                                      |                              | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)<br>(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants ) | राजस्व<br>Revenue            | पूंजी<br>Capital               | योग<br>Total |
| I. मूल अनुदान<br>Original Estimate                                                                                                   | मतदेय / Voted<br>0.00        | 0.00                           | 0.00         |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged<br>588797.28 | 0.00                           | 588797.28    |
| प्रथम अनुपूरक<br>1st Supplementary                                                                                                   | मतदेय / Voted<br>0.00        | 0.00                           | 0.00         |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged<br>3.38      | 0.00                           | 3.38         |
| जोड़ (मूल और पूरक )                                                                                                                  | मतदेय / Voted<br>0.00        | 0.00                           | 0.00         |
| Total(Original plus Supplementary)                                                                                                   | भारित / Charged<br>588800.66 | 0.00                           | 588800.66    |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष<br>Major Head                 | योजना<br>Plan                 | गैर योजना<br>Non Plan | योग<br>Total |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Revenue Section</b> राजस्व भाग         |                               |                       |              |
| 2049 Interest Payments<br>व्याज अदायगियां | Voted<br>0.00                 | 0.00                  | 0.00         |
|                                           | Charged<br>0.00               | 3.38                  | 3.38         |
| <b>Total Revenue Section</b>              | <b>Voted</b><br><b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |
| योग- राजस्व भाग                           | <b>Charged</b><br><b>0.00</b> | <b>3.38</b>           | <b>3.38</b>  |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>  | <b>Voted</b><br><b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                     | <b>Charged</b><br><b>0.00</b> | <b>3.38</b>           | <b>3.38</b>  |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 14**

**ऋण अदायगियाँ Repayment of Loans**

|                                                                                                                                      |                         | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)<br>(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants ) | राजस्व<br>Revenue       | पूंजी<br>Capital               | योग<br>Total |
| I. मूल अनुदान<br>Original Estimate                                                                                                   | मतदेय / Voted<br>0.00   | 0.00                           | 0.00         |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged<br>0.00 | 323872.50                      | 323872.50    |
| प्रथम अनुपूरक<br>1st Supplementary                                                                                                   | मतदेय / Voted<br>0.00   | 0.00                           | 0.00         |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged<br>0.00 | 3.75                           | 3.75         |
| जोड़ (मूल और पूरक )<br>Total(Original plus Supplementary)                                                                            | मतदेय / Voted<br>0.00   | 0.00                           | 0.00         |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged<br>0.00 | 323876.25                      | 323876.25    |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष<br>Major Head                                                          | योजना<br>Plan                 | गैर योजना<br>Non Plan | योग<br>Total |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Capital Section</b> पूंजी भाग                                                   |                               |                       |              |
| 6004 Loans & Advances from the Central Govt.<br>केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | Voted<br>0.00                 | 0.00                  | 0.00         |
|                                                                                    | Charged<br>0.00               | 3.75                  | 3.75         |
| <b>Total Capital Section</b>                                                       | <b>Voted</b><br><b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |
| योग- पूंजी भाग                                                                     | <b>Charged</b><br><b>0.00</b> | <b>3.75</b>           | <b>3.75</b>  |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>                                           | <b>Voted</b><br><b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                                                              | <b>Charged</b><br><b>0.00</b> | <b>3.75</b>           | <b>3.75</b>  |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 16**

**पंचायती राज विभाग Panchayati Raj Department**

|                                                                     |                 | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |         |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए) |                 | राजस्व                         | पूंजी   | योग       |
| (See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )       |                 | Revenue                        | Capital | Total     |
| I. मूल अनुदान                                                       | मतदेय / Voted   | 331704.33                      | 0.00    | 331704.33 |
| Original Estimate                                                   | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00    | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                                                       | मतदेय / Voted   | 43659.66                       | 0.00    | 43659.66  |
| 1st Supplementary                                                   | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00    | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक )                                                 | मतदेय / Voted   | 375363.99                      | 0.00    | 375363.99 |
| Total(Original plus Supplementary)                                  | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00    | 0.00      |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                              | योजना          | गैर योजना     | योग             |
|------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Major Head                               | Plan           | Non Plan      | Total           |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>        |                |               |                 |
| 2515 Other Rural Development Programmes  | Voted          | 100.66        | 43656.66        |
| अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम               | Charged        | 0.00          | 0.00            |
| 3451 Secretariat Economic Services       | Voted          | 3.00          | 3.00            |
| सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ                    | Charged        | 0.00          | 0.00            |
| <b>Total Revenue Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>103.66</b> | <b>43659.66</b> |
| योग- राजस्व भाग                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b> | <b>Voted</b>   | <b>103.66</b> | <b>43659.66</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 18**

**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग Food and Consumer Protection Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs)

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants)

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |          |           |
|------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 84796.37 | 57850.44 | 142646.81 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 6.00     | 0.00     | 6.00      |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 84802.37 | 57850.44 | 142652.81 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00     | 0.00      |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                   |         | योजना | गैर योजना | योग   |      |
|-------------------------------|---------|-------|-----------|-------|------|
| Major Head                    |         | Plan  | Non Plan  | Total |      |
| Revenue Section राजस्व भाग    |         |       |           |       |      |
| 3456 Civil Supplies           | Voted   | 0.00  | 6.00      | 6.00  |      |
| सिविल पूर्ति                  | Charged | 0.00  | 0.00      | 0.00  |      |
| Total Revenue Section         |         | Voted | 0.00      | 6.00  | 6.00 |
| योग- राजस्व भाग               | Charged | 0.00  | 0.00      | 0.00  |      |
| Grand Total Revenue & Capital |         | Voted | 0.00      | 6.00  | 6.00 |
| योग- राजस्व एवं पूंजी         | Charged | 0.00  | 0.00      | 0.00  |      |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 19**

**पर्यावरण एवं वन विभाग Environment and Forest Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs )

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |         |          |
|------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 17217.43 | 2115.07 | 19332.50 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 6924.45  | 150.00  | 7074.45  |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 24141.88 | 2265.07 | 26406.95 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00    | 0.00     |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                                   | योजना          | गैर योजना    | योग            |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Major Head                                    | Plan           | Non Plan     | Total          |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>             |                |              |                |
| 2406 Forestry and Wild Life                   | Voted          | 74.45        | 6924.45        |
| वानिकी तथा वन्य प्राणी                        | Charged        | 0.00         | 0.00           |
| <b>Total Revenue Section</b>                  | <b>Voted</b>   | <b>74.45</b> | <b>6924.45</b> |
| योग- राजस्व भाग                               | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>              |                |              |                |
| 4406 Capital Outlay on Forestry and Wild Life | Voted          | 0.00         | 150.00         |
| वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय        | Charged        | 0.00         | 0.00           |
| <b>Total Capital Section</b>                  | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b>  | <b>150.00</b>  |
| योग- पूंजी भाग                                | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>      | <b>Voted</b>   | <b>74.45</b> | <b>7074.45</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                         | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 20**

**स्वास्थ्य विभाग Health Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs )

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |           |          |           |
|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 278509.39 | 57175.00 | 335684.39 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 510.09    | 30000.00 | 30510.09  |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 279019.48 | 87175.00 | 366194.48 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00      | 0.00     | 0.00      |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                                      | योजना          | गैर योजना     | योग             |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Major Head                                       | Plan           | Non Plan      | Total           |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>                |                |               |                 |
| 2210 Medical and Public Health                   | Voted          | 510.09        | 510.09          |
| चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य                       | Charged        | 0.00          | 0.00            |
| <b>Total Revenue Section</b>                     | <b>Voted</b>   | <b>510.09</b> | <b>510.09</b>   |
| योग- राजस्व भाग                                  | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>                 |                |               |                 |
| 4210 Capital Outlay on Medical and Public Health | Voted          | 0.00          | 30000.00        |
| चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय    | Charged        | 0.00          | 0.00            |
| <b>Total Capital Section</b>                     | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b>   | <b>30000.00</b> |
| योग- पूंजी भाग                                   | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>         | <b>Voted</b>   | <b>510.09</b> | <b>30510.09</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                            | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 21**

**शिक्षा विभाग Education Department**

|                                                                     |                 | (लाख रुपये में) | (Rs. in Lacs ) |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए) | राजस्व          | पूंजी           | योग            |            |
| (See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )       | Revenue         | Capital         | Total          |            |
| I.मूल अनुदान                                                        | मतदेय / Voted   | 1797777.53      | 30300.01       | 1828077.54 |
| Original Estimate                                                   | भारित / Charged | 0.00            | 0.00           | 0.00       |
| प्रथम अनुपूरक                                                       | मतदेय / Voted   | 43705.11        | 57500.00       | 101205.11  |
| 1st Supplementary                                                   | भारित / Charged | 0.00            | 0.00           | 0.00       |
| जोड़ (मूल और पूरक )                                                 | मतदेय / Voted   | 1841482.64      | 87800.01       | 1929282.65 |
| Total(Original plus Supplementary)                                  | भारित / Charged | 0.00            | 0.00           | 0.00       |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                                                                                         |         | योजना     | गैर योजना | योग       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Major Head                                                                                          |         | Plan      | Non Plan  | Total     |
| Revenue Section राजस्व भाग                                                                          |         |           |           |           |
| 2202 General Education सामान्य शिक्षा                                                               | Voted   | 43000.00  | 0.01      | 43000.01  |
|                                                                                                     | Charged | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 2205 Art and Culture कला एवं संस्कृति                                                               | Voted   | 0.00      | 705.10    | 705.10    |
|                                                                                                     | Charged | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| Total Revenue Section योग- राजस्व भाग                                                               | Voted   | 43000.00  | 705.11    | 43705.11  |
|                                                                                                     | Charged | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| Capital Section पूंजी भाग                                                                           |         |           |           |           |
| 4202 Capital Outlay on Education,Sports Art and Culture शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत | Voted   | 57500.00  | 0.00      | 57500.00  |
|                                                                                                     | Charged | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| Total Capital Section योग- पूंजी भाग                                                                | Voted   | 57500.00  | 0.00      | 57500.00  |
|                                                                                                     | Charged | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| Grand Total Revenue & Capital योग- राजस्व एवं पूंजी                                                 | Voted   | 100500.00 | 705.11    | 101205.11 |
|                                                                                                     | Charged | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 22**

**गृह विभाग Home Department**

|                                                                     |                 | (लाख रुपये में) |          | (Rs. in Lacs ) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए) |                 | राजस्व          | पूंजी    | योग            |
| (See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )       |                 | Revenue         | Capital  | Total          |
| I.मूल अनुदान                                                        | मतदेय / Voted   | 480101.52       | 49465.58 | 529567.10      |
| Original Estimate                                                   | भारित / Charged | 0.00            | 0.00     | 0.00           |
| प्रथम अनुपूरक                                                       | मतदेय / Voted   | 752.40          | 0.00     | 752.40         |
| 1st Supplementary                                                   | भारित / Charged | 0.00            | 0.00     | 0.00           |
| जोड़ (मूल और पूरक )                                                 | मतदेय / Voted   | 480853.92       | 49465.58 | 530319.50      |
| Total(Original plus Supplementary)                                  | भारित / Charged | 0.00            | 0.00     | 0.00           |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                        |         | योजना  | गैर योजना | योग    |        |
|------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|--------|
| Major Head                         |         | Plan   | Non Plan  | Total  |        |
| Revenue Section राजस्व भाग         |         |        |           |        |        |
| 2056 Jails                         | Voted   | 0.00   | 3.98      | 3.98   |        |
| जेल                                | Charged | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2070 Other Administrative Services | Voted   | 600.00 | 148.42    | 748.42 |        |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएँ              | Charged | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| Total Revenue Section              |         | Voted  | 600.00    | 152.40 | 752.40 |
| योग- राजस्व भाग                    | Charged | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| Grand Total Revenue & Capital      |         | Voted  | 600.00    | 152.40 | 752.40 |
| योग- राजस्व एवं पूंजी              | Charged | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 23**

**उद्योग विभाग Industries Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs)

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants)

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |          |           |
|------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 49351.39 | 3510.00  | 52861.39  |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 25000.00 | 50000.00 | 75000.00  |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 74351.39 | 53510.00 | 127861.39 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00     | 0.00      |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                                          | योजना          | गैर योजना   | योग             |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Major Head                                           | Plan           | Non Plan    | Total           |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>                    |                |             |                 |
| 2851 Village and Small Industries                    | Voted          | 0.00        | 2400.00         |
| ग्राम तथा लघु उद्योग                                 | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| 2852 Industries                                      | Voted          | 0.00        | 22600.00        |
| उद्योग                                               | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| <b>Total Revenue Section</b>                         | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b> | <b>25000.00</b> |
| योग- राजस्व भाग                                      | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>                     |                |             |                 |
| 4885 Other Capital Outlay on Industries and Minerals | Voted          | 0.00        | 50000.00        |
| उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय          | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| <b>Total Capital Section</b>                         | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b> | <b>50000.00</b> |
| योग- पूंजी भाग                                       | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>             | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b> | <b>75000.00</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                                | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 24**

**सूचना एवं जनसंपर्क विभाग Information and Public Relation Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs )

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |         |      |         |
|------------------------------------|-----------------|---------|------|---------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 8375.21 | 0.00 | 8375.21 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00    | 0.00 | 0.00    |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 89.37   | 0.00 | 89.37   |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00    | 0.00 | 0.00    |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 8464.58 | 0.00 | 8464.58 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00    | 0.00 | 0.00    |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                              | योजना          | गैर योजना    | योग          |
|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Major Head                               | Plan           | Non Plan     | Total        |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>        |                |              |              |
| 2220 Information and Publicity           | Voted          | 65.15        | 65.15        |
| सूचना तथा प्रचार                         | Charged        | 0.00         | 0.00         |
| 2251 Secretariat-Social Services         | Voted          | 24.22        | 24.22        |
| सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ                   | Charged        | 0.00         | 0.00         |
| <b>Total Revenue Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>89.37</b> | <b>89.37</b> |
| योग- राजस्व भाग                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b> | <b>Voted</b>   | <b>89.37</b> | <b>89.37</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 25**

**सूचना प्राविधिकी विभाग Information Technology Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs)

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants)

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |         |          |
|------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 17370.89 | 4100.00 | 21470.89 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 962.00   | 0.00    | 962.00   |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 18332.89 | 4100.00 | 22432.89 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00    | 0.00     |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                              | योजना          | गैर योजना   | योग           |
|------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Major Head                               | Plan           | Non Plan    | Total         |
| <b>Revenue Section</b> राजस्व भाग        |                |             |               |
| 2852 Industries                          | Voted          | 0.00        | 962.00        |
| उद्योग                                   | Charged        | 0.00        | 0.00          |
| <b>Total Revenue Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b> | <b>962.00</b> |
| योग- राजस्व भाग                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b> | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b> | <b>962.00</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 26**

**श्रम संसाधन विभाग Labour Resource Department**

|                                                                                                                                      |                 | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)<br>(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants ) |                 | राजस्व<br>Revenue              | पूंजी<br>Capital | योग<br>Total |
| I. मूल अनुदान<br>Original Estimate                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 20033.50                       | 1162.00          | 21195.50     |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| प्रथम अनुपूरक<br>1st Supplementary                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 672.52                         | 0.00             | 672.52       |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| जोड़ (मूल और पूरक )<br>Total(Original plus Supplementary)                                                                            | मतदेय / Voted   | 20706.02                       | 1162.00          | 21868.02     |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष<br>Major Head                                    | योजना<br>Plan  | गैर योजना<br>Non Plan | योग<br>Total  |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>                            |                |                       |               |
| 2210 Medical and Public Health<br>चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | Voted          | 6.40                  | 6.40          |
|                                                              | Charged        | 0.00                  | 0.00          |
| 2230 Labour and Employment<br>श्रम तथा रोजगार                | Voted          | 660.82                | 660.82        |
|                                                              | Charged        | 0.00                  | 0.00          |
| 2251 Secretariat-Social Services<br>सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ   | Voted          | 5.30                  | 5.30          |
|                                                              | Charged        | 0.00                  | 0.00          |
| <b>Total Revenue Section</b>                                 | <b>Voted</b>   | <b>672.52</b>         | <b>672.52</b> |
| योग- राजस्व भाग                                              | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>                     | <b>Voted</b>   | <b>672.52</b>         | <b>672.52</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                                        | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 27**

**विधि विभाग Law Department**

|                                                                     |                 | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |         |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|----------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए) |                 | राजस्व                         | पूंजी   | योग      |
| (See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )       |                 | Revenue                        | Capital | Total    |
| I. मूल अनुदान                                                       | मतदेय / Voted   | 61978.34                       | 0.00    | 61978.34 |
| Original Estimate                                                   | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00    | 0.00     |
| प्रथम अनुपूरक                                                       | मतदेय / Voted   | 47.94                          | 0.00    | 47.94    |
| 1st Supplementary                                                   | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00    | 0.00     |
| जोड़ (मूल और पूरक )                                                 | मतदेय / Voted   | 62026.28                       | 0.00    | 62026.28 |
| Total(Original plus Supplementary)                                  | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00    | 0.00     |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                              | योजना          | गैर योजना    | योग          |
|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Major Head                               | Plan           | Non Plan     | Total        |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>        |                |              |              |
| 2014 Administration of Justice           | Voted          | 0.06         | 0.06         |
| न्याय प्रशासन                            | Charged        | 0.00         | 0.00         |
| 2052 Secretariat-General Services        | Voted          | 16.88        | 16.88        |
| सचिवालय-सामान्य सेवाएँ                   | Charged        | 0.00         | 0.00         |
| 2235 Social Security and Welfare         | Voted          | 31.00        | 31.00        |
| सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण               | Charged        | 0.00         | 0.00         |
| <b>Total Revenue Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>47.94</b> | <b>47.94</b> |
| योग- राजस्व भाग                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b> | <b>Voted</b>   | <b>47.94</b> | <b>47.94</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 30**

**अल्पसंख्यक कल्याण विभाग Minorities Welfare Department**

|                                                                                                                                      |                 | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)<br>(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants ) |                 | राजस्व<br>Revenue              | पूंजी<br>Capital | योग<br>Total |
| I. मूल अनुदान<br>Original Estimate                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 23330.67                       | 10060.00         | 33390.67     |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| प्रथम अनुपूरक<br>1st Supplementary                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 97.34                          | 0.00             | 97.34        |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| जोड़ (मूल और पूरक )<br>Total(Original plus Supplementary)                                                                            | मतदेय / Voted   | 23428.01                       | 10060.00         | 33488.01     |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष<br>Major Head                                  | योजना<br>Plan  | गैर योजना<br>Non Plan | योग<br>Total |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>                          |                |                       |              |
| 2053 District Administration<br>जिला प्रशासन               | Voted          | 81.20                 | 81.20        |
|                                                            | Charged        | 0.00                  | 0.00         |
| 2251 Secretariat-Social Services<br>सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ | Voted          | 16.14                 | 16.14        |
|                                                            | Charged        | 0.00                  | 0.00         |
| <b>Total Revenue Section</b>                               | <b>Voted</b>   | <b>97.34</b>          | <b>97.34</b> |
| योग- राजस्व भाग                                            | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>                   | <b>Voted</b>   | <b>97.34</b>          | <b>97.34</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                                      | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 32**

**विधान मंडल Legislature**

|                                                                                                                                      |                 | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)<br>(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants ) |                 | राजस्व<br>Revenue              | पूंजी<br>Capital | योग<br>Total |
| I. मूल अनुदान<br>Original Estimate                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 10956.31                       | 0.00             | 10956.31     |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| प्रथम अनुपूरक<br>1st Supplementary                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 23.00                          | 0.00             | 23.00        |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| जोड़ (मूल और पूरक )<br>Total(Original plus Supplementary)                                                                            | मतदेय / Voted   | 10979.31                       | 0.00             | 10979.31     |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष<br>Major Head                                                                     | योजना<br>Plan  | गैर योजना<br>Non Plan | योग<br>Total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>                                                             |                |                       |              |
| 2011 Parliament/State/ Union Territory Legislatures<br>संसद/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र विधानमंडल | Voted          | 23.00                 | 23.00        |
|                                                                                               | Charged        | 0.00                  | 0.00         |
| <b>Total Revenue Section</b>                                                                  | <b>Voted</b>   | <b>23.00</b>          | <b>23.00</b> |
| योग- राजस्व भाग                                                                               | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>                                                      | <b>Voted</b>   | <b>23.00</b>          | <b>23.00</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                                                                         | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 33**

**सामान्य प्रशासन विभाग General Administration Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs)

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants)

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |      |          |
|------------------------------------|-----------------|----------|------|----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 41162.19 | 0.00 | 41162.19 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 59.73    | 0.00 | 59.73    |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 41221.92 | 0.00 | 41221.92 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00 | 0.00     |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                              | योजना          | गैर योजना    | योग          |
|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Major Head                               | Plan           | Non Plan     | Total        |
| <b>Revenue Section</b> राजस्व भाग        |                |              |              |
| 2052 Secretariat-General Services        | Voted          | 59.73        | 59.73        |
| सचिवालय-सामान्य सेवाएँ                   | Charged        | 0.00         | 0.00         |
| <b>Total Revenue Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>59.73</b> | <b>59.73</b> |
| योग- राजस्व भाग                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b> | <b>Voted</b>   | <b>59.73</b> | <b>59.73</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 34**

**बिहार लोक सेवा आयोग Bihar Public Service Commission**

|                                                                                                                                      |                 | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)<br>(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants ) |                 | राजस्व<br>Revenue              | पूंजी<br>Capital | योग<br>Total |
| I.मूल अनुदान<br>Original Estimate                                                                                                    | मतदेय / Voted   | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 1383.56                        | 0.00             | 1383.56      |
| प्रथम अनुपूरक<br>1st Supplementary                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 135.00                         | 0.00             | 135.00       |
| जोड़ (मूल और पूरक )                                                                                                                  | मतदेय / Voted   | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| Total(Original plus Supplementary)                                                                                                   | भारित / Charged | 1518.56                        | 0.00             | 1518.56      |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष<br>Major Head                       | योजना<br>Plan  | गैर योजना<br>Non Plan | योग<br>Total  |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>               |                |                       |               |
| 2051 Public Service Commission<br>लोक सेवा आयोग | Voted          | 0.00                  | 0.00          |
|                                                 | Charged        | 0.00                  | 135.00        |
| <b>Total Revenue Section</b>                    | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>योग- राजस्व भाग</b>                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>           | <b>135.00</b> |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>        | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>योग- राजस्व एवं पूंजी</b>                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>           | <b>135.00</b> |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 35**

**योजना एवं विकास विभाग Planning and Development Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs)

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants)

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |           |           |
|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 93095.68 | 97491.00  | 190586.68 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 0.05     | 91900.00  | 91900.05  |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक)                 | मतदेय / Voted   | 93095.73 | 189391.00 | 282486.73 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                              | योजना          | गैर योजना       | योग             |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Major Head                               | Plan           | Non Plan        | Total           |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>        |                |                 |                 |
| 3454 Census Surveys and Statistics       | Voted          | 0.05            | 0.05            |
| जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी           | Charged        | 0.00            | 0.00            |
| <b>Total Revenue Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>0.05</b>     | <b>0.05</b>     |
| योग- राजस्व भाग                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>         |                |                 |                 |
| 4070 Capital Outlay on other             | Voted          | 86000.00        | 86000.00        |
| Administrative Services                  | Charged        | 0.00            | 0.00            |
| अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय |                |                 |                 |
| 4401 Capital Outlay on Crop Husbandry    | Voted          | 5900.00         | 5900.00         |
| फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय         | Charged        | 0.00            | 0.00            |
| <b>Total Capital Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>91900.00</b> | <b>91900.00</b> |
| योग- पूंजी भाग                           | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b> | <b>Voted</b>   | <b>91900.05</b> | <b>91900.05</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 36**

**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग Public Health Engineering Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs )

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |          |           |
|------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 43803.57 | 50143.48 | 93947.05  |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 0.00     | 7000.00  | 7000.00   |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 43803.57 | 57143.48 | 100947.05 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00     | 0.00      |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| In This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads |           |         |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| मुख्य शीर्ष                                                                                     |           | योजना   | गैर योजना | योग     |
| Major Head                                                                                      |           | Plan    | Non Plan  | Total   |
| Capital Section                                                                                 | पूंजी भाग |         |           |         |
| 4215 Capital Outlay on Water Supply and Sanitation<br>जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय     | Voted     | 7000.00 | 0.00      | 7000.00 |
|                                                                                                 | Charged   | 0.00    | 0.00      | 0.00    |
| Total Capital Section                                                                           | Voted     | 7000.00 | 0.00      | 7000.00 |
| योग- पूंजी भाग                                                                                  | Charged   | 0.00    | 0.00      | 0.00    |
| Grand Total Revenue & Capital                                                                   | Voted     | 7000.00 | 0.00      | 7000.00 |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                                                                           | Charged   | 0.00    | 0.00      | 0.00    |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 37**

**ग्रामीण कार्य विभाग Rural Works Department**

|                                                                                                                                      |                 | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)<br>(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants ) |                 | राजस्व<br>Revenue              | पूंजी<br>Capital | योग<br>Total |
| I. मूल अनुदान<br>Original Estimate                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 87191.88                       | 160091.16        | 247283.04    |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| प्रथम अनुपूरक<br>1st Supplementary                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 12.00                          | 49697.00         | 49709.00     |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| जोड़ (मूल और पूरक )<br>Total(Original plus Supplementary)                                                                            | मतदेय / Voted   | 87203.88                       | 209788.16        | 296992.04    |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष<br>Major Head                                                                                    |                | योजना<br>Plan   | गैर योजना<br>Non Plan | योग<br>Total    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>                                                                            |                |                 |                       |                 |
| 2515 Other Rural Development Programmes<br>अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम                                        | Voted          | 0.00            | 12.00                 | 12.00           |
|                                                                                                              | Charged        | 0.00            | 0.00                  | 0.00            |
| <b>Total Revenue Section</b>                                                                                 | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b>     | <b>12.00</b>          | <b>12.00</b>    |
| योग- राजस्व भाग                                                                                              | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>     |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>                                                                             |                |                 |                       |                 |
| 4515 Capital Outlay on Other Rural Development Programmes<br>अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | Voted          | 49697.00        | 0.00                  | 49697.00        |
|                                                                                                              | Charged        | 0.00            | 0.00                  | 0.00            |
| <b>Total Capital Section</b>                                                                                 | <b>Voted</b>   | <b>49697.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>49697.00</b> |
| योग- पूंजी भाग                                                                                               | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>     |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>                                                                     | <b>Voted</b>   | <b>49697.00</b> | <b>12.00</b>          | <b>49709.00</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                                                                                        | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>     |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 38**

**निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग Registration, Excise and Prohibition Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs)

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants)

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |       |          |
|------------------------------------|-----------------|----------|-------|----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 14795.25 | 0.00  | 14795.25 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 0.00     | 99.00 | 99.00    |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 14795.25 | 99.00 | 14894.25 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00  | 0.00     |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                                  |                               | योजना   | गैर योजना | योग   |       |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-------|-------|
| Major Head                                   |                               | Plan    | Non Plan  | Total |       |
| Capital Section पूंजी भाग                    |                               |         |           |       |       |
| 4047 Capital Outlay on other Fiscal Services | Voted                         | 99.00   | 0.00      | 99.00 |       |
|                                              | Charged                       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |       |
| अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय      |                               |         |           |       |       |
| योग- पूंजी भाग                               | Total Capital Section         | Voted   | 99.00     | 0.00  | 99.00 |
|                                              |                               | Charged | 0.00      | 0.00  | 0.00  |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                        | Grand Total Revenue & Capital | Voted   | 99.00     | 0.00  | 99.00 |
|                                              |                               | Charged | 0.00      | 0.00  | 0.00  |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 39**

**आपदा प्रबंधन विभाग Disaster Management Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs )

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |       |          |
|------------------------------------|-----------------|----------|-------|----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 85677.90 | 50.00 | 85727.90 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 103.83   | 0.00  | 103.83   |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 85781.73 | 50.00 | 85831.73 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00  | 0.00     |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                              | योजना          | गैर योजना   | योग           |
|------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Major Head                               | Plan           | Non Plan    | Total         |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>        |                |             |               |
| 2070 Other Administrative Services       | Voted          | 0.00        | 103.82        |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएँ                    | Charged        | 0.00        | 0.00          |
| 2251 Secretariat-Social Services         | Voted          | 0.01        | 0.01          |
| सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ                   | Charged        | 0.00        | 0.00          |
| <b>Total Revenue Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>0.01</b> | <b>103.83</b> |
| योग- राजस्व भाग                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b> | <b>Voted</b>   | <b>0.01</b> | <b>103.83</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 40**

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग Revenue and Land Reforms Department**

**(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs)**

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants)

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |          |          |
|------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 59317.78 | 3826.65  | 63144.43 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 3205.53  | 20000.00 | 23205.53 |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 62523.31 | 23826.65 | 86349.96 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00     | 0.00     |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                                  | योजना          | गैर योजना      | योग             |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Major Head                                   | Plan           | Non Plan       | Total           |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>            |                |                |                 |
| 2014 Administration of Justice               | Voted          | 109.63         | 109.63          |
| न्याय प्रशासन                                | Charged        | 0.00           | 0.00            |
| 2029 Land Revenue                            | Voted          | 0.00           | 1567.47         |
| भू राजस्व                                    | Charged        | 0.00           | 0.00            |
| 2052 Secretariat-General Services            | Voted          | 2.30           | 2.30            |
| सचिवालय-सामान्य सेवाएँ                       | Charged        | 0.00           | 0.00            |
| 2506 Land Reforms                            | Voted          | 124.08         | 124.08          |
| भूमि सुधार                                   | Charged        | 0.00           | 0.00            |
| 3454 Census Surveys and Statistics           | Voted          | 1402.05        | 1402.05         |
| जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी               | Charged        | 0.00           | 0.00            |
| <b>Total Revenue Section</b>                 | <b>Voted</b>   | <b>1638.06</b> | <b>3205.53</b>  |
| योग- राजस्व भाग                              | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>             |                |                |                 |
| 4047 Capital Outlay on other Fiscal Services | Voted          | 0.00           | 20000.00        |
| अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय      | Charged        | 0.00           | 0.00            |
| <b>Total Capital Section</b>                 | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b>    | <b>20000.00</b> |
| योग- पूंजी भाग                               | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>     | <b>Voted</b>   | <b>1638.06</b> | <b>23205.53</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                        | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 41**

**पथ निर्माण विभाग Road Construction Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs )

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants )

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |           |           |
|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 75341.49 | 423022.00 | 498363.49 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 0.00     | 70000.00  | 70000.00  |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 75341.49 | 493022.00 | 568363.49 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                            |           | योजना    | गैर योजना | योग      |
|----------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Major Head                             |           | Plan     | Non Plan  | Total    |
| Capital Section                        | पूँजी भाग |          |           |          |
| 5054 Capital Outlay on Roads & Bridges | Voted     | 70000.00 | 0.00      | 70000.00 |
| सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय   | Charged   | 0.00     | 0.00      | 0.00     |
| Total Capital Section                  | Voted     | 70000.00 | 0.00      | 70000.00 |
| योग- पूँजी भाग                         | Charged   | 0.00     | 0.00      | 0.00     |
| Grand Total Revenue & Capital          | Voted     | 70000.00 | 0.00      | 70000.00 |
| योग- राजस्व एवं पूँजी                  | Charged   | 0.00     | 0.00      | 0.00     |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 44**

**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग SC & ST Welfare Department**

|                                                                                                                                      |                 | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|-----------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)<br>(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants ) |                 | राजस्व                         | पूंजी    | योग       |
|                                                                                                                                      |                 | Revenue                        | Capital  | Total     |
| I. मूल अनुदान                                                                                                                        | मतदेय / Voted   | 101692.39                      | 100.00   | 101792.39 |
| Original Estimate                                                                                                                    | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00     | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                                                                                                                        | मतदेय / Voted   | 221.00                         | 20000.00 | 20221.00  |
| 1st Supplementary                                                                                                                    | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00     | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक )                                                                                                                  | मतदेय / Voted   | 101913.39                      | 20100.00 | 122013.39 |
| Total(Original plus Supplementary)                                                                                                   | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00     | 0.00      |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                                                                                               |         | योजना          | गैर योजना       | योग             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|
| Major Head                                                                                                |         | Plan           | Non Plan        | Total           |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>                                                                         |         |                |                 |                 |
| 2225 Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & OBC<br>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य | Voted   | 0.00           | 220.00          | 220.00          |
|                                                                                                           | Charged | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 2251 Secretariat-Social Services<br>सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ                                                | Voted   | 0.00           | 1.00            | 1.00            |
|                                                                                                           | Charged | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| <b>Total Revenue Section</b>                                                                              |         | <b>Voted</b>   | <b>221.00</b>   | <b>221.00</b>   |
| योग- राजस्व भाग                                                                                           |         | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>                                                                          |         |                |                 |                 |
| 4225 Capital Outlay on Welfare of SC, ST and OBC<br>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा              | Voted   | 20000.00       | 0.00            | 20000.00        |
|                                                                                                           | Charged | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| <b>Total Capital Section</b>                                                                              |         | <b>Voted</b>   | <b>20000.00</b> | <b>20000.00</b> |
| योग- पूंजी भाग                                                                                            |         | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>                                                                  |         | <b>Voted</b>   | <b>221.00</b>   | <b>20221.00</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                                                                                     |         | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 45**

**गन्ना उद्योग विभाग Sugar Industries Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs)

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants)

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |         |          |
|------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 11084.05 | 34.00   | 11118.05 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 527.93   | 2436.00 | 2963.93  |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 11611.98 | 2470.00 | 14081.98 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00    | 0.00     |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                              | योजना          | गैर योजना      | योग            |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Major Head                               | Plan           | Non Plan       | Total          |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>        |                |                |                |
| 2852 Industries                          | Voted          | 0.00           | 500.00         |
| उद्योग                                   | Charged        | 0.00           | 0.00           |
| 3451 Secretariat Economic Services       | Voted          | 27.93          | 27.93          |
| सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ                    | Charged        | 0.00           | 0.00           |
| <b>Total Revenue Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>27.93</b>   | <b>527.93</b>  |
| योग- राजस्व भाग                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>         |                |                |                |
| 6860 Loans for Consumers Industries      | Voted          | 2436.00        | 2436.00        |
| उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज            | Charged        | 0.00           | 0.00           |
| <b>Total Capital Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>2436.00</b> | <b>2436.00</b> |
| योग- पूंजी भाग                           | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b> | <b>Voted</b>   | <b>2463.93</b> | <b>2963.93</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 46**

**पर्यटन विभाग Tourism Department**

|                                                                                                                                      |                 | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)<br>(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants ) |                 | राजस्व<br>Revenue              | पूंजी<br>Capital | योग<br>Total |
| I. मूल अनुदान<br>Original Estimate                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 2526.88                        | 8243.00          | 10769.88     |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| प्रथम अनुपूरक<br>1st Supplementary                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 88.77                          | 5199.46          | 5288.23      |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| जोड़ (मूल और पूरक )<br>Total(Original plus Supplementary)                                                                            | मतदेय / Voted   | 2615.65                        | 13442.46         | 16058.11     |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष<br>Major Head                                | योजना<br>Plan  | गैर योजना<br>Non Plan | योग<br>Total   |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>                        |                |                       |                |
| 3452 Tourism पर्यटन                                      | Voted          | 88.77                 | 88.77          |
|                                                          | Charged        | 0.00                  | 0.00           |
| <b>Total Revenue Section</b>                             | <b>Voted</b>   | <b>88.77</b>          | <b>88.77</b>   |
| योग- राजस्व भाग                                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>    |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>                         |                |                       |                |
| 5452 Capital Outlay on Tourism पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | Voted          | 0.00                  | 5199.46        |
|                                                          | Charged        | 0.00                  | 0.00           |
| <b>Total Capital Section</b>                             | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b>           | <b>5199.46</b> |
| योग- पूंजी भाग                                           | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>    |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>                 | <b>Voted</b>   | <b>88.77</b>          | <b>5288.23</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>    |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 48**

**नगर विकास एवं आवास विभाग Urban Development and Housing Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs)

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants)

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |           |        |           |
|------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 211490.88 | 100.00 | 211590.88 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 31773.56  | 0.00   | 31773.56  |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 243264.44 | 100.00 | 243364.44 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00      | 0.00   | 0.00      |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                              | योजना          | गैर योजना      | योग             |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Major Head                               | Plan           | Non Plan       | Total           |
| <b>Revenue Section</b> राजस्व भाग        |                |                |                 |
| 2215 Water Supply and Sanitation         | Voted          | 0.00           | 10500.00        |
| जल पूर्ति तथा सफाई                       | Charged        | 0.00           | 0.00            |
| 2217 Urban Development                   | Voted          | 1773.56        | 21273.56        |
| शहरी विकास                               | Charged        | 0.00           | 0.00            |
| <b>Total Revenue Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>1773.56</b> | <b>31773.56</b> |
| योग- राजस्व भाग                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b> | <b>Voted</b>   | <b>1773.56</b> | <b>31773.56</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 49**

**जल संसाधन विभाग Water Resources Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs)

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants)

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |          |           |           |
|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 81885.37 | 250035.27 | 331920.64 |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 2800.09  | 88464.00  | 91264.09  |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक)                 | मतदेय / Voted   | 84685.46 | 338499.27 | 423184.73 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                                   | योजना          | गैर योजना       | योग         |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Major Head                                    | Plan           | Non Plan        | Total       |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>             |                |                 |             |
| 2700 Major Irrigation                         | Voted          | 0.00            | 0.03        |
| मुख्य सिंचाई                                  | Charged        | 0.00            | 0.00        |
| 2701 Medium Irrigation                        | Voted          | 0.00            | 0.03        |
| मध्यम सिंचाई                                  | Charged        | 0.00            | 0.00        |
| 2705 Command Area Development                 | Voted          | 2800.00         | 0.00        |
| कमान क्षेत्र विकास                            | Charged        | 0.00            | 0.00        |
| 2711 Flood Control and Drainage               | Voted          | 0.00            | 0.02        |
| बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास                    | Charged        | 0.00            | 0.00        |
| 3451 Secretariat Economic Services            | Voted          | 0.00            | 0.01        |
| सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ                         | Charged        | 0.00            | 0.00        |
| <b>Total Revenue Section</b>                  | <b>Voted</b>   | <b>2800.00</b>  | <b>0.09</b> |
| योग- राजस्व भाग                               | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>              |                |                 |             |
| 4700 Capital Outlay on Major Irrigation       | Voted          | 52570.70        | 0.00        |
| मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय               | Charged        | 0.00            | 0.00        |
| 4701 Capital Outlay on Medium Irrigation      | Voted          | 8773.00         | 0.00        |
| मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय               | Charged        | 0.00            | 0.00        |
| 4711 Capital Outlay on Flood Control Projects | Voted          | 27120.30        | 0.00        |
| बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय   | Charged        | 0.00            | 0.00        |
| <b>Total Capital Section</b>                  | <b>Voted</b>   | <b>88464.00</b> | <b>0.00</b> |
| योग- पूंजी भाग                                | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b>      | <b>Voted</b>   | <b>91264.00</b> | <b>0.09</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                         | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 50**

**लघु जल संसाधन विभाग Minor Water Resource Department**

(लाख रुपये में) (Rs. in Lacs)

(मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)

राजस्व

पूंजी

योग

(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants)

**Revenue**

**Capital**

**Total**

|                                    |                 |           |          |           |
|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 1. मूल अनुदान                      | मतदेय / Voted   | 49801.52  | 22170.24 | 71971.76  |
| Original Estimate                  | भारित / Charged | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| प्रथम अनुपूरक                      | मतदेय / Voted   | 50850.00  | 7400.00  | 58250.00  |
| 1st Supplementary                  | भारित / Charged | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| जोड़ (मूल और पूरक )                | मतदेय / Voted   | 100651.52 | 29570.24 | 130221.76 |
| Total(Original plus Supplementary) | भारित / Charged | 0.00      | 0.00     | 0.00      |

11. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष                              | योजना          | गैर योजना   | योग             |
|------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Major Head                               | Plan           | Non Plan    | Total           |
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>        |                |             |                 |
| 2702 Minor Irrigation                    | Voted          | 0.00        | 50850.00        |
| लघु सिंचाई                               | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| <b>Total Revenue Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b> | <b>50850.00</b> |
| योग- राजस्व भाग                          | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>Capital Section पूंजी भाग</b>         |                |             |                 |
| 4702 Capital Outlay on Minor Irrigation  | Voted          | 0.00        | 7400.00         |
| लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय            | Charged        | 0.00        | 0.00            |
| <b>Total Capital Section</b>             | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b> | <b>7400.00</b>  |
| योग- पूंजी भाग                           | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b> | <b>Voted</b>   | <b>0.00</b> | <b>58250.00</b> |
| योग- राजस्व एवं पूंजी                    | <b>Charged</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |

**अनुदानों की पूरक मांगे Supplementary Demand for Grants 2013-2014**

**मांग संख्या Demand No. 51**

**समाज कल्याण विभाग Social Welfare Department**

|                                                                                                                                      |                 | (लाख रुपये में) (Rs. in Lacs ) |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| (मूल अनुदान के विस्तृत ब्योरा हेतु अनुदानों की मांगें पुस्तक देखिए)<br>(See Book Demands for Grants for Details of Original Grants ) |                 | राजस्व<br>Revenue              | पूंजी<br>Capital | योग<br>Total |
| I. मूल अनुदान<br>Original Estimate                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 413330.87                      | 950.00           | 414280.87    |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| प्रथम अनुपूरक<br>1st Supplementary                                                                                                   | मतदेय / Voted   | 90086.00                       | 0.00             | 90086.00     |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |
| जोड़ (मूल और पूरक )<br>Total(Original plus Supplementary)                                                                            | मतदेय / Voted   | 503416.87                      | 950.00           | 504366.87    |
|                                                                                                                                      | भारित / Charged | 0.00                           | 0.00             | 0.00         |

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

**II. This Supplementary Grant /Appropriation will be accounted for under the following Major Heads**

| मुख्य शीर्ष<br>Major Head                                         |                | योजना<br>Plan   | गैर योजना<br>Non Plan | योग<br>Total    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Revenue Section राजस्व भाग</b>                                 |                |                 |                       |                 |
| 2235 Social Security and Welfare<br>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण    | Voted          | 27586.00        | 0.00                  | 27586.00        |
|                                                                   | Charged        | 0.00            | 0.00                  | 0.00            |
| 2236 Nutrition<br>पोषण                                            | Voted          | 62500.00        | 0.00                  | 62500.00        |
|                                                                   | Charged        | 0.00            | 0.00                  | 0.00            |
| <b>Total Revenue Section</b><br>योग- राजस्व भाग                   | <b>Voted</b>   | <b>90086.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>90086.00</b> |
|                                                                   | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>     |
| <b>Grand Total Revenue &amp; Capital</b><br>योग- राजस्व एवं पूंजी | <b>Voted</b>   | <b>90086.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>90086.00</b> |
|                                                                   | <b>Charged</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>     |

**वर्ष 2013-2014**

**का**

**प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण**

**(खंड - 1 भाग -1)**

# Part-1 DIV -1 Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                          | क्रमांक एवं वर्ष | राशि            | आयोजना भिन्न          | राज्य योजना        | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत              | योग                   |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 01 - कृषि विभाग                   | खण्ड- 1 भाग-1    | D/53/2013       | 1,93,000              | 1,93,000           | 0                       | 0                              | 0                   | 1,93,000              |
|                                   |                  | D/165/2013      | 16,60,00,000          | 0                  | 16,60,00,000            | 0                              | 0                   | 16,60,00,000          |
|                                   |                  | D/166/2013      | 3,20,00,000           | 0                  | 3,20,00,000             | 0                              | 0                   | 3,20,00,000           |
|                                   |                  | D/167/2013      | 20,00,000             | 0                  | 20,00,000               | 0                              | 0                   | 20,00,000             |
|                                   |                  | D/168/2013      | 8,30,00,000           | 0                  | 8,30,00,000             | 0                              | 0                   | 8,30,00,000           |
|                                   |                  | D/169/2013      | 1,60,00,000           | 0                  | 1,60,00,000             | 0                              | 0                   | 1,60,00,000           |
|                                   |                  | D/170/2013      | 10,00,000             | 0                  | 10,00,000               | 0                              | 0                   | 10,00,000             |
|                                   |                  | D/171/2013      | 98,38,82,000          | 0                  | 98,38,82,000            | 0                              | 0                   | 98,38,82,000          |
|                                   |                  | D/172/2013      | 18,96,64,000          | 0                  | 18,96,64,000            | 0                              | 0                   | 18,96,64,000          |
|                                   |                  | D/173/2013      | 1,18,54,000           | 0                  | 1,18,54,000             | 0                              | 0                   | 1,18,54,000           |
|                                   |                  | D/174/2013      | 84,54,38,000          | 0                  | 84,54,38,000            | 0                              | 0                   | 84,54,38,000          |
|                                   |                  | D/175/2013      | 16,29,76,000          | 0                  | 16,29,76,000            | 0                              | 0                   | 16,29,76,000          |
|                                   |                  | D/176/2013      | 1,01,86,000           | 0                  | 1,01,86,000             | 0                              | 0                   | 1,01,86,000           |
|                                   |                  | D/177/2013      | 9,99,60,000           | 0                  | 9,99,60,000             | 0                              | 0                   | 9,99,60,000           |
|                                   |                  | D/178/2013      | 1,90,40,000           | 0                  | 1,90,40,000             | 0                              | 0                   | 1,90,40,000           |
|                                   |                  | D/179/2013      | 20,00,00,000          | 0                  | 20,00,00,000            | 0                              | 0                   | 20,00,00,000          |
|                                   |                  | D/243/2013      | 2,00,00,000           | 0                  | 0                       | 2,00,00,000                    | 0                   | 2,00,00,000           |
|                                   |                  | <b>योग - 01</b> | <b>2,84,31,93,000</b> | <b>1,93,000</b>    | <b>2,82,30,00,000</b>   | <b>2,00,00,000</b>             | <b>0</b>            | <b>2,84,31,93,000</b> |
| 03 - भवन निर्माण विभाग            | खण्ड- 1 भाग-1    | D/88/2013       | 2,00,00,00,000        | 0                  | 2,00,00,00,000          | 0                              | 0                   | 2,00,00,00,000        |
|                                   |                  | D/91/2013       | 12,21,94,000          | 0                  | 12,21,94,000            | 0                              | 0                   | 12,21,94,000          |
|                                   |                  | D/92/2013       | 87,78,06,000          | 0                  | 87,78,06,000            | 0                              | 0                   | 87,78,06,000          |
|                                   |                  | D/93/2013       | 1,000                 | 1,000              | 0                       | 0                              | 0                   | 1,000                 |
|                                   |                  | D/94/2013       | 2,33,00,000           | 0                  | 2,33,00,000             | 0                              | 0                   | 2,33,00,000           |
|                                   |                  | D/117/2013      | 8,50,00,000           | 0                  | 8,50,00,000             | 0                              | 0                   | 8,50,00,000           |
|                                   |                  | D/118/2013      | 5,00,00,000           | 0                  | 5,00,00,000             | 0                              | 0                   | 5,00,00,000           |
|                                   |                  | D/145/2013      | 12,24,00,000          | 0                  | 0                       | 0                              | 12,24,00,000        | 12,24,00,000          |
|                                   |                  | D/146/2013      | 3,00,00,000           | 0                  | 0                       | 0                              | 3,00,00,000         | 3,00,00,000           |
|                                   |                  | D/147/2013      | 76,00,000             | 0                  | 76,00,000               | 0                              | 0                   | 76,00,000             |
|                                   |                  | D/148/2013      | 3,05,00,000           | 0                  | 3,05,00,000             | 0                              | 0                   | 3,05,00,000           |
|                                   |                  | D/181/2013      | 5,00,00,000           | 0                  | 5,00,00,000             | 0                              | 0                   | 5,00,00,000           |
|                                   |                  | D/182/2013      | 2,44,71,000           | 0                  | 2,44,71,000             | 0                              | 0                   | 2,44,71,000           |
|                                   |                  | <b>योग - 03</b> | <b>3,42,32,72,000</b> | <b>1,000</b>       | <b>3,27,08,71,000</b>   | <b>0</b>                       | <b>15,24,00,000</b> | <b>3,42,32,72,000</b> |
| 04 - मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग     | खण्ड- 1 भाग-1    | D/125/2013      | 3,00,00,000           | 0                  | 3,00,00,000             | 0                              | 0                   | 3,00,00,000           |
|                                   |                  | D/140/2013      | 1,000                 | 0                  | 1,000                   | 0                              | 0                   | 1,000                 |
|                                   |                  | D/141/2013      | 1,00,000              | 1,00,000           | 0                       | 0                              | 0                   | 1,00,000              |
|                                   |                  | D/241/2013      | 1,19,88,000           | 1,19,88,000        | 0                       | 0                              | 0                   | 1,19,88,000           |
|                                   |                  | <b>योग - 04</b> | <b>4,20,89,000</b>    | <b>1,20,88,000</b> | <b>3,00,01,000</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>4,20,89,000</b>    |
| 05 - राज्यपाल सचिवालय             | खण्ड- 1 भाग-1    | D/126/2013      | 5,30,000              | 0                  | 0                       | 0                              | 5,30,000            | 5,30,000              |
|                                   |                  | D/151/2013      | 11,78,000             | 0                  | 0                       | 0                              | 11,78,000           | 11,78,000             |
|                                   |                  | D/235/2013      | 41,50,000             | 0                  | 0                       | 0                              | 41,50,000           | 41,50,000             |
|                                   |                  | <b>योग - 05</b> | <b>58,58,000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>58,58,000</b>    | <b>58,58,000</b>      |
| 08 - कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | खण्ड- 1 भाग-1    | D/114/2013      | 7,50,00,000           | 0                  | 7,50,00,000             | 0                              | 0                   | 7,50,00,000           |
|                                   |                  | D/115/2013      | 3,00,00,000           | 0                  | 3,00,00,000             | 0                              | 0                   | 3,00,00,000           |
|                                   |                  | D/116/2013      | 6,00,00,000           | 0                  | 6,00,00,000             | 0                              | 0                   | 6,00,00,000           |
|                                   |                  | <b>योग - 08</b> | <b>16,50,00,000</b>   | <b>0</b>           | <b>16,50,00,000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>16,50,00,000</b>   |

**Part-1 DIV -1 Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**  
**वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश**

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                                         | क्रमांक एवं वर्ष | राशि       | आयोजना भिन्न    | राज्य योजना  | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग             |
|--------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 09 - सहकारिता विभाग                              | खण्ड- 1 भाग-1    | D/55/2013  | 3,00,000        | 3,00,000     | 0                       | 0                              | 0        | 3,00,000        |
|                                                  |                  | D/56/2013  | 3,00,000        | 3,00,000     | 0                       | 0                              | 0        | 3,00,000        |
|                                                  |                  | D/57/2013  | 1,00,000        | 1,00,000     | 0                       | 0                              | 0        | 1,00,000        |
|                                                  |                  | D/112/2013 | 25,000          | 25,000       | 0                       | 0                              | 0        | 25,000          |
|                                                  |                  | D/113/2013 | 40,29,000       | 0            | 40,29,000               | 0                              | 0        | 40,29,000       |
|                                                  | योग - 09         |            | 47,54,000       | 7,25,000     | 40,29,000               | 0                              | 0        | 47,54,000       |
| 10 - उर्जा विभाग                                 | खण्ड- 1 भाग-1    | D/4/2013   | 25,00,00,000    | 0            | 25,00,00,000            | 0                              | 0        | 25,00,00,000    |
|                                                  |                  | D/5/2013   | 15,00,00,000    | 0            | 15,00,00,000            | 0                              | 0        | 15,00,00,000    |
|                                                  |                  | D/6/2013   | 85,00,00,000    | 0            | 85,00,00,000            | 0                              | 0        | 85,00,00,000    |
|                                                  |                  | D/7/2013   | 80,00,00,000    | 0            | 80,00,00,000            | 0                              | 0        | 80,00,00,000    |
|                                                  |                  | D/8/2013   | 10,00,00,000    | 0            | 10,00,00,000            | 0                              | 0        | 10,00,00,000    |
|                                                  |                  | D/9/2013   | 25,00,00,000    | 0            | 25,00,00,000            | 0                              | 0        | 25,00,00,000    |
|                                                  |                  | D/11/2013  | 3,77,000        | 3,77,000     | 0                       | 0                              | 0        | 3,77,000        |
|                                                  |                  | D/138/2013 | 31,43,000       | 31,43,000    | 0                       | 0                              | 0        | 31,43,000       |
|                                                  |                  | D/139/2013 | 35,00,00,000    | 0            | 35,00,00,000            | 0                              | 0        | 35,00,00,000    |
|                                                  |                  | D/156/2013 | 19,50,00,000    | 19,50,00,000 | 0                       | 0                              | 0        | 19,50,00,000    |
|                                                  |                  | D/157/2013 | 18,51,73,000    | 18,51,73,000 | 0                       | 0                              | 0        | 18,51,73,000    |
|                                                  |                  | D/158/2013 | 9,53,46,000     | 9,53,46,000  | 0                       | 0                              | 0        | 9,53,46,000     |
|                                                  |                  | D/159/2013 | 9,00,00,000     | 9,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0        | 9,00,00,000     |
|                                                  |                  | D/160/2013 | 10,00,00,000    | 10,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0        | 10,00,00,000    |
|                                                  |                  | D/161/2013 | 5,00,00,000     | 5,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000     |
|                                                  |                  | D/162/2013 | 5,00,00,000     | 5,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000     |
|                                                  |                  | D/163/2013 | 10,00,00,000    | 10,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0        | 10,00,00,000    |
|                                                  |                  | D/237/2013 | 1,50,00,00,000  | 0            | 1,50,00,00,000          | 0                              | 0        | 1,50,00,00,000  |
|                                                  |                  | D/238/2013 | 4,00,00,00,000  | 0            | 4,00,00,00,000          | 0                              | 0        | 4,00,00,00,000  |
|                                                  |                  | D/239/2013 | 7,00,00,00,000  | 0            | 7,00,00,00,000          | 0                              | 0        | 7,00,00,00,000  |
|                                                  |                  | D/240/2013 | 5,00,00,00,000  | 0            | 5,00,00,00,000          | 0                              | 0        | 5,00,00,00,000  |
|                                                  |                  | D/242/2013 | 25,00,00,000    | 0            | 25,00,00,000            | 0                              | 0        | 25,00,00,000    |
|                                                  | योग - 10         |            | 21,36,90,39,000 | 86,90,39,000 | 20,50,00,00,000         | 0                              | 0        | 21,36,90,39,000 |
| 11 - पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | खण्ड- 1 भाग-1    | D/58/2013  | 7,48,00,000     | 0            | 7,48,00,000             | 0                              | 0        | 7,48,00,000     |
|                                                  |                  | D/74/2013  | 2,92,52,00,000  | 0            | 2,92,52,00,000          | 0                              | 0        | 2,92,52,00,000  |
|                                                  | योग - 11         |            | 3,00,00,00,000  | 0            | 3,00,00,00,000          | 0                              | 0        | 3,00,00,00,000  |
| 13 - सूद भुगतान                                  | खण्ड- 1 भाग-1    | D/3/2013   | 3,38,000        | 0            | 0                       | 0                              | 3,38,000 | 3,38,000        |
|                                                  |                  | योग - 13   | 3,38,000        | 0            | 0                       | 0                              | 3,38,000 | 3,38,000        |
| 14 - ऋण अदायगियाँ                                | खण्ड- 1 भाग-1    | D/2/2013   | 3,75,000        | 0            | 0                       | 0                              | 3,75,000 | 3,75,000        |
|                                                  |                  | योग - 14   | 3,75,000        | 0            | 0                       | 0                              | 3,75,000 | 3,75,000        |

**Part-1 DIV -1 Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**  
**वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश**

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                              | क्रमांक एवं वर्ष | राशि            | आयोजना भिन्न          | राज्य योजना        | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                   |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 16 - पंचायती राज विभाग                | खण्ड- 1 भाग-1    | D/193/2013      | 1,12,05,00,000        | 0                  | 1,12,05,00,000          | 0                              | 0        | 1,12,05,00,000        |
|                                       |                  | D/194/2013      | 22,95,00,000          | 0                  | 22,95,00,000            | 0                              | 0        | 22,95,00,000          |
|                                       |                  | D/195/2013      | 92,13,000             | 0                  | 92,13,000               | 0                              | 0        | 92,13,000             |
|                                       |                  | D/196/2013      | 18,87,000             | 0                  | 18,87,000               | 0                              | 0        | 18,87,000             |
|                                       |                  | D/197/2013      | 6,64,00,000           | 0                  | 6,64,00,000             | 0                              | 0        | 6,64,00,000           |
|                                       |                  | D/198/2013      | 1,36,00,000           | 0                  | 1,36,00,000             | 0                              | 0        | 1,36,00,000           |
|                                       |                  | D/199/2013      | 27,34,02,000          | 0                  | 27,34,02,000            | 0                              | 0        | 27,34,02,000          |
|                                       |                  | D/200/2013      | 5,59,98,000           | 0                  | 5,59,98,000             | 0                              | 0        | 5,59,98,000           |
|                                       |                  | D/201/2013      | 50,58,85,000          | 0                  | 50,58,85,000            | 0                              | 0        | 50,58,85,000          |
|                                       |                  | D/202/2013      | 10,36,15,000          | 0                  | 10,36,15,000            | 0                              | 0        | 10,36,15,000          |
|                                       |                  | D/203/2013      | 1,65,60,79,000        | 0                  | 1,65,60,79,000          | 0                              | 0        | 1,65,60,79,000        |
|                                       |                  | D/204/2013      | 29,99,60,000          | 0                  | 29,99,60,000            | 0                              | 0        | 29,99,60,000          |
|                                       |                  | D/205/2013      | 1,95,61,000           | 0                  | 1,95,61,000             | 0                              | 0        | 1,95,61,000           |
|                                       |                  | D/206/2013      | 1,00,000              | 1,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 1,00,000              |
|                                       |                  | D/207/2013      | 99,56,000             | 99,56,000          | 0                       | 0                              | 0        | 99,56,000             |
|                                       |                  | D/208/2013      | 10,000                | 10,000             | 0                       | 0                              | 0        | 10,000                |
|                                       |                  | D/209/2013      | 3,00,000              | 3,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 3,00,000              |
|                                       |                  | <b>योग - 16</b> | <b>4,36,59,66,000</b> | <b>1,03,66,000</b> | <b>4,35,56,00,000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>4,36,59,66,000</b> |
| 18 - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | खण्ड- 1 भाग-1    | D/87/2013       | 6,00,000              | 6,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 6,00,000              |
|                                       |                  | <b>योग - 18</b> | <b>6,00,000</b>       | <b>6,00,000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>6,00,000</b>       |
| 19 - पर्यावरण एवं वन विभाग            | खण्ड- 1 भाग-1    | D/86/2013       | 34,45,000             | 34,45,000          | 0                       | 0                              | 0        | 34,45,000             |
|                                       |                  | D/101/2013      | 2,50,00,000           | 0                  | 2,50,00,000             | 0                              | 0        | 2,50,00,000           |
|                                       |                  | D/102/2013      | 2,50,00,000           | 0                  | 2,50,00,000             | 0                              | 0        | 2,50,00,000           |
|                                       |                  | D/103/2013      | 16,00,00,000          | 0                  | 16,00,00,000            | 0                              | 0        | 16,00,00,000          |
|                                       |                  | D/104/2013      | 4,00,00,000           | 0                  | 4,00,00,000             | 0                              | 0        | 4,00,00,000           |
|                                       |                  | D/105/2013      | 34,00,00,000          | 0                  | 34,00,00,000            | 0                              | 0        | 34,00,00,000          |
|                                       |                  | D/106/2013      | 5,00,00,000           | 0                  | 5,00,00,000             | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                       |                  | D/107/2013      | 4,50,00,000           | 0                  | 4,50,00,000             | 0                              | 0        | 4,50,00,000           |
|                                       |                  | D/108/2013      | 1,50,00,000           | 0                  | 1,50,00,000             | 0                              | 0        | 1,50,00,000           |
|                                       |                  | D/186/2013      | 30,00,000             | 30,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 30,00,000             |
|                                       |                  | <b>योग - 19</b> | <b>70,64,45,000</b>   | <b>64,45,000</b>   | <b>70,00,00,000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>70,64,45,000</b>   |
| 20 - स्वास्थ्य विभाग                  | खण्ड- 1 भाग-1    | D/127/2013      | 80,00,000             | 0                  | 80,00,000               | 0                              | 0        | 80,00,000             |
|                                       |                  | D/128/2013      | 20,00,000             | 0                  | 20,00,000               | 0                              | 0        | 20,00,000             |
|                                       |                  | D/129/2013      | 1,75,00,00,000        | 0                  | 1,75,00,00,000          | 0                              | 0        | 1,75,00,00,000        |
|                                       |                  | D/130/2013      | 75,00,00,000          | 0                  | 75,00,00,000            | 0                              | 0        | 75,00,00,000          |
|                                       |                  | D/131/2013      | 24,00,00,000          | 0                  | 24,00,00,000            | 0                              | 0        | 24,00,00,000          |
|                                       |                  | D/132/2013      | 25,00,00,000          | 0                  | 25,00,00,000            | 0                              | 0        | 25,00,00,000          |
|                                       |                  | D/143/2013      | 32,09,000             | 32,09,000          | 0                       | 0                              | 0        | 32,09,000             |
|                                       |                  | D/210/2013      | 4,78,00,000           | 4,78,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 4,78,00,000           |
|                                       |                  | <b>योग - 20</b> | <b>3,05,10,09,000</b> | <b>5,10,09,000</b> | <b>3,00,00,00,000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>3,05,10,09,000</b> |

**Part-1 DIV -1 Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                      | क्रमांक एवं वर्ष |            | राशि            | आयोजना भिन्न | राज्य योजना     | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत      | योग             |
|-------------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| 21 - शिक्षा विभाग             | खण्ड- 1 भाग-1    | D/75/2013  | 75,00,00,000    | 0            | 75,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0           | 75,00,00,000    |
|                               |                  | D/76/2013  | 1,000           | 1,000        | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 1,000           |
|                               |                  | D/77/2013  | 2,75,00,00,000  | 0            | 2,75,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0           | 2,75,00,00,000  |
|                               |                  | D/78/2013  | 1,25,00,00,000  | 0            | 1,25,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0           | 1,25,00,00,000  |
|                               |                  | D/80/2013  | 5,00,00,00,000  | 0            | 5,00,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0           | 5,00,00,00,000  |
|                               |                  | D/164/2013 | 5,00,00,000     | 0            | 5,00,00,000     | 0                       | 0                              | 0           | 5,00,00,000     |
|                               |                  | D/244/2013 | 25,00,00,000    | 0            | 25,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0           | 25,00,00,000    |
|                               | योग - 21         |            | 10,05,00,01,000 | 1,000        | 10,05,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0           | 10,05,00,01,000 |
| 22 - गृह विभाग                | खण्ड- 1 भाग-1    | D/134/2013 | 6,00,00,000     | 0            | 0               | 0                       | 6,00,00,000                    | 0           | 6,00,00,000     |
|                               |                  | D/190/2013 | 3,98,000        | 3,98,000     | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 3,98,000        |
|                               | योग - 22         |            | 6,03,98,000     | 3,98,000     | 0               | 0                       | 6,00,00,000                    | 0           | 6,03,98,000     |
| 23 - उद्योग विभाग             | खण्ड- 1 भाग-1    | D/51/2013  | 14,00,00,000    | 0            | 14,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0           | 14,00,00,000    |
|                               |                  | D/52/2013  | 2,00,00,000     | 0            | 2,00,00,000     | 0                       | 0                              | 0           | 2,00,00,000     |
|                               |                  | D/59/2013  | 3,00,00,000     | 0            | 3,00,00,000     | 0                       | 0                              | 0           | 3,00,00,000     |
|                               |                  | D/133/2013 | 5,00,00,00,000  | 0            | 5,00,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0           | 5,00,00,00,000  |
|                               |                  | D/137/2013 | 2,00,00,00,000  | 0            | 2,00,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0           | 2,00,00,00,000  |
|                               |                  | D/150/2013 | 7,00,00,000     | 0            | 7,00,00,000     | 0                       | 0                              | 0           | 7,00,00,000     |
|                               |                  | D/153/2013 | 7,00,00,000     | 0            | 7,00,00,000     | 0                       | 0                              | 0           | 7,00,00,000     |
|                               |                  | D/184/2013 | 7,00,00,000     | 0            | 7,00,00,000     | 0                       | 0                              | 0           | 7,00,00,000     |
|                               |                  | D/185/2013 | 10,00,00,000    | 0            | 10,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0           | 10,00,00,000    |
|                               | योग - 23         |            | 7,50,00,00,000  | 0            | 7,50,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0           | 7,50,00,00,000  |
| 24 - सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | खण्ड- 1 भाग-1    | D/89/2013  | 24,22,000       | 24,22,000    | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 24,22,000       |
|                               |                  | D/90/2013  | 65,15,000       | 65,15,000    | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 65,15,000       |
|                               | योग - 24         |            | 89,37,000       | 89,37,000    | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 89,37,000       |
| 25 - सूचना प्रावैधिकी विभाग   | खण्ड- 1 भाग-1    | D/111/2013 | 9,62,00,000     | 0            | 9,62,00,000     | 0                       | 0                              | 0           | 9,62,00,000     |
|                               |                  | योग - 25   | 9,62,00,000     | 0            | 9,62,00,000     | 0                       | 0                              | 0           | 9,62,00,000     |
| 26 - श्रम संसाधन विभाग        | खण्ड- 1 भाग-1    | D/60/2013  | 1,28,000        | 1,28,000     | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 1,28,000        |
|                               |                  | D/82/2013  | 5,00,000        | 5,00,000     | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 5,00,000        |
|                               |                  | D/83/2013  | 6,54,54,000     | 6,54,54,000  | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 6,54,54,000     |
|                               |                  | D/191/2013 | 5,30,000        | 5,30,000     | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 5,30,000        |
|                               | योग - 26         |            | 6,66,12,000     | 6,66,12,000  | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 6,66,12,000     |
| 27 - विधि विभाग               | खण्ड- 1 भाग-1    | D/119/2013 | 6,000           | 6,000        | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 6,000           |
|                               |                  | D/120/2013 | 31,00,000       | 31,00,000    | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 31,00,000       |
|                               | योग - 27         |            | 31,06,000       | 31,06,000    | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 31,06,000       |
| 30 - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  | खण्ड- 1 भाग-1    | D/70/2013  | 16,14,000       | 16,14,000    | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 16,14,000       |
|                               |                  | योग - 30   | 16,14,000       | 16,14,000    | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 16,14,000       |
| 32 - विधान मंडल               | खण्ड- 1 भाग-1    | D/13/2013  | 21,00,000       | 21,00,000    | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 21,00,000       |
|                               |                  | D/14/2013  | 2,00,000        | 2,00,000     | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 2,00,000        |
|                               | योग - 32         |            | 23,00,000       | 23,00,000    | 0               | 0                       | 0                              | 0           | 23,00,000       |
| 34 - बिहार लोक सेवा आयोग      | खण्ड- 1 भाग-1    | D/12/2013  | 1,35,00,000     | 0            | 0               | 0                       | 0                              | 1,35,00,000 | 1,35,00,000     |
|                               |                  | योग - 34   | 1,35,00,000     | 0            | 0               | 0                       | 0                              | 1,35,00,000 | 1,35,00,000     |

**Part-1 DIV -1 Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                                            | क्रमांक एवं वर्ष |            | राशि           | आयोजना भिन्न | राज्य योजना    | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग            |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 35 - योजना एवं विकास विभाग                          | खण्ड- 1 भाग-1    | D/24/2013  | 8,60,00,00,000 | 0            | 8,60,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 8,60,00,00,000 |
|                                                     |                  | D/84/2013  | 3,000          | 0            | 0              | 0                       | 3,000                          | 0      | 3,000          |
|                                                     |                  | D/85/2013  | 2,000          | 0            | 2,000          | 0                       | 0                              | 0      | 2,000          |
|                                                     |                  | D/180/2013 | 59,00,00,000   | 0            | 59,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 59,00,00,000   |
|                                                     | योग - 35         |            | 9,19,00,05,000 | 0            | 9,19,00,02,000 | 0                       | 3,000                          | 0      | 9,19,00,05,000 |
| 36 - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग                  | खण्ड- 1 भाग-1    | D/187/2013 | 55,30,00,000   | 0            | 55,30,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 55,30,00,000   |
|                                                     |                  | D/188/2013 | 14,00,00,000   | 0            | 14,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 14,00,00,000   |
|                                                     |                  | D/189/2013 | 70,00,000      | 0            | 70,00,000      | 0                       | 0                              | 0      | 70,00,000      |
|                                                     | योग - 36         |            | 70,00,00,000   | 0            | 70,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 70,00,00,000   |
| 37 - ग्रामीण कार्य विभाग                            | खण्ड- 1 भाग-1    | D/154/2013 | 96,97,00,000   | 0            | 96,97,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 96,97,00,000   |
|                                                     |                  | D/155/2013 | 4,00,00,00,000 | 0            | 4,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 4,00,00,00,000 |
|                                                     | योग - 37         |            | 4,96,97,00,000 | 0            | 4,96,97,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 4,96,97,00,000 |
| 38 - निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग            | खण्ड- 1 भाग-1    | D/110/2013 | 99,00,000      | 0            | 99,00,000      | 0                       | 0                              | 0      | 99,00,000      |
|                                                     | योग - 38         |            | 99,00,000      | 0            | 99,00,000      | 0                       | 0                              | 0      | 99,00,000      |
| 39 - आपदा प्रबंधन विभाग                             | खण्ड- 1 भाग-1    | D/48/2013  | 1,000          | 1,000        | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 1,000          |
|                                                     |                  | D/183/2013 | 1,03,82,000    | 0            | 0              | 0                       | 1,03,82,000                    | 0      | 1,03,82,000    |
|                                                     | योग - 39         |            | 1,03,83,000    | 1,000        | 0              | 0                       | 1,03,82,000                    | 0      | 1,03,83,000    |
| 40 - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग                    | खण्ड- 1 भाग-1    | D/109/2013 | 30,000         | 30,000       | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 30,000         |
|                                                     |                  | D/144/2013 | 2,00,000       | 2,00,000     | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 2,00,000       |
|                                                     |                  | D/149/2013 | 2,00,00,00,000 | 0            | 2,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,00,00,00,000 |
|                                                     |                  | D/152/2013 | 15,67,47,000   | 0            | 0              | 0                       | 15,67,47,000                   | 0      | 15,67,47,000   |
|                                                     |                  | D/192/2013 | 1,09,63,000    | 1,09,63,000  | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 1,09,63,000    |
|                                                     | योग - 40         |            | 2,16,79,40,000 | 1,11,93,000  | 2,00,00,00,000 | 0                       | 15,67,47,000                   | 0      | 2,16,79,40,000 |
| 41 - पथ निर्माण विभाग                               | खण्ड- 1 भाग-1    | D/49/2013  | 3,00,00,00,000 | 0            | 3,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 3,00,00,00,000 |
|                                                     |                  | D/50/2013  | 4,00,00,00,000 | 0            | 4,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 4,00,00,00,000 |
|                                                     | योग - 41         |            | 7,00,00,00,000 | 0            | 7,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 7,00,00,00,000 |
| 44 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | खण्ड- 1 भाग-1    | D/54/2013  | 20,00,000      | 20,00,000    | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 20,00,000      |
|                                                     |                  | D/61/2013  | 20,00,00,000   | 0            | 20,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 20,00,00,000   |
|                                                     |                  | D/62/2013  | 1,80,00,00,000 | 0            | 1,80,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 1,80,00,00,000 |
|                                                     |                  | D/135/2013 | 2,00,00,000    | 2,00,00,000  | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 2,00,00,000    |
|                                                     |                  | D/136/2013 | 1,00,000       | 1,00,000     | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 1,00,000       |
|                                                     | योग - 44         |            | 2,02,21,00,000 | 2,21,00,000  | 2,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,02,21,00,000 |
| 45 - गन्ना उद्योग विभाग                             | खण्ड- 1 भाग-1    | D/47/2013  | 27,93,000      | 27,93,000    | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 27,93,000      |
|                                                     |                  | D/63/2013  | 5,00,00,000    | 0            | 5,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 5,00,00,000    |
|                                                     | योग - 45         |            | 5,27,93,000    | 27,93,000    | 5,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 5,27,93,000    |
| 46 - पर्यटन विभाग                                   | खण्ड- 1 भाग-1    | D/211/2013 | 24,60,00,000   | 0            | 24,60,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 24,60,00,000   |
|                                                     |                  | D/212/2013 | 2,39,46,000    | 0            | 0              | 0                       | 2,39,46,000                    | 0      | 2,39,46,000    |
|                                                     |                  | D/213/2013 | 88,77,000      | 88,77,000    | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 88,77,000      |
|                                                     | योग - 46         |            | 27,88,23,000   | 88,77,000    | 24,60,00,000   | 0                       | 2,39,46,000                    | 0      | 27,88,23,000   |

**Part-1 DIV -1 Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**  
**वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश**

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                      | क्रमांक एवं वर्ष | राशि            | आयोजना भिन्न          | राज्य योजना         | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                   |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग | खण्ड- 1 भाग-1    | D/71/2013       | 7,53,48,000           | 7,53,48,000         | 0                       | 0                              | 0        | 7,53,48,000           |
|                               |                  | D/72/2013       | 5,93,87,000           | 5,93,87,000         | 0                       | 0                              | 0        | 5,93,87,000           |
|                               |                  | D/73/2013       | 4,26,21,000           | 4,26,21,000         | 0                       | 0                              | 0        | 4,26,21,000           |
|                               |                  | D/214/2013      | 12,60,00,000          | 0                   | 12,60,00,000            | 0                              | 0        | 12,60,00,000          |
|                               |                  | D/215/2013      | 2,25,00,000           | 0                   | 2,25,00,000             | 0                              | 0        | 2,25,00,000           |
|                               |                  | D/216/2013      | 15,00,000             | 0                   | 15,00,000               | 0                              | 0        | 15,00,000             |
|                               |                  | D/217/2013      | 37,80,00,000          | 0                   | 37,80,00,000            | 0                              | 0        | 37,80,00,000          |
|                               |                  | D/218/2013      | 6,75,00,000           | 0                   | 6,75,00,000             | 0                              | 0        | 6,75,00,000           |
|                               |                  | D/219/2013      | 45,00,000             | 0                   | 45,00,000               | 0                              | 0        | 45,00,000             |
|                               |                  | D/220/2013      | 12,60,00,000          | 0                   | 12,60,00,000            | 0                              | 0        | 12,60,00,000          |
|                               |                  | D/221/2013      | 2,25,00,000           | 0                   | 2,25,00,000             | 0                              | 0        | 2,25,00,000           |
|                               |                  | D/222/2013      | 15,00,000             | 0                   | 15,00,000               | 0                              | 0        | 15,00,000             |
|                               |                  | D/223/2013      | 25,20,00,000          | 0                   | 25,20,00,000            | 0                              | 0        | 25,20,00,000          |
|                               |                  | D/224/2013      | 4,50,00,000           | 0                   | 4,50,00,000             | 0                              | 0        | 4,50,00,000           |
|                               |                  | D/225/2013      | 30,00,000             | 0                   | 30,00,000               | 0                              | 0        | 30,00,000             |
|                               |                  | D/226/2013      | 20,00,00,000          | 0                   | 20,00,00,000            | 0                              | 0        | 20,00,00,000          |
|                               |                  | D/227/2013      | 30,00,00,000          | 0                   | 30,00,00,000            | 0                              | 0        | 30,00,00,000          |
|                               |                  | D/228/2013      | 5,00,00,000           | 0                   | 5,00,00,000             | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                               |                  | D/229/2013      | 5,00,00,000           | 0                   | 5,00,00,000             | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                               |                  | D/230/2013      | 5,00,00,000           | 0                   | 5,00,00,000             | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                               |                  | D/231/2013      | 5,00,00,000           | 0                   | 5,00,00,000             | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                               |                  | D/232/2013      | 21,25,00,000          | 0                   | 21,25,00,000            | 0                              | 0        | 21,25,00,000          |
|                               |                  | D/233/2013      | 3,75,00,000           | 0                   | 3,75,00,000             | 0                              | 0        | 3,75,00,000           |
|                               |                  | D/234/2013      | 1,00,00,00,000        | 0                   | 1,00,00,00,000          | 0                              | 0        | 1,00,00,00,000        |
|                               |                  | <b>योग - 48</b> | <b>3,17,73,56,000</b> | <b>17,73,56,000</b> | <b>3,00,00,00,000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>3,17,73,56,000</b> |

**Part-1 DIV -1 Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**  
**वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश**

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                 | क्रमांक एवं वर्ष | राशि            | आयोजना भिन्न          | राज्य योजना  | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                   |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 49 - जल संसाधन विभाग     | खण्ड- 1 भाग-1    | D/15/2013       | 28,00,00,000          | 0            | 28,00,00,000            | 0                              | 0        | 28,00,00,000          |
|                          |                  | D/16/2013       | 1,000                 | 1,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                          |                  | D/17/2013       | 1,000                 | 1,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                          |                  | D/18/2013       | 1,000                 | 1,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                          |                  | D/19/2013       | 1,000                 | 1,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                          |                  | D/20/2013       | 1,000                 | 1,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                          |                  | D/21/2013       | 1,000                 | 1,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                          |                  | D/22/2013       | 1,000                 | 1,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,000                 |
|                          |                  | D/23/2013       | 2,000                 | 2,000        | 0                       | 0                              | 0        | 2,000                 |
|                          |                  | D/25/2013       | 30,00,00,000          | 0            | 30,00,00,000            | 0                              | 0        | 30,00,00,000          |
|                          |                  | D/26/2013       | 2,67,00,000           | 0            | 2,67,00,000             | 0                              | 0        | 2,67,00,000           |
|                          |                  | D/27/2013       | 27,36,50,000          | 0            | 27,36,50,000            | 0                              | 0        | 27,36,50,000          |
|                          |                  | D/28/2013       | 70,00,000             | 0            | 70,00,000               | 0                              | 0        | 70,00,000             |
|                          |                  | D/29/2013       | 67,25,50,000          | 0            | 67,25,50,000            | 0                              | 0        | 67,25,50,000          |
|                          |                  | D/30/2013       | 1,30,91,40,000        | 0            | 1,30,91,40,000          | 0                              | 0        | 1,30,91,40,000        |
|                          |                  | D/31/2013       | 12,29,90,000          | 0            | 12,29,90,000            | 0                              | 0        | 12,29,90,000          |
|                          |                  | D/32/2013       | 40,00,00,000          | 0            | 40,00,00,000            | 0                              | 0        | 40,00,00,000          |
|                          |                  | D/33/2013       | 14,50,00,000          | 0            | 14,50,00,000            | 0                              | 0        | 14,50,00,000          |
|                          |                  | D/34/2013       | 61,27,70,000          | 0            | 61,27,70,000            | 0                              | 0        | 61,27,70,000          |
|                          |                  | D/35/2013       | 62,20,00,000          | 0            | 62,20,00,000            | 0                              | 0        | 62,20,00,000          |
|                          |                  | D/36/2013       | 33,22,00,000          | 0            | 33,22,00,000            | 0                              | 0        | 33,22,00,000          |
|                          |                  | D/37/2013       | 14,71,00,000          | 0            | 14,71,00,000            | 0                              | 0        | 14,71,00,000          |
|                          |                  | D/38/2013       | 13,79,00,000          | 0            | 13,79,00,000            | 0                              | 0        | 13,79,00,000          |
|                          |                  | D/39/2013       | 8,52,00,000           | 0            | 8,52,00,000             | 0                              | 0        | 8,52,00,000           |
|                          |                  | D/40/2013       | 14,40,00,000          | 0            | 14,40,00,000            | 0                              | 0        | 14,40,00,000          |
|                          |                  | D/41/2013       | 3,09,00,000           | 0            | 3,09,00,000             | 0                              | 0        | 3,09,00,000           |
|                          |                  | D/42/2013       | 11,20,00,000          | 0            | 11,20,00,000            | 0                              | 0        | 11,20,00,000          |
|                          |                  | D/43/2013       | 1,62,45,00,000        | 0            | 1,62,45,00,000          | 0                              | 0        | 1,62,45,00,000        |
|                          |                  | D/44/2013       | 1,48,46,00,000        | 0            | 1,48,46,00,000          | 0                              | 0        | 1,48,46,00,000        |
|                          |                  | D/45/2013       | 23,19,00,000          | 0            | 23,19,00,000            | 0                              | 0        | 23,19,00,000          |
|                          |                  | D/46/2013       | 2,43,00,000           | 0            | 2,43,00,000             | 0                              | 0        | 2,43,00,000           |
|                          |                  | <b>योग - 49</b> | <b>9,12,64,09,000</b> | <b>9,000</b> | <b>9,12,64,00,000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>9,12,64,09,000</b> |
| 50 - लघु जल संसाधन विभाग | खण्ड- 1 भाग-1    | D/95/2013       | 80,00,00,000          | 0            | 80,00,00,000            | 0                              | 0        | 80,00,00,000          |
|                          |                  | D/96/2013       | 4,20,00,00,000        | 0            | 4,20,00,00,000          | 0                              | 0        | 4,20,00,00,000        |
|                          |                  | D/97/2013       | 1,60,00,000           | 0            | 1,60,00,000             | 0                              | 0        | 1,60,00,000           |
|                          |                  | D/98/2013       | 6,90,00,000           | 0            | 6,90,00,000             | 0                              | 0        | 6,90,00,000           |
|                          |                  | D/99/2013       | 4,06,40,000           | 0            | 4,06,40,000             | 0                              | 0        | 4,06,40,000           |
|                          |                  | D/100/2013      | 21,33,60,000          | 0            | 21,33,60,000            | 0                              | 0        | 21,33,60,000          |
|                          |                  | D/236/2013      | 48,60,00,000          | 0            | 48,60,00,000            | 0                              | 0        | 48,60,00,000          |
|                          |                  | <b>योग - 50</b> | <b>5,82,50,00,000</b> | <b>0</b>     | <b>5,82,50,00,000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>5,82,50,00,000</b> |

**Part-1 DIV -1 Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**  
**वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश**

(राशि रुपये में)

| मांग सं०               | क्रमांक एवं वर्ष |            | राशि              | आयोजना भिन्न   | राज्य योजना       | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत      | योग               |
|------------------------|------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 51 - समाज कल्याण विभाग | खण्ड- 1 भाग-1    | D/64/2013  | 1,00,00,00,000    | 0              | 1,00,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0           | 1,00,00,00,000    |
|                        |                  | D/65/2013  | 40,00,00,000      | 0              | 40,00,00,000      | 0                       | 0                              | 0           | 40,00,00,000      |
|                        |                  | D/66/2013  | 34,00,00,000      | 0              | 34,00,00,000      | 0                       | 0                              | 0           | 34,00,00,000      |
|                        |                  | D/67/2013  | 20,00,00,000      | 0              | 20,00,00,000      | 0                       | 0                              | 0           | 20,00,00,000      |
|                        |                  | D/68/2013  | 4,00,00,000       | 0              | 4,00,00,000       | 0                       | 0                              | 0           | 4,00,00,000       |
|                        |                  | D/69/2013  | 5,86,00,000       | 0              | 0                 | 5,86,00,000             | 0                              | 0           | 5,86,00,000       |
|                        |                  | D/121/2013 | 5,18,75,00,000    | 0              | 5,18,75,00,000    | 0                       | 0                              | 0           | 5,18,75,00,000    |
|                        |                  | D/122/2013 | 1,06,25,00,000    | 0              | 1,06,25,00,000    | 0                       | 0                              | 0           | 1,06,25,00,000    |
|                        |                  | D/123/2013 | 59,76,00,000      | 0              | 59,76,00,000      | 0                       | 0                              | 0           | 59,76,00,000      |
|                        |                  | D/124/2013 | 12,24,00,000      | 0              | 12,24,00,000      | 0                       | 0                              | 0           | 12,24,00,000      |
|                        | योग - 51         |            | 9,00,86,00,000    | 0              | 8,95,00,00,000    | 5,86,00,000             | 0                              | 0           | 9,00,86,00,000    |
| महायोग -               |                  |            | 1,10,31,96,15,000 | 1,25,57,63,000 | 1,08,56,17,03,000 | 7,86,00,000             | 40,34,78,000                   | 2,00,71,000 | 1,10,31,96,15,000 |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                                         | क्रमांक एवं वर्ष | राशि        | मांग सं०     | आयोजना भिन्न | राज्य योजना | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत      | योग          |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| 2011 - संसद/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र विधानमंडल       | खण्ड- 1 भाग-1    | D/13/13-14  | 21,00,000    | 32           | 21,00,000   | 0                       | 0                              | 0           | 21,00,000    |
|                                                     |                  | D/14/13-14  | 2,00,000     | 32           | 2,00,000    | 0                       | 0                              | 0           | 2,00,000     |
|                                                     | योग - 2011       |             | 23,00,000    |              | 23,00,000   | 0                       | 0                              | 0           | 23,00,000    |
| 2012 - राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य | खण्ड- 1 भाग-1    | D/126/13-14 | 5,30,000     | 05           | 0           | 0                       | 0                              | 5,30,000    | 5,30,000     |
|                                                     |                  | D/151/13-14 | 11,78,000    | 05           | 0           | 0                       | 0                              | 11,78,000   | 11,78,000    |
|                                                     |                  | D/235/13-14 | 41,50,000    | 05           | 0           | 0                       | 0                              | 41,50,000   | 41,50,000    |
|                                                     | योग - 2012       |             | 58,58,000    |              | 0           | 0                       | 0                              | 58,58,000   | 58,58,000    |
| 2013 - मंत्रिपरिषद                                  | खण्ड- 1 भाग-1    | D/241/13-14 | 1,19,88,000  | 04           | 1,19,88,000 | 0                       | 0                              | 0           | 1,19,88,000  |
|                                                     |                  | योग - 2013  | 1,19,88,000  |              | 1,19,88,000 | 0                       | 0                              | 0           | 1,19,88,000  |
| 2014 - न्याय प्रशासन                                | खण्ड- 1 भाग-1    | D/119/13-14 | 6,000        | 27           | 6,000       | 0                       | 0                              | 0           | 6,000        |
|                                                     |                  | D/192/13-14 | 1,09,63,000  | 40           | 1,09,63,000 | 0                       | 0                              | 0           | 1,09,63,000  |
|                                                     | योग - 2014       |             | 1,09,69,000  |              | 1,09,69,000 | 0                       | 0                              | 0           | 1,09,69,000  |
| 2029 - भू राजस्व                                    | खण्ड- 1 भाग-1    | D/152/13-14 | 15,67,47,000 | 40           | 0           | 0                       | 15,67,47,000                   | 0           | 15,67,47,000 |
|                                                     |                  | योग - 2029  | 15,67,47,000 |              | 0           | 0                       | 15,67,47,000                   | 0           | 15,67,47,000 |
| 2045 - वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क      | खण्ड- 1 भाग-1    | D/11/13-14  | 3,77,000     | 10           | 3,77,000    | 0                       | 0                              | 0           | 3,77,000     |
|                                                     |                  | योग - 2045  | 3,77,000     |              | 3,77,000    | 0                       | 0                              | 0           | 3,77,000     |
| 2049 - ब्याज अदायगियां                              | खण्ड- 1 भाग-1    | D/3/13-14   | 3,38,000     | 13           | 0           | 0                       | 0                              | 3,38,000    | 3,38,000     |
|                                                     |                  | योग - 2049  | 3,38,000     |              | 0           | 0                       | 0                              | 3,38,000    | 3,38,000     |
| 2051 - लोक सेवा आयोग                                | खण्ड- 1 भाग-1    | D/12/13-14  | 1,35,00,000  | 34           | 0           | 0                       | 0                              | 1,35,00,000 | 1,35,00,000  |
|                                                     |                  | योग - 2051  | 1,35,00,000  |              | 0           | 0                       | 0                              | 1,35,00,000 | 1,35,00,000  |
| 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएँ                       | खण्ड- 1 भाग-1    | D/109/13-14 | 30,000       | 40           | 30,000      | 0                       | 0                              | 0           | 30,000       |
|                                                     |                  | D/141/13-14 | 1,00,000     | 04           | 1,00,000    | 0                       | 0                              | 0           | 1,00,000     |
|                                                     |                  | D/144/13-14 | 2,00,000     | 40           | 2,00,000    | 0                       | 0                              | 0           | 2,00,000     |
|                                                     | योग - 2052       |             | 3,30,000     |              | 3,30,000    | 0                       | 0                              | 0           | 3,30,000     |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                       | क्रमांक एवं वर्ष | राशि        | मांग सं०       | आयोजना भिन्न | राज्य योजना | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत      | योग            |
|-----------------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| 2056 - जेल                        | खण्ड- 1 भाग-1    | D/190/13-14 | 3,98,000       | 22           | 3,98,000    | 0                       | 0                              | 0           | 3,98,000       |
|                                   | योग - 2056       |             | 3,98,000       |              | 3,98,000    | 0                       | 0                              | 0           | 3,98,000       |
| 2059 - लोक निर्माण कार्य          | खण्ड- 1 भाग-1    | D/93/13-14  | 1,000          | 03           | 1,000       | 0                       | 0                              | 0           | 1,000          |
|                                   |                  | D/94/13-14  | 2,33,00,000    | 03           | 0           | 2,33,00,000             | 0                              | 0           | 2,33,00,000    |
|                                   | योग - 2059       |             | 2,33,01,000    |              | 1,000       | 2,33,00,000             | 0                              | 0           | 2,33,01,000    |
| 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ      | खण्ड- 1 भाग-1    | D/134/13-14 | 6,00,00,000    | 22           | 0           | 0                       | 0                              | 6,00,00,000 | 6,00,00,000    |
|                                   |                  | D/183/13-14 | 1,03,82,000    | 39           | 0           | 0                       | 0                              | 1,03,82,000 | 1,03,82,000    |
|                                   | योग - 2070       |             | 7,03,82,000    |              | 0           | 0                       | 0                              | 7,03,82,000 | 7,03,82,000    |
| 2202 - सामान्य शिक्षा             | खण्ड- 1 भाग-1    | D/76/13-14  | 1,000          | 21           | 1,000       | 0                       | 0                              | 0           | 1,000          |
|                                   |                  | D/77/13-14  | 2,75,00,00,000 | 21           | 0           | 2,75,00,00,000          | 0                              | 0           | 2,75,00,00,000 |
|                                   |                  | D/78/13-14  | 1,25,00,00,000 | 21           | 0           | 1,25,00,00,000          | 0                              | 0           | 1,25,00,00,000 |
|                                   |                  | D/164/13-14 | 5,00,00,000    | 21           | 0           | 5,00,00,000             | 0                              | 0           | 5,00,00,000    |
|                                   |                  | D/244/13-14 | 25,00,00,000   | 21           | 0           | 25,00,00,000            | 0                              | 0           | 25,00,00,000   |
|                                   | योग - 2202       |             | 4,30,00,01,000 |              | 1,000       | 4,30,00,00,000          | 0                              | 0           | 4,30,00,01,000 |
| 2205 - कला एवं संस्कृति           | खण्ड- 1 भाग-1    | D/114/13-14 | 7,50,00,000    | 08           | 0           | 7,50,00,000             | 0                              | 0           | 7,50,00,000    |
|                                   |                  | D/115/13-14 | 3,00,00,000    | 08           | 0           | 3,00,00,000             | 0                              | 0           | 3,00,00,000    |
|                                   |                  | D/116/13-14 | 6,00,00,000    | 08           | 0           | 6,00,00,000             | 0                              | 0           | 6,00,00,000    |
|                                   |                  | D/140/13-14 | 1,000          | 04           | 0           | 1,000                   | 0                              | 0           | 1,000          |
|                                   | योग - 2205       |             | 16,50,01,000   |              | 0           | 16,50,01,000            | 0                              | 0           | 16,50,01,000   |
| 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | खण्ड- 1 भाग-1    | D/143/13-14 | 32,09,000      | 20           | 32,09,000   | 0                       | 0                              | 0           | 32,09,000      |
|                                   |                  | D/210/13-14 | 4,78,00,000    | 20           | 4,78,00,000 | 0                       | 0                              | 0           | 4,78,00,000    |
|                                   | योग - 2210       |             | 5,10,09,000    |              | 5,10,09,000 | 0                       | 0                              | 0           | 5,10,09,000    |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                  | क्रमांक<br>एवं वर्ष | राशि              | मांग<br>सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत<br>योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित<br>योजना | प्रभृत   | योग                   |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|
| 2215 - जल पूर्ति तथा<br>सफाई | खण्ड- 1 भाग-1       | D/214/13-14       | 48          | 0            | 12,60,00,000          | 0                          | 0                                 | 0        | 12,60,00,000          |
|                              |                     | D/215/13-14       | 48          | 0            | 2,25,00,000           | 0                          | 0                                 | 0        | 2,25,00,000           |
|                              |                     | D/216/13-14       | 48          | 0            | 15,00,000             | 0                          | 0                                 | 0        | 15,00,000             |
|                              |                     | D/217/13-14       | 48          | 0            | 37,80,00,000          | 0                          | 0                                 | 0        | 37,80,00,000          |
|                              |                     | D/218/13-14       | 48          | 0            | 6,75,00,000           | 0                          | 0                                 | 0        | 6,75,00,000           |
|                              |                     | D/219/13-14       | 48          | 0            | 45,00,000             | 0                          | 0                                 | 0        | 45,00,000             |
|                              |                     | D/220/13-14       | 48          | 0            | 12,60,00,000          | 0                          | 0                                 | 0        | 12,60,00,000          |
|                              |                     | D/221/13-14       | 48          | 0            | 2,25,00,000           | 0                          | 0                                 | 0        | 2,25,00,000           |
|                              |                     | D/222/13-14       | 48          | 0            | 15,00,000             | 0                          | 0                                 | 0        | 15,00,000             |
|                              |                     | D/223/13-14       | 48          | 0            | 25,20,00,000          | 0                          | 0                                 | 0        | 25,20,00,000          |
|                              |                     | D/224/13-14       | 48          | 0            | 4,50,00,000           | 0                          | 0                                 | 0        | 4,50,00,000           |
|                              |                     | D/225/13-14       | 48          | 0            | 30,00,000             | 0                          | 0                                 | 0        | 30,00,000             |
|                              |                     | <b>योग - 2215</b> |             | <b>0</b>     | <b>1,05,00,00,000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>1,05,00,00,000</b> |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                                          | क्रमांक एवं वर्ष | राशि              | मांग सं० | आयोजना भिन्न        | राज्य योजना           | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                   |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 2217 - शहरी विकास                                    | खण्ड- 1 भाग-1    | D/71/13-14        | 48       | 7,53,48,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 7,53,48,000           |
|                                                      |                  | D/72/13-14        | 48       | 5,93,87,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 5,93,87,000           |
|                                                      |                  | D/73/13-14        | 48       | 4,26,21,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 4,26,21,000           |
|                                                      |                  | D/226/13-14       | 48       | 0                   | 20,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 20,00,00,000          |
|                                                      |                  | D/227/13-14       | 48       | 0                   | 30,00,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 30,00,00,000          |
|                                                      |                  | D/228/13-14       | 48       | 0                   | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                                      |                  | D/229/13-14       | 48       | 0                   | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                                      |                  | D/230/13-14       | 48       | 0                   | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                                      |                  | D/231/13-14       | 48       | 0                   | 5,00,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,00,000           |
|                                                      |                  | D/232/13-14       | 48       | 0                   | 21,25,00,000          | 0                       | 0                              | 0        | 21,25,00,000          |
|                                                      |                  | D/233/13-14       | 48       | 0                   | 3,75,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 3,75,00,000           |
|                                                      |                  | D/234/13-14       | 48       | 0                   | 1,00,00,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 1,00,00,00,000        |
|                                                      |                  | <b>योग - 2217</b> |          | <b>17,73,56,000</b> | <b>1,95,00,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>2,12,73,56,000</b> |
| 2220 - सूचना तथा प्रचार                              | खण्ड- 1 भाग-1    | D/90/13-14        | 24       | 65,15,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 65,15,000             |
|                                                      |                  | <b>योग - 2220</b> |          | <b>65,15,000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>65,15,000</b>      |
| 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य | खण्ड- 1 भाग-1    | D/54/13-14        | 44       | 20,00,000           | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 20,00,000             |
|                                                      |                  | D/74/13-14        | 11       | 0                   | 2,92,52,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 2,92,52,00,000        |
|                                                      |                  | D/135/13-14       | 44       | 2,00,00,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 2,00,00,000           |
|                                                      |                  | <b>योग - 2225</b> |          | <b>2,20,00,000</b>  | <b>2,92,52,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>2,94,72,00,000</b> |
| 2230 - श्रम तथा रोजगार                               | खण्ड- 1 भाग-1    | D/60/13-14        | 26       | 1,28,000            | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 1,28,000              |
|                                                      |                  | D/82/13-14        | 26       | 5,00,000            | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 5,00,000              |
|                                                      |                  | D/83/13-14        | 26       | 6,54,54,000         | 0                     | 0                       | 0                              | 0        | 6,54,54,000           |
|                                                      |                  | <b>योग - 2230</b> |          | <b>6,60,82,000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>6,60,82,000</b>    |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                       | क्रमांक एवं वर्ष | राशि        | मांग सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना    | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग            |
|-----------------------------------|------------------|-------------|----------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | खण्ड- 1 भाग-1    | D/64/13-14  | 51       | 0            | 1,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 1,00,00,00,000 |
|                                   |                  | D/65/13-14  | 51       | 0            | 40,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 40,00,00,000   |
|                                   |                  | D/66/13-14  | 51       | 0            | 34,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 34,00,00,000   |
|                                   |                  | D/67/13-14  | 51       | 0            | 20,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 20,00,00,000   |
|                                   |                  | D/68/13-14  | 51       | 0            | 4,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 4,00,00,000    |
|                                   |                  | D/69/13-14  | 51       | 0            | 5,86,00,000    | 0                       | 5,86,00,000                    | 0      | 5,86,00,000    |
|                                   |                  | D/120/13-14 | 27       | 31,00,000    | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 31,00,000      |
|                                   |                  | D/123/13-14 | 51       | 0            | 59,76,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 59,76,00,000   |
|                                   |                  | D/124/13-14 | 51       | 0            | 12,24,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 12,24,00,000   |
|                                   | योग - 2235       |             |          | 31,00,000    | 2,70,00,00,000 | 5,86,00,000             | 0                              | 0      | 2,76,17,00,000 |
| 2236 - पोषण                       | खण्ड- 1 भाग-1    | D/121/13-14 | 51       | 0            | 5,18,75,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 5,18,75,00,000 |
|                                   |                  | D/122/13-14 | 51       | 0            | 1,06,25,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 1,06,25,00,000 |
|                                   | योग - 2236       |             |          | 0            | 6,25,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 6,25,00,00,000 |
| 2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ     | खण्ड- 1 भाग-1    | D/48/13-14  | 39       | 1,000        | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 1,000          |
|                                   |                  | D/70/13-14  | 30       | 16,14,000    | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 16,14,000      |
|                                   |                  | D/89/13-14  | 24       | 24,22,000    | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 24,22,000      |
|                                   |                  | D/136/13-14 | 44       | 1,00,000     | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 1,00,000       |
|                                   |                  | D/191/13-14 | 26       | 5,30,000     | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 5,30,000       |
|                                   | योग - 2251       |             |          | 46,67,000    | 46,67,000      | 0                       | 0                              | 0      | 46,67,000      |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष          | क्रमांक एवं वर्ष |             | राशि           | मांग सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना    | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग            |
|----------------------|------------------|-------------|----------------|----------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 2401 - फसल कृषि-कर्म | खण्ड- 1 भाग-1    | D/113/13-14 | 40,29,000      | 09       | 0            | 40,29,000      | 0                       | 0                              | 0      | 40,29,000      |
|                      |                  | D/165/13-14 | 16,60,00,000   | 01       | 0            | 16,60,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 16,60,00,000   |
|                      |                  | D/166/13-14 | 3,20,00,000    | 01       | 0            | 3,20,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 3,20,00,000    |
|                      |                  | D/167/13-14 | 20,00,000      | 01       | 0            | 20,00,000      | 0                       | 0                              | 0      | 20,00,000      |
|                      |                  | D/168/13-14 | 8,30,00,000    | 01       | 0            | 8,30,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 8,30,00,000    |
|                      |                  | D/169/13-14 | 1,60,00,000    | 01       | 0            | 1,60,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 1,60,00,000    |
|                      |                  | D/170/13-14 | 10,00,000      | 01       | 0            | 10,00,000      | 0                       | 0                              | 0      | 10,00,000      |
|                      |                  | D/171/13-14 | 98,38,82,000   | 01       | 0            | 98,38,82,000   | 0                       | 0                              | 0      | 98,38,82,000   |
|                      |                  | D/172/13-14 | 18,96,64,000   | 01       | 0            | 18,96,64,000   | 0                       | 0                              | 0      | 18,96,64,000   |
|                      |                  | D/173/13-14 | 1,18,54,000    | 01       | 0            | 1,18,54,000    | 0                       | 0                              | 0      | 1,18,54,000    |
|                      |                  | D/174/13-14 | 84,54,38,000   | 01       | 0            | 84,54,38,000   | 0                       | 0                              | 0      | 84,54,38,000   |
|                      |                  | D/175/13-14 | 16,29,76,000   | 01       | 0            | 16,29,76,000   | 0                       | 0                              | 0      | 16,29,76,000   |
|                      |                  | D/176/13-14 | 1,01,86,000    | 01       | 0            | 1,01,86,000    | 0                       | 0                              | 0      | 1,01,86,000    |
|                      |                  | D/179/13-14 | 20,00,00,000   | 01       | 0            | 20,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 20,00,00,000   |
|                      | योग - 2401       |             | 2,70,80,29,000 |          | 0            | 2,70,80,29,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,70,80,29,000 |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                     | क्रमांक एवं वर्ष | राशि        | मांग सं०     | आयोजना भिन्न | राज्य योजना | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग          |
|---------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--------|--------------|
| 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी   | खण्ड- 1 भाग-1    | D/86/13-14  | 34,45,000    | 19           | 34,45,000   | 0                       | 0                              | 0      | 34,45,000    |
|                                 |                  | D/101/13-14 | 2,50,00,000  | 19           | 0           | 2,50,00,000             | 0                              | 0      | 2,50,00,000  |
|                                 |                  | D/102/13-14 | 2,50,00,000  | 19           | 0           | 2,50,00,000             | 0                              | 0      | 2,50,00,000  |
|                                 |                  | D/103/13-14 | 16,00,00,000 | 19           | 0           | 16,00,00,000            | 0                              | 0      | 16,00,00,000 |
|                                 |                  | D/104/13-14 | 4,00,00,000  | 19           | 0           | 4,00,00,000             | 0                              | 0      | 4,00,00,000  |
|                                 |                  | D/105/13-14 | 34,00,00,000 | 19           | 0           | 34,00,00,000            | 0                              | 0      | 34,00,00,000 |
|                                 |                  | D/106/13-14 | 5,00,00,000  | 19           | 0           | 5,00,00,000             | 0                              | 0      | 5,00,00,000  |
|                                 |                  | D/107/13-14 | 4,50,00,000  | 19           | 0           | 4,50,00,000             | 0                              | 0      | 4,50,00,000  |
|                                 |                  | D/186/13-14 | 30,00,000    | 19           | 30,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 30,00,000    |
|                                 | योग - 2406       |             | 69,14,45,000 |              | 64,45,000   | 68,50,00,000            | 0                              | 0      | 69,14,45,000 |
| 2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | खण्ड- 1 भाग-1    | D/177/13-14 | 9,99,60,000  | 01           | 0           | 9,99,60,000             | 0                              | 0      | 9,99,60,000  |
|                                 |                  | D/178/13-14 | 1,90,40,000  | 01           | 0           | 1,90,40,000             | 0                              | 0      | 1,90,40,000  |
|                                 | योग - 2415       |             | 11,90,00,000 |              | 0           | 11,90,00,000            | 0                              | 0      | 11,90,00,000 |
| 2425 - सहकारिता                 | खण्ड- 1 भाग-1    | D/55/13-14  | 3,00,000     | 09           | 3,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 3,00,000     |
|                                 |                  | D/56/13-14  | 3,00,000     | 09           | 3,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 3,00,000     |
|                                 |                  | D/57/13-14  | 1,00,000     | 09           | 1,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 1,00,000     |
|                                 | योग - 2425       |             | 7,00,000     |              | 7,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 7,00,000     |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                       | क्रमांक एवं वर्ष |                     | राशि           | मांग सं०       | आयोजना भिन्न | राज्य योजना    | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग            |                |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | खण्ड- 1 भाग-1    | D/193/13-14         | 1,12,05,00,000 | 16             | 0            | 1,12,05,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 1,12,05,00,000 |                |
|                                   |                  | D/194/13-14         | 22,95,00,000   | 16             | 0            | 22,95,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 22,95,00,000   |                |
|                                   |                  | D/195/13-14         | 92,13,000      | 16             | 0            | 92,13,000      | 0                       | 0                              | 0      | 92,13,000      |                |
|                                   |                  | D/196/13-14         | 18,87,000      | 16             | 0            | 18,87,000      | 0                       | 0                              | 0      | 18,87,000      |                |
|                                   |                  | D/197/13-14         | 6,64,00,000    | 16             | 0            | 6,64,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 6,64,00,000    |                |
|                                   |                  | D/198/13-14         | 1,36,00,000    | 16             | 0            | 1,36,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 1,36,00,000    |                |
|                                   |                  | D/199/13-14         | 27,34,02,000   | 16             | 0            | 27,34,02,000   | 0                       | 0                              | 0      | 27,34,02,000   |                |
|                                   |                  | D/200/13-14         | 5,59,98,000    | 16             | 0            | 5,59,98,000    | 0                       | 0                              | 0      | 5,59,98,000    |                |
|                                   |                  | D/201/13-14         | 50,58,85,000   | 16             | 0            | 50,58,85,000   | 0                       | 0                              | 0      | 50,58,85,000   |                |
|                                   |                  | D/202/13-14         | 10,36,15,000   | 16             | 0            | 10,36,15,000   | 0                       | 0                              | 0      | 10,36,15,000   |                |
|                                   |                  | D/203/13-14         | 1,65,60,79,000 | 16             | 0            | 1,65,60,79,000 | 0                       | 0                              | 0      | 1,65,60,79,000 |                |
|                                   |                  | D/204/13-14         | 29,99,60,000   | 16             | 0            | 29,99,60,000   | 0                       | 0                              | 0      | 29,99,60,000   |                |
|                                   |                  | D/205/13-14         | 1,95,61,000    | 16             | 0            | 1,95,61,000    | 0                       | 0                              | 0      | 1,95,61,000    |                |
|                                   |                  | D/206/13-14         | 1,00,000       | 16             | 1,00,000     | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 1,00,000       |                |
|                                   |                  | D/207/13-14         | 99,56,000      | 16             | 99,56,000    | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 99,56,000      |                |
|                                   |                  | D/208/13-14         | 10,000         | 16             | 10,000       | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 10,000         |                |
|                                   |                  | योग - 2515          |                | 4,36,56,66,000 |              | 1,00,66,000    | 4,35,56,00,000          | 0                              | 0      | 0              | 4,36,56,66,000 |
|                                   |                  | 2700 - मुख्य सिंचाई | खण्ड- 1 भाग-1  | D/22/13-14     | 1,000        | 49             | 1,000                   | 0                              | 0      | 0              | 0              |
|                                   | D/23/13-14       |                     |                | 2,000          | 49           | 2,000          | 0                       | 0                              | 0      | 0              | 2,000          |
| योग - 2700                        |                  |                     | 3,000          |                | 3,000        | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 3,000          |                |
| 2701 - मध्यम सिंचाई               | खण्ड- 1 भाग-1    | D/19/13-14          | 1,000          | 49             | 1,000        | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 1,000          |                |
|                                   |                  | D/20/13-14          | 1,000          | 49             | 1,000        | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 1,000          |                |
|                                   |                  | D/21/13-14          | 1,000          | 49             | 1,000        | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 1,000          |                |
|                                   | योग - 2701       |                     | 3,000          |                | 3,000        | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 3,000          |                |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                       | क्रमांक एवं वर्ष |             | राशि           | मांग सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना    | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग            |
|-----------------------------------|------------------|-------------|----------------|----------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 2702 - लघु सिंचाई                 | खण्ड- 1 भाग-1    | D/95/13-14  | 80,00,00,000   | 50       | 0            | 80,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 80,00,00,000   |
|                                   |                  | D/96/13-14  | 4,20,00,00,000 | 50       | 0            | 4,20,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 4,20,00,00,000 |
|                                   |                  | D/97/13-14  | 1,60,00,000    | 50       | 0            | 1,60,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 1,60,00,000    |
|                                   |                  | D/98/13-14  | 6,90,00,000    | 50       | 0            | 6,90,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 6,90,00,000    |
|                                   | योग - 2702       |             | 5,08,50,00,000 |          | 0            | 5,08,50,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 5,08,50,00,000 |
| 2705 - कमान क्षेत्र विकास         | खण्ड- 1 भाग-1    | D/15/13-14  | 28,00,00,000   | 49       | 0            | 28,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 28,00,00,000   |
|                                   | योग - 2705       |             | 28,00,00,000   |          | 0            | 28,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 28,00,00,000   |
| 2711 - बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास | खण्ड- 1 भाग-1    | D/17/13-14  | 1,000          | 49       | 1,000        | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 1,000          |
|                                   |                  | D/18/13-14  | 1,000          | 49       | 1,000        | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 1,000          |
|                                   | योग - 2711       |             | 2,000          |          | 2,000        | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 2,000          |
| 2801 - बिजली                      | खण्ड- 1 भाग-1    | D/160/13-14 | 10,00,00,000   | 10       | 10,00,00,000 | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 10,00,00,000   |
|                                   |                  | D/161/13-14 | 5,00,00,000    | 10       | 5,00,00,000  | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 5,00,00,000    |
|                                   |                  | D/162/13-14 | 5,00,00,000    | 10       | 5,00,00,000  | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 5,00,00,000    |
|                                   |                  | D/163/13-14 | 10,00,00,000   | 10       | 10,00,00,000 | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 10,00,00,000   |
|                                   | योग - 2801       |             | 30,00,00,000   |          | 30,00,00,000 | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 30,00,00,000   |
| 2810 - अपारंपरिक उर्जा स्रोत      | खण्ड- 1 भाग-1    | D/139/13-14 | 35,00,00,000   | 10       | 0            | 35,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 35,00,00,000   |
|                                   | योग - 2810       |             | 35,00,00,000   |          | 0            | 35,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 35,00,00,000   |
| 2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग       | खण्ड- 1 भाग-1    | D/51/13-14  | 14,00,00,000   | 23       | 0            | 14,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 14,00,00,000   |
|                                   |                  | D/59/13-14  | 3,00,00,000    | 23       | 0            | 3,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 3,00,00,000    |
|                                   |                  | D/150/13-14 | 7,00,00,000    | 23       | 0            | 7,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 7,00,00,000    |
|                                   | योग - 2851       |             | 24,00,00,000   |          | 0            | 24,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 24,00,00,000   |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                           | क्रमांक एवं वर्ष | राशि        | मांग सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना    | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग            |
|---------------------------------------|------------------|-------------|----------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 2852 - उद्योग                         | खण्ड- 1 भाग-1    | D/52/13-14  | 23       | 0            | 2,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 2,00,00,000    |
|                                       |                  | D/63/13-14  | 45       | 0            | 5,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 5,00,00,000    |
|                                       |                  | D/111/13-14 | 25       | 0            | 9,62,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 9,62,00,000    |
|                                       |                  | D/137/13-14 | 23       | 0            | 2,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,00,00,00,000 |
|                                       |                  | D/153/13-14 | 23       | 0            | 7,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 7,00,00,000    |
|                                       |                  | D/184/13-14 | 23       | 0            | 7,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 7,00,00,000    |
|                                       |                  | D/185/13-14 | 23       | 0            | 10,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 10,00,00,000   |
|                                       | योग - 2852       |             |          | 0            | 2,40,62,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,40,62,00,000 |
| 3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ          | खण्ड- 1 भाग-1    | D/16/13-14  | 49       | 1,000        | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 1,000          |
|                                       |                  | D/47/13-14  | 45       | 27,93,000    | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 27,93,000      |
|                                       |                  | D/112/13-14 | 09       | 25,000       | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 25,000         |
|                                       |                  | D/138/13-14 | 10       | 31,43,000    | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 31,43,000      |
|                                       |                  | D/209/13-14 | 16       | 3,00,000     | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 3,00,000       |
|                                       | योग - 3451       |             |          | 62,62,000    | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 62,62,000      |
| 3452 - पर्यटन                         | खण्ड- 1 भाग-1    | D/213/13-14 | 46       | 88,77,000    | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 88,77,000      |
|                                       |                  | योग - 3452  |          |              | 88,77,000      | 0                       | 0                              | 0      | 88,77,000      |
| 3454 - जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | खण्ड- 1 भाग-1    | D/84/13-14  | 35       | 0            | 0              | 0                       | 3,000                          | 0      | 3,000          |
|                                       |                  | D/85/13-14  | 35       | 0            | 2,000          | 0                       | 0                              | 0      | 2,000          |
|                                       | योग - 3454       |             |          | 0            | 2,000          | 0                       | 3,000                          | 0      | 5,000          |
| 3456 - सिविल पूर्ति                   | खण्ड- 1 भाग-1    | D/87/13-14  | 18       | 6,00,000     | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 6,00,000       |
|                                       |                  | योग - 3456  |          |              | 6,00,000       | 0                       | 0                              | 0      | 6,00,000       |
| 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ     | खण्ड- 1 भाग-1    | D/53/13-14  | 01       | 1,93,000     | 0              | 0                       | 0                              | 0      | 1,93,000       |
|                                       |                  | D/243/13-14 | 01       | 0            | 0              | 2,00,00,000             | 0                              | 0      | 2,00,00,000    |
|                                       | योग - 3475       |             |          | 1,93,000     | 0              | 2,00,00,000             | 0                              | 0      | 2,01,93,000    |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                                          | क्रमांक एवं वर्ष |             | राशि           | मांग सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना    | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग            |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|----------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय       | खण्ड- 1 भाग-1    | D/110/13-14 | 99,00,000      | 38       | 0            | 99,00,000      | 0                       | 0                              | 0      | 99,00,000      |
|                                                      |                  | D/149/13-14 | 2,00,00,00,000 | 40       | 0            | 2,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,00,00,00,000 |
|                                                      | योग - 4047       |             | 2,00,99,00,000 |          | 0            | 2,00,99,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,00,99,00,000 |
| 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय          | खण्ड- 1 भाग-1    | D/92/13-14  | 87,78,06,000   | 03       | 0            | 87,78,06,000   | 0                       | 0                              | 0      | 87,78,06,000   |
|                                                      |                  | D/117/13-14 | 8,50,00,000    | 03       | 0            | 8,50,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 8,50,00,000    |
|                                                      |                  | D/118/13-14 | 5,00,00,000    | 03       | 0            | 5,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 5,00,00,000    |
|                                                      |                  | D/145/13-14 | 12,24,00,000   | 03       | 0            | 0              | 0                       | 12,24,00,000                   | 0      | 12,24,00,000   |
|                                                      |                  | D/148/13-14 | 3,05,00,000    | 03       | 0            | 3,05,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 3,05,00,000    |
|                                                      |                  | D/181/13-14 | 5,00,00,000    | 03       | 0            | 5,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 5,00,00,000    |
|                                                      | योग - 4059       |             | 1,21,57,06,000 |          | 0            | 1,09,33,06,000 | 0                       | 12,24,00,000                   | 0      | 1,21,57,06,000 |
| 4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय      | खण्ड- 1 भाग-1    | D/24/13-14  | 8,60,00,00,000 | 35       | 0            | 8,60,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 8,60,00,00,000 |
|                                                      | योग - 4070       |             | 8,60,00,00,000 |          | 0            | 8,60,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 8,60,00,00,000 |
| 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत   | खण्ड- 1 भाग-1    | D/75/13-14  | 75,00,00,000   | 21       | 0            | 75,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 75,00,00,000   |
|                                                      |                  | D/80/13-14  | 5,00,00,00,000 | 21       | 0            | 5,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 5,00,00,00,000 |
|                                                      | योग - 4202       |             | 5,75,00,00,000 |          | 0            | 5,75,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 5,75,00,00,000 |
| 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय | खण्ड- 1 भाग-1    | D/127/13-14 | 80,00,000      | 20       | 0            | 80,00,000      | 0                       | 0                              | 0      | 80,00,000      |
|                                                      |                  | D/128/13-14 | 20,00,000      | 20       | 0            | 20,00,000      | 0                       | 0                              | 0      | 20,00,000      |
|                                                      |                  | D/129/13-14 | 1,75,00,00,000 | 20       | 0            | 1,75,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 1,75,00,00,000 |
|                                                      |                  | D/130/13-14 | 75,00,00,000   | 20       | 0            | 75,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 75,00,00,000   |
|                                                      |                  | D/131/13-14 | 24,00,00,000   | 20       | 0            | 24,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 24,00,00,000   |
|                                                      |                  | D/132/13-14 | 25,00,00,000   | 20       | 0            | 25,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 25,00,00,000   |
|                                                      | योग - 4210       |             | 3,00,00,00,000 |          | 0            | 3,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 3,00,00,00,000 |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                                            | क्रमांक एवं वर्ष |             | राशि           | मांग सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना    | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग            |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|----------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 4215 - जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय           | खण्ड- 1 भाग-1    | D/187/13-14 | 55,30,00,000   | 36       | 0            | 55,30,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 55,30,00,000   |
|                                                        |                  | D/188/13-14 | 14,00,00,000   | 36       | 0            | 14,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 14,00,00,000   |
|                                                        |                  | D/189/13-14 | 70,00,000      | 36       | 0            | 70,00,000      | 0                       | 0                              | 0      | 70,00,000      |
|                                                        | योग - 4215       |             | 70,00,00,000   |          | 0            | 70,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 70,00,00,000   |
| 4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय                         | खण्ड- 1 भाग-1    | D/91/13-14  | 12,21,94,000   | 03       | 0            | 12,21,94,000   | 0                       | 0                              | 0      | 12,21,94,000   |
|                                                        |                  | D/146/13-14 | 3,00,00,000    | 03       | 0            | 0              | 0                       | 3,00,00,000                    | 0      | 3,00,00,000    |
|                                                        |                  | D/147/13-14 | 76,00,000      | 03       | 0            | 76,00,000      | 0                       | 0                              | 0      | 76,00,000      |
|                                                        | योग - 4216       |             | 15,97,94,000   |          | 0            | 12,97,94,000   | 0                       | 3,00,00,000                    | 0      | 15,97,94,000   |
| 4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा        | खण्ड- 1 भाग-1    | D/58/13-14  | 7,48,00,000    | 11       | 0            | 7,48,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 7,48,00,000    |
|                                                        |                  | D/61/13-14  | 20,00,00,000   | 44       | 0            | 20,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 20,00,00,000   |
|                                                        |                  | D/62/13-14  | 1,80,00,00,000 | 44       | 0            | 1,80,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 1,80,00,00,000 |
|                                                        | योग - 4225       |             | 2,07,48,00,000 |          | 0            | 2,07,48,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,07,48,00,000 |
| 4401 - फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय                | खण्ड- 1 भाग-1    | D/180/13-14 | 59,00,00,000   | 35       | 0            | 59,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 59,00,00,000   |
|                                                        | योग - 4401       |             | 59,00,00,000   |          | 0            | 59,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 59,00,00,000   |
| 4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय          | खण्ड- 1 भाग-1    | D/108/13-14 | 1,50,00,000    | 19       | 0            | 1,50,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 1,50,00,000    |
|                                                        | योग - 4406       |             | 1,50,00,000    |          | 0            | 1,50,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 1,50,00,000    |
| 4408 - खाद्य, भंडारण तथा भांडागार                      | खण्ड- 1 भाग-1    | D/88/13-14  | 2,00,00,00,000 | 03       | 0            | 2,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,00,00,00,000 |
|                                                        | योग - 4408       |             | 2,00,00,00,000 |          | 0            | 2,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,00,00,00,000 |
| 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | खण्ड- 1 भाग-1    | D/154/13-14 | 96,97,00,000   | 37       | 0            | 96,97,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 96,97,00,000   |
|                                                        |                  | D/155/13-14 | 4,00,00,00,000 | 37       | 0            | 4,00,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 4,00,00,00,000 |
|                                                        | योग - 4515       |             | 4,96,97,00,000 |          | 0            | 4,96,97,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 4,96,97,00,000 |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                            | क्रमांक एवं वर्ष | राशि        | मांग सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना    | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग            |
|----------------------------------------|------------------|-------------|----------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | खण्ड- 1 भाग-1    | D/32/13-14  | 49       | 0            | 40,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 40,00,00,000   |
|                                        |                  | D/33/13-14  | 49       | 0            | 14,50,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 14,50,00,000   |
|                                        |                  | D/34/13-14  | 49       | 0            | 61,27,70,000   | 0                       | 0                              | 0      | 61,27,70,000   |
|                                        |                  | D/35/13-14  | 49       | 0            | 62,20,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 62,20,00,000   |
|                                        |                  | D/42/13-14  | 49       | 0            | 11,20,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 11,20,00,000   |
|                                        |                  | D/43/13-14  | 49       | 0            | 1,62,45,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 1,62,45,00,000 |
|                                        |                  | D/44/13-14  | 49       | 0            | 1,48,46,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 1,48,46,00,000 |
|                                        |                  | D/45/13-14  | 49       | 0            | 23,19,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 23,19,00,000   |
|                                        |                  | D/46/13-14  | 49       | 0            | 2,43,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 2,43,00,000    |
|                                        | योग - 4700       |             |          | 0            | 5,25,70,70,000 | 0                       | 0                              | 0      | 5,25,70,70,000 |
| 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | खण्ड- 1 भाग-1    | D/36/13-14  | 49       | 0            | 33,22,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 33,22,00,000   |
|                                        |                  | D/37/13-14  | 49       | 0            | 14,71,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 14,71,00,000   |
|                                        |                  | D/38/13-14  | 49       | 0            | 13,79,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 13,79,00,000   |
|                                        |                  | D/39/13-14  | 49       | 0            | 8,52,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 8,52,00,000    |
|                                        |                  | D/40/13-14  | 49       | 0            | 14,40,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 14,40,00,000   |
|                                        |                  | D/41/13-14  | 49       | 0            | 3,09,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 3,09,00,000    |
|                                        | योग - 4701       |             |          | 0            | 87,73,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 87,73,00,000   |
| 4702 - लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय   | खण्ड- 1 भाग-1    | D/99/13-14  | 50       | 0            | 4,06,40,000    | 0                       | 0                              | 0      | 4,06,40,000    |
|                                        |                  | D/100/13-14 | 50       | 0            | 21,33,60,000   | 0                       | 0                              | 0      | 21,33,60,000   |
|                                        |                  | D/236/13-14 | 50       | 0            | 48,60,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 48,60,00,000   |
|                                        | योग - 4702       |             |          | 0            | 74,00,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 74,00,00,000   |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                                        | क्रमांक एवं वर्ष |             | राशि            | मांग सं० | आयोजना भिन्न | राज्य योजना     | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग             |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|
| 4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | खण्ड- 1 भाग-1    | D/25/13-14  | 30,00,00,000    | 49       | 0            | 30,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 30,00,00,000    |
|                                                    |                  | D/26/13-14  | 2,67,00,000     | 49       | 0            | 2,67,00,000     | 0                       | 0                              | 0      | 2,67,00,000     |
|                                                    |                  | D/27/13-14  | 27,36,50,000    | 49       | 0            | 27,36,50,000    | 0                       | 0                              | 0      | 27,36,50,000    |
|                                                    |                  | D/28/13-14  | 70,00,000       | 49       | 0            | 70,00,000       | 0                       | 0                              | 0      | 70,00,000       |
|                                                    |                  | D/29/13-14  | 67,25,50,000    | 49       | 0            | 67,25,50,000    | 0                       | 0                              | 0      | 67,25,50,000    |
|                                                    |                  | D/30/13-14  | 1,30,91,40,000  | 49       | 0            | 1,30,91,40,000  | 0                       | 0                              | 0      | 1,30,91,40,000  |
|                                                    |                  | D/31/13-14  | 12,29,90,000    | 49       | 0            | 12,29,90,000    | 0                       | 0                              | 0      | 12,29,90,000    |
|                                                    | योग - 4711       |             | 2,71,20,30,000  |          | 0            | 2,71,20,30,000  | 0                       | 0                              | 0      | 2,71,20,30,000  |
| 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय         | खण्ड- 1 भाग-1    | D/8/13-14   | 10,00,00,000    | 10       | 0            | 10,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 10,00,00,000    |
|                                                    |                  | D/9/13-14   | 25,00,00,000    | 10       | 0            | 25,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 25,00,00,000    |
|                                                    |                  | D/237/13-14 | 1,50,00,00,000  | 10       | 0            | 1,50,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0      | 1,50,00,00,000  |
|                                                    |                  | D/238/13-14 | 4,00,00,00,000  | 10       | 0            | 4,00,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0      | 4,00,00,00,000  |
|                                                    |                  | D/239/13-14 | 7,00,00,00,000  | 10       | 0            | 7,00,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0      | 7,00,00,00,000  |
|                                                    |                  | D/240/13-14 | 5,00,00,00,000  | 10       | 0            | 5,00,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0      | 5,00,00,00,000  |
|                                                    |                  | D/242/13-14 | 25,00,00,000    | 10       | 0            | 25,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0      | 25,00,00,000    |
|                                                    | योग - 4801       |             | 18,10,00,00,000 |          | 0            | 18,10,00,00,000 | 0                       | 0                              | 0      | 18,10,00,00,000 |
| 4885 - उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय | खण्ड- 1 भाग-1    | D/133/13-14 | 5,00,00,00,000  | 23       | 0            | 5,00,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0      | 5,00,00,00,000  |
|                                                    | योग - 4885       |             | 5,00,00,00,000  |          | 0            | 5,00,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0      | 5,00,00,00,000  |
| 5053 - नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय              | खण्ड- 1 भाग-1    | D/125/13-14 | 3,00,00,000     | 04       | 0            | 3,00,00,000     | 0                       | 0                              | 0      | 3,00,00,000     |
|                                                    | योग - 5053       |             | 3,00,00,000     |          | 0            | 3,00,00,000     | 0                       | 0                              | 0      | 3,00,00,000     |
| 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय        | खण्ड- 1 भाग-1    | D/49/13-14  | 3,00,00,00,000  | 41       | 0            | 3,00,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0      | 3,00,00,00,000  |
|                                                    |                  | D/50/13-14  | 4,00,00,00,000  | 41       | 0            | 4,00,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0      | 4,00,00,00,000  |
|                                                    | योग - 5054       |             | 7,00,00,00,000  |          | 0            | 7,00,00,00,000  | 0                       | 0                              | 0      | 7,00,00,00,000  |

## Part-1 DIV -1 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-1 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                               | क्रमांक एवं वर्ष |             | राशि              | मांग सं० | आयोजना भिन्न   | राज्य योजना       | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत      | योग               |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय          | खण्ड- 1 भाग-1    | D/182/13-14 | 2,44,71,000       | 03       | 0              | 2,44,71,000       | 0                       | 0                              | 0           | 2,44,71,000       |
|                                           |                  | D/211/13-14 | 24,60,00,000      | 46       | 0              | 24,60,00,000      | 0                       | 0                              | 0           | 24,60,00,000      |
|                                           |                  | D/212/13-14 | 2,39,46,000       | 46       | 0              | 0                 | 0                       | 2,39,46,000                    | 0           | 2,39,46,000       |
|                                           | योग - 5452       |             | 29,44,17,000      |          | 0              | 27,04,71,000      | 0                       | 2,39,46,000                    | 0           | 29,44,17,000      |
| 6004 - केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | खण्ड- 1 भाग-1    | D/2/13-14   | 3,75,000          | 14       | 0              | 0                 | 0                       | 0                              | 3,75,000    | 3,75,000          |
|                                           | योग - 6004       |             | 3,75,000          |          | 0              | 0                 | 0                       | 0                              | 3,75,000    | 3,75,000          |
| 6801 - बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज       | खण्ड- 1 भाग-1    | D/4/13-14   | 25,00,00,000      | 10       | 0              | 25,00,00,000      | 0                       | 0                              | 0           | 25,00,00,000      |
|                                           |                  | D/5/13-14   | 15,00,00,000      | 10       | 0              | 15,00,00,000      | 0                       | 0                              | 0           | 15,00,00,000      |
|                                           |                  | D/6/13-14   | 85,00,00,000      | 10       | 0              | 85,00,00,000      | 0                       | 0                              | 0           | 85,00,00,000      |
|                                           |                  | D/7/13-14   | 80,00,00,000      | 10       | 0              | 80,00,00,000      | 0                       | 0                              | 0           | 80,00,00,000      |
|                                           |                  | D/156/13-14 | 19,50,00,000      | 10       | 19,50,00,000   | 0                 | 0                       | 0                              | 0           | 19,50,00,000      |
|                                           |                  | D/157/13-14 | 18,51,73,000      | 10       | 18,51,73,000   | 0                 | 0                       | 0                              | 0           | 18,51,73,000      |
|                                           |                  | D/158/13-14 | 9,53,46,000       | 10       | 9,53,46,000    | 0                 | 0                       | 0                              | 0           | 9,53,46,000       |
|                                           |                  | D/159/13-14 | 9,00,00,000       | 10       | 9,00,00,000    | 0                 | 0                       | 0                              | 0           | 9,00,00,000       |
|                                           | योग - 6801       |             | 2,61,55,19,000    |          | 56,55,19,000   | 2,05,00,00,000    | 0                       | 0                              | 0           | 2,61,55,19,000    |
| महायोग -                                  |                  |             | 1,10,31,96,15,000 |          | 1,25,57,63,000 | 1,08,56,17,03,000 | 7,86,00,000             | 40,34,78,000                   | 2,00,71,000 | 1,10,31,96,15,000 |

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                                               |             |           |                       |                             |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                                         |             |           |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                         | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                            | आवर्तक      | अनावर्तक  |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                          | 2           | 3         | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं0- 32</b>                                                                                                                        |             |           |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2011 - संसद/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र विधानमंडल<br>02 - राज्य /संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल<br>101 - विधान सभा<br>0004 - सचेतकगण | रूपये में   | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                          |             |           |                       |                             |                             |                           |
| 1101 यात्रा व्यय                                                                                                                           | 0           | 2,00,000  | 0                     | 0                           | 2,00,000                    | 2,00,000                  |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                              | 0           | 2,00,000  | 0                     | 0                           | 2,00,000                    | 2,00,000                  |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>N2011021010004</b>                                                                                                   |             |           |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

यात्रा व्यय मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

14D

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                                               |             |           |                       |                             |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                                         |             |           |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                         | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                            | आवर्तक      | अनावर्तक  |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                          | 2           | 3         | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं0- 32</b>                                                                                                                        |             |           |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2011 - संसद/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र विधानमंडल<br>02 - राज्य /संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल<br>101 - विधान सभा<br>0005 - सदस्यगण | रूपये में   | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                          |             |           |                       |                             |                             |                           |
| 5201 मशीनें एवं उपस्कर                                                                                                                     | 0           | 21,50,000 | 50,000                | 50,000                      | 21,50,000                   | 21,00,000                 |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                              | 0           | 21,50,000 | 50,000                | 50,000                      | 21,50,000                   | 21,00,000                 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>N2011021010005</b>                                                                                                   |             |           |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

मशीनें एवं उपस्कर मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

13D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                  |             |             |           |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                            |             |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                            | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                               | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                             | 2           | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 04</b>                                                           |             |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2013 - मंत्रिपरिषद<br>00 -<br>800 - अन्य व्यय<br>0001 - मंत्रिगण |             |             |           |                |                |              |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                             | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 1304 विद्युत प्रभार                                                           | 0           | 1,41,88,000 | 22,00,000 | 22,00,000      | 1,41,88,000    | 1,19,88,000  |
| <u>योग-</u>                                                                   | 0           | 1,41,88,000 | 22,00,000 | 22,00,000      | 1,41,88,000    | 1,19,88,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>N2013008000001</b>                                      |             |             |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

माननीय मंत्रियों को आवंटित सरकारी आवास, कार्यालय से संबंधित विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

241D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                         |                | Non Plan  |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                          |                |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                   | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                      | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                    | 2              | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 40                                                                                         |                |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2014 - न्याय प्रशासन<br>00 -<br>106 - लघु वाद न्यायालय<br>0003 - बिहार भूमि न्यायाधिकरण | रूपये में      | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| विषय शीर्ष                                                                                           |                |           |           |                |                |              |
| 0101 वेतन                                                                                            | 33,51,000      | 0         | 26,16,000 | 26,16,000      | 33,51,000      | 7,35,000     |
| 0103 जीवन यापन भत्ता                                                                                 | 28,73,000      | 0         | 22,24,000 | 22,24,000      | 28,73,000      | 6,49,000     |
| 0107 अन्य भत्ता                                                                                      | 2,45,000       | 0         | 2,16,000  | 2,16,000       | 2,45,000       | 29,000       |
| 0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति                                                                            | 5,00,000       | 0         | 0         | 0              | 5,00,000       | 5,00,000     |
| 1101 यात्रा व्यय                                                                                     | 6,50,000       | 0         | 4,50,000  | 4,50,000       | 6,50,000       | 2,00,000     |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                                   | 35,00,000      | 0         | 5,00,000  | 5,00,000       | 35,00,000      | 30,00,000    |
| 1302 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव                                                                        | 40,00,000      | 0         | 4,50,000  | 4,50,000       | 40,00,000      | 35,50,000    |
| 1303 दूरभाष                                                                                          | 3,00,000       | 0         | 60,000    | 60,000         | 3,00,000       | 2,40,000     |
| 1304 विद्युत प्रभार                                                                                  | 5,50,000       | 0         | 3,00,000  | 3,00,000       | 5,50,000       | 2,50,000     |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                     | 18,10,000      | 0         | 0         | 0              | 18,10,000      | 18,10,000    |
| योग-                                                                                                 | 1,77,79,000    | 0         | 68,16,000 | 68,16,000      | 1,77,79,000    | 1,09,63,000  |
| विपत्र कोड-                                                                                          | N2014001060003 |           |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

बिहार भूमि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों एवं पदाधिकारी तथा अन्य कर्मियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं मद में राशि की आवश्यकता है एवं वेतन, जीवन यापन भत्ता, अन्य भत्ता, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय वाहन का ईंधन एवं रखरखाव, दूरभाष एवं विद्युत प्रभार मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

192D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                     |                       |           |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                               |                       |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                               | चरम परिव्यय           |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                  | आवर्तक                | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                | 2                     | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 27</b>                                                              |                       |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2014 - न्याय प्रशासन<br>00 -<br>800 - अन्य व्यय<br>0006 - विधि आयोग |                       |           |           |                |                |              |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                | रूपये में             | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                              | 0                     | 6,000     | 0         | 0              | 6,000          | 6,000        |
| <u>योग-</u>                                                                      | 0                     | 6,000     | 0         | 0              | 6,000          | 6,000        |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                               | <b>N2014008000006</b> |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

विधि आयोग में प्रशिक्षण व्यय मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

119D

| <b>केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना Central Sponsored Plan Scheme</b>                                                             |                       |              |             |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                              |                       |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                              | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                 | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                               | 2                     | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 40</b>                                                                                                             |                       |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2029 - भू राजस्व<br>00 -<br>103 - भूअभिलेख<br>0602 - राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण एवं भूअभिलेखों का अद्यतीकरण योजना |                       |              |             |                |                |              |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                               | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                | 0                     | 19,33,47,000 | 3,66,00,000 | 3,66,00,000    | 19,33,47,000   | 15,67,47,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                     | 0                     | 19,33,47,000 | 3,66,00,000 | 3,66,00,000    | 19,33,47,000   | 15,67,47,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                              | <b>C2029001030602</b> |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

एन०एल०आर०एम०पी० के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवायें के अदायगियां मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

152D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                     |                | Non Plan  |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                                                      |                |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                               | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                  | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                | 2              | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 10                                                                                                                                                     |                |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2045 - वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क<br>00 -<br>103 - संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क<br>0001 - विद्युत निरीक्षणालय<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में      | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                                 | 0              | 2,76,000  | 0         | 0              | 2,76,000       | 2,76,000     |
| 5201 - मशीनें एवं उपस्कर                                                                                                                                         | 0              | 1,01,000  | 0         | 0              | 1,01,000       | 1,01,000     |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                      | 0              | 3,77,000  | 0         | 0              | 3,77,000       | 3,77,000     |
| <u>विपन्न कोड-</u>                                                                                                                                               | N2045001030001 |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें, मशीनें एवं उपस्कर मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                          |             |           |                       |                             |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                    |             |           |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                    | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                       | आवर्तक      | अनावर्तक  |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                     | 2           | 3         | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 04</b>                                                                   |             |           |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएँ<br>00 -<br>090 - सचिवालय<br>0016 - राजभाषा | रूपये में   | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                     |             |           |                       |                             |                             |                           |
| 1101 यात्रा व्यय                                                                      | 0           | 1,77,000  | 77,000                | 77,000                      | 1,77,000                    | 1,00,000                  |
| <b>योग-</b>                                                                           | 0           | 1,77,000  | 77,000                | 77,000                      | 1,77,000                    | 1,00,000                  |
| <b>विपत्र कोड- N2052000900016</b>                                                     |             |           |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

यात्रा व्यय मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

141D

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                              |             |           |                       |                             |                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                        |             |           |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                        | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                           | आवर्तक      | अनावर्तक  |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                         | 2           | 3         | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 40</b>                                                                                       |             |           |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएँ<br>00 -<br>090 - सचिवालय<br>0017 - राजस्व एवं भूमि-सुधार विभाग | रूपये में   | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                         |             |           |                       |                             |                             |                           |
| 1305 विधि प्रभार                                                                                          | 0           | 30,000    | 0                     | 0                           | 30,000                      | 30,000                    |
| <b>योग-</b>                                                                                               | 0           | 30,000    | 0                     | 0                           | 30,000                      | 30,000                    |
| <b>विपत्र कोड- N2052000900017</b>                                                                         |             |           |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

अधिवक्ताओं के निर्धारित शुल्क की राशि भुगतान हेतु विधि प्रभार मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

109D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                       |             |           |           |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                 |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                 | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                    | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                  | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 40</b>                                                                                                |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएँ<br>00 -<br>092 - अन्य कार्यालय<br>0004 - भू-अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                  |             |           |           |                |                |              |
| 1101 यात्रा व्यय                                                                                                   | 0           | 1,70,000  | 20,000    | 20,000         | 1,70,000       | 1,50,000     |
| 1306 - वर्दी/पोशाक                                                                                                 | 0           | 46,000    | 6,000     | 6,000          | 46,000         | 40,000       |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                                                | 0           | 10,000    | 0         | 0              | 10,000         | 10,000       |
| <b>योग-</b>                                                                                                        | 0           | 2,26,000  | 26,000    | 26,000         | 2,26,000       | 2,00,000     |
| <b>विपत्र कोड- N2052000920004</b>                                                                                  |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

भू अर्जन संबंधी स्थापना पर व्यय हेतु यात्रा व्यय, वर्दी पोशाक एवं प्रशिक्षण व्यय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

144D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                         |             |           |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                   |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                   | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                      | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                    | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 22</b>                                                  |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2056 - जेल<br>00 -<br>101 - जेल<br>0006 - मुक्त कारागार | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                    |             |           |           |                |                |              |
| 0101 वेतन                                                            | 2,02,000    | 0         | 0         | 0              | 2,02,000       | 2,02,000     |
| 0103 - जीवन यापन भत्ता                                               | 1,62,000    | 0         | 0         | 0              | 1,62,000       | 1,62,000     |
| 0106 चिकित्सा भत्ता                                                  | 24,000      | 0         | 0         | 0              | 24,000         | 24,000       |
| 0107 अन्य भत्ता                                                      | 5,000       | 0         | 0         | 0              | 5,000          | 5,000        |
| 1101 यात्रा व्यय                                                     | 5,000       | 0         | 0         | 0              | 5,000          | 5,000        |
| <b>योग-</b>                                                          | 3,98,000    | 0         | 0         | 0              | 3,98,000       | 3,98,000     |
| <b>विपत्र कोड- N2056001010006</b>                                    |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

वेतनादि एवं यात्रा व्यय मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

190D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                         |             |             |                       |                             |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                               |             |             |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                               | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                  | आवर्तक      | अनावर्तक    |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                | 2           | 3           | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 03</b>                                                                                                                              |             |             |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2059 - लोक निर्माण कार्य<br>01 - कार्यालय भवन<br>053 - रखरखाव तथा मरम्मत<br>0122 - लघु जलसंसाधन विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                |             |             |                       |                             |                             |                           |
| 2702 अनुरक्षण एवं मरम्मत                                                                                                                         | 0           | 4,87,00,000 | 2,54,00,000           | 2,54,00,000                 | 4,87,00,000                 | 2,33,00,000               |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                      | 0           | 4,87,00,000 | 2,54,00,000           | 2,54,00,000                 | 4,87,00,000                 | 2,33,00,000               |
| <b>विपत्र कोड- P2059010530122</b>                                                                                                                |             |             |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

लघु जल संसाधन विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण हेतु अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

94D

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                                        |             |           |                       |                             |                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                  |             |           |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                  | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                     | आवर्तक      | अनावर्तक  |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                   | 2           | 3         | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 03</b>                                                                                 |             |           |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2059 - लोक निर्माण कार्य<br>80 - सामान्य<br>001 - निदेशन और प्रशासन<br>0001 - निर्देशन | रूपये में   | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                   |             |           |                       |                             |                             |                           |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                                 | 0           | 1,000     | 0                     | 0                           | 1,000                       | 1,000                     |
| <b>योग-</b>                                                                                         | 0           | 1,000     | 0                     | 0                           | 1,000                       | 1,000                     |
| <b>विपत्र कोड- N2059800010001</b>                                                                   |             |           |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्रशिक्षण व्यय मद में टोकन मनी के रूप में राशि की आवश्यकता है एवं शेष राशि पुनर्विनियोग के माध्यम से कराई जायेगी । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

93D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना                                                                                      |                | Central Sponsored Plan Scheme |           |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                         |                |                               |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                  | चरम परिव्यय    |                               | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                     | आवर्तक         | अनावर्तक                      | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                   | 2              | 3                             | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 39                                                                                                        |                |                               |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ<br>00 -<br>106 - सिविल रक्षा<br>0608 - नागरिक सुरक्षा संगठन के सम्बर्द्धन |                |                               |           |                |                |              |
| विषय शीर्ष                                                                                                          | रूपये में      | रूपये में                     | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2101 सामग्री एवं पूर्तियां                                                                                          | 0              | 1,03,82,000                   | 0         | 0              | 1,03,82,000    | 1,03,82,000  |
| योग-                                                                                                                | 0              | 1,03,82,000                   | 0         | 0              | 1,03,82,000    | 1,03,82,000  |
| विपत्र कोड-                                                                                                         | C2070001060608 |                               |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

नागरिक सुरक्षा संगठन के सम्बर्द्धन हेतु सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

183D

| केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना                                                                                                        |                | Central Sponsored Plan Scheme |           |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                           |                |                               |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                    | चरम परिव्यय    |                               | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                       | आवर्तक         | अनावर्तक                      | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                     | 2              | 3                             | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 22                                                                                                                          |                |                               |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ<br>00 -<br>108 - अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण<br>0604 - अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं के सुदृढीकरण | रूपये में      | रूपये में                     | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                     |                |                               |           |                |                |              |
| 5201 मशीनें एवं उपस्कर                                                                                                                | 0              | 6,00,00,000                   | 0         | 0              | 6,00,00,000    | 6,00,00,000  |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                         | 0              | 6,00,00,000                   | 0         | 0              | 6,00,00,000    | 6,00,00,000  |
| विपत्र कोड-                                                                                                                           | C2070001080604 |                               |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु मशीनें एवं उपस्कर मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

134D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                             |                       |             |                       |                             |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                   |                       |             |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                   | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                      | आवर्तक                | अनावर्तक    |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                    | 2                     | 3           | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं0- 21</b>                                                                                                                  |                       |             |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2202 - सामान्य शिक्षा<br>01 - प्रारंभिक शिक्षा<br>001 - निदेशन और प्रशासन<br>0106 - जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                    |                       |             |                       |                             |                             |                           |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                     | 0                     | 5,00,00,000 | 0                     | 0                           | 5,00,00,000                 | 5,00,00,000               |
| <b>- योग-</b>                                                                                                                        | 0                     | 5,00,00,000 | 0                     | 0                           | 5,00,00,000                 | 5,00,00,000               |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                   | <b>P2202010010106</b> |             |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

जिला शिक्षक के नियोजन अपीलीय हेतु व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

164D

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                                     |                       |           |                       |                             |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                               |                       |           |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                               | चरम परिव्यय           |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                  | आवर्तक                | अनावर्तक  |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                | 2                     | 3         | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं0- 21</b>                                                                              |                       |           |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2202 - सामान्य शिक्षा<br>01 - प्रारंभिक शिक्षा<br>104 - निरीक्षण<br>0001 - निरीक्षण | रूपये में             | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                |                       |           |                       |                             |                             |                           |
| 2101 सामग्री एवं पूर्तियाँ                                                                       | 0                     | 1,000     | 0                     | 0                           | 1,000                       | 1,000                     |
| <b>- योग-</b>                                                                                    | 0                     | 1,000     | 0                     | 0                           | 1,000                       | 1,000                     |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                               | <b>N2202011040001</b> |           |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में टोकन मनी के रूप में राशि की आवश्यकता है एवं शेष राशि पुनर्विनियोग द्वारा उपबंधित कराई जायेगी। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

76D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                             |                       |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                   |                       |                |                |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                   | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                      | आवर्तक                | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                    | 2                     | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं0- 21</b>                                                                                                                  |                       |                |                |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 2202 - सामान्य शिक्षा<br>01 - प्रारंभिक शिक्षा<br>109 - छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन<br>0101 - मुख्यमंत्री पोशाक योजना |                       |                |                |                |                |                |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                    | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| 2101 सामग्री एवं पूर्तियां                                                                                                           | 0                     | 3,75,82,80,000 | 1,00,82,80,000 | 1,00,82,80,000 | 3,75,82,80,000 | 2,75,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                          | 0                     | 3,75,82,80,000 | 1,00,82,80,000 | 1,00,82,80,000 | 3,75,82,80,000 | 2,75,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                   | <b>P2202011090101</b> |                |                |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

मुख्यमंत्री पोशाक योजना हेतु सामग्री एवं पूर्तियां मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

77D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                    |                       |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                          |                       |                |                |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                          | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                             | आवर्तक                | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                           | 2                     | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं0- 21</b>                                                                                                                         |                       |                |                |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 2202 - सामान्य शिक्षा<br>01 - प्रारंभिक शिक्षा<br>109 - छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन<br>0102 - मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना |                       |                |                |                |                |                |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                           | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| 2101 सामग्री एवं पूर्तियां                                                                                                                  | 0                     | 2,25,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 2,25,00,00,000 | 1,25,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                 | 0                     | 2,25,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 2,25,00,00,000 | 1,25,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                          | <b>P2202011090102</b> |                |                |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

मुख्य मंत्री बालिका पोशाक योजना हेतु सामग्री एवं पूर्तियां मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

78D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                  |             |              |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                        |             |              |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                        | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                           | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                         | 2           | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 21</b>                                                                                                                                       |             |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2202 - सामान्य शिक्षा<br>03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा<br>102 - विश्वविद्यालयों को सहायता<br>0115 - राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                         |             |              |           |                |                |              |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                                | 0           | 25,00,00,000 | 0         | 0              | 25,00,00,000   | 25,00,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                               | 0           | 25,00,00,000 | 0         | 0              | 25,00,00,000   | 25,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड- P2202031020115</b>                                                                                                                         |             |              |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास हेतु सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

244D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                               |             |              |             |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                     |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                     | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                        | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                      | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 08</b>                                                                                                    |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2205 - कला एवं संस्कृति<br>00 -<br>102 - कला एवं संस्कृति का संवर्धन<br>0101 - कला और संस्कृति का संवर्धन | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                      |             |              |             |                |                |              |
| 2002 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार                                                                                     | 0           | 10,60,00,000 | 4,60,00,000 | 4,60,00,000    | 10,60,00,000   | 6,00,00,000  |
| <b>योग-</b>                                                                                                            | 0           | 10,60,00,000 | 4,60,00,000 | 4,60,00,000    | 10,60,00,000   | 6,00,00,000  |
| <b>विपत्र कोड- P2205001020101</b>                                                                                      |             |              |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

बिहार कला द्विवार्षिकी योजना हेतु कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

116D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                           |             |             |                       |                             |                             |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                 |             |             |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                 | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                    | आवर्तक      | अनावर्तक    |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                  | 2           | 3           | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 08</b>                                                                                |             |             |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2205 - कला एवं संस्कृति<br>00 -<br>103 - पुरातत्व विज्ञान<br>0101 - पुरातत्व निदेशालय |             |             |                       |                             |                             |                           |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                  | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 2702 अनुरक्षण एवं मरम्मत                                                                           | 0           | 5,52,00,000 | 2,52,00,000           | 2,52,00,000                 | 5,52,00,000                 | 3,00,00,000               |
| <u>योग-</u>                                                                                        | 0           | 5,52,00,000 | 2,52,00,000           | 2,52,00,000                 | 5,52,00,000                 | 3,00,00,000               |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2205001030101</b>                                                           |             |             |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पुरातात्विक स्थलों के विकास हेतु अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

115D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                        |             |           |                       |                             |                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                              |             |           |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                              | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                 | आवर्तक      | अनावर्तक  |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                               | 2           | 3         | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 04</b>                                                                                             |             |           |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2205 - कला एवं संस्कृति<br>00 -<br>104 - अभिलेखागार<br>0102 - अभिलेखागार के संरक्षण एवं आधुनिकीकरण |             |           |                       |                             |                             |                           |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                               | रूपये में   | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 2002 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार                                                                              | 0           | 1,000     | 0                     | 0                           | 1,000                       | 1,000                     |
| <u>योग-</u>                                                                                                     | 0           | 1,000     | 0                     | 0                           | 1,000                       | 1,000                     |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2205001040102</b>                                                                        |             |           |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

अभिलेखागार के संरक्षण एवं आधुनिकीकरण हेतु कॉन्फरेंस, कार्यशाला एवं सेमिनार मद में टोकन मनी के रूप में राशि की आवश्यकता है एवं शेष राशि पुनर्विनियोग द्वारा उपबंधित कराई जायेगी। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

140D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                              |                       | State Plan   |             |                      |                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                       | मतदेय        |             | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                  | चरम परिव्यय           | आय-व्ययक     |             | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                     |                       | आवर्तक       | अनावर्तक    |                      |                                |                           |
| 1                                                                                   | 2                     | 3            | 4           | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 08</b>                                                                 |                       |              |             |                      |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2205 - कला एवं संस्कृति<br>00 -<br>107 - संग्रहालय<br>0101 - संग्रहालय |                       |              |             |                      |                                |                           |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                   | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| 2702 अनुरक्षण एवं मरम्मत                                                            | 0                     | 7,42,80,000  | 6,42,80,000 | 6,42,80,000          | 7,42,80,000                    | 1,00,00,000               |
| 2801 - व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                  | 0                     | 7,60,00,000  | 2,60,00,000 | 2,60,00,000          | 7,60,00,000                    | 5,00,00,000               |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                  | 0                     | 1,60,00,000  | 10,00,000   | 10,00,000            | 1,60,00,000                    | 1,50,00,000               |
| <u>योग-</u>                                                                         | 0                     | 16,62,80,000 | 9,12,80,000 | 9,12,80,000          | 16,62,80,000                   | 7,50,00,000               |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                  | <b>P2205001070101</b> |              |             |                      |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बिहार संग्रहालय निर्माण हेतु विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

114D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                    |                | Non Plan  |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                                                     |                |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                              | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                 | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                               | 2              | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 20                                                                                                                                                    |                |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>05 - चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान<br>103 - यूनानी<br>0001 - तिब्बी कॉलेज<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में      | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 1401 किराया महसूल एवं कर                                                                                                                                        | 0              | 10,69,000 | 6,00,000  | 6,00,000       | 10,69,000      | 4,69,000     |
| 3401 छात्रवृत्ति/वजीफा                                                                                                                                          | 0              | 29,40,000 | 2,00,000  | 2,00,000       | 29,40,000      | 27,40,000    |
| योग-                                                                                                                                                            | 0              | 40,09,000 | 8,00,000  | 8,00,000       | 40,09,000      | 32,09,000    |
| विपत्र कोड-                                                                                                                                                     | N2210051030001 |           |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

तिब्बती कॉलेज हेतु किराया महसूल एवं कर तथा छात्रवृत्ति वजीफा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

143D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                           |             | Non Plan    |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                        |             | मतदेय       |           | Voted          |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                     | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                        | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                      | 2           | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 20</b>                                                                                                    |             |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>06 - लोक स्वास्थ्य<br>003 - प्रशिक्षण<br>0002 - जनस्वास्थ्य संस्थापन | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                      |             |             |           |                |                |              |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                                                     | 0           | 60,50,000   | 2,50,000  | 2,50,000       | 60,50,000      | 58,00,000    |
| 2101 - सामग्री एवं पूर्तियां                                                                                           | 0           | 1,24,50,000 | 1,00,000  | 1,00,000       | 1,24,50,000    | 1,23,50,000  |
| 5201 मशीनें एवं उपस्कर                                                                                                 | 0           | 2,99,27,000 | 2,77,000  | 2,77,000       | 2,99,27,000    | 2,96,50,000  |
| <u>योग-</u>                                                                                                            | 0           | 4,84,27,000 | 6,27,000  | 6,27,000       | 4,84,27,000    | 4,78,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u> N2210060030002                                                                                      |             |             |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

जन स्वास्थ्य संस्थापन हेतु स्थापनादि मदों में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

210D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                     |             |              |              |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                           |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                           | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                              | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                            | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                                          |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई<br>01 - जल पूर्ति<br>191 - नगर निगम को सहायता<br>0101 - पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                                                   | 0           | 42,60,00,000 | 30,00,00,000 | 30,00,00,000   | 42,60,00,000   | 12,60,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                  | 0           | 42,60,00,000 | 30,00,00,000 | 30,00,00,000   | 42,60,00,000   | 12,60,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2215011910101</b>                                                                                                                                     |             |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

214D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                        |                       |              |              |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                              |                       |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                              | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                 | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                               | 2                     | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                             |                       |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई<br>01 - जल पूर्ति<br>192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता<br>0101 - पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                               |                       |              |              |                |                |              |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के - निर्माण                                                                                                                    | 0                     | 97,80,00,000 | 60,00,00,000 | 60,00,00,000   | 97,80,00,000   | 37,80,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                     | 0                     | 97,80,00,000 | 60,00,00,000 | 60,00,00,000   | 97,80,00,000   | 37,80,00,000 |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                                                                              | <b>P2215011920101</b> |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

217D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                   |             |              |              |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                         |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                         | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                            | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                                                                                        |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई<br>01 - जल पूर्ति<br>193 - नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता<br>0101 - पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के - निर्माण                                                                                                                                                                               | 0           | 36,00,00,000 | 23,40,00,000 | 23,40,00,000   | 36,00,00,000   | 12,60,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                | 0           | 36,00,00,000 | 23,40,00,000 | 23,40,00,000   | 36,00,00,000   | 12,60,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2215011930101</b>                                                                                                                                                                                   |             |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायत हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

220D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                         |             |             |             |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                               |             |             |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                               | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                  | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                | 2           | 3           | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                                                              |             |             |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई<br>01 - जल पूर्ति<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0101 - पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के - अलावा                                                                                                                                                             | 0           | 9,09,00,000 | 6,84,00,000 | 6,84,00,000    | 9,09,00,000    | 2,25,00,000  |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                      | 0           | 9,09,00,000 | 6,84,00,000 | 6,84,00,000    | 9,09,00,000    | 2,25,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2215017890101</b>                                                                                                                                                         |             |             |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

215D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                            |             |              |             |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                  |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                  | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                     | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                   | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                                 |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई<br>01 - जल पूर्ति<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0102 - पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                            |             |              |             |                |                |              |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के - अलावा                                                                                                                                | 0           | 14,85,00,000 | 8,10,00,000 | 8,10,00,000    | 14,85,00,000   | 6,75,00,000  |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                                  | 0           | 14,85,00,000 | 8,10,00,000 | 8,10,00,000    | 14,85,00,000   | 6,75,00,000  |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u> <b>P2215017890102</b>                                                                                                                     |             |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

218D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                             |             |             |             |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                   |             |             |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                   | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                      | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                    | 2           | 3           | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                                  |             |             |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई<br>01 - जल पूर्ति<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0103 - पेयजलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                             |             |             |             |                |                |              |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के - अलावा                                                                                                                                 | 0           | 6,75,00,000 | 4,50,00,000 | 4,50,00,000    | 6,75,00,000    | 2,25,00,000  |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                                   | 0           | 6,75,00,000 | 4,50,00,000 | 4,50,00,000    | 6,75,00,000    | 2,25,00,000  |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u> <b>P2215017890103</b>                                                                                                                      |             |             |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पेयजलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

221D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                          |             |           |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                   | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                 | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                                               |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई<br>01 - जल पूर्ति<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना<br>0102 - पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                                                        | 0           | 91,00,000 | 76,00,000 | 76,00,000      | 91,00,000      | 15,00,000    |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                       | 0           | 91,00,000 | 76,00,000 | 76,00,000      | 91,00,000      | 15,00,000    |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2215017960102</b>                                                                                                                                          |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

216D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                               |                       | State Plan  |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                      |                       | मतदेय       |           | Voted          |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                   | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                      | आवर्तक                | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                    | 2                     | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                  |                       |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई<br>01 - जल पूर्ति<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना<br>0103 - पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                             |                       |             |           |                |                |              |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                           | 0                     | 1,35,00,000 | 90,00,000 | 90,00,000      | 1,35,00,000    | 45,00,000    |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                   | 0                     | 1,35,00,000 | 90,00,000 | 90,00,000      | 1,35,00,000    | 45,00,000    |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                            | <b>P2215017960103</b> |             |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

219D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                              |                       |           |           |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                    |                       |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                    | चरम परिव्यय           |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                       | आवर्तक                | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                     | 2                     | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                   |                       |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई<br>01 - जल पूर्ति<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना<br>0104 - पेयजलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान | रूपये में             | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                              |                       |           |           |                |                |              |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                            | 0                     | 65,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000      | 65,00,000      | 15,00,000    |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                    | 0                     | 65,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000      | 65,00,000      | 15,00,000    |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                             | <b>P2215017960104</b> |           |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

पेयजलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

222D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                        |                       |              |             |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                              |                       |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                              | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                 | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                               | 2                     | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                                                             |                       |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई<br>02 - मल-जल तथा सफाई<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0101 - नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                                                        |                       |              |             |                |                |              |
| 3105 - सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                                                                    | 0                     | 10,63,05,000 | 6,13,05,000 | 6,13,05,000    | 10,63,05,000   | 4,50,00,000  |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                                                              | 0                     | 10,63,05,000 | 6,13,05,000 | 6,13,05,000    | 10,63,05,000   | 4,50,00,000  |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                                                                       | <b>P2215027890101</b> |              |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

224D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                  |                       |             |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                        |                       |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                        | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                           | आवर्तक                | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2                     | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                                                                       |                       |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई<br>02 - मल-जल तथा सफाई<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना<br>0103 - नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3105 - सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                                                                              | 0                     | 1,20,00,000 | 40,87,000 | 40,87,000      | 70,87,000      | 30,00,000    |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                               | 0                     | 1,20,00,000 | 40,87,000 | 40,87,000      | 70,87,000      | 30,00,000    |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                                                                        | <b>P2215027960103</b> |             |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

225D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                          |                       |              |              |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                |                       |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                   | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                 | 2                     | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                               |                       |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई<br>02 - मल-जल तथा सफाई<br>800 - अन्य व्यय<br>0102 - नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों की सहायक अनुदान | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                          |                       |              |              |                |                |              |
| 3105 - सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                                      | 0                     | 59,53,08,000 | 34,33,08,000 | 34,33,08,000   | 59,53,08,000   | 25,20,00,000 |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                                | 0                     | 59,53,08,000 | 34,33,08,000 | 34,33,08,000   | 59,53,08,000   | 25,20,00,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                                         | <b>P2215028000102</b> |              |              |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

223D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                             |                       |              |             |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                   |                       |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                   | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                      | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                    | 2                     | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                  |                       |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2217 - शहरी विकास<br>01 - राज्य की राजधानी का विकास<br>191 - नगर निगम को सहायता<br>0109 - नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                             |                       |              |             |                |                |              |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                           | 0                     | 10,00,00,000 | 5,00,00,000 | 5,00,00,000    | 10,00,00,000   | 5,00,00,000  |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                   | 0                     | 10,00,00,000 | 5,00,00,000 | 5,00,00,000    | 10,00,00,000   | 5,00,00,000  |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                            | <b>P2217011910109</b> |              |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

228D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                  |             | State Plan   |              |                      |                                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                         |             | मतदेय        |              | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                      | चरम परिव्यय | आय-व्ययक     |              | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                         |             | आवर्तक       | अनावर्तक     |                      |                                |                           |
| 1                                                                                                                                       | 2           | 3            | 4            | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                     |             |              |              |                      |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2217 - शहरी विकास<br>01 - राज्य की राजधानी का विकास<br>191 - नगर निगम को सहायता<br>0116 - नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें |             |              |              |                      |                                |                           |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                       | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                              | 0           | 25,00,00,000 | 20,00,00,000 | 20,00,00,000         | 25,00,00,000                   | 5,00,00,000               |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                           | 0           | 25,00,00,000 | 20,00,00,000 | 20,00,00,000         | 25,00,00,000                   | 5,00,00,000               |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2217011910116</b>                                                                                                |             |              |              |                      |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

229D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |              |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                                           | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2217 - शहरी विकास<br>03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास<br>192 - नगर पालिकाओं-नगर परिषद को सहायता<br>0101 - नगर परिषदों को प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण-जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान<br><br><u><b>विषय शीर्ष</b></u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3105 - सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 30,00,00,000 | 10,00,00,000 | 10,00,00,000   | 30,00,00,000   | 20,00,00,000 |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 30,00,00,000 | 10,00,00,000 | 10,00,00,000   | 30,00,00,000   | 20,00,00,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u> <b>P2217031920101</b>                                                                                                                                                                                                              |             |              |              |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

नगर परिषदों को प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

226D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                                                                  |             | State Plan   |              |                      |                                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |             | मतदेय        |              | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                      | चरम परिव्यय | आय-व्ययक     |              | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                         |             | आवर्तक       | अनावर्तक     |                      |                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                       | 2           | 3            | 4            | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                                                     |             |              |              |                      |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2217 - शहरी विकास<br>03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास<br>192 - नगर पालिकाओं-नगर परिषद को सहायता<br>0105 - नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                       |             |              |              |                      |                                |                           |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के - निर्माण                                                                                                                                            | 0           | 20,00,00,000 | 15,00,00,000 | 15,00,00,000         | 20,00,00,000                   | 5,00,00,000               |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                             | 0           | 20,00,00,000 | 15,00,00,000 | 15,00,00,000         | 20,00,00,000                   | 5,00,00,000               |
| <b>विपत्र कोड- P2217031920105</b>                                                                                                                                                       |             |              |              |                      |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

230D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |              |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                                                                        | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2217 - शहरी विकास<br>03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास<br>193 - नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता<br>0101 - नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण-जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3105 - सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 40,00,00,000 | 10,00,00,000 | 10,00,00,000   | 40,00,00,000   | 30,00,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 40,00,00,000 | 10,00,00,000 | 10,00,00,000   | 40,00,00,000   | 30,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड- P2217031930101</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

227D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |              |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                                       | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2217 - शहरी विकास<br>03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास<br>193 - नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता<br>0103 - परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के - निर्माण                                                                                                                                                                                                             | 0           | 41,25,00,000 | 20,00,00,000 | 20,00,00,000   | 41,25,00,000   | 21,25,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 41,25,00,000 | 20,00,00,000 | 20,00,00,000   | 41,25,00,000   | 21,25,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2217031930103</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

232D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                   |             |              |              |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                         |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                         | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                            | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                                                                                        |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2217 - शहरी विकास<br>03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास<br>193 - नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता<br>0104 - नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |                |                |              |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के - निर्माण                                                                                                                                                                               | 0           | 15,00,00,000 | 10,00,00,000 | 10,00,00,000   | 15,00,00,000   | 5,00,00,000  |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                                | 0           | 15,00,00,000 | 10,00,00,000 | 10,00,00,000   | 15,00,00,000   | 5,00,00,000  |
| <b>विपत्र कोड- P2217031930104</b>                                                                                                                                                                                          |             |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

231D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                                                                              |             | State Plan   |             |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                     |             | मतदेय        |             | Voted          |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                  | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                     | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                   | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                                                                 |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2217 - शहरी विकास<br>03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0102 - परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                   |             |              |             |                |                |              |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के - निर्माण                                                                                                                                                        | 0           | 11,75,00,000 | 8,00,00,000 | 8,00,00,000    | 11,75,00,000   | 3,75,00,000  |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                         | 0           | 11,75,00,000 | 8,00,00,000 | 8,00,00,000    | 11,75,00,000   | 3,75,00,000  |
| <b>विपत्र कोड- P2217037890102</b>                                                                                                                                                                   |             |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों हेतु सहायक अनुदान मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

233D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                   |                | Non Plan    |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                    |                |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                             | चरम परिव्यय    |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                | आवर्तक         | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                              | 2              | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 48                                                                                                   |                |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2217 - शहरी विकास<br>80 - सामान्य<br>191 - नगर निगम को सहायता<br>0016 - पेशाकर के आलोक में अनुदान |                |             |           |                |                |              |
| विषय शीर्ष                                                                                                     | रूपये में      | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                             | 0              | 7,53,48,000 | 0         | 0              | 7,53,48,000    | 7,53,48,000  |
| - योग-                                                                                                         | 0              | 7,53,48,000 | 0         | 0              | 7,53,48,000    | 7,53,48,000  |
| विपत्र कोड-                                                                                                    | N2217801910016 |             |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पेशाकर के आलोक में अनुदान हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

71D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                   |                       | Non Plan    |           |                      |                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                |                       | मतदेय       |           | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                             | चरम परिव्यय           | आय-व्ययक    |           | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                |                       | आवर्तक      | अनावर्तक  |                      |                                |                           |
| 1                                                                                                                              | 2                     | 3           | 4         | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                            |                       |             |           |                      |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2217 - शहरी विकास<br>80 - सामान्य<br>192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता<br>0009 - पेशाकर के आलोक में अनुदान | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                              |                       |             |           |                      |                                |                           |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                             | 0                     | 5,93,87,000 | 0         | 0                    | 5,93,87,000                    | 5,93,87,000               |
| <u>योग-</u>                                                                                                                    | 0                     | 5,93,87,000 | 0         | 0                    | 5,93,87,000                    | 5,93,87,000               |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                             | <b>N2217801920009</b> |             |           |                      |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पेशाकर के आलोक में अनुदान हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

72D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                                                                    |             |             |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                                                              |             |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                              | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                 | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                               | 2           | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 48</b>                                                                                                                                             |             |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2217 - शहरी विकास<br>80 - सामान्य<br>193 - नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता<br>0008 - पेशाकर के आलोक में अनुदान | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                        |             |             |           |                |                |              |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                                                              | 0           | 4,26,21,000 | 0         | 0              | 4,26,21,000    | 4,26,21,000  |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                              | 0           | 4,26,21,000 | 0         | 0              | 4,26,21,000    | 4,26,21,000  |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u> <b>N2217801930008</b>                                                                                                                 |             |             |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पेशाकर के आलोक में अनुदान हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

73D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                  |                | State Plan     |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| मतदेय Voted                                                                                             |                |                |                |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                      | चरम परिव्यय    |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                         | आवर्तक         | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                       | 2              | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| मांग सं०- 48                                                                                            |                |                |                |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 2217 - शहरी विकास<br>80 - सामान्य<br>800 - अन्य व्यय<br>0124 - मुख्यमंत्री नगर विकास योजना |                |                |                |                |                |                |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                       | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                              | 0              | 3,50,00,00,000 | 2,50,00,00,000 | 2,50,00,00,000 | 3,50,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| - योग-                                                                                                  | 0              | 3,50,00,00,000 | 2,50,00,00,000 | 2,50,00,00,000 | 3,50,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                      | P2217808000124 |                |                |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

मुख्यमंत्री नगर विकास योजना हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

234D

| आयोजना भिन्न                                                                                     |                | Non Plan  |           |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                      |                |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                               | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                  | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                | 2              | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 24                                                                                     |                |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2220 - सूचना तथा प्रचार<br>60 - अन्य<br>106 - क्षेत्र प्रचार<br>0002 - जिला इकाइयां |                |           |           |                |                |              |
| विषय शीर्ष                                                                                       | रूपये में      | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5101 मोटर गाड़ी                                                                                  | 0              | 65,15,000 | 0         | 0              | 65,15,000      | 65,15,000    |
| योग-                                                                                             | 0              | 65,15,000 | 0         | 0              | 65,15,000      | 65,15,000    |
| विपत्र कोड-                                                                                      | N2220601060002 |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

क्षेत्रीय जन सम्पर्क कार्यालय के प्रचार प्रसार हेतु मोटर गाड़ी मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

90D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                                                                                         |             |           |           |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                                                                                   |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                   | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                      | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                    | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 44</b>                                                                                                                                                                  |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण<br>01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण<br>001 - निदेशन और प्रशासन<br>0001 - निदेशन एवं प्रशासन | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                                                                    |             |           |           |                |                |              |
| 2003 - प्रशिक्षण व्यय                                                                                                                                                                | 0           | 20,00,000 | 0         | 0              | 20,00,000      | 20,00,000    |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                          | 0           | 20,00,000 | 0         | 0              | 20,00,000      | 20,00,000    |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>N2225010010001</b>                                                                                                                                             |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्रशिक्षण व्यय मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

54D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |             |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                                  | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 2           | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 44</b>                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण<br>01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण<br>190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता<br>0001 - बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम,पटना | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |           |                |                |              |
| 3104 - सहायक अनुदान-वेतन                                                                                                                                                                                                                            | 0           | 2,00,00,000 | 0         | 0              | 2,00,00,000    | 2,00,00,000  |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | 2,00,00,000 | 0         | 0              | 2,00,00,000    | 2,00,00,000  |
| <b>विपत्र कोड- N2225011900001</b>                                                                                                                                                                                                                   |             |             |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम,पटना हेतु सहायक अनुदान वेतन मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

135D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                   |             |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                         |             |                |                |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                         | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                            | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                          | 2           | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 11</b>                                                                                                                                        |             |                |                |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण<br>03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण<br>277 - शिक्षा<br>0101 - शिक्षा | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                          |             |                |                |                |                |                |
| 1301 - कार्यालय व्यय                                                                                                                                       | 0           | 40,00,000      | 0              | 0              | 40,00,000      | 40,00,000      |
| 1601 प्रकाशन एवं मुद्रण                                                                                                                                    | 0           | 80,00,000      | 0              | 0              | 80,00,000      | 80,00,000      |
| 2002 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार                                                                                                                         | 0           | 30,00,000      | 0              | 0              | 30,00,000      | 30,00,000      |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                           | 0           | 1,30,00,000    | 0              | 0              | 1,30,00,000    | 1,30,00,000    |
| 3401 छात्रवृत्ति/वजीफा                                                                                                                                     | 0           | 6,88,33,53,000 | 3,99,81,53,000 | 3,99,81,53,000 | 6,88,33,53,000 | 2,88,52,00,000 |
| 5201 मशीनें एवं उपस्कर                                                                                                                                     | 0           | 1,20,00,000    | 0              | 0              | 1,20,00,000    | 1,20,00,000    |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                | 0           | 6,92,33,53,000 | 3,99,81,53,000 | 3,99,81,53,000 | 6,92,33,53,000 | 2,92,52,00,000 |
| <b>विपत्र कोड- P2225032770101</b>                                                                                                                          |             |                |                |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पिछड़े वर्गों का कल्याण हेतु विभिन्न ईकाई मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

74D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                                                                                     |             |           |           |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                               |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                               | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                  | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 26</b>                                                                                                                              |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2230 - श्रम तथा रोजगार<br>01 - श्रम<br>101 - औद्योगिक संबंध<br>0006 - श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                 | 0           | 1,28,000  | 0         | 0              | 1,28,000       | 1,28,000     |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                                    | 0           | 1,28,000  | 0         | 0              | 1,28,000       | 1,28,000     |
| <u>विपन्न कोड-</u> <b>N2230011010006</b>                                                                                                         |             |           |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण पटना के कार्यालय में संविदा पर चालक के पद पर नियुक्त कर्मों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

60D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                                                          |             |           |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                    |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                    | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                       | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                     | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 26</b>                                                                                                   |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2230 - श्रम तथा रोजगार<br>02 - रोजगार सेवाएं<br>101 - रोजगार सेवाएं<br>0004 - रोजगार कार्यालय की स्थापना | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                     |             |           |           |                |                |              |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                                                    | 0           | 12,60,000 | 7,60,000  | 7,60,000       | 7,60,000       | 0            |
| 1401 - किराया महसूल एवं कर                                                                                            | 0           | 18,50,000 | 9,00,000  | 9,00,000       | 9,00,000       | 0            |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                                                   | 0           | 5,00,000  | 0         | 0              | 5,00,000       | 5,00,000     |
| <b>योग-</b>                                                                                                           | 0           | 36,10,000 | 16,60,000 | 16,60,000      | 21,60,000      | 5,00,000     |
| <b>विपत्र कोड- N2230021010004</b>                                                                                     |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

रोजगार कार्यालय की स्थापना हेतु प्रशिक्षण व्यय मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

82D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                            |             | Non Plan    |           |                             |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                         |             | मतदेय       |           | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                      | चरम परिव्यय | आय-व्ययक    |           | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                         |             | आवर्तक      | अनावर्तक  |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                       | 2           | 3           | 4         | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 26</b>                                                                                                                                     |             |             |           |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2230 - श्रम तथा रोजगार<br>03 - प्रशिक्षण<br>101 - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान<br>0001 - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                                       |             |             |           |                             |                             |                           |
| 1304 विद्युत प्रभार                                                                                                                                     | 0           | 7,34,54,000 | 80,00,000 | 80,00,000                   | 7,34,54,000                 | 6,54,54,000               |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                                           | 0           | 7,34,54,000 | 80,00,000 | 80,00,000                   | 7,34,54,000                 | 6,54,54,000               |
| <u>विपन्न कोड-</u> N2230031010001                                                                                                                       |             |             |           |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद् हेतु विद्युत प्रभार मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

83D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| केन्द्रीय योजनागत योजना                                                                                                                                                                       |                | Central Plan Scheme |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                                                                                   |                |                     |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                            | चरम परिव्यय    |                     | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                               | आवर्तक         | अनावर्तक            | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                             | 2              | 3                   | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 51                                                                                                                                                                                  |                |                     |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण<br>02 - समाज कल्याण<br>101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण<br>0418 - निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन हेतु परियोजना (एस०आई०पी०डी०ए०) | रूपये में      | रूपये में           | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| विषय शीर्ष                                                                                                                                                                                    |                |                     |           |                |                |              |
| 2701 - लघु कार्य                                                                                                                                                                              | 0              | 1,05,00,000         | 0         | 0              | 1,05,00,000    | 1,05,00,000  |
| 5201 मशीनें एवं उपस्कर                                                                                                                                                                        | 0              | 4,81,00,000         | 0         | 0              | 4,81,00,000    | 4,81,00,000  |
| योग-                                                                                                                                                                                          | 0              | 5,86,00,000         | 0         | 0              | 5,86,00,000    | 5,86,00,000  |
| विपत्र कोड-                                                                                                                                                                                   | S2235021010418 |                     |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन हेतु परियोजना के अन्तर्गत लघु कार्य एवं मशीनें एवं उपस्कर मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

69D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                            |                       | State Plan   |              |                      |                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                   |                       | मतदेय        |              | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                | चरम परिव्यय           | आय-व्ययक     |              | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                   |                       | आवर्तक       | अनावर्तक     |                      |                                |                           |
| 1                                                                                                                                                 | 2                     | 3            | 4            | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 51</b>                                                                                                                               |                       |              |              |                      |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण<br>02 - समाज कल्याण<br>102 - बाल कल्याण<br>0117 - आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोषाक योजना | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                 |                       |              |              |                      |                                |                           |
| 2101 सामग्री एवं पूर्तियाँ                                                                                                                        | 0                     | 73,37,00,000 | 13,61,00,000 | 13,61,00,000         | 73,37,00,000                   | 59,76,00,000              |
| - <b>योग-</b>                                                                                                                                     | 0                     | 73,37,00,000 | 13,61,00,000 | 13,61,00,000         | 73,37,00,000                   | 59,76,00,000              |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                                                                | <b>P2235021020117</b> |              |              |                      |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

आई०सी०डी०एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगन बाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोषाक योजना हेतु सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

123D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                             |             |             |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                   |             |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                   | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                      | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                    | 2           | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 51</b>                                                                                                                                                  |             |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण<br>02 - समाज कल्याण<br>104 - वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण<br>0106 - बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                    |             |             |           |                |                |              |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                                                                                                   | 0           | 20,00,000   | 0         | 0              | 20,00,000      | 20,00,000    |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                                                                   | 0           | 3,80,00,000 | 0         | 0              | 3,80,00,000    | 3,80,00,000  |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                          | 0           | 4,00,00,000 | 0         | 0              | 4,00,00,000    | 4,00,00,000  |
| <b>विपत्र कोड- P2235021040106</b>                                                                                                                                    |             |             |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना हेतु कार्यालय व्यय एवं सहायक अनुदान वेतनादि के आलावा मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

68D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                                                                                  |                       | State Plan   |             |                      |                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                       | मतदेय        |             | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                      | चरम परिव्यय           | आय-व्ययक     |             | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | आवर्तक       | अनावर्तक    |                      |                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2                     | 3            | 4           | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 51</b>                                                                                                                                                                                     |                       |              |             |                      |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण<br>02 - समाज कल्याण<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0103 - आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोषाक योजना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| 2101 सामग्री एवं पूर्तियां                                                                                                                                                                              | 0                     | 15,02,76,000 | 2,78,76,000 | 2,78,76,000          | 15,02,76,000                   | 12,24,00,000              |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                             | 0                     | 15,02,76,000 | 2,78,76,000 | 2,78,76,000          | 15,02,76,000                   | 12,24,00,000              |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                                                                      | <b>P2235027890103</b> |              |             |                      |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

आई०सी०डी०एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोषाक योजना हेतु सामग्री एवं पूर्तियां मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

124D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                |             |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                      |             |                |                |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                      | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                                                                                         | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2           | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 51</b>                                                                                                                                                                                                     |             |                |                |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण<br>03 - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम<br>101 - राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना<br>0101 - इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                                                                                                                                                      | 0           | 24,00,00,000   | 21,00,00,000   | 21,00,00,000   | 24,00,00,000   | 3,00,00,000    |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                                                                                                                      | 0           | 7,76,00,00,000 | 6,79,00,00,000 | 6,79,00,00,000 | 7,76,00,00,000 | 97,00,00,000   |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                             | 0           | 8,00,00,00,000 | 7,00,00,00,000 | 7,00,00,00,000 | 8,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2235031010101</b>                                                                                                                                                                                |             |                |                |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कार्यालय व्यय एवं सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

64D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                          |             |                |                |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                |             |                |                |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                   | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | 2           | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 51</b>                                                                                                                                                                                               |             |                |                |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण<br>03 - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम<br>101 - राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना<br>0103 - इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                                                                                                                                                | 0           | 4,60,00,000    | 3,60,00,000    | 3,60,00,000    | 4,60,00,000    | 1,00,00,000  |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                                                                                                                | 0           | 1,50,40,00,000 | 1,17,40,00,000 | 1,17,40,00,000 | 1,50,40,00,000 | 33,00,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                       | 0           | 1,55,00,00,000 | 1,21,00,00,000 | 1,21,00,00,000 | 1,55,00,00,000 | 34,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड- P2235031010103</b>                                                                                                                                                                                 |             |                |                |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत कार्यालय व्यय एवं सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

66D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                     |                       |                |                |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                           |                       |                |                |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                           | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                              | आवर्तक                | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                            | 2                     | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 51</b>                                                                                                                                                                                                          |                       |                |                |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण<br>03 - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0101 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 6,55,60,000    | 5,55,60,000    | 5,55,60,000    | 6,55,60,000    | 1,00,00,000  |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                                                                                                                           | 0                     | 2,18,64,40,000 | 1,79,64,40,000 | 1,79,64,40,000 | 2,18,64,40,000 | 39,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 2,25,20,00,000 | 1,85,20,00,000 | 1,85,20,00,000 | 2,25,20,00,000 | 40,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                                                                                           | <b>P2235037890101</b> |                |                |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कार्यालय व्यय एवं सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

65D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                               |             |              |              |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                     |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                     | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                        | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 51</b>                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण<br>03 - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0102 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                                                                                                                     | 0           | 59,80,00,000 | 39,80,00,000 | 39,80,00,000   | 59,80,00,000   | 20,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                            | 0           | 59,80,00,000 | 39,80,00,000 | 39,80,00,000   | 59,80,00,000   | 20,00,00,000 |
| <u>विपन्न कोड-</u> <b>P2235037890102</b>                                                                                                                                                                               |             |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के आलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

67D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                  |                | Non Plan  |           |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                                                   |                |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                            | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                               | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                             | 2              | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 27                                                                                                                                                  |                |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण<br>60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम<br>200 - अन्य कार्यक्रम<br>0013 - बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम |                |           |           |                |                |              |
| विषय शीर्ष                                                                                                                                                    | रूपये में      | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3102 अनुग्रह अनुदान                                                                                                                                           | 0              | 31,10,000 | 10,000    | 10,000         | 31,10,000      | 31,00,000    |
| - योग-                                                                                                                                                        | 0              | 31,10,000 | 10,000    | 10,000         | 31,10,000      | 31,00,000    |
| विपत्र कोड-                                                                                                                                                   | N2235602000013 |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने हेतु अनुग्रह अनुदान मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

120D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                 |             |              |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                       |             |              |                |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                       | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                                                          | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                                                        | 2           | 3            | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 51</b>                                                                                                                                                                      |             |              |                |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 2236 - पोषण<br>02 - पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण<br>101 - विशेष पोषण कार्यक्रम<br>0102 - गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलाने वाली माँ के लिए पौष्टिक आहार वितरण की योजना | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                                                 |             |              |                |                |                |                |
| 2103 आहार/ पथ्य                                                                                                                                                                          | 0           | 76,39,07,000 | 2,45,15,70,000 | 2,45,15,70,000 | 7,63,90,70,000 | 5,18,75,00,000 |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                                                       | 0           | 76,39,07,000 | 2,45,15,70,000 | 2,45,15,70,000 | 7,63,90,70,000 | 5,18,75,00,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u> <b>P2236021010102</b>                                                                                                                                          |             |              |                |                |                |                |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

आई०सी०डी०एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत आहार एवं पथ्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

121D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                   |             |                |              |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                         |             |                |              |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                         | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                                                                            | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3              | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 51</b>                                                                                                                                                                                        |             |                |              |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 2236 - पोषण<br>02 - पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0101 - गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलाने वाली माँके लिए पौष्टिक आहार वितरण की योजना | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                          |             |                |              |                |                |                |
| 2103 - आहार/ पथ्य                                                                                                                                                                                          | 0           | 1,56,46,30,000 | 50,21,30,000 | 50,21,30,000   | 1,56,46,30,000 | 1,06,25,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                | 0           | 1,56,46,30,000 | 50,21,30,000 | 50,21,30,000   | 1,56,46,30,000 | 1,06,25,00,000 |
| <b>विपत्र कोड- P2236027890101</b>                                                                                                                                                                          |             |                |              |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

आई०सी०डी०एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत आहार एवं पथ्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

122D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                             |             | Non Plan  |           |                             |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                          |             | मतदेय     |           | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                       | चरम परिव्यय | आय-व्ययक  |           | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                          |             | आवर्तक    | अनावर्तक  |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                        | 2           | 3         | 4         | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 26</b>                                                                                                      |             |           |           |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ<br>00 -<br>090 - सचिवालय<br>0008 - श्रम संसाधन विभाग<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                                                      | 0           | 80,000    | 0         | 0                           | 80,000                      | 80,000                    |
| 2801 - व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                       | 0           | 4,50,000  | 0         | 0                           | 4,50,000                    | 4,50,000                  |
| <u>योग-</u>                                                                                                              | 0           | 5,30,000  | 0         | 0                           | 5,30,000                    | 5,30,000                  |
| <u>विपत्र कोड-</u> N2251000900008                                                                                        |             |           |           |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

कम्प्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण एवं संविदा पर नियुक्त कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

191D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                          |                       |           |           |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                    |                       |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                    | चरम परिव्यय           |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                       | आवर्तक                | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                     | 2                     | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 30</b>                                                                                   |                       |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ<br>00 -<br>090 - सचिवालय<br>0011 - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | रूपये में             | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                              |                       |           |           |                |                |              |
| 5101 मोटर गाड़ी                                                                                       | 0                     | 16,14,000 | 0         | 0              | 16,14,000      | 16,14,000    |
| - <u><b>योग-</b></u>                                                                                  | 0                     | 16,14,000 | 0         | 0              | 16,14,000      | 16,14,000    |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                             | <b>N2251000900011</b> |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेतु मोटर गाड़ी मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

70D

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                            |                       |           |           |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                      |                       |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                      | चरम परिव्यय           |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                         | आवर्तक                | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                       | 2                     | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 24</b>                                                                                     |                       |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ<br>00 -<br>090 - सचिवालय<br>0014 - सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग | रूपये में             | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                |                       |           |           |                |                |              |
| 5101 मोटर गाड़ी                                                                                         | 0                     | 24,22,000 | 0         | 0              | 24,22,000      | 24,22,000    |
| - <u><b>योग-</b></u>                                                                                    | 0                     | 24,22,000 | 0         | 0              | 24,22,000      | 24,22,000    |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                               | <b>N2251000900014</b> |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

माननीय मंत्री एवं सचिव के उपयोग हेतु मोटर गाड़ी मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

89D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                              |             | Non Plan  |           |                             |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                           |             | मतदेय     |           | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                        | चरम परिव्यय | आय-व्ययक  |           | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                           |             | आवर्तक    | अनावर्तक  |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3         | 4         | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 39</b>                                                                                                       |             |           |           |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ<br>00 -<br>090 - सचिवालय<br>0017 - आपदा प्रबंधन विभाग<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 1304 विद्युत प्रभार                                                                                                       | 0           | 1,000     | 0         | 0                           | 1,000                       | 1,000                     |
| - <u>योग-</u>                                                                                                             | 0           | 1,000     | 0         | 0                           | 1,000                       | 1,000                     |
| <u>विपन्न कोड-</u> N2251000900017                                                                                         |             |           |           |                             |                             |                           |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

आपदा प्रबंधन विभाग के लिए विद्युत प्रभार मद में टोकन मनी के रूप में राशि की आवश्यकता है एवं शेष राशि पुनर्विनियोग द्वारा उपबंधित करायी जायेगी। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

48D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                    |                | Non Plan  |           |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                                     |                |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                              | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                 | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                               | 2              | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 44                                                                                                                                    |                |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ<br>00 -<br>090 - सचिवालय<br>0023 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग<br><br>विषय शीर्ष | रूपये में      | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                                                                             | 0              | 1,00,000  | 0         | 0              | 1,00,000       | 1,00,000     |
| - योग-                                                                                                                                          | 0              | 1,00,000  | 0         | 0              | 1,00,000       | 1,00,000     |
| विपत्र कोड-                                                                                                                                     | N2251000900023 |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु प्रशिक्षण व्यय मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

136D

| आयोजना                                                                                                                             |                | State Plan   |              |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                        |                |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                 | चरम परिव्यय    |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                    | आवर्तक         | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                  | 2              | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 01                                                                                                                       |                |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 -<br>103 - बीज<br>0109 - बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में      | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3301 सब्सिडी                                                                                                                       | 0              | 37,35,00,000 | 20,75,00,000 | 20,75,00,000   | 37,35,00,000   | 16,60,00,000 |
| - योग-                                                                                                                             | 0              | 37,35,00,000 | 20,75,00,000 | 20,75,00,000   | 37,35,00,000   | 16,60,00,000 |
| विपत्र कोड-                                                                                                                        | P2401001030109 |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय हेतु सब्सिडी मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

165D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                            |                       | State Plan  |           |                      |                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                   |                       | मतदेय       |           | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                | चरम परिव्यय           | आय-व्ययक    |           | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                   |                       | आवर्तक      | अनावर्तक  |                      |                                |                           |
| 1                                                                                                                 | 2                     | 3           | 4         | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                               |                       |             |           |                      |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 -<br>103 - बीज<br>0115 - बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                 |                       |             |           |                      |                                |                           |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                | 0                     | 8,30,00,000 | 0         | 0                    | 8,30,00,000                    | 8,30,00,000               |
| <u>योग-</u>                                                                                                       | 0                     | 8,30,00,000 | 0         | 0                    | 8,30,00,000                    | 8,30,00,000               |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                | <b>P2401001030115</b> |             |           |                      |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

168D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                     |                       |              |           |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                           |                       |              |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                           | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                              | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                            | 2                     | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                                                                          |                       |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 -<br>109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण<br>0106 - इन्टेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट<br>एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                     |                       |              |           |                |                |              |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                                                           | 0                     | 98,38,82,000 | 0         | 0              | 98,38,82,000   | 98,38,82,000 |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                           | 0                     | 98,38,82,000 | 0         | 0              | 98,38,82,000   | 98,38,82,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                                    | <b>P2401001090106</b> |              |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

इन्टेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट योजना हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

171D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                           |                       | State Plan   |              |                             |                             |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                  |                       | मतदेय        |              | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                               | चरम परिव्यय           | आय-व्ययक     |              | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                  |                       | आवर्तक       | अनावर्तक     |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                | 2                     | 3            | 4            | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 09</b>                                                                                                              |                       |              |              |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 -<br>110 - फसल बीमा<br>0110 - संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                               | 0                     | 75,00,00,000 | 74,59,71,000 | 74,59,71,000                | 75,00,00,000                | 40,29,000                 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                      | 0                     | 75,00,00,000 | 74,59,71,000 | 74,59,71,000                | 75,00,00,000                | 40,29,000                 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                               | <b>P2401001100110</b> |              |              |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

113D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                           |                       |                |                |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                 |                       |                |                |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                 | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                    | आवर्तक                | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                  | 2                     | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                                |                       |                |                |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 -<br>113 - कृषि इंजीनियरी<br>0105 - प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल<br>मेंकानाइजेशन | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                           |                       |                |                |                |                |              |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के<br>अलावा                                                                              | 0                     | 2,00,74,38,000 | 1,16,20,00,000 | 1,16,20,00,000 | 2,00,74,38,000 | 84,54,38,000 |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                 | 0                     | 2,00,74,38,000 | 1,16,20,00,000 | 1,16,20,00,000 | 2,00,74,38,000 | 84,54,38,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                          | <b>P2401001130105</b> |                |                |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन में सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

174D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                          |                       |              |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                |                       |              |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                   | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                 | 2                     | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                                               |                       |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 -<br>113 - कृषि इंजीनियरी<br>0116 - कृषि विस्तार एवं प्रावैधिकी का राष्ट्रीय मिशन (90:10) | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                          |                       |              |           |                |                |              |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                                | 0                     | 20,00,00,000 | 0         | 0              | 20,00,00,000   | 20,00,00,000 |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                | 0                     | 20,00,00,000 | 0         | 0              | 20,00,00,000   | 20,00,00,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                         | <b>P2401001130116</b> |              |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

कृषि विस्तार एवं प्रावैधिकी का राष्ट्रीय मिशन अन्तर्गत सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

179D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                               |                       |              |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                     |                       |              |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                     | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                        | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                      | 2                     | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                                                                                    |                       |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 -<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष<br>घटक योजना<br>0106 - इन्टेनसिफाइड फिल्ड डेवलेपमेंट<br>एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                      |                       |              |           |                |                |              |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के<br>- अलावा                                                                                                                                | 0                     | 18,96,64,000 | 0         | 0              | 18,96,64,000   | 18,96,64,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                            | 0                     | 18,96,64,000 | 0         | 0              | 18,96,64,000   | 18,96,64,000 |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                                                                                     | <b>P2401007890106</b> |              |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

इन्टेनसिफाइड फिल्ड डेवलेपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट योजना हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

172D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                                |                       | State Plan  |           |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                       |                       | मतदेय       |           | Voted          |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                    | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                       | आवर्तक                | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                     | 2                     | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                                                                   |                       |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 -<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0116 - बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                                     |                       |             |           |                |                |              |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के - अलावा                                                                                                                  | 0                     | 1,60,00,000 | 0         | 0              | 1,60,00,000    | 1,60,00,000  |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                           | 0                     | 1,60,00,000 | 0         | 0              | 1,60,00,000    | 1,60,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                    | <b>P2401007890116</b> |             |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

169D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                   |             |             |             |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                         |             |             |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                         | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                            | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                          | 2           | 3           | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                                        |             |             |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 -<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0117 - बीज उत्पादन कार्यक्रम | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                   |             |             |             |                |                |              |
| 3301 सब्सिडी                                                                                                               | 0           | 7,20,00,000 | 4,00,00,000 | 4,00,00,000    | 7,20,00,000    | 3,20,00,000  |
| <b>- योग-</b>                                                                                                              | 0           | 7,20,00,000 | 4,00,00,000 | 4,00,00,000    | 7,20,00,000    | 3,20,00,000  |
| <u><b>विपन्न कोड-</b></u> <b>P2401007890117</b>                                                                            |             |             |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु सब्सिडी मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

166D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                       |                       |              |              |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                             |                       |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                             | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                              | 2                     | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                                                            |                       |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 -<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष<br>घटक योजना<br>0120 - प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल<br>मेंकानाइजेशन | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                       |                       |              |              |                |                |              |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के<br>- अलावा                                                                                                        | 0                     | 38,69,76,000 | 22,40,00,000 | 22,40,00,000   | 38,69,76,000   | 16,29,76,000 |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                             | 0                     | 38,69,76,000 | 22,40,00,000 | 22,40,00,000   | 38,69,76,000   | 16,29,76,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                      | <b>P2401007890120</b> |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन सहायक अनुदान वेतनादि में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

175D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                             |                       |             |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                   |                       |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                   | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                      | आवर्तक                | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                    | 2                     | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                                                                  |                       |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 -<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना<br>0134 - इन्टेनसिफाइड फिल्ड डेवलेपमेंट<br>एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                             |                       |             |           |                |                |              |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                                                   | 0                     | 1,18,54,000 | 0         | 0              | 1,18,54,000    | 1,18,54,000  |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                   | 0                     | 1,18,54,000 | 0         | 0              | 1,18,54,000    | 1,18,54,000  |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                            | <b>P2401007960134</b> |             |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

इन्टेनसिफाइड फिल्ड डेवलेपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट योजना में सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में हेतु राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

173D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                               |                       |           |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                     |                       |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                     | चरम परिव्यय           |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                        | आवर्तक                | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                      | 2                     | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                                                    |                       |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 -<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना<br>0139 - बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम | रूपये में             | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                               |                       |           |           |                |                |              |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                                     | 0                     | 10,00,000 | 0         | 0              | 10,00,000      | 10,00,000    |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                     | 0                     | 10,00,000 | 0         | 0              | 10,00,000      | 10,00,000    |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                              | <b>P2401007960139</b> |           |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

170D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                    |                       |           |           |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                          |                       |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                          | चरम परिव्यय           |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                             | आवर्तक                | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                           | 2                     | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                         |                       |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 -<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना<br>0140 - बीज उत्पादन कार्यक्रम | रूपये में             | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                    |                       |           |           |                |                |              |
| 3301 सब्सिडी                                                                                                | 0                     | 45,00,000 | 25,00,000 | 25,00,000      | 45,00,000      | 20,00,000    |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                          | 0                     | 45,00,000 | 25,00,000 | 25,00,000      | 45,00,000      | 20,00,000    |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                   | <b>P2401007960140</b> |           |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु सब्सिडी मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

167D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                   |                       | State Plan  |             |                       |                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                          |                       | मतदेय       |             | Voted                 |                             |                             |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                       | चरम परिव्यय           |             |             | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 |
|                                                                                                                          |                       | आवर्तक      | अनावर्तक    |                       |                             |                             |
| 1                                                                                                                        | 2                     | 3           | 4           | 5                     | 6 = 5+7                     | 7                           |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                                      |                       |             |             |                       |                             |                             |
| मुख्य शीर्ष- 2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 -<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना<br>0143 - प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                        |                       |             |             |                       |                             |                             |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                       | 0                     | 2,41,86,000 | 1,40,00,000 | 1,40,00,000           | 2,41,86,000                 | 1,01,86,000                 |
| <u>योग-</u>                                                                                                              | 0                     | 2,41,86,000 | 1,40,00,000 | 1,40,00,000           | 2,41,86,000                 | 1,01,86,000                 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                       | <b>P2401007960143</b> |             |             |                       |                             |                             |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

176D

| आयोजना भिन्न                                                                                                      |                       | Non Plan  |           |                       |                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   |                       | मतदेय     |           | Voted                 |                             |                             |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                | चरम परिव्यय           |           |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 |
|                                                                                                                   |                       | आवर्तक    | अनावर्तक  |                       |                             |                             |
| 1                                                                                                                 | 2                     | 3         | 4         | 5                     | 6 = 5+7                     | 7                           |
| <b>मांग सं०- 19</b>                                                                                               |                       |           |           |                       |                             |                             |
| मुख्य शीर्ष- 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>001 - निदेशन तथा प्रशासन<br>0001 - निदेशन और प्रशासन | रूपये में             | रूपये में | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                 |                       |           |           |                       |                             |                             |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                  | 0                     | 60,45,000 | 26,00,000 | 26,00,000             | 60,45,000                   | 34,45,000                   |
| <u>योग-</u>                                                                                                       | 0                     | 60,45,000 | 26,00,000 | 26,00,000             | 60,45,000                   | 34,45,000                   |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                | <b>N2406010010001</b> |           |           |                       |                             |                             |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

वानिकी के अंतर्गत नवगठित बिहार वानिकी विकास लि० के निबंधन हेतु व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

86D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                           |             | Non Plan  |           |                      |                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                        |             | मतदेय     |           | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                     | चरम परिव्यय | आय-व्ययक  |           | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                        |             | आवर्तक    | अनावर्तक  |                      |                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                      | 2           | 3         | 4         | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 19</b>                                                                                                                                                    |             |           |           |                      |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>0001 - वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| 1304 विद्युत प्रभार                                                                                                                                                    | 0           | 50,00,000 | 20,00,000 | 20,00,000            | 50,00,000                      | 30,00,000                 |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                                                          | 0           | 50,00,000 | 20,00,000 | 20,00,000            | 50,00,000                      | 30,00,000                 |
| <u>विपन्न कोड-</u> <b>N2406011010001</b>                                                                                                                               |             |           |           |                      |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

राजधानी वाटिका, पटना के बकाया विपत्रों के भुगतान हेतु विद्युत प्रभार मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

186D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                           |             |              |              |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                 |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                 | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                    | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                  | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 19</b>                                                                                                                |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>0109 - अवकृष्ट वनों का पुनर्वास | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                           |             |              |              |                |                |              |
| 0201 मजदूरी                                                                                                                        | 0           | 26,19,06,000 | 24,19,06,000 | 24,19,06,000   | 26,19,06,000   | 2,00,00,000  |
| 2101 - सामग्री एवं पूर्तियां                                                                                                       | 0           | 1,52,87,000  | 1,02,87,000  | 1,02,87,000    | 1,52,87,000    | 50,00,000    |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                 | 0           | 27,71,93,000 | 25,21,93,000 | 25,21,93,000   | 27,71,93,000   | 2,50,00,000  |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u> <b>P2406011010109</b>                                                                                    |             |              |              |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

वानिकी के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास हेतु मजदूरी एवं सामग्री एवं पूर्तियां मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

101D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                      |             |             |           |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                            |             |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                            | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                               | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                             | 2           | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 19</b>                                                                                           |             |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>105 - वन उत्पाद<br>0104 - प्रदूषण नियंत्रण पर्षद | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                             |             |             |           |                |                |              |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                            | 0           | 4,50,09,000 | 9,000     | 9,000          | 4,50,09,000    | 4,50,00,000  |
| <b>योग-</b>                                                                                                   | 0           | 4,50,09,000 | 9,000     | 9,000          | 4,50,09,000    | 4,50,00,000  |
| <b>विपत्र कोड- P2406011050104</b>                                                                             |             |             |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

वानिकी के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण पर्षद हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

107D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                      |             |              |             |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                            |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                            | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                               | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                             | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 19</b>                                                                                                                           |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0101 - अवकृष्ट वनों का पुर्नवास | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                             |             |              |             |                |                |              |
| 0201 मजदूरी                                                                                                                                   | 0           | 11,07,30,000 | 8,57,30,000 | 8,57,30,000    | 11,07,30,000   | 2,50,00,000  |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                   | 0           | 11,07,30,000 | 8,57,30,000 | 8,57,30,000    | 11,07,30,000   | 2,50,00,000  |
| <b>विपत्र कोड- P2406017890101</b>                                                                                                             |             |              |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

वानिकी के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुर्नवास हेतु मजदूरी मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

102D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                          |                       |             |             |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                |                       |             |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                   | आवर्तक                | अनावर्तक    | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                 | 2                     | 3           | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 19</b>                                                                                                               |                       |             |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0102 - नहर तट फार्म | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                 |                       |             |             |                |                |              |
| 0201 मजदूरी                                                                                                                       | 0                     | 8,19,29,000 | 4,19,29,000 | 4,19,29,000    | 8,19,29,000    | 4,00,00,000  |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                     | 0                     | 8,19,29,000 | 4,19,29,000 | 4,19,29,000    | 8,19,29,000    | 4,00,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                | <b>P2406017890102</b> |             |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

वानिकी के अंतर्गत नहर तट फार्म हेतु मजदूरी मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

104D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                         |                       |             |             |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                               |                       |             |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                               | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                  | आवर्तक                | अनावर्तक    | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                | 2                     | 3           | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 19</b>                                                                                                              |                       |             |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0103 - पथ तट फार्म | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                |                       |             |             |                |                |              |
| 0201 मजदूरी                                                                                                                      | 0                     | 9,19,29,000 | 4,19,29,000 | 4,19,29,000    | 9,19,29,000    | 5,00,00,000  |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                    | 0                     | 9,19,29,000 | 4,19,29,000 | 4,19,29,000    | 9,19,29,000    | 5,00,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                               | <b>P2406017890103</b> |             |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

वानिकी के अंतर्गत पथ तट फार्म हेतु मजदूरी मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

106D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                            |                       |              |              |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                  |                       |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                  | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                     | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                   | 2                     | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 19</b>                                                                                 |                       |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>800 - अन्य व्यय<br>0101 - नहर तट फार्म | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                   |                       |              |              |                |                |              |
| 0201 मजदूरी                                                                                         | 0                     | 24,69,21,000 | 10,69,21,000 | 10,69,21,000   | 24,69,21,000   | 14,00,00,000 |
| 2101 - सामग्री एवं पूर्तियां                                                                        | 0                     | 3,88,68,000  | 1,88,68,000  | 1,88,68,000    | 3,88,68,000    | 2,00,00,000  |
| <b>योग-</b>                                                                                         | 0                     | 28,57,89,000 | 12,57,89,000 | 12,57,89,000   | 28,57,89,000   | 16,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                  | <b>P2406018000101</b> |              |              |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

वानिकी के अंतर्गत सामग्री एवं पूर्तियां एवं मजदूरी मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

103D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                           |                       |              |             |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                 |                       |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                 | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                    | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                  | 2                     | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 19</b>                                                                                |                       |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>800 - अन्य व्यय<br>0105 - पथ तट फार्म | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                           |                       |              |             |                |                |              |
| 0201 मजदूरी                                                                                        | 0                     | 18,07,73,000 | 3,57,73,000 | 3,57,73,000    | 18,07,73,000   | 14,50,00,000 |
| 2701 - लघु कार्य                                                                                   | 0                     | 21,53,15,000 | 2,03,15,000 | 2,03,15,000    | 21,53,15,000   | 19,50,00,000 |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                 | 0                     | 39,60,88,000 | 5,60,88,000 | 5,60,88,000    | 39,60,88,000   | 34,00,00,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                          | <b>P2406018000105</b> |              |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

वानिकी के अंतर्गत पथ तट फार्म हेतु तथा लघु कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

105D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                         |                       | State Plan   |             |                      |                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                |                       | मतदेय        |             | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                             | चरम परिव्यय           | आय-व्ययक     |             | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                |                       | आवर्तक       | अनावर्तक    |                      |                                |                           |
| 1                                                                                                                              | 2                     | 3            | 4           | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                                            |                       |              |             |                      |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा<br>01 - फसल कृषि कर्म<br>277 - शिक्षा<br>0109 - कृषि महाविद्यालय, शाहाबाद क्षेत्र | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                              |                       |              |             |                      |                                |                           |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                     | 0                     | 19,59,60,000 | 9,60,00,000 | 9,60,00,000          | 19,59,60,000                   | 9,99,60,000               |
| <u>योग-</u>                                                                                                                    | 0                     | 19,59,60,000 | 9,60,00,000 | 9,60,00,000          | 19,59,60,000                   | 9,99,60,000               |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                             | <b>P2415012770109</b> |              |             |                      |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

कृषि महाविद्यालय, शाहाबाद क्षेत्र हेतु सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

177D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                       |                       |             |                       |                             |                             |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                             |                       |             |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                             | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                | आवर्तक                | अनावर्तक    |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                              | 2                     | 3           | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                                                                            |                       |             |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा<br>01 - फसल कृषि कर्म<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0102 - कृषि महाविद्यालय शाहाबाद क्षेत्र | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                                              |                       |             |                       |                             |                             |                           |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के - निर्माण                                                                                                                   | 0                     | 4,30,40,000 | 2,40,00,000           | 2,40,00,000                 | 4,30,40,000                 | 1,90,40,000               |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                    | 0                     | 4,30,40,000 | 2,40,00,000           | 2,40,00,000                 | 4,30,40,000                 | 1,90,40,000               |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                             | <b>P2415017890102</b> |             |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

कृषि महाविद्यालय शाहाबाद क्षेत्र हेतु सहायक अनुदान परिसम्पत्ति के निर्माण मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

178D

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                      |                       |           |                       |                             |                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                |                       |           |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                | चरम परिव्यय           |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                   | आवर्तक                | अनावर्तक  |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                 | 2                     | 3         | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 09</b>                                                               |                       |           |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2425 - सहकारिता<br>00 -<br>001 - निदेशन तथा प्रशासन<br>0001 - निदेशन | रूपये में             | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                 |                       |           |                       |                             |                             |                           |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                               | 0                     | 1,00,000  | 0                     | 0                           | 1,00,000                    | 1,00,000                  |
| <u>योग-</u>                                                                       | 0                     | 1,00,000  | 0                     | 0                           | 1,00,000                    | 1,00,000                  |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                | <b>N2425000010001</b> |           |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

सहकारिता विभाग के लिए प्रशिक्षण व्यय मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

57D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                       |             |           |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                 |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                 | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                    | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                  | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 09</b>                                                                |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2425 - सहकारिता<br>00 -<br>001 - निदेशन तथा प्रशासन<br>0002 - अधीक्षण |             |           |           |                |                |              |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                  | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                | 0           | 3,00,000  | 0         | 0              | 3,00,000       | 3,00,000     |
| <u>योग-</u>                                                                        | 0           | 3,00,000  | 0         | 0              | 3,00,000       | 3,00,000     |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>N2425000010002</b>                                           |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

सहकारिता विभाग के लिए प्रशिक्षण व्यय मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

56D

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                    |             |           |           |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                              |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                              | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                 | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                               | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 09</b>                                                                             |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2425 - सहकारिता<br>00 -<br>101 - सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा<br>0001 - अंकेक्षण |             |           |           |                |                |              |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                               | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                             | 0           | 3,00,000  | 0         | 0              | 3,00,000       | 3,00,000     |
| <u>योग-</u>                                                                                     | 0           | 3,00,000  | 0         | 0              | 3,00,000       | 3,00,000     |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>N2425001010001</b>                                                        |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्रशिक्षण व्यय मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

55D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                                                  |             |           |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                                            |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                            | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                               | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                             | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                           |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>001 - निदेशन एवं प्रशासन<br>0001 - मुख्यालय पंचायत स्थापना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                                                                           | 0           | 1,00,000  | 0         | 0              | 1,00,000       | 1,00,000     |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                                 | 0           | 1,00,000  | 0         | 0              | 1,00,000       | 1,00,000     |
| <u>विपन्न कोड-</u> <b>N2515000010001</b>                                                                                                      |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

मुख्यालय पंचायत स्थापना हेतु प्रशिक्षण व्यय मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

206D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                                                                                 |             |             |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                           |             |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                           | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                              | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                            | 2           | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                          |             |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>001 - निदेशन एवं प्रशासन<br>0003 - जिला पंचायत की स्थापना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 1302 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव                                                                                                                | 0           | 88,56,000   | 10,00,000 | 10,00,000      | 88,56,000      | 78,56,000    |
| 2003 - प्रशिक्षण व्यय                                                                                                                        | 0           | 1,00,000    | 0         | 0              | 1,00,000       | 1,00,000     |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                             | 0           | 25,00,000   | 5,00,000  | 5,00,000       | 25,00,000      | 20,00,000    |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                  | 0           | 1,14,56,000 | 15,00,000 | 15,00,000      | 1,14,56,000    | 99,56,000    |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>N2515000010003</b>                                                                                                     |             |             |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

जिला पंचायत की स्थापना हेतु विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

207D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                              |                | Non Plan  |           |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                               |                |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                        | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                           | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                         | 2              | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 16                                                                                                                              |                |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>003 - प्रशिक्षण<br>0001 - कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत<br><br>विषय शीर्ष | रूपये में      | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 1304 विद्युत प्रभार                                                                                                                       | 0              | 10,000    | 0         | 0              | 10,000         | 10,000       |
| - योग-                                                                                                                                    | 0              | 10,000    | 0         | 0              | 10,000         | 10,000       |
| विपत्र कोड-                                                                                                                               | N2515000030001 |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्रशिक्षण संस्थानों के बिजली बिल भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

208D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                           |             | State Plan     |                |                       |                                |                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                  |             | मतदेय          |                | Voted                 |                                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                               | चरम परिव्यय |                |                | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान<br>धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                  |             | आवर्तक         | अनावर्तक       |                       |                                |                                |                           |
| 1                                                                                                                                                | 2           | 3              | 4              | 5                     | 6 = 5+7                        | 7                              |                           |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                              |             |                |                |                       |                                |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>101 - पंचायती राज<br>0111 - पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में             | रूपये में                      | रूपये में                      | रूपये में                 |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                       | 0           | 7,01,85,63,000 | 5,36,24,84,000 | 5,36,24,84,000        | 7,01,85,63,000                 | 1,65,60,79,000                 |                           |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                      | 0           | 7,01,85,63,000 | 5,36,24,84,000 | 5,36,24,84,000        | 7,01,85,63,000                 | 1,65,60,79,000                 |                           |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2515001010111</b>                                                                                                         |             |                |                |                       |                                |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

203D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                                                                                   |             | State Plan  |           |                       |                                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |             | मतदेय       |           | Voted                 |                                |                                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                       | चरम परिव्यय |             |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान<br>धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                                          |             | आवर्तक      | अनावर्तक  |                       |                                | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                                                                        | 2           | 3           | 4         | 5                     | 6 = 5+7                        | 7                              |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                                                                                      |             |             |           |                       |                                |                                |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>196 - जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता<br>0106 - जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु<br><br><u>विषय शीर्ष</u> |             |             |           |                       |                                |                                |
|                                                                                                                                                                                                          | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                      | रूपये में                      |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                                                                         | 0           | 1,80,21,000 | 88,08,000 | 88,08,000             | 1,80,21,000                    | 92,13,000                      |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                              | 0           | 1,80,21,000 | 88,08,000 | 88,08,000             | 1,80,21,000                    | 92,13,000                      |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2515001960106</b>                                                                                                                                                                 |             |             |           |                       |                                |                                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

195D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                         |             |              |             |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                               |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                               | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                  | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                                                                                              |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>197 - ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता<br>0103 - पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                                                                                 | 0           | 13,72,46,000 | 7,08,46,000 | 7,08,46,000    | 13,72,46,000   | 6,64,00,000  |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                      | 0           | 13,72,46,000 | 7,08,46,000 | 7,08,46,000    | 13,72,46,000   | 6,64,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2515001970103</b>                                                                                                                                                                         |             |              |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

197D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                |             |              |              |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                      |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                      | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                         | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                       | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                                                                     |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>198 - ग्राम पंचायतों को सहायता<br>0105 - ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                                                        | 0           | 61,70,24,000 | 34,36,22,000 | 34,36,22,000   | 61,70,24,000   | 27,34,02,000 |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                                                                           | 0           | 61,70,24,000 | 34,36,22,000 | 34,36,22,000   | 61,70,24,000   | 27,34,02,000 |
| <b>विपत्र कोड- P2515001980105</b>                                                                                                                                                       |             |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

199D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                             |             |              |              |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                   |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                   | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                      | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                    | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                                                                  |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>198 - ग्राम पंचायतों को सहायता<br>0106 - ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                                                     | 0           | 84,95,05,000 | 34,36,20,000 | 34,36,20,000   | 84,95,05,000   | 50,58,85,000 |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                                                                        | 0           | 84,95,05,000 | 34,36,20,000 | 34,36,20,000   | 84,95,05,000   | 50,58,85,000 |
| <b>विपत्र कोड- P2515001980106</b>                                                                                                                                                    |             |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

201D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                   |             |                |              |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                         |             |                |              |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                         | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                            | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                          | 2           | 3              | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                                        |             |                |              |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>198 - ग्राम पंचायतों को सहायता<br>0111 - मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                                 | 0           | 1,73,42,85,000 | 61,37,85,000 | 61,37,85,000   | 1,73,42,85,000 | 1,12,05,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                | 0           | 1,73,42,85,000 | 61,37,85,000 | 61,37,85,000   | 1,73,42,85,000 | 1,12,05,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2515001980111</b>                                                                                                                   |             |                |              |                |                |                |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

193D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                            |             |                |                |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                  |             |                |                |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                  | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                     | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                   | 2           | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                                 |             |                |                |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0102 - पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                            |             |                |                |                |                |              |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के - निर्माण                                                                                                        | 0           | 1,35,29,76,000 | 1,05,30,16,000 | 1,05,30,16,000 | 1,35,29,76,000 | 29,99,60,000 |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                  | 0           | 1,35,29,76,000 | 1,05,30,16,000 | 1,05,30,16,000 | 1,35,29,76,000 | 29,99,60,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u> <b>P2515007890102</b>                                                                                                     |             |                |                |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

204D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                                                        |             | State Plan   |             |                       |                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                               |             | मतदेय        |             | Voted                 |                             |                             |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                            | चरम परिव्यय |              |             | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                               |             | आवर्तक       | अनावर्तक    |                       |                             | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014   |
| 1                                                                                                                                                                             | 2           | 3            | 4           | 5                     | 6 = 5+7                     | 7                           |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                                                           |             |              |             |                       |                             |                             |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0103 - ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                             |             |              |             |                       |                             |                             |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                                              | 0           | 12,45,41,000 | 6,85,43,000 | 6,85,43,000           | 12,45,41,000                | 5,59,98,000                 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                   | 0           | 12,45,41,000 | 6,85,43,000 | 6,85,43,000           | 12,45,41,000                | 5,59,98,000                 |
| <b>विपत्र कोड- P2515007890103</b>                                                                                                                                             |             |              |             |                       |                             |                             |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

200D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                                                                              |             | State Plan   |             |                      |                                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |             | मतदेय        |             | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                  | चरम परिव्यय | आय-व्ययक     |             | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                                     |             | आवर्तक       | अनावर्तक    |                      |                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                   | 2           | 3            | 4           | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                                                                                 |             |              |             |                      |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0104 - ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                                                                    | 0           | 17,21,59,000 | 6,85,44,000 | 6,85,44,000          | 17,21,59,000                   | 10,36,15,000              |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                         | 0           | 17,21,59,000 | 6,85,44,000 | 6,85,44,000          | 17,21,59,000                   | 10,36,15,000              |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2515007890104</b>                                                                                                                                                            |             |              |             |                      |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

202D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                             |             |             |             |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                   |             |             |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                   | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                      | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                    | 2           | 3           | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                                                                                  |             |             |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0105 - पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                                                                     | 0           | 2,77,31,000 | 1,41,31,000 | 1,41,31,000    | 2,77,31,000    | 1,36,00,000  |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                          | 0           | 2,77,31,000 | 1,41,31,000 | 1,41,31,000    | 2,77,31,000    | 1,36,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2515007890105</b>                                                                                                                                                             |             |             |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

198D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                                                                             |                       | State Plan |           |                       |                             |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |                       | मतदेय      |           | Voted                 |                             |                             |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                 | चरम परिव्यय           |            |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                                    |                       | आवर्तक     | अनावर्तक  |                       |                             | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 2                     | 3          | 4         | 5                     | 6 = 5+7                     | 7                           |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                                                                                |                       |            |           |                       |                             |                             |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0106 - जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु<br><br><u>विषय शीर्ष</u> |                       |            |           |                       |                             |                             |
|                                                                                                                                                                                                    | रूपये में             | रूपये में  | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                                                                   | 0                     | 37,73,000  | 18,86,000 | 18,86,000             | 37,73,000                   | 18,87,000                   |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                        | 0                     | 37,73,000  | 18,86,000 | 18,86,000             | 37,73,000                   | 18,87,000                   |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                                                                 | <b>P2515007890106</b> |            |           |                       |                             |                             |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

196D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                         |             |              |              |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                               |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                               | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                  | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                              |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0108 - मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                         |             |              |              |                |                |              |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के - निर्माण                                                                                                     | 0           | 35,52,15,000 | 12,57,15,000 | 12,57,15,000   | 35,52,15,000   | 22,95,00,000 |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                               | 0           | 35,52,15,000 | 12,57,15,000 | 12,57,15,000   | 35,52,15,000   | 22,95,00,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u> <b>P2515007890108</b>                                                                                                  |             |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

194D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                               |                       | State Plan  |             |                      |                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                      |                       | मतदेय       |             | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                   | चरम परिव्यय           | आय-व्ययक    |             | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                      |                       | आवर्तक      | अनावर्तक    |                      |                                |                           |
| 1                                                                                                                                    | 2                     | 3           | 4           | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                                                                  |                       |             |             |                      |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना<br>0115 - पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                    |                       |             |             |                      |                                |                           |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                           | 0                     | 8,45,61,000 | 6,50,00,000 | 6,50,00,000          | 8,45,61,000                    | 1,95,61,000               |
| <u>योग-</u>                                                                                                                          | 0                     | 8,45,61,000 | 6,50,00,000 | 6,50,00,000          | 8,45,61,000                    | 1,95,61,000               |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                   | <b>P2515007960115</b> |             |             |                      |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

205D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                       |                | Non Plan  |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                        |                |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                 | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                    | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                  | 2              | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 49                                                                                                                       |                |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2700 - मुख्य सिंचाई<br>01 - कोशी बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (वाणिज्यिक)<br>001 - निदेशन तथा प्रशासन<br>0001 - स्थापना | रूपये में      | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| विषय शीर्ष                                                                                                                         |                |           |           |                |                |              |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                                                                | 0              | 1,000     | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| 3302 - मुआवजा                                                                                                                      | 0              | 1,000     | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| योग-                                                                                                                               | 0              | 2,000     | 0         | 0              | 2,000          | 2,000        |
| विपन्न कोड-                                                                                                                        | N2700010010001 |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्रशिक्षण व्यय एवं मुआवजा मद में टोकन मनी के रूप में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

23D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                                       |                       |           |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                                 |                       |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                 | चरम परिव्यय           |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                    | आवर्तक                | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                  | 2                     | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                |                       |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2700 - मुख्य सिंचाई<br>02 - गंडक बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (वाणिज्यिक)<br>001 - निदेशन तथा प्रशासन<br>0001 - स्थापना | रूपये में             | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                  |                       |           |           |                |                |              |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                                                                | 0                     | 1,000     | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| <b>- योग-</b>                                                                                                                      | 0                     | 1,000     | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| <b>विपन्न कोड-</b>                                                                                                                 | <b>N2700020010001</b> |           |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

प्रशिक्षण व्यय मद में टोकन मनी के रूप राशि की आवश्यकता है एवं शेष राशि पुनर्विनियोग द्वारा उपबंधित करायी जायेगी । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

22D

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                                                 |                       |           |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                                           |                       |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                           | चरम परिव्यय           |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                              | आवर्तक                | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                            | 2                     | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                          |                       |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2701 - मध्यम सिंचाई<br>04 - क्यूल बडुआ-चन्दन बेसीन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)<br>001 - निदेशन तथा प्रशासन<br>0001 - स्थापना | रूपये में             | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                            |                       |           |           |                |                |              |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                                                                          | 0                     | 1,000     | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| <b>- योग-</b>                                                                                                                                | 0                     | 1,000     | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| <b>विपन्न कोड-</b>                                                                                                                           | <b>N2701040010001</b> |           |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

प्रशिक्षण व्यय मद में टोकन मनी के रूप राशि की आवश्यकता है एवं शेष राशि पुनर्विनियोग द्वारा उपबंधित करायी जायेगी । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

21D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                                     |             |           |                       |                             |                             |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                               |             |           |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                               | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                  | आवर्तक      | अनावर्तक  |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                | 2           | 3         | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                              |             |           |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2701 - मध्यम सिंचाई<br>80 - सामान्य<br>001 - निदेशन तथा प्रशासन<br>0001 - मुख्यालय स्थापना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                                                              | 0           | 1,000     | 0                     | 0                           | 1,000                       | 1,000                     |
| <u>योग-</u>                                                                                                                      | 0           | 1,000     | 0                     | 0                           | 1,000                       | 1,000                     |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>N2701800010001</b>                                                                                         |             |           |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्रशिक्षण व्यय मद में टोकन मनी के रूप राशि की आवश्यकता है एवं शेष राशि पुनर्विनियोग द्वारा उपबंधित करायी जायेगी । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

20D

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                                                  |             |           |                       |                             |                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                                            |             |           |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                            | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                               | आवर्तक      | अनावर्तक  |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                             | 2           | 3         | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                           |             |           |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2701 - मध्यम सिंचाई<br>80 - सामान्य<br>001 - निदेशन तथा प्रशासन<br>0003 - निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                                                                           | 0           | 1,000     | 0                     | 0                           | 1,000                       | 1,000                     |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                   | 0           | 1,000     | 0                     | 0                           | 1,000                       | 1,000                     |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>N2701800010003</b>                                                                                                      |             |           |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्रशिक्षण व्यय मद में टोकन मनी के रूप राशि की आवश्यकता है एवं शेष राशि पुनर्विनियोग द्वारा उपबंधित करायी जायेगी । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

19D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                              |             |                |              |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                    |             |                |              |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                    | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                       | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                     | 2           | 3              | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 50</b>                                                                                                                   |             |                |              |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 2702 - लघु सिंचाई<br>02 - भू-जल<br>016 - आर्थिक सहायता<br>0101 - बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                            | 0           | 4,45,20,00,000 | 25,20,00,000 | 25,20,00,000   | 4,45,20,00,000 | 4,20,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                           | 0           | 4,45,20,00,000 | 25,20,00,000 | 25,20,00,000   | 4,45,20,00,000 | 4,20,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2702020160101</b>                                                                                              |             |                |              |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना हेतु सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                               |             |              |             |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                     |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                     | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                        | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                      | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 50</b>                                                                                                                    |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2702 - लघु सिंचाई<br>02 - भू-जल<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0101 - बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                      |             |              |             |                |                |              |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के - निर्माण                                                                                           | 0           | 84,80,00,000 | 4,80,00,000 | 4,80,00,000    | 84,80,00,000   | 80,00,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                            | 0           | 84,80,00,000 | 4,80,00,000 | 4,80,00,000    | 84,80,00,000   | 80,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड- P2702027890101</b>                                                                                                      |             |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना हेतु सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

95D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                           |             |              |             |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                 |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                 | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                    | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                  | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 50</b>                                                                |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2702 - लघु सिंचाई<br>03 - रख-रखाव<br>103 - नलकूप<br>0104 - निजी नलकूप | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                  |             |              |             |                |                |              |
| 2701 लघु कार्य                                                                     | 0           | 12,38,35,000 | 5,48,35,000 | 5,48,35,000    | 12,38,35,000   | 6,90,00,000  |
| <b>योग-</b>                                                                        | 0           | 12,38,35,000 | 5,48,35,000 | 5,48,35,000    | 12,38,35,000   | 6,90,00,000  |
| <b>विपत्र कोड- P2702031030104</b>                                                  |             |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

निजी नलकूप रख रखाव हेतु लघु कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

98D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                             |                       |             |             |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                   |                       |             |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                   | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                      | आवर्तक                | अनावर्तक    | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                    | 2                     | 3           | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 50</b>                                                                                                  |                       |             |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2702 - लघु सिंचाई<br>03 - रख-रखाव<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0101 - निजी नलकूप | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                    |                       |             |             |                |                |              |
| 2701 लघु कार्य                                                                                                       | 0                     | 6,11,65,000 | 4,51,65,000 | 4,51,65,000    | 6,11,65,000    | 1,60,00,000  |
| - <b>योग-</b>                                                                                                        | 0                     | 6,11,65,000 | 4,51,65,000 | 4,51,65,000    | 6,11,65,000    | 1,60,00,000  |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                                   | <b>P2702037890101</b> |             |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

निजी नलकूप योजना के तहत लघु कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

97D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                     |                       |              |              |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                           |                       |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                           | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                              | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                            | 2                     | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                          |                       |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2705 - कमान क्षेत्र विकास<br>00 -<br>001 - निदेशन तथा प्रशासन<br>0102 - क्षेत्र विकास कमाण्ड स्तर (ए०आई०बी०पी०) | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                            |                       |              |              |                |                |              |
| 3104 सहायक अनुदान-वेतन                                                                                                       | 0                     | 57,20,00,000 | 29,20,00,000 | 29,20,00,000   | 57,20,00,000   | 28,00,00,000 |
| - <b>योग-</b>                                                                                                                | 0                     | 57,20,00,000 | 29,20,00,000 | 29,20,00,000   | 57,20,00,000   | 28,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                                           | <b>P2705000010102</b> |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

ए०आई०बी०पी० योजना के अंतर्गत सहायक अनुदान वेतन मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

15D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                                 |             |           |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                           |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                           | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                              | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                          |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2711 - बाढ़ नियंत्रण तथा जल विकास<br>01 - बाढ़ नियंत्रण<br>001 - निदेशन तथा प्रशासन<br>0003 - क्षेत्रीय स्थापना | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                            |             |           |           |                |                |              |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                                                          | 0           | 1,000     | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| - <b>योग-</b>                                                                                                                | 0           | 1,000     | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| <b>विपत्र कोड-</b> N2711010010003                                                                                            |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्रशिक्षण व्यय मद में टोकन मनी के रूप राशि की आवश्यकता है एवं शेष राशि की व्यवस्था पुर्नविनियोग के माध्यम से की जायेगी। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

18D

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                           |             |           |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                     |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                     | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                        | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                      | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                    |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2711 - बाढ़ नियंत्रण तथा जल विकास<br>03 - जल-विकास<br>001 - निदेशन और प्रशासन<br>0001 - क्षेत्रीय स्थापना | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                      |             |           |           |                |                |              |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                                                    | 0           | 1,000     | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| - <b>योग-</b>                                                                                                          | 0           | 1,000     | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| <b>विपत्र कोड-</b> N2711030010001                                                                                      |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्रशिक्षण व्यय मद में टोकन मनी के रूप राशि की आवश्यकता है एवं शेष राशि की व्यवस्था पुर्नविनियोग के माध्यम से की जायेगी। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

17D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Non Plan     |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | मतदेय        |           | Voted          |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                                                    | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2801 - बिजली<br>02 - ताप विद्युत उत्पादन<br>190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में सहायता<br>0001 - बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० (सम विकास योजना के अन्तर्गत सामानों पर भुगतान किए गए प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3301 सब्सिडी                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 10,00,00,000 | 0         | 0              | 10,00,00,000   | 10,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 10,00,00,000 | 0         | 0              | 10,00,00,000   | 10,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>N2801021900001</b>                                                                                                                                                                                                                              |             |              |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० (सम विकास योजना) हेतु सब्सिडी मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

160D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                       |             |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                                                    | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | आवर्तक                | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                     | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2801 - बिजली<br>05 - संचरण तथा वितरण<br>190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में सहायता<br>0001 - नॉथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सामनों पर भुगतान किये गए प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति) | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |             |           |                |                |              |
| 3301 सब्सिडी                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 5,00,00,000 | 0         | 0              | 5,00,00,000    | 5,00,00,000  |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 5,00,00,000 | 0         | 0              | 5,00,00,000    | 5,00,00,000  |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>N2801051900001</b> |             |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

नॉथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) हेतु सब्सिडी मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

161D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Non Plan    |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | मतदेय       |           | Voted          |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                                                     | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | आवर्तक                | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                     | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2801 - बिजली<br>05 - संचरण तथा वितरण<br>190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में सहायता<br>0004 - साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सामनों पर भुगतान किये गए प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति) | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                                                                                                                               |                       |             |           |                |                |              |
| 3301 सब्सिडी                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 5,00,00,000 | 0         | 0              | 5,00,00,000    | 5,00,00,000  |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 5,00,00,000 | 0         | 0              | 5,00,00,000    | 5,00,00,000  |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>N2801051900004</b> |             |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) हेतु सब्सिडी मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

162D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Non Plan     |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |                       | मतदेय        |           | Voted          |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                            | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                               | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | 2                     | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2801 - बिजली<br>05 - संचरण तथा वितरण<br>190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में सहायता<br>0005 - बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० (सम विकास योजना के अन्तर्गत सामानों पर भुगतान किए गए प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति) | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |           |                |                |              |
| 3301 सब्सिडी                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 10,00,00,000 | 0         | 0              | 10,00,00,000   | 10,00,00,000 |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                                                                                                            | 0                     | 10,00,00,000 | 0         | 0              | 10,00,00,000   | 10,00,00,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                                                                                                                     | <b>N2801051900005</b> |              |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० (सम विकास योजना के अन्तर्गत सामानों पर भुगतान किए गए प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति) हेतु सब्सिडी मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

163D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                             |                       |              |              |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                   |                       |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                   | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                      | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                    | 2                     | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                  |                       |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2810 - अपारंपरिक उर्जा स्रोत<br>60 - अन्य<br>600 - उर्जा के अन्य स्रोत<br>0101 - अपरम्परागत उर्जा स्रोत | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                             |                       |              |              |                |                |              |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                   | 0                     | 47,60,00,000 | 12,60,00,000 | 12,60,00,000   | 47,60,00,000   | 35,00,00,000 |
| <b>- योग-</b>                                                                                                        | 0                     | 47,60,00,000 | 12,60,00,000 | 12,60,00,000   | 47,60,00,000   | 35,00,00,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                            | <b>P2810606000101</b> |              |              |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

ब्रेडा संस्था को सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अपरम्परागत उर्जा स्रोत हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

139D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                         |                       | State Plan  |           |                      |                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                |                       | मतदेय       |           | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                             | चरम परिव्यय           | आय-व्ययक    |           | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                |                       | आवर्तक      | अनावर्तक  |                      |                                |                           |
| 1                                                                                                                              | 2                     | 3           | 4         | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 23</b>                                                                                                            |                       |             |           |                      |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग<br>00 -<br>103 - हथकरघा उद्योग<br>0113 - शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढीकरण | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                       |                       |             |           |                      |                                |                           |
| 0501 पुरस्कार                                                                                                                  | 0                     | 13,00,000   | 3,75,000  | 3,75,000             | 13,00,000                      | 9,25,000                  |
| 2003 - प्रशिक्षण व्यय                                                                                                          | 0                     | 10,00,000   | 2,75,000  | 2,75,000             | 10,00,000                      | 7,25,000                  |
| 2601 विज्ञापन और प्रकाशन                                                                                                       | 0                     | 1,34,50,000 | 55,00,000 | 55,00,000            | 1,34,50,000                    | 79,50,000                 |
| 2701 लघु कार्य                                                                                                                 | 0                     | 2,04,00,000 | 0         | 0                    | 2,04,00,000                    | 2,04,00,000               |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                             | 0                     | 3,61,50,000 | 61,50,000 | 61,50,000            | 3,61,50,000                    | 3,00,00,000               |
| <u><b>विपन्न कोड-</b></u>                                                                                                      | <b>P2851001030113</b> |             |           |                      |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढीकरण हेतु विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

59D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                |             |              |             |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                      |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                      | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                         | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                       | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 23</b>                                                                                     |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग<br>00 -<br>104 - हस्तशिल्प उद्योग<br>0101 - हस्तशिल्प का विकास | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                       |             |              |             |                |                |              |
| 2601 विज्ञापन और प्रकाशन                                                                                | 0           | 6,01,49,000  | 4,01,49,000 | 4,01,49,000    | 6,01,49,000    | 2,00,00,000  |
| 3106 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                    | 0           | 5,00,00,000  | 0           | 0              | 5,00,00,000    | 5,00,00,000  |
| <b>योग-</b>                                                                                             | 0           | 11,01,49,000 | 4,01,49,000 | 4,01,49,000    | 11,01,49,000   | 7,00,00,000  |
| <b>विपत्र कोड- P2851001040101</b>                                                                       |             |              |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

हस्तशिल्प का विकास हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

150D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                |                       |              |             |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                      |                       |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                      | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                         | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                       | 2                     | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 23</b>                                                                                                                     |                       |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग<br>00 -<br>105 - खादी ग्रामोद्योग<br>0101 - बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                |                       |              |             |                |                |              |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                                      | 0                     | 19,00,00,000 | 5,00,00,000 | 5,00,00,000    | 19,00,00,000   | 14,00,00,000 |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                      | 0                     | 19,00,00,000 | 5,00,00,000 | 5,00,00,000    | 19,00,00,000   | 14,00,00,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                               | <b>P2851001050101</b> |              |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

51D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                              |                       |              |              |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                    |                       |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                    | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                       | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                     | 2                     | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 25</b>                                                                                                   |                       |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2852 - उद्योग<br>07 - दूर-संचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग<br>202 - इलेक्ट्रानिक<br>0108 - स्टेट डाटा सेन्टर | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                              |                       |              |              |                |                |              |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                      | 0                     | 19,62,00,000 | 10,00,00,000 | 10,00,00,000   | 19,62,00,000   | 9,62,00,000  |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                    | 0                     | 19,62,00,000 | 10,00,00,000 | 10,00,00,000   | 19,62,00,000   | 9,62,00,000  |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                             | <b>P2852072020108</b> |              |              |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

स्टेट डाटा सेन्टर हेतु व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

111D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                   |                       | State Plan   |              |                             |                             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                          |                       | मतदेय        |              | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                       | चरम परिव्यय           | आय-व्ययक     |              | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                          |                       | आवर्तक       | अनावर्तक     |                             |                             |                           |
| 1                                                                                        | 2                     | 3            | 4            | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 45</b>                                                                      |                       |              |              |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2852 - उद्योग<br>08 - उपभोक्ता उद्योग<br>201 - चीनी<br>0103 - आर्थिक सहायता |                       |              |              |                             |                             |                           |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                        | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                       | 0                     | 25,75,00,000 | 20,75,00,000 | 20,75,00,000                | 25,75,00,000                | 5,00,00,000               |
| - <u>योग-</u>                                                                            | 0                     | 25,75,00,000 | 20,75,00,000 | 20,75,00,000                | 25,75,00,000                | 5,00,00,000               |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                       | <b>P2852082010103</b> |              |              |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

गन्ना सर्वेक्षण नीति 2013 के अंतर्गत गन्ना तौल एवं तौल सेतुओं के कम्प्यूटराईजेशन के निमित्त सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

63D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                            |                       | State Plan   |             |                       |                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   |                       | मतदेय        |             | Voted                 |                             |                             |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                | चरम परिव्यय           |              |             | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 |
|                                                                                                                   |                       | आवर्तक       | अनावर्तक    |                       |                             | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014   |
| 1                                                                                                                 | 2                     | 3            | 4           | 5                     | 6 = 5+7                     | 7                           |
| <b>मांग सं०- 23</b>                                                                                               |                       |              |             |                       |                             |                             |
| मुख्य शीर्ष- 2852 - उद्योग<br>80 - सामान्य<br>102 - औद्योगिक उत्पादकता<br>0110 - औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार |                       |              |             |                       |                             |                             |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                 | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                | 0                     | 14,40,00,000 | 7,40,00,000 | 7,40,00,000           | 14,40,00,000                | 7,00,00,000                 |
| - <u>योग-</u>                                                                                                     | 0                     | 14,40,00,000 | 7,40,00,000 | 7,40,00,000           | 14,40,00,000                | 7,00,00,000                 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                | <b>P2852801020110</b> |              |             |                       |                             |                             |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

औद्योगिक क्षेत्र एवं प्रांगणों में आधारभूति सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

153D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                     |             |             |                       |                                |                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                           |             |             |                       |                                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                           | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान<br>धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                              | आवर्तक      | अनावर्तक    |                       |                                |                                |                           |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3           | 4                     | 5                              | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 23</b>                                                                                                          |             |             |                       |                                |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2852 - उद्योग<br>80 - सामान्य<br>102 - औद्योगिक उत्पादकता<br>0135 - इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में             | रूपये में                      | रूपये में                      | रूपये में                 |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                     |             |             |                       |                                |                                |                           |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                                                          | 0           | 7,00,00,000 | 0                     | 0                              | 7,00,00,000                    | 7,00,00,000               |
| <b>- योग-</b>                                                                                                                | 0           | 7,00,00,000 | 0                     | 0                              | 7,00,00,000                    | 7,00,00,000               |
| <b>विपन्न कोड- P2852801020135</b>                                                                                            |             |             |                       |                                |                                |                           |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना हेतु प्रशिक्षण व्यय मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

184D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                 |             |              |                       |                                |                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                       |             |              |                       |                                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                       | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान<br>धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                          | आवर्तक      | अनावर्तक     |                       |                                |                                |                           |
| 1                                                                                                                        | 2           | 3            | 4                     | 5                              | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 23</b>                                                                                                      |             |              |                       |                                |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2852 - उद्योग<br>80 - सामान्य<br>102 - औद्योगिक उत्पादकता<br>0159 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में             | रूपये में                      | रूपये में                      | रूपये में                 |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                 |             |              |                       |                                |                                |                           |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                               | 0           | 30,00,00,000 | 20,00,00,000          | 20,00,00,000                   | 30,00,00,000                   | 10,00,00,000              |
| <b>- योग-</b>                                                                                                            | 0           | 30,00,00,000 | 20,00,00,000          | 20,00,00,000                   | 30,00,00,000                   | 10,00,00,000              |
| <b>विपन्न कोड- P2852801020159</b>                                                                                        |             |              |                       |                                |                                |                           |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन हेतु सहायक अनुदान परिसंपत्ति के निर्माण मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

185D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                 |                               | State Plan  |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                        |                               | मतदेय       |                | Voted          |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                     |                               | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                        |                               | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                      |                               | 2           | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 23</b>                                                                                                                    |                               |             |                |                |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 2852 - उद्योग<br>80 - सामान्य<br>102 - औद्योगिक उत्पादकता<br>0160 - प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट- प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना |                               | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                      |                               |             |                |                |                |                |                |
| 3106                                                                                                                                   | सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा | 0           | 5,00,00,00,000 | 3,00,00,00,000 | 3,00,00,00,000 | 5,00,00,00,000 | 2,00,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                            |                               | 0           | 5,00,00,00,000 | 3,00,00,00,000 | 3,00,00,00,000 | 5,00,00,00,000 | 2,00,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2852801020160</b>                                                                                               |                               |             |                |                |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

137D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                           | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                              | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3           | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 23</b>                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2852 - उद्योग<br>80 - सामान्य<br>102 - औद्योगिक उत्पादकता<br>0163 - व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव-बिहार व्यापार विकास कोष<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2701 लघु कार्य                                                                                                                                                                                                               | 0           | 7,15,00,000 | 5,15,00,000 | 5,15,00,000    | 7,15,00,000    | 2,00,00,000  |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 7,15,00,000 | 5,15,00,000 | 5,15,00,000    | 7,15,00,000    | 2,00,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P2852801020163</b>                                                                                                                                                                                     |             |             |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु लघु कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

52D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                                    |                       |           |           |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                              |                       |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                              | चरम परिव्यय           |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                 | आवर्तक                | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                               | 2                     | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 45</b>                                                                             |                       |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ<br>00 -<br>090 - सचिवालय<br>0002 - गन्ना उद्योग विभाग |                       |           |           |                |                |              |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                               | रूपये में             | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 0101 वेतन                                                                                       | 56,47,000             | 0         | 38,47,000 | 38,47,000      | 56,47,000      | 18,00,000    |
| 0103 - जीवन यापन भत्ता                                                                          | 41,50,000             | 0         | 34,00,000 | 34,00,000      | 41,50,000      | 7,50,000     |
| 0104 मकान किराया भत्ता                                                                          | 7,22,000              | 0         | 5,72,000  | 5,72,000       | 7,22,000       | 1,50,000     |
| 0105 परिवहन भत्ता                                                                               | 1,74,000              | 0         | 84,000    | 84,000         | 1,74,000       | 90,000       |
| 0106 चिकित्सा भत्ता                                                                             | 25,000                | 0         | 23,000    | 23,000         | 25,000         | 2,000        |
| 0107 अन्य भत्ता                                                                                 | 40,000                | 0         | 39,000    | 39,000         | 40,000         | 1,000        |
| <b>योग-</b>                                                                                     | 1,07,58,000           | 0         | 79,65,000 | 79,65,000      | 1,07,58,000    | 27,93,000    |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                              | <b>N3451000900002</b> |           |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

गन्ना उद्योग विभाग में वेतनादि मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

47D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                |                | Non Plan  |           |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                 |                |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                          | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                             | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                           | 2              | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 09                                                                                |                |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ<br>00 -<br>090 - सचिवालय<br>0005 - सहकारिता विभाग |                |           |           |                |                |              |
| विषय शीर्ष                                                                                  | रूपये में      | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                         | 0              | 25,000    | 0         | 0              | 25,000         | 25,000       |
| योग-                                                                                        | 0              | 25,000    | 0         | 0              | 25,000         | 25,000       |
| विपत्र कोड-                                                                                 | N3451000900005 |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

सहकारिता विभाग के लिए प्रशिक्षण व्यय मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

112D

| आयोजना भिन्न                                                                                 |                | Non Plan  |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                  |                |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                           | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                              | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                            | 2              | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 49                                                                                 |                |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ<br>00 -<br>090 - सचिवालय<br>0009 - जल संसाधन विभाग |                |           |           |                |                |              |
| विषय शीर्ष                                                                                   | रूपये में      | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2003 प्रशिक्षण व्यय                                                                          | 0              | 1,000     | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| योग-                                                                                         | 0              | 1,000     | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| विपत्र कोड-                                                                                  | N3451000900009 |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्रशिक्षण व्यय मद में टोकन मनी के रूप राशि की आवश्यकता है एवं शेष राशि की व्यवस्था पुर्नविनियोग के माध्यम से की जाएगी। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

16D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                             |             |           |             |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                       |             |           |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                       | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                          | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                        | 2           | 3         | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                      |             |           |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ<br>00 -<br>090 - सचिवालय<br>0017 - उर्जा विभाग | रूपये में   | रूपये में | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                        |             |           |             |                |                |              |
| 0101 वेतन                                                                                | 72,22,000   | 0         | 64,32,000   | 64,32,000      | 72,22,000      | 7,90,000     |
| 0103 - जीवन यापन भत्ता                                                                   | 57,99,000   | 0         | 54,67,000   | 54,67,000      | 57,99,000      | 3,32,000     |
| 0104 मकान किराया भत्ता                                                                   | 7,08,000    | 0         | 5,50,000    | 5,50,000       | 7,08,000       | 1,58,000     |
| 0107 अन्य भत्ता                                                                          | 97,000      | 0         | 54,000      | 54,000         | 97,000         | 43,000       |
| 1101 यात्रा व्यय                                                                         | 7,00,000    | 0         | 5,50,000    | 5,50,000       | 7,00,000       | 1,50,000     |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                       | 5,70,000    | 0         | 3,70,000    | 3,70,000       | 5,70,000       | 2,00,000     |
| 1302 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव                                                            | 10,50,000   | 0         | 9,00,000    | 9,00,000       | 10,50,000      | 1,50,000     |
| 1303 दूरभाष                                                                              | 2,00,000    | 0         | 1,00,000    | 1,00,000       | 2,00,000       | 1,00,000     |
| 5101 मोटर गाड़ी                                                                          | 12,20,000   | 0         | 0           | 0              | 12,20,000      | 12,20,000    |
| <b>योग-</b>                                                                              | 1,75,66,000 | 0         | 1,44,23,000 | 1,44,23,000    | 1,75,66,000    | 31,43,000    |
| <b>विपत्र कोड- N3451000900017</b>                                                        |             |           |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

वेतनादि एवं यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन, दूरभाष, मोटर गाड़ी मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

138D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                   |                       | Non Plan  |           |                             |                             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                |                       | मतदेय     |           | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                             | चरम परिव्यय           | आय-व्ययक  |           | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                |                       | आवर्तक    | अनावर्तक  |                             |                             |                           |
| 1                                                                                              | 2                     | 3         | 4         | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 16</b>                                                                            |                       |           |           |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ<br>00 -<br>090 - सचिवालय<br>0028 - पंचायती राज विभाग |                       |           |           |                             |                             |                           |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                              | रूपये में             | रूपये में | रूपये में | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 1305 विधि प्रभार                                                                               | 0                     | 3,00,000  | 0         | 0                           | 3,00,000                    | 3,00,000                  |
| <u>योग-</u>                                                                                    | 0                     | 3,00,000  | 0         | 0                           | 3,00,000                    | 3,00,000                  |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                             | <b>N3451000900028</b> |           |           |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पंचायत राज विभाग को विधि प्रभार मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

209D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                              |                | Non Plan  |             |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                               |                |           |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                        | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                           | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                         | 2              | 3         | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 46                                                                              |                |           |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 3452 - पर्यटन<br>80 - सामान्य<br>001 - निदेशन तथा प्रशासन<br>0001 - निदेशालय |                |           |             |                |                |              |
| विषय शीर्ष                                                                                | रूपये में      | रूपये में | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 0101 वेतन                                                                                 | 79,57,000      | 0         | 68,57,000   | 68,57,000      | 79,57,000      | 11,00,000    |
| 0103 जीवन यापन भत्ता                                                                      | 63,25,000      | 0         | 59,05,000   | 59,05,000      | 63,25,000      | 4,20,000     |
| 0104 मकान किराया भत्ता                                                                    | 13,65,000      | 0         | 12,45,000   | 12,45,000      | 13,65,000      | 1,20,000     |
| 0106 चिकित्सा भत्ता                                                                       | 80,000         | 0         | 72,000      | 72,000         | 80,000         | 8,000        |
| 0107 अन्य भत्ता                                                                           | 1,37,000       | 0         | 1,08,000    | 1,08,000       | 1,37,000       | 29,000       |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                        | 13,00,000      | 0         | 3,00,000    | 3,00,000       | 13,00,000      | 10,00,000    |
| 1303 दूरभाष                                                                               | 4,00,000       | 0         | 1,00,000    | 1,00,000       | 4,00,000       | 3,00,000     |
| 1304 विद्युत प्रभार                                                                       | 6,00,000       | 0         | 0           | 0              | 6,00,000       | 6,00,000     |
| 1401 किराया महसूल एवं कर                                                                  | 30,00,000      | 0         | 0           | 0              | 30,00,000      | 30,00,000    |
| 2101 सामग्री एवं पूर्तियां                                                                | 16,00,000      | 0         | 3,00,000    | 3,00,000       | 16,00,000      | 13,00,000    |
| 5201 मशीनें एवं उपस्कर                                                                    | 10,00,000      | 0         | 0           | 0              | 10,00,000      | 10,00,000    |
| योग-                                                                                      | 2,37,64,000    | 0         | 1,48,87,000 | 1,48,87,000    | 2,37,64,000    | 88,77,000    |
| विपत्र कोड-                                                                               | N3452800010001 |           |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पर्यटन निदेशालय के कार्यालय के स्थानांतरण के कारण तथा बकाया वेतनादि एवं अन्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

213D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                            |                       |           |           |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                  |                       |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                  | चरम परिव्यय           |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                     | आवर्तक                | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                   | 2                     | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 35</b>                                                                                                                                                 |                       |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 3454 - जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी<br>02 - सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी<br>204 - केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन<br>0120 - भारत सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना | रूपये में             | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                            |                       |           |           |                |                |              |
| 3104 सहायक अनुदान-वेतन                                                                                                                                              | 0                     | 1,000     | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                                          | 0                     | 1,000     | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                         | 0                     | 2,000     | 0         | 0              | 2,000          | 2,000        |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                                           | <b>P3454022040120</b> |           |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना हेतु विभिन्न मदों में टोकन मनी के रूप में राशि की आवश्यकता है एवं शेष राशि पुनर्विनियोग द्वारा उपबंधित करायी जायेगी। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

85D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना                                                                                                                                                               |                | Central Sponsored Plan Scheme |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                                                                                  |                |                               |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                           | चरम परिव्यय    |                               | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                              | आवर्तक         | अनावर्तक                      | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                            | 2              | 3                             | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 35                                                                                                                                                                                 |                |                               |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 3454 - जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी<br>02 - सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी<br>204 - केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन<br>0620 - भारत सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में      | रूपये में                     | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3104 सहायक अनुदान-वेतन                                                                                                                                                                       | 0              | 1,000                         | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| 3105 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण                                                                                                                                                   | 0              | 1,000                         | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                                                                                           | 0              | 1,000                         | 0         | 0              | 1,000          | 1,000        |
| योग-                                                                                                                                                                                         | 0              | 3,000                         | 0         | 0              | 3,000          | 3,000        |
| विपत्र कोड-                                                                                                                                                                                  | C3454022040620 |                               |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना हेतु विभिन्न मदों में टोकन मनी के रूप में राशि की आवश्यकता है एवं शेष राशि पुनर्विनियोग द्वारा उपबंधित करायी जायेगी। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

84D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                  |             |           |           |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                            |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                            | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                               | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                             | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 18</b>                                                                                           |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 3456 - सिविल पूर्ति<br>00 -<br>001 - निदेशन तथा प्रशासन<br>0003 - जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                             |             |           |           |                |                |              |
| 2601 विज्ञापन और प्रकाशन                                                                                      | 0           | 10,00,000 | 4,00,000  | 4,00,000       | 10,00,000      | 6,00,000     |
| <b>योग-</b>                                                                                                   | 0           | 10,00,000 | 4,00,000  | 4,00,000       | 10,00,000      | 6,00,000     |
| <b>विपत्र कोड-</b> N3456000010003                                                                             |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

विज्ञापन और प्रकाशन मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

87D

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                                     |             |           |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                               |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                               | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                  | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 01</b>                                                                                                              |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ<br>00 -<br>106 - भार और माप का विनियमन<br>0001 - माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                |             |           |           |                |                |              |
| 0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति                                                                                                        | 0           | 2,43,000  | 50,000    | 50,000         | 2,43,000       | 1,93,000     |
| <b>- योग-</b>                                                                                                                    | 0           | 2,43,000  | 50,000    | 50,000         | 2,43,000       | 1,93,000     |
| <b>विपत्र कोड-</b> N3475001060001                                                                                                |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

53D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| केन्द्रीय योजनागत योजना                                                                                                          |                | Central Plan Scheme |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                      |                |                     |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                               | चरम परिव्यय    |                     | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                  | आवर्तक         | अनावर्तक            | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                | 2              | 3                   | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 01                                                                                                                     |                |                     |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ<br>00 -<br>106 - भार और माप का विनियमन<br>0402 - वैद्यानिक मापविद्या के सुदृढीकरण |                |                     |           |                |                |              |
| विषय शीर्ष                                                                                                                       | रूपये में      | रूपये में           | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                                                               | 0              | 2,00,00,000         | 0         | 0              | 2,00,00,000    | 2,00,00,000  |
| - योग-                                                                                                                           | 0              | 2,00,00,000         | 0         | 0              | 2,00,00,000    | 2,00,00,000  |
| विपत्र कोड-                                                                                                                      | S3475001060402 |                     |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

वैद्यनिक मापविद्या के सुदृढीकरण हेतु राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

243D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                    |                       |                |           |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                          |                       |                |           |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा          | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                             | आवर्तक                | अनावर्तक       | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                           | 2                     | 3              | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 40</b>                                         |                       |                |           |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय |                       |                |           |                |                |                |
| 00 -                                                        |                       |                |           |                |                |                |
| 050 - भूमि                                                  |                       |                |           |                |                |                |
| 0106 - भूमि बैंक योजना                                      |                       |                |           |                |                |                |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                           | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| 5302 - भू-अर्जन                                             | 0                     | 2,00,54,72,000 | 54,72,000 | 54,72,000      | 2,00,54,72,000 | 2,00,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                 | 0                     | 2,00,54,72,000 | 54,72,000 | 54,72,000      | 2,00,54,72,000 | 2,00,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                          | <b>P4047000500106</b> |                |           |                |                |                |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

जिला मुख्यालयों, अनुमंडल मुख्यालयों एवं प्रखंड मुख्यालयों में भूमि बैंक के स्थापना हेतु भू अर्जन मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

149D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                  |             |           |           |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                        |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                        | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                           | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                         | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 38</b>                                                                                                                                                       |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय<br><br>00 -<br>051 - निर्माण<br>0103 - भवन निर्माण-निबंधन विभाग के कार्यालयों के लिए<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                | 0           | 99,00,000 | 0         | 0              | 99,00,000      | 99,00,000    |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                               | 0           | 99,00,000 | 0         | 0              | 99,00,000      | 99,00,000    |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4047000510103</b>                                                                                                                                  |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

निबंधन विभाग के कार्यालयों के निर्माण हेतु निबंधन विभाग के कार्यालय के भवन निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

110D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                  |                       |                |              |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                        |                       |                |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                        | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                           | आवर्तक                | अनावर्तक       | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                         | 2                     | 3              | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 03</b>                                                                                                                       |                       |                |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय<br><br>01 - कार्यालय भवन<br>051 - निर्माण<br>0101 - भवन<br><br><u>विषय शीर्ष</u> |                       | रूपये में      | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                | 0                     | 1,55,78,06,000 | 68,00,00,000 | 68,00,00,000   | 1,55,78,06,000 | 87,78,06,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                               | 0                     | 1,55,78,06,000 | 68,00,00,000 | 68,00,00,000   | 1,55,78,06,000 | 87,78,06,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                        | <b>P4059010510101</b> |                |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

भवनों के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

92D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                 |                       |             |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                       |                       |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा       | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                          | आवर्तक                | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                        | 2                     | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 03</b>                                      |                       |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय |                       |             |           |                |                |              |
| 01 - कार्यालय भवन                                        |                       |             |           |                |                |              |
| 051 - निर्माण                                            |                       |             |           |                |                |              |
| 0119 - कृषि कार्यालय भवन                                 |                       | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                        | रूपये में             |             |           |                |                |              |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                               | 0                     | 5,00,00,000 | 0         | 0              | 5,00,00,000    | 5,00,00,000  |
| <u>योग-</u>                                              | 0                     | 5,00,00,000 | 0         | 0              | 5,00,00,000    | 5,00,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                       | <b>P4059010510119</b> |             |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

कृषि कार्यालय भवन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

181D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                  |                       |              |              |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                        |                       |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                        | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                           | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                         | 2                     | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 03</b>                                                                                                                                       |                       |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय<br><br>60 - अन्य भवन<br>051 - निर्माण<br>0106 - स्टेडियम एवं खेल संरचना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                | 0                     | 23,62,00,000 | 15,12,00,000 | 15,12,00,000   | 23,62,00,000   | 8,50,00,000  |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                               | 0                     | 23,62,00,000 | 15,12,00,000 | 15,12,00,000   | 23,62,00,000   | 8,50,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                        | <b>P4059600510106</b> |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

स्टेडियम एवं खेल संरचना हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

117D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                            |                       |              |             |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                  |                       |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                  | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                     | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                   | 2                     | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं0- 03</b>                                                                                                                                 |                       |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय<br><br>60 - अन्य भवन<br>051 - निर्माण<br>0107 - सांस्कृतिक संरचना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> |                       | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2801 - व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                  | 0                     | 12,00,00,000 | 7,00,00,000 | 7,00,00,000    | 12,00,00,000   | 5,00,00,000  |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                         | 0                     | 12,00,00,000 | 7,00,00,000 | 7,00,00,000    | 12,00,00,000   | 5,00,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                  | <b>P4059600510107</b> |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बिहार संग्रहालय निर्माण हेतु व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

118D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                                                    |                       | State Plan   |              |                             |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                       | मतदेय        |              | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                        | चरम परिव्यय           | आय-व्ययक     |              | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                           |                       | आवर्तक       | अनावर्तक     |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                         | 2                     | 3            | 4            | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 03</b>                                                                                                                                                       |                       |              |              |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय<br><br>80 - सामान्य<br>051 - निर्माण<br><br>0105 - न्यायिक भवन हेतु (विधि विभाग के लिए)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> |                       |              |              |                             |                             |                           |
|                                                                                                                                                                           | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                | 0                     | 53,51,82,000 | 50,46,82,000 | 50,46,82,000                | 53,51,82,000                | 3,05,00,000               |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                               | 0                     | 53,51,82,000 | 50,46,82,000 | 50,46,82,000                | 53,51,82,000                | 3,05,00,000               |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                                        | <b>P4059800510105</b> |              |              |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

न्यायिक भवन हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

148D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना                                                                                                                         |                | Central Sponsored Plan Scheme |           |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                                            |                |                               |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                     | चरम परिव्यय    |                               | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                        | आवर्तक         | अनावर्तक                      | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                      | 2              | 3                             | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 03                                                                                                                                           |                |                               |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय<br><br>80 - सामान्य<br><br>051 - निर्माण<br><br>0604 - न्यायिक भवनें<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में      | रूपये में                     | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                             | 0              | 12,74,00,000                  | 50,00,000 | 50,00,000      | 12,74,00,000   | 12,24,00,000 |
| योग-                                                                                                                                                   | 0              | 12,74,00,000                  | 50,00,000 | 50,00,000      | 12,74,00,000   | 12,24,00,000 |
| विपत्र कोड-                                                                                                                                            | C4059800510604 |                               |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

न्यायिक भवन के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

145D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                         |             |                 |                |                |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                               |             |                 |                |                |                 |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                               | चरम परिव्यय |                 | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान  | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                  | आवर्तक      | अनावर्तक        | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014       | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                | 2           | 3               | 4              | 5              | 6 = 5+7         | 7              |
| <b>मांग सं०- 35</b>                                                                                                              |             |                 |                |                |                 |                |
| मुख्य शीर्ष- 4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>00 -<br>051 - निर्माण<br>0107 - मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना | रूपये में   | रूपये में       | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में       | रूपये में      |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                |             |                 |                |                |                 |                |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                         | 0           | 11,15,00,00,000 | 2,55,00,00,000 | 2,55,00,00,000 | 11,15,00,00,000 | 8,60,00,00,000 |
| <b>- योग-</b>                                                                                                                    | 0           | 11,15,00,00,000 | 2,55,00,00,000 | 2,55,00,00,000 | 11,15,00,00,000 | 8,60,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड- P4070000510107</b>                                                                                                |             |                 |                |                |                 |                |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

24D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                  |             |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                        |             |                |                |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                        | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                                                           | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                                                         | 2           | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 21</b>                                                                                                                                                                       |             |                |                |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - सामान्य शिक्षा<br>202 - माध्यमिक शिक्षा<br>0103 - राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                         |             |                |                |                |                |                |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                | 0           | 6,58,00,01,000 | 1,58,00,01,000 | 1,58,00,01,000 | 6,58,00,01,000 | 5,00,00,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                               | 0           | 6,58,00,01,000 | 1,58,00,01,000 | 1,58,00,01,000 | 6,58,00,01,000 | 5,00,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड- P4202012020103</b>                                                                                                                                                         |             |                |                |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

80D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                            |                       |                |                |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                  |                       |                |                |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                  | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                     | आवर्तक                | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                     | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 21</b>                                                                                                                                                                 |                       |                |                |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - सामान्य शिक्षा<br>203 - विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा<br>0105 - भूमि-केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                   |                       |                |                |                |                |              |
| 5302 - भू-अर्जन                                                                                                                                                                     | 0                     | 1,75,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 1,75,00,00,000 | 75,00,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                         | 0                     | 1,75,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 1,75,00,00,000 | 75,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                                                                                                  | <b>P4202012030105</b> |                |                |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

केन्द्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के लिए भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

75D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                             |             |           |                       |                                |                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                   |             |           |                       |                                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                   | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान<br>धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                      | आवर्तक      | अनावर्तक  |                       |                                |                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                    | 2           | 3         | 4                     | 5                              | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 20</b>                                                                                                                                                  |             |           |                       |                                |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं<br>051 - निर्माण<br>0104 - शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण | रूपये में   | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                      | रूपये में                      | रूपये में                 |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                    |             |           |                       |                                |                                |                           |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                             | 0           | 80,00,000 | 0                     | 0                              | 80,00,000                      | 80,00,000                 |
| - <b>योग-</b>                                                                                                                                                        | 0           | 80,00,000 | 0                     | 0                              | 80,00,000                      | 80,00,000                 |
| <b>विपत्र कोड- P4210010510104</b>                                                                                                                                    |             |           |                       |                                |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

127D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                   |             |              |                       |                                |                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                         |             |              |                       |                                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                         | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान<br>धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                            | आवर्तक      | अनावर्तक     |                       |                                |                                |                           |
| 1                                                                                                                                                          | 2           | 3            | 4                     | 5                              | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 20</b>                                                                                                                                        |             |              |                       |                                |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>0111 - मेडिकल कॉलेज अस्पताल | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में             | रूपये में                      | रूपये में                      | रूपये में                 |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                          |             |              |                       |                                |                                |                           |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                   | 0           | 75,00,00,000 | 0                     | 0                              | 75,00,00,000                   | 75,00,00,000              |
| - <b>योग-</b>                                                                                                                                              | 0           | 75,00,00,000 | 0                     | 0                              | 75,00,00,000                   | 75,00,00,000              |
| <b>विपत्र कोड- P4210011100111</b>                                                                                                                          |             |              |                       |                                |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

मेडिकल कॉलेज अस्पताल हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

130D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                       |             |              |              |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                             |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                             | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                              | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 20</b>                                                                                                                                                                            |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>0113 - जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                                                       |             |              |              |                |                |              |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                       | 0           | 39,00,00,000 | 15,00,00,000 | 15,00,00,000   | 39,00,00,000   | 24,00,00,000 |
| - <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                                                           | 0           | 39,00,00,000 | 15,00,00,000 | 15,00,00,000   | 39,00,00,000   | 24,00,00,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u> <b>P4210011100113</b>                                                                                                                                                |             |              |              |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों के जीर्णोद्धार हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

131D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                                                                                                                               |                       | State Plan   |             |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | मतदेय        |             | Voted          |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                                   | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                     | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 20</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय<br>02 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं<br>103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र<br>0101 - रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |             |                |                |              |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 27,00,00,000 | 2,00,00,000 | 2,00,00,000    | 27,00,00,000   | 25,00,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 27,00,00,000 | 2,00,00,000 | 2,00,00,000    | 27,00,00,000   | 25,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>P4210021030101</b> |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

रेफरल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

132D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                           |             |           |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                 | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                    | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 20</b>                                                                                                                                                                                |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय<br>03 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान<br>050 - भूमि<br>0102 - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के लिए भूमि अर्जन | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                  |             |           |           |                |                |              |
| 5302 भू-अर्जन                                                                                                                                                                                      | 0           | 20,00,000 | 0         | 0              | 20,00,000      | 20,00,000    |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                        | 0           | 20,00,000 | 0         | 0              | 20,00,000      | 20,00,000    |
| <b>विपत्र कोड- P4210030500102</b>                                                                                                                                                                  |             |           |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के लिए भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

128D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                  |                       |                |                       |                             |                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                        |                       |                |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                        | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                           | आवर्तक                | अनावर्तक       |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                         | 2                     | 3              | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 20</b>                                                                                                                                       |                       |                |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय<br>03 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान<br>105 - एलोपैथी<br>0109 - मेडिकल कॉलेज | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                  |                       |                |                       |                             |                             |                           |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                  | 0                     | 1,75,00,00,000 | 0                     | 0                           | 1,75,00,00,000              | 1,75,00,00,000            |
| - <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                      | 0                     | 1,75,00,00,000 | 0                     | 0                           | 1,75,00,00,000              | 1,75,00,00,000            |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                                 | <b>P4210031050109</b> |                |                       |                             |                             |                           |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

मेडिकल कॉलेज हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

129D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                          |                       |                |                       |                             |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                |                       |                |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                   | आवर्तक                | अनावर्तक       |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                 | 2                     | 3              | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 36</b>                                                                                                                               |                       |                |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 4215 - जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>02 - मल-जल तथा सफाई<br>106 - मल-जल सेवाएं<br>0101 - ग्रामीण स्वच्छता-(रूरल सैनिटेशन) | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                          |                       |                |                       |                             |                             |                           |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                          | 0                     | 1,20,63,00,000 | 65,33,00,000          | 65,33,00,000                | 1,20,63,00,000              | 55,30,00,000              |
| - <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                              | 0                     | 1,20,63,00,000 | 65,33,00,000          | 65,33,00,000                | 1,20,63,00,000              | 55,30,00,000              |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                         | <b>P4215021060101</b> |                |                       |                             |                             |                           |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

ग्रामीण स्वच्छता मद में मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

187D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                     |             |             |                       |                             |                             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                           |             |             |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                           | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                              | आवर्तक      | अनावर्तक    |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                            | 2           | 3           | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 36</b>                                                                                                                                                          |             |             |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 4215 - जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>02 - मल-जल तथा सफाई<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0101 - ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सैनिटेशन) | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                                                            |             |             |                       |                             |                             |                           |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                     | 0           | 3,65,00,000 | 22,50,00,000          | 22,50,00,000                | 36,50,00,000                | 14,00,00,000              |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                                                                | 0           | 3,65,00,000 | 22,50,00,000          | 22,50,00,000                | 36,50,00,000                | 14,00,00,000              |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4215027890101</b>                                                                                                                                     |             |             |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

ग्रामीण स्वच्छता मद में मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

188D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                      |             |             |                       |                             |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                            |             |             |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                            | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                               | आवर्तक      | अनावर्तक    |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                             | 2           | 3           | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 36</b>                                                                                                                                           |             |             |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 4215 - जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>02 - मल-जल तथा सफाई<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना<br>0115 - ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सैनिटेशन) | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                                             |             |             |                       |                             |                             |                           |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                      | 0           | 2,87,00,000 | 2,17,00,000           | 2,17,00,000                 | 2,87,00,000                 | 70,00,000                 |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                                                 | 0           | 2,87,00,000 | 2,17,00,000           | 2,17,00,000                 | 2,87,00,000                 | 70,00,000                 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4215027960115</b>                                                                                                                      |             |             |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

ग्रामीण स्वच्छता मद में मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

189D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना <b>State Plan</b>                                                                                      |             |              |                       |                             |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                            |             |              |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                            | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                               | आवर्तक      | अनावर्तक     |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                             | 2           | 3            | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं0- 03</b>                                                                                           |             |              |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - सरकारी रिहायशी भवन<br>700 - अन्य आवास<br>0101 - अन्य आवास | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                             |             |              |                       |                             |                             |                           |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                      | 0           | 20,00,00,000 | 7,78,06,000           | 7,78,06,000                 | 20,00,00,000                | 12,21,94,000              |
| - <b>योग-</b>                                                                                                 | 0           | 20,00,00,000 | 7,78,06,000           | 7,78,06,000                 | 20,00,00,000                | 12,21,94,000              |
| <b>विपन्न कोड- P4216017000101</b>                                                                             |             |              |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

91D

| आयोजना <b>State Plan</b>                                                                                                            |             |           |                       |                             |                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                                  |             |           |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                  | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                     | आवर्तक      | अनावर्तक  |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                   | 2           | 3         | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं0- 03</b>                                                                                                                 |             |           |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - सरकारी रिहायशी भवन<br>700 - अन्य आवास<br>0105 - न्यायधियों के आवास (विधि विभाग) | रूपये में   | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                   |             |           |                       |                             |                             |                           |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                            | 0           | 76,00,000 | 0                     | 0                           | 76,00,000                   | 76,00,000                 |
| - <b>योग-</b>                                                                                                                       | 0           | 76,00,000 | 0                     | 0                           | 76,00,000                   | 76,00,000                 |
| <b>विपन्न कोड- P4216017000105</b>                                                                                                   |             |           |                       |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

न्यायाधीशों के आवास हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

147D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना                                                                                           |                | Central Sponsored Plan Scheme |           |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                              |                |                               |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                       | चरम परिव्यय    |                               | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                          | आवर्तक         | अनावर्तक                      | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                        | 2              | 3                             | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 03                                                                                                             |                |                               |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - सरकारी रिहायशी भवन<br>700 - अन्य आवास<br>0602 - न्यायिक आवासीय भवनें |                |                               |           |                |                |              |
| विषय शीर्ष                                                                                                               | रूपये में      | रूपये में                     | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                 | 0              | 3,25,00,000                   | 25,00,000 | 25,00,000      | 3,25,00,000    | 3,00,00,000  |
| - योग-                                                                                                                   | 0              | 3,25,00,000                   | 25,00,000 | 25,00,000      | 3,25,00,000    | 3,00,00,000  |
| विपत्र कोड-                                                                                                              | C4216017000602 |                               |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

न्यायालय आवासीय भवन हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

146D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                                        |                       |                |           |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                              |                       |                |           |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                              | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | आवर्तक                | अनावर्तक       | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | 2                     | 3              | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 44</b>                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |           |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण<br>051 - निर्माण<br>0101 - आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं अन्य भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                                                                                                        |                       |                |           |                |                |                |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 1,80,00,00,000 | 0         | 0              | 1,80,00,00,000 | 1,80,00,00,000 |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 1,80,00,00,000 | 0         | 0              | 1,80,00,00,000 | 1,80,00,00,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                                                                                                                       | <b>P4225010510101</b> |                |           |                |                |                |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

आवासीय विद्यालय छात्रावास एवं अन्य भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

62D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                                   |             |              |           |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                         |             |              |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                         | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                            | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 44</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय<br>02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण<br>277 - शिक्षा<br>0101 - आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |              |           |                |                |              |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 20,00,00,000 | 0         | 0              | 20,00,00,000   | 20,00,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                                                | 0           | 20,00,00,000 | 0         | 0              | 20,00,00,000   | 20,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड- P4225022770101</b>                                                                                                                                                                                                          |             |              |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

61D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                  | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                     | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | 2           | 3           | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 11</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय<br>03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण<br>277 - शिक्षा<br>0101 - आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोधार | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |                |                |              |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                            | 0           | 9,35,00,000 | 1,87,00,000 | 1,87,00,000    | 9,35,00,000    | 7,48,00,000  |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                                         | 0           | 9,35,00,000 | 1,87,00,000 | 1,87,00,000    | 9,35,00,000    | 7,48,00,000  |
| <b>विपत्र कोड- P4225032770101</b>                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

58D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                             |                       |              |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                   |                       |              |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा   | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                      | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                    | 2                     | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 35</b>                                  |                       |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4401 - फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय |                       |              |           |                |                |              |
| 00 -                                                 |                       |              |           |                |                |              |
| 051 - निर्माण                                        |                       |              |           |                |                |              |
| 0102 - कृषि विभाग के भवन                             |                       | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                    | रूपये में             |              |           |                |                |              |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                           | 0                     | 59,00,00,000 | 0         | 0              | 59,00,00,000   | 59,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                          | 0                     | 59,00,00,000 | 0         | 0              | 59,00,00,000   | 59,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                   | <b>P4401000510102</b> |              |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

कृषि विभाग के भवन हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

180D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                       |             |             |             |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                             |             |             |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                             | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                              | 2           | 3           | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 19</b>                                                                                            |             |             |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - वानिकी<br>070 - संचार तथा भवन<br>0102 - भवन | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                       |             |             |             |                |                |              |
| 2701 लघु कार्य                                                                                                 | 0           | 6,50,00,000 | 5,00,00,000 | 5,00,00,000    | 6,50,00,000    | 1,50,00,000  |
| - <u><b>योग-</b></u>                                                                                           | 0           | 6,50,00,000 | 5,00,00,000 | 5,00,00,000    | 6,50,00,000    | 1,50,00,000  |
| <u><b>विपन्न कोड-</b></u> <b>P4406010700102</b>                                                                |             |             |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

वानिकी के अंतर्गत भवनों में लघु कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

108D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                       |             |                |                |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                       | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                                                                                                          | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                        | 2           | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 03</b>                                                                                                                                                                                                                      |             |                |                |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 4408 - खाद्य, भंडारण तथा<br>भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय<br>02 - भंडारण तथा भांडागार<br>101 - ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम<br>0101 - लक्षित जनवितरण प्रणाली के लिए<br>खाद्यान्न का भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण<br>का कार्यक्रम | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |                |                |                |                |                |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                               | 0           | 4,19,27,00,000 | 2,19,27,00,000 | 2,19,27,00,000 | 4,19,27,00,000 | 2,00,00,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 4,19,27,00,000 | 2,19,27,00,000 | 2,19,27,00,000 | 4,19,27,00,000 | 2,00,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड- P4408021010101</b>                                                                                                                                                                                                        |             |                |                |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

खाद्य भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

88D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                     |             |                |           |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                           |             |                |           |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                           | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                              | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                            | 2           | 3              | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 37</b>                                                                                                                          |             |                |           |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय<br>00 -<br>103 - ग्राम विकास<br>0114 - पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (राज्य) | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                            |             |                |           |                |                |                |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                     | 0           | 4,00,00,00,000 | 0         | 0              | 4,00,00,00,000 | 4,00,00,00,000 |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                                | 0           | 4,00,00,00,000 | 0         | 0              | 4,00,00,00,000 | 4,00,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4515001030114</b>                                                                                                     |             |                |           |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (राज्य) हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

155D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                     |             |              |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                           |             |              |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                           | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                              | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 37</b>                                                                                                          |             |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय<br>00 -<br>103 - ग्राम विकास<br>0115 - बाढ़ आश्रयणी हेतु | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                            |             |              |           |                |                |              |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                     | 0           | 96,97,00,000 | 0         | 0              | 96,97,00,000   | 96,97,00,000 |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                | 0           | 96,97,00,000 | 0         | 0              | 96,97,00,000   | 96,97,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4515001030115</b>                                                                                     |             |              |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बाढ़ आश्रयणी हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

154D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                |             |              |             |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                      | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                         | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                                     |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - कोशी बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ(अवाणिज्यिक)<br>051 - निर्माण<br><br>0101 - कोशी बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                | 0           | 63,20,00,000 | 1,00,00,000 | 1,00,00,000    | 63,20,00,000   | 62,20,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                             | 0           | 63,20,00,000 | 1,00,00,000 | 1,00,00,000    | 63,20,00,000   | 62,20,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4700010510101</b>                                                                                                                                                                |             |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

कोशी बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ(कार्य) हेतुमुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

35D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                   | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                                                               |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - कोशी बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (अवाणिज्यिक)<br>051 - निर्माण<br><br>0103 - कोशी बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                          | 0           | 24,67,00,000 | 10,17,00,000 | 10,17,00,000   | 24,67,00,000   | 14,50,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 24,67,00,000 | 10,17,00,000 | 10,17,00,000   | 24,67,00,000   | 14,50,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4700010510103</b>                                                                                                                                                                                          |             |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

कोशी बेसीन की सिंचाई परियोजना (नाबार्ड सम्पोषित) हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                                                                                         |                       | State Plan   |             |                      |                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                       | मतदेय        |             | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                             | चरम परिव्यय           | आय-व्ययक     |             | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                                                |                       | आवर्तक       | अनावर्तक    |                      |                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                              | 2                     | 3            | 4           | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                                            |                       |              |             |                      |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 4700 - मुख्य सिंचाई पर<br>पूंजीगत परिव्यय<br>01 - कोशी बेसीन की सिंचाई<br>परियोजनाएँ(अवाणिज्यिक)<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष<br>घटक योजना<br>0101 - कोशी बेसिन की सिंचाई<br>परियोजनाएं | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                              |                       |              |             |                      |                                |                           |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                     | 0                     | 63,27,70,000 | 2,00,00,000 | 2,00,00,000          | 63,27,70,000                   | 61,27,70,000              |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 63,27,70,000 | 2,00,00,000 | 2,00,00,000          | 63,27,70,000                   | 61,27,70,000              |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                                                                                                                             | <b>P4700017890101</b> |              |             |                      |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

कोशी बेसीन की सिंचाई परियोजना हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

34D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                          | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                             | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                           | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                                                                         |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4700 - मुख्य सिंचाई पर<br>पूंजीगत परिव्यय<br>02 - गण्डक बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ<br>(अवाणिज्यिक)<br>051 - निर्माण<br><br>0103 - गण्डक बेसीन की सिंचाई<br>परियोजनाएँ (कार्य)(नाबार्ड सम्पोषित योजना)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 51,00,00,000 | 11,00,00,000 | 11,00,00,000   | 51,00,00,000   | 40,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 51,00,00,000 | 11,00,00,000 | 11,00,00,000   | 51,00,00,000   | 40,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4700020510103</b>                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

गण्डक बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ(नाबार्ड सम्पोषित) हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

32D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                              |             |                |             |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                    |             |                |             |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                    | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                                                                       | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                                                                     | 2           | 3              | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं0- 49</b>                                                                                                                                                                                   |             |                |             |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>03 - सोन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (अवाणिज्यिक)<br>051 - निर्माण<br><br>0101 - सोन बेसीन की सिंचाईपरियोजनाएँ (कार्य)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                              | 0           | 1,64,60,00,000 | 2,15,00,000 | 2,15,00,000    | 1,64,60,00,000 | 1,62,45,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                           | 0           | 1,64,60,00,000 | 2,15,00,000 | 2,15,00,000    | 1,64,60,00,000 | 1,62,45,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4700030510101</b>                                                                                                                                                              |             |                |             |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

सोन बेसीन की सिंचाईपरियोजना हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                       |             |              |              |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                             |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                             | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                              | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                                                            |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>03 - सोन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (अवाणिज्यिक)<br>051 - निर्माण<br><br>0103 - सोन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)(नाबार्ड सम्पोषित योजना)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                       | 0           | 35,25,00,000 | 12,06,00,000 | 12,06,00,000   | 35,25,00,000   | 23,19,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 35,25,00,000 | 12,06,00,000 | 12,06,00,000   | 35,25,00,000   | 23,19,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4700030510103</b>                                                                                                                                                                                       |             |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

सोन बेसीन की सिंचाई परियोजना (नाबार्ड सम्पोषित योजना) हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

45D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                          |             |                |              |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                |             |                |              |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                                                                   | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                                                                 | 2           | 3              | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                               |             |                |              |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>03 - सोन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (अवाणिज्यिक)<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0101 - सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                 |             |                |              |                |                |                |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                          | 0           | 1,65,95,00,000 | 17,49,00,000 | 17,49,00,000   | 1,65,95,00,000 | 1,48,46,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                       | 0           | 1,65,95,00,000 | 17,49,00,000 | 17,49,00,000   | 1,65,95,00,000 | 1,48,46,00,000 |
| <b>विपत्र कोड- P4700037890101</b>                                                                                                                                                                 |             |                |              |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

सोन बेसीन की सिंचाईपरियोजना हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

44D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                        |             |              |             |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                              |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                              | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                 | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                                                             |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>04 - क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ(अवाणिज्यिक)<br>051 - निर्माण<br><br>0101 - क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                        | 0           | 12,70,00,000 | 1,50,00,000 | 1,50,00,000    | 12,70,00,000   | 11,20,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 12,70,00,000 | 1,50,00,000 | 1,50,00,000    | 12,70,00,000   | 11,20,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4700040510101</b>                                                                                                                                                                                        |             |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

क्यूल बदुआ चंदन बेसीन की सिंचाई परियोजना हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

42D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                                      | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>04 - क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ(अवाणिज्यिक)<br>051 - निर्माण<br><br>0103 - क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)(नाबार्ड सम्पोषित योजना)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 15,00,00,000 | 12,57,00,000 | 12,57,00,000   | 15,00,00,000   | 2,43,00,000  |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 15,00,00,000 | 12,57,00,000 | 12,57,00,000   | 15,00,00,000   | 2,43,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4700040510103</b>                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

क्यूल बदुआ चंदन बेसीन की सिंचाई परियोजना (नाबार्ड सम्पोषित योजना) हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

46D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                   |             |              |             |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                         |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                         | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                            | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                                        |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br><br>03 - सोन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (अवाणिज्यिक)<br>051 - निर्माण<br><br>0101 - सोन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> |             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                 | 0           | 34,22,00,000 | 1,00,00,000 | 1,00,00,000    | 34,22,00,000   | 33,22,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                | 0           | 34,22,00,000 | 1,00,00,000 | 1,00,00,000    | 34,22,00,000   | 33,22,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4701030510101</b>                                                                                                                                                                   |             |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

सोन बेसीन की सिंचाई परियोजना हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

36D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                           |                       |              |             |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                 | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                    | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | 2                     | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                                                                |                       |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br><br>03 - सोन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (अवाणिज्यिक)<br>051 - निर्माण<br><br>0103 - सोन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)(नाबार्ड सम्पोषित योजना)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> |                       |              |             |                |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                    | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 21,60,00,000 | 7,81,00,000 | 7,81,00,000    | 21,60,00,000   | 13,79,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 21,60,00,000 | 7,81,00,000 | 7,81,00,000    | 21,60,00,000   | 13,79,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                                                                                                 | <b>P4701030510103</b> |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

सोन बेसीन की सिंचाई परियोजना (नाबार्ड सम्पोषित योजना) हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                       |             |              |              |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                             |             |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                             | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                              | 2           | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                                                            |             |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br><br>03 - सोन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (अवाणिज्यिक)<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0101 - सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                     | 0           | 40,22,00,000 | 25,51,00,000 | 25,51,00,000   | 40,22,00,000   | 14,71,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 40,22,00,000 | 25,51,00,000 | 25,51,00,000   | 40,22,00,000   | 14,71,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4701037890101</b>                                                                                                                                                                                       |             |              |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

सोन बेसीन की सिंचाई परियोजना हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

37D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                                                                                                               |                       | State Plan  |             |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                       | मतदेय       |             | Voted          |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                   | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                      | आवर्तक                | अनावर्तक    | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | 2                     | 3           | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br><br>04 - क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएं (अवाणिज्यिक)<br>051 - निर्माण<br><br>0101 - क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएं (कार्य)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> |                       | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 9,52,00,000 | 1,00,00,000 | 1,00,00,000    | 9,52,00,000    | 8,52,00,000  |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 9,52,00,000 | 1,00,00,000 | 1,00,00,000    | 9,52,00,000    | 8,52,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                                                                                                   | <b>P4701040510101</b> |             |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

क्यूल बदुआ चंदन बेसीन की सिंचाई परियोजना हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

39D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |             |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                                                 | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br><br>04 - क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएं (अवाणिज्यिक)<br>051 - निर्माण<br><br>0103 - क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएं (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)<br><br><u>विषय शीर्ष</u><br>- |             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 11,30,00,000 | 8,21,00,000 | 8,21,00,000    | 11,30,00,000   | 3,09,00,000  |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | 11,30,00,000 | 8,21,00,000 | 8,21,00,000    | 11,30,00,000   | 3,09,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4701040510103</b>                                                                                                                                                                                                                           |             |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

क्यूल बदुआ चंदन बेसीन की सिंचाई परियोजना (नाबार्ड सम्पोषित योजना) हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

41D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                                     | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br><br>04 - क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएं(अवाणिज्यिक)<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0101 - क्यूल-बदुआ-चंदन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5301 - मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 17,40,00,000 | 3,00,00,000 | 3,00,00,000    | 17,40,00,000   | 14,40,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                                            | 0           | 17,40,00,000 | 3,00,00,000 | 3,00,00,000    | 17,40,00,000   | 14,40,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4701047890101</b>                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

क्यूल बदुआ चंदन बेसीन की सिंचाई परियोजना हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

40D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                        |                       |              |              |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                              |                       |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                              | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                 | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                               | 2                     | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 50</b>                                                                             |                       |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4702 - लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>00 -<br>101 - सतही जल<br>0101 - लघु सिंचाई | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                               |                       |              |              |                |                |              |
| 2701 लघु कार्य                                                                                  | 0                     | 35,49,93,000 | 14,16,33,000 | 14,16,33,000   | 35,49,93,000   | 21,33,60,000 |
| - <b>योग-</b>                                                                                   | 0                     | 35,49,93,000 | 14,16,33,000 | 14,16,33,000   | 35,49,93,000   | 21,33,60,000 |
| <b>विपन्न कोड-</b>                                                                              | <b>P4702001010101</b> |              |              |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

लघु सिंचाई योजना हेतु लघु कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

100D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                         |                       |              |              |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                               |                       |              |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                               | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                  | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                | 2                     | 3            | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 50</b>                                                                                                                              |                       |              |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4702 - लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>00 -<br>102 - भूजल<br>0101 - नलकूप योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                |                       |              |              |                |                |              |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                         | 0                     | 78,60,00,000 | 30,00,00,000 | 30,00,00,000   | 78,60,00,000   | 48,60,00,000 |
| - <b>योग-</b>                                                                                                                                    | 0                     | 78,60,00,000 | 30,00,00,000 | 30,00,00,000   | 78,60,00,000   | 48,60,00,000 |
| <b>विपन्न कोड-</b>                                                                                                                               | <b>P4702001020101</b> |              |              |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

नलकूप योजनाओं के अधूरे कार्य को पूरा करने हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

236D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                              |             |              |             |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                    |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                    | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                       | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                     | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 50</b>                                                                                                                   |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4702 - लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>00 -<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0101 - लघु सिंचाई योजना | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                     |             |              |             |                |                |              |
| 2701 लघु कार्य                                                                                                                        | 0           | 12,33,31,000 | 8,26,91,000 | 8,26,91,000    | 12,33,31,000   | 4,06,40,000  |
| - <b>योग-</b>                                                                                                                         | 0           | 12,33,31,000 | 8,26,91,000 | 8,26,91,000    | 12,33,31,000   | 4,06,40,000  |
| <b>विपत्र कोड- P4702007890101</b>                                                                                                     |             |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

लघु सिंचाई योजना हेतु लघु कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

99D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                               |             |              |             |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                     |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                     | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                        | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                      | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                    |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - बाढ़ नियंत्रण<br>051 - निर्माण<br>0101 - उत्तर बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                      |             |              |             |                |                |              |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                               | 0           | 21,29,90,000 | 9,00,00,000 | 9,00,00,000    | 21,29,90,000   | 12,29,90,000 |
| - <b>योग-</b>                                                                                                                                          | 0           | 21,29,90,000 | 9,00,00,000 | 9,00,00,000    | 21,29,90,000   | 12,29,90,000 |
| <b>विपत्र कोड- P4711010510101</b>                                                                                                                      |             |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

उत्तर बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजना हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

31D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                           |                       |              |                       |                             |                             |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                 |                       |              |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                 | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                    | आवर्तक                | अनावर्तक     |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                  | 2                     | 3            | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                |                       |              |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 4711 - बाढ़ नियंत्रण<br>परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - बाढ़ नियंत्रण<br>051 - निर्माण<br>0102 - जल निस्सरण परियोजनायें (कार्य) | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                           |                       |              |                       |                             |                             |                           |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                           | 0                     | 28,36,50,000 | 1,00,00,000           | 1,00,00,000                 | 28,36,50,000                | 27,36,50,000              |
| - <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                               | 0                     | 28,36,50,000 | 1,00,00,000           | 1,00,00,000                 | 28,36,50,000                | 27,36,50,000              |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                          | <b>P4711010510102</b> |              |                       |                             |                             |                           |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

जल निस्सरण हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

27D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                    |                       |              |                       |                             |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                          |                       |              |                       |                             |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                          | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                             | आवर्तक                | अनावर्तक     |                       |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2                     | 3            | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                         |                       |              |                       |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 4711 - बाढ़ नियंत्रण<br>परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - बाढ़ नियंत्रण<br>051 - निर्माण<br>0104 - बाढ़ नियंत्रण तटबंध सड़क<br>परियोजनायें (कार्य)(नाबार्ड सम्पोषित योजना) | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                                                    |                       |              |                       |                             |                             |                           |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                    | 0                     | 68,00,00,000 | 38,00,00,000          | 38,00,00,000                | 68,00,00,000                | 30,00,00,000              |
| - <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                                                        | 0                     | 68,00,00,000 | 38,00,00,000          | 38,00,00,000                | 68,00,00,000                | 30,00,00,000              |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                                                                   | <b>P4711010510104</b> |              |                       |                             |                             |                           |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

बाढ़ नियंत्रण तटबंध सड़क परियोजना (नाबार्ड सम्पोषित) हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

25D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                           |             |              |             |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                 |             |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                 | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                    | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                  | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                |             |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4711 - बाढ़ नियंत्रण<br>परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - बाढ़ नियंत्रण<br>051 - निर्माण<br>0106 - जमींदारी बांधों का जीर्णोद्धार | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                  |             |              |             |                |                |              |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                           | 0           | 69,25,50,000 | 2,00,00,000 | 2,00,00,000    | 69,25,50,000   | 67,25,50,000 |
| <b>- योग-</b>                                                                                                                                      | 0           | 69,25,50,000 | 2,00,00,000 | 2,00,00,000    | 69,25,50,000   | 67,25,50,000 |
| <b>विपत्र कोड- P4711010510106</b>                                                                                                                  |             |              |             |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

जमींदारी बांधों का जीर्णोद्धार हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

29D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                       |             |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                             |             |                |                |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                             | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                                                                | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                                                              | 2           | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                                            |             |                |                |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 4711 - बाढ़ नियंत्रण<br>परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - बाढ़ नियंत्रण<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष<br>घटक योजना<br>0101 - उत्तर बिहार बाढ़ नियंत्रण<br>परियोजनाएँ | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                              |             |                |                |                |                |                |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                                       | 0           | 2,36,84,67,000 | 1,05,93,27,000 | 1,05,93,27,000 | 2,36,84,67,000 | 1,30,91,40,000 |
| <b>- योग-</b>                                                                                                                                                                                  | 0           | 2,36,84,67,000 | 1,05,93,27,000 | 1,05,93,27,000 | 2,36,84,67,000 | 1,30,91,40,000 |
| <b>विपत्र कोड- P4711017890101</b>                                                                                                                                                              |             |                |                |                |                |                |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

उत्तर बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजना हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

30D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                       |             |             |             |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                             |             |             |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                             | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                              | 2           | 3           | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                            |             |             |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - बाढ़ नियंत्रण<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0102 - जल निस्सरण परियोजनाएँ (कार्य) | रुपये में   | रुपये में   | रुपये में   | रुपये में      | रुपये में      | रुपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                              |             |             |             |                |                |              |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                       | 0           | 4,67,00,000 | 2,00,00,000 | 2,00,00,000    | 4,67,00,000    | 2,67,00,000  |
| - <b>योग-</b>                                                                                                                                                                  | 0           | 4,67,00,000 | 2,00,00,000 | 2,00,00,000    | 4,67,00,000    | 2,67,00,000  |
| <b>विपत्र कोड- P4711017890102</b>                                                                                                                                              |             |             |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

जल निस्सरण परियोजना हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

26D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                         |             |             |             |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                               |             |             |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                               | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                  | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                | 2           | 3           | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 49</b>                                                                                                                                                              |             |             |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - बाढ़ नियंत्रण<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>0103 - जमीन्दारी बांधों का जीर्णोद्धार | रुपये में   | रुपये में   | रुपये में   | रुपये में      | रुपये में      | रुपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                |             |             |             |                |                |              |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                                                         | 0           | 2,70,00,000 | 2,00,00,000 | 2,00,00,000    | 2,70,00,000    | 70,00,000    |
| - <b>योग-</b>                                                                                                                                                                    | 0           | 2,70,00,000 | 2,00,00,000 | 2,00,00,000    | 2,70,00,000    | 70,00,000    |
| <b>विपत्र कोड- P4711017890103</b>                                                                                                                                                |             |             |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

जमींदारी बांधों का जीर्णोद्धार हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

28D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                |           |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |           |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                                                          | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2           | 3              | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |           |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>02 - ताप विद्युत उत्पादन<br><br>190 - सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश<br>0101 - बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० की परियोजना (पिछडा I क्षेत्र विकास कोष योजना)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| 5401 - निवेश                                                                                                                                                                                                                                                                | 0           | 1,50,00,00,000 | 0         | 0              | 1,50,00,00,000 | 1,50,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 1,50,00,00,000 | 0         | 0              | 1,50,00,00,000 | 1,50,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4801021900101</b>                                                                                                                                                                                                                                    |             |                |           |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० की परियोजना (पिछडा क्षेत्र विकास कोष योजना) हेतु राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

237D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                                     |                       |                |           |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                           |                       |                |           |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                           | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                                                                                                              | आवर्तक                | अनावर्तक       | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | 2                     | 3              | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                                          |                       |                |           |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>05 - संचरण तथा वितरण<br><br>190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश<br>0102 - बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना (पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष योजना) | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                                                            |                       |                |           |                |                |                |
| 5401 - निवेश                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 5,00,00,00,000 | 0         | 0              | 5,00,00,00,000 | 5,00,00,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 5,00,00,00,000 | 0         | 0              | 5,00,00,00,000 | 5,00,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>P4801051900102</b> |                |           |                |                |                |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना (पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष योजना) हेतु राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

240D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                                       |                       |                |           |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |           |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                             | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                                                                                                                | आवर्तक                | अनावर्तक       | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                              | 2                     | 3              | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                                            |                       |                |           |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>05 - संचरण तथा वितरण<br><br>190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश<br>0103 - साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना (पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष योजना) | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                                                              |                       |                |           |                |                |                |
| 5401 - निवेश                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 7,00,00,00,000 | 0         | 0              | 7,00,00,00,000 | 7,00,00,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 7,00,00,00,000 | 0         | 0              | 7,00,00,00,000 | 7,00,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>P4801051900103</b> |                |           |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना (पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष योजना) हेतु राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

239D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                                      |                       |                |           |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                            |                       |                |           |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                            | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                                                                                                               | आवर्तक                | अनावर्तक       | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | 2                     | 3              | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                                           |                       |                |           |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>05 - संचरण तथा वितरण<br><br>190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश<br>0104 - नॉथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना (पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष योजना) | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |           |                |                |                |
| 5401 - निवेश                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 4,00,00,00,000 | 0         | 0              | 4,00,00,00,000 | 4,00,00,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 4,00,00,00,000 | 0         | 0              | 4,00,00,00,000 | 4,00,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>P4801051900104</b> |                |           |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

नॉथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना (पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष योजना) हेतु राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

238D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                             |                       |              |           |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                   | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                      | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | 2                     | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>05 - संचरण तथा वितरण<br><br>190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश<br>0105 - बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5401 निवेश                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 10,00,00,000 | 0         | 0              | 10,00,00,000   | 10,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 10,00,00,000 | 0         | 0              | 10,00,00,000   | 10,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                                                                                                   | <b>P4801051900105</b> |              |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना हेतु राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

8D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                                                                                                                 |             | State Plan   |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |             | मतदेय        |           | Voted          |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                     | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                        | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2           | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                                    |             |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>05 - संचरण तथा वितरण<br><br>190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश<br>0106 - साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5401 निवेश                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 25,00,00,000 | 0         | 0              | 25,00,00,000   | 25,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                            | 0           | 25,00,00,000 | 0         | 0              | 25,00,00,000   | 25,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P4801051900106</b>                                                                                                                                                                                               |             |              |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना हेतु राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                                              |                       |              |           |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                    | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                       | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | 2                     | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>05 - संचरण तथा वितरण<br><br>190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश<br>0107 - नॉथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5401 निवेश                                                                                                                                                                                                                            | 0                     | 25,00,00,000 | 0         | 0              | 25,00,00,000   | 25,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 25,00,00,000 | 0         | 0              | 25,00,00,000   | 25,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                                                                                                    | <b>P4801051900107</b> |              |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

नॉथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना हेतु राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

242D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                      |                       |                |              |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                            |                       |                |              |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                            | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                               | आवर्तक                | अनावर्तक       | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                             | 2                     | 3              | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं०- 23</b>                                                                                                                                           |                       |                |              |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 4885 - उद्योगों तथा खनिजों पर<br>अन्य पूंजीगत परिव्यय<br>02 - पिछड़े क्षेत्रों का विकास<br>050 - भूमि<br>0101 - औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                                             |                       |                |              |                |                |                |
| 5302 भू-अर्जन                                                                                                                                                 | 0                     | 5,30,00,00,000 | 30,00,00,000 | 30,00,00,000   | 5,30,00,00,000 | 5,00,00,00,000 |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                                                 | 0                     | 5,30,00,00,000 | 30,00,00,000 | 30,00,00,000   | 5,30,00,00,000 | 5,00,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                            | <b>P4885020500101</b> |                |              |                |                |                |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

133D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                          |                       |              |             |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                |                       |              |             |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                | चरम परिव्यय           |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                   | आवर्तक                | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                 | 2                     | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 04</b>                                                                                               |                       |              |             |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 5053 - नागर विमानन पर<br>पूंजीगत परिव्यय<br>02 - विमानपत्तन<br>102 - हवाई अड्डा<br>0101 - हवाई अड्डे | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                 |                       |              |             |                |                |              |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                          | 0                     | 12,06,50,000 | 9,06,50,000 | 9,06,50,000    | 12,06,50,000   | 3,00,00,000  |
| - <u>योग-</u>                                                                                                     | 0                     | 12,06,50,000 | 9,06,50,000 | 9,06,50,000    | 12,06,50,000   | 3,00,00,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                | <b>P5053021020101</b> |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

हवाई अड्डे के मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

125D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                              |                       |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                    |                       |                |                |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                    | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                                                                       | आवर्तक                | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                                                                     | 2                     | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं0- 41</b>                                                                                                                                   |                       |                |                |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>02 - महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़के<br>337 - सड़क निर्माण कार्य<br>0101 - भारत-नेपाल सीमा सड़क | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                     |                       |                |                |                |                |                |
| 5302 भू-अर्जन                                                                                                                                         | 0                     | 7,85,43,88,000 | 3,85,43,88,000 | 3,85,43,88,000 | 7,85,43,88,000 | 4,00,00,00,000 |
| <b>- योग-</b>                                                                                                                                         | 0                     | 7,85,43,88,000 | 3,85,43,88,000 | 3,85,43,88,000 | 7,85,43,88,000 | 4,00,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                                                                    | <b>P5054023370101</b> |                |                |                |                |                |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

भारत नेपाल सीमा सड़क हेतु भू अर्जन मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

50D

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                    |                       |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                          |                       |                |                |                |                |                |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                          | चरम परिव्यय           |                | आय-व्ययक       | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन   |
|                                                                                                             | आवर्तक                | अनावर्तक       | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014      |
| 1                                                                                                           | 2                     | 3              | 4              | 5              | 6 = 5+7        | 7              |
| <b>मांग सं0- 41</b>                                                                                         |                       |                |                |                |                |                |
| मुख्य शीर्ष- 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>03 - राज्य राजमार्ग<br>101 - सेतु<br>0101 - पुल | रूपये में             | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में      |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                           |                       |                |                |                |                |                |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                    | 0                     | 6,00,72,72,000 | 3,00,72,72,000 | 3,00,72,72,000 | 6,00,72,72,000 | 3,00,00,00,000 |
| <b>- योग-</b>                                                                                               | 0                     | 6,00,72,72,000 | 3,00,72,72,000 | 3,00,72,72,000 | 6,00,72,72,000 | 3,00,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड-</b>                                                                                          | <b>P5054031010101</b> |                |                |                |                |                |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

पुल के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

49D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                             |                       |             |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                   |                       |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                   | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                      | आवर्तक                | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                    | 2                     | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 03</b>                                                                                                                                  |                       |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - पर्यटक अवसंरचना<br>101 - पर्यटक केन्द्र<br>0103 - पर्यटकीय संरचनाओं के निर्माण एवं जीर्णोद्धार | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                             |                       |             |           |                |                |              |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                                             | 0                     | 2,44,71,000 | 0         | 0              | 2,44,71,000    | 2,44,71,000  |
| - <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                 | 0                     | 2,44,71,000 | 0         | 0              | 2,44,71,000    | 2,44,71,000  |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                            | <b>P5452011010103</b> |             |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

पर्यटकीय संरचनाओं के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

182D

| <b>केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना Central Sponsored Plan Scheme</b>                                                   |                       |             |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                    |                       |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                    | चरम परिव्यय           |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                       | आवर्तक                | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                     | 2                     | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 46</b>                                                                                                   |                       |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - पर्यटक अवसंरचना<br>101 - पर्यटक केन्द्र<br>0602 - पर्यटक संरचना | रूपये में             | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                              |                       |             |           |                |                |              |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                              | 0                     | 2,39,46,000 | 0         | 0              | 2,39,46,000    | 2,39,46,000  |
| - <u><b>योग-</b></u>                                                                                                  | 0                     | 2,39,46,000 | 0         | 0              | 2,39,46,000    | 2,39,46,000  |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                             | <b>C5452011010602</b> |             |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

पर्यटक अवसंरचना के अन्तर्गत मुख्य निर्माण कार्य मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

212D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                |             |                |              |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                      |             |                |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                      | चरम परिव्यय |                | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                         | आवर्तक      | अनावर्तक       | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                       | 2           | 3              | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 46</b>                                                                                                     |             |                |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय<br>80 - सामान्य<br>800 - अन्य व्यय<br>0103 - पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                |             |                |              |                |                |              |
| 5301 मुख्य निर्माण कार्य                                                                                                | 0           | 79,33,00,000   | 56,93,00,000 | 56,93,00,000   | 79,33,00,000   | 22,40,00,000 |
| 5302 - भू-अर्जन                                                                                                         | 0           | 30,20,00,000   | 3,00,00,000  | 28,00,00,000   | 30,20,00,000   | 2,20,00,000  |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                      | 0           | 1,09,53,00,000 | 59,93,00,000 | 84,93,00,000   | 1,09,53,00,000 | 24,60,00,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u> <b>P5452808000103</b>                                                                         |             |                |              |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

नालंदा एवं गया में पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण हेतु भू अर्जन एवं मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

211D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |              |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                           |             |              |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                           | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                              | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 6801 - बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज<br>00 -<br>190 - सर्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज<br>0015 - साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०(रूरल ई० कॉ० से लिए गए ऋण के सृद के भुगतान हेतु)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5501 - ऋण एवं अग्रिम                                                                                                                                                                                                                         | 0           | 19,50,00,000 | 0         | 0              | 19,50,00,000   | 19,50,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 19,50,00,000 | 0         | 0              | 19,50,00,000   | 19,50,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>N6801001900015</b>                                                                                                                                                                                                     |             |              |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०(रूरल ई० कॉ० से लिए गए ऋण के सृद के भुगतान हेतु) हेतु ऋण एवं अग्रिम मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

156D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Non Plan     |           |                      |                                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |                       | मतदेय        |           | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                            | चरम परिव्यय           | आय-व्ययक     |           | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                       | आवर्तक       | अनावर्तक  |                      |                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | 2                     | 3            | 4         | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |           |                      |                                |                           |
| मुख्य शीर्ष- 6801 - बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज<br>00 -<br>190 - सर्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज<br>0016 - नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०(रूरल ई० कॉ० से लिए गए ऋण के सूद के भुगतान हेतु)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में             | रूपये में    | रूपये में | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| 5501 - ऋण एवं अग्रिम                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 18,51,73,000 | 0         | 0                    | 18,51,73,000                   | 18,51,73,000              |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 18,51,73,000 | 0         | 0                    | 18,51,73,000                   | 18,51,73,000              |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                                                                                                            | <b>N6801001900016</b> |              |           |                      |                                |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०(रूरल ई० कॉ० से लिए गए ऋण के सूद के भुगतान हेतु) ऋण एवं अग्रिम मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

157D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                                                                                                                                                                                   |             |             |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                                             |             |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                             | चरम परिव्यय |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                                | आवर्तक      | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                              | 2           | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                                            |             |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 6801 - बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज<br>00 -<br>190 - सर्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज<br>0017 - साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०(रूरल ई० कॉ० से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान/मूल हेतु)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5501 - ऋण एवं अग्रिम                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 9,53,46,000 | 0         | 0              | 9,53,46,000    | 9,53,46,000  |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 9,53,46,000 | 0         | 0              | 9,53,46,000    | 9,53,46,000  |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>N6801001900017</b>                                                                                                                                                                                                       |             |             |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०(रूरल ई० कॉ० से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु) हेतु ऋण एवं अग्रिम मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

158D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                                                                             |                | Non Plan    |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                                                                                                                              |                |             |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                       | चरम परिव्यय    |             | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                          | आवर्तक         | अनावर्तक    | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                        | 2              | 3           | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 10                                                                                                                                                                                                                             |                |             |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 6801 - बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज<br>00 -<br>190 - सर्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज<br>0018 - नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०(रूरल ई० कॉ० से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान/मूल हेतु)<br><br>विषय शीर्ष | रूपये में      | रूपये में   | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5501 - ऋण एवं अग्रिम                                                                                                                                                                                                                     | 0              | 9,00,00,000 | 0         | 0              | 9,00,00,000    | 9,00,00,000  |
| योग-                                                                                                                                                                                                                                     | 0              | 9,00,00,000 | 0         | 0              | 9,00,00,000    | 9,00,00,000  |
| विपत्र कोड-                                                                                                                                                                                                                              | N6801001900018 |             |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०(रूरल ई० कॉ० से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु) हेतु ऋण एवं अग्रिम मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

159D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                     |             |              |           |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                           |             |              |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                           | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                              | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                          |             |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 6801 - बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज<br>00 -<br>190 - सर्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज<br>0111 - बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० की परियोजनाओं हेतु ऋण<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5501 ऋण एवं अग्रिम                                                                                                                                                                                           | 0           | 25,00,00,000 | 0         | 0              | 25,00,00,000   | 25,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                  | 0           | 25,00,00,000 | 0         | 0              | 25,00,00,000   | 25,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P6801001900111</b>                                                                                                                                                                     |             |              |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० की परियोजनाओं हेतु ऋण एवं अग्रिम मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                         |             |              |           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                               |             |              |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                               | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                  | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                | 2           | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                              |             |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 6801 - बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज<br>00 -<br>190 - सर्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज<br>0112 - बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजनाओं हेतु ऋण<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5501 ऋण एवं अग्रिम                                                                                                                                                                                               | 0           | 15,00,00,000 | 0         | 0              | 15,00,00,000   | 15,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                      | 0           | 15,00,00,000 | 0         | 0              | 15,00,00,000   | 15,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P6801001900112</b>                                                                                                                                                                         |             |              |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजनाओं हेतु ऋण एवं अग्रिम मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                                           |             |              |           |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                                                 |             |              |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                 | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                    | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                                                |             |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 6801 - बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज<br>00 -<br>190 - सर्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज<br>0113 - साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजनाओं हेतु ऋण<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5501 ऋण एवं अग्रिम                                                                                                                                                                                                 | 0           | 85,00,00,000 | 0         | 0              | 85,00,00,000   | 85,00,00,000 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                        | 0           | 85,00,00,000 | 0         | 0              | 85,00,00,000   | 85,00,00,000 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>P6801001900113</b>                                                                                                                                                                           |             |              |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजनाओं हेतु ऋण एवं अग्रिम मद में राशि की आवश्यकता है । प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना State Plan</b>                                                                                                                                                                   |             |              |           |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                         |             |              |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                         | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                            | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                          | 2           | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 10</b>                                                                                                                                                                        |             |              |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 6801 - बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज<br>00 -<br>190 - सर्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज<br>0114 - नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजनाओं हेतु ऋण | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                                                          |             |              |           |                |                |              |
| 5501 ऋण एवं अग्रिम                                                                                                                                                                         | 0           | 80,00,00,000 | 0         | 0              | 80,00,00,000   | 80,00,00,000 |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                | 0           | 80,00,00,000 | 0         | 0              | 80,00,00,000   | 80,00,00,000 |
| <b>विपत्र कोड- P6801001900114</b>                                                                                                                                                          |             |              |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजनाओं हेतु ऋण एवं अग्रिम मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                                                                                                                                            |             |           |           |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>भरित Charged</b>                                                                                                                                                                                     |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                      | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                         | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 05</b>                                                                                                                                                                                     |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2012 - राष्ट्रपति,<br>उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य<br>क्षेत्रों के प्रशासक<br>03 - राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक<br>090 - सचिवालय<br>0001 - सचिवालय<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 1301 - कार्यालय व्यय                                                                                                                                                                                    | 0           | 44,50,000 | 9,50,000  | 9,50,000       | 44,50,000      | 35,00,000    |
| 2801 - व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                                                                      | 0           | 6,50,000  | 0         | 0              | 6,50,000       | 6,50,000     |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                             | 0           | 51,00,000 | 9,50,000  | 9,50,000       | 51,00,000      | 41,50,000    |
| <b>विपत्र कोड- N2012030900001</b>                                                                                                                                                                       |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

दैनिक कार्य पर नियुक्त कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है।

235D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                        |                | Non Plan  |           |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| भरित Charged                                                                                                                                                                        |                |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                  | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                     | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                   | 2              | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 05                                                                                                                                                                        |                |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2012 - राष्ट्रपति,<br>उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक<br>03 - राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक<br>104 - आतिथ्य भत्ता<br>0002 - दरबार व्यय |                |           |           |                |                |              |
| विषय शीर्ष                                                                                                                                                                          | रूपये में      | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 2001 आतिथ्य व्यय                                                                                                                                                                    | 0              | 23,78,000 | 12,00,000 | 12,00,000      | 23,78,000      | 11,78,000    |
| योग-                                                                                                                                                                                | 0              | 23,78,000 | 12,00,000 | 12,00,000      | 23,78,000      | 11,78,000    |
| विपत्र कोड-                                                                                                                                                                         | N2012031040002 |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

आतिथ्य व्यय मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है।

151D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |           |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| भरित <b>Charged</b>                                                                                                                                                                                                                           |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                            | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                                                                               | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 05</b>                                                                                                                                                                                                                           |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2012 - राष्ट्रपति,<br>उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य<br>क्षेत्रों के प्रशासक<br>03 - राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक<br>110 - राजकीय वाहन और मोटर कार<br>0001 - मोटर गाड़ी (नई गाड़ी का क्रय)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 5101 - मोटर गाड़ी                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 5,30,000  | 0         | 0              | 5,30,000       | 5,30,000     |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 5,30,000  | 0         | 0              | 5,30,000       | 5,30,000     |
| <b>विपत्र कोड- N2012031100001</b>                                                                                                                                                                                                             |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

गाड़ी क्रय करने हेतु मोटर गाड़ी मद में राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है।

126D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                      |                | Non Plan  |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| भरित Charged                                                                                                                                                                      |                |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                   | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                 | 2              | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 13                                                                                                                                                                      |                |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2049 - ब्याज अदायगियां<br>04 - केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज<br>104 - योजनेतर योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज<br>0001 - गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज | रूपये में      | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| विषय शीर्ष                                                                                                                                                                        |                |           |           |                |                |              |
| 4501 ब्याज                                                                                                                                                                        | 0              | 5,07,000  | 1,69,000  | 1,69,000       | 5,07,000       | 3,38,000     |
| - योग-                                                                                                                                                                            | 0              | 5,07,000  | 1,69,000  | 1,69,000       | 5,07,000       | 3,38,000     |
| विपत्र कोड-                                                                                                                                                                       | N2049041040001 |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

गृह निर्माण अग्रिम ऋणों के ब्याज की अदायगी हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है।

3D

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                           |                | Non Plan  |              |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| भरित Charged                                                                                                                           |                |           |              |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                     | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक     | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                        | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014    | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                      | 2              | 3         | 4            | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 34                                                                                                                           |                |           |              |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2051 - लोक सेवा आयोग<br>00 -<br>102 - राज्य लोक सेवा आयोग<br>0001 - राज्य लोक सेवा आयोग (प्रभृत)<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में      | रूपये में | रूपये में    | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 0101 वेतन                                                                                                                              | 5,56,74,000    | 0         | 4,96,74,000  | 4,96,74,000    | 5,56,74,000    | 60,00,000    |
| 0103 जीवन यापन भत्ता                                                                                                                   | 4,73,72,000    | 0         | 4,25,72,000  | 4,25,72,000    | 4,73,72,000    | 48,00,000    |
| 0104 मकान किराया भत्ता                                                                                                                 | 97,10,000      | 0         | 85,10,000    | 85,10,000      | 97,10,000      | 12,00,000    |
| 0105 परिवहन भत्ता                                                                                                                      | 17,81,000      | 0         | 14,31,000    | 14,31,000      | 17,81,000      | 3,50,000     |
| 0106 चिकित्सा भत्ता                                                                                                                    | 6,22,000       | 0         | 5,22,000     | 5,22,000       | 6,22,000       | 1,00,000     |
| 0107 अन्य भत्ता                                                                                                                        | 1,73,000       | 0         | 1,23,000     | 1,23,000       | 1,73,000       | 50,000       |
| 0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति                                                                                                              | 15,00,000      | 0         | 5,00,000     | 5,00,000       | 15,00,000      | 10,00,000    |
| योग-                                                                                                                                   | 11,68,32,000   | 0         | 10,33,32,000 | 10,33,32,000   | 11,68,32,000   | 1,35,00,000  |
| विपत्र कोड-                                                                                                                            | N2051001020001 |           |              |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

राज्य लोक सेवा आयोग के लिए वेतनादि एवं अन्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है।

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                          |                | Non Plan  |           |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| भरित Charged                                                                                                                          |                |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                    | चरम परिव्यय    |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                       | आवर्तक         | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                     | 2              | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 14                                                                                                                          |                |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 6004 - केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम<br>01 - योजनेतर कर्ज<br>201 - आवास निर्माण अग्रिम<br>0001 - गृह निर्माण अग्रिम | रूपये में      | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| विषय शीर्ष                                                                                                                            |                |           |           |                |                |              |
| 5601 उधार की वापसी                                                                                                                    | 0              | 7,14,000  | 3,39,000  | 3,39,000       | 7,14,000       | 3,75,000     |
| - योग-                                                                                                                                | 0              | 7,14,000  | 3,39,000  | 3,39,000       | 7,14,000       | 3,75,000     |
| विपन्न कोड-                                                                                                                           | N6004012010001 |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

गृह निर्माण अग्रिम के मूलधन भुगतान की अदायगी हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रथम अनुपूरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है।

**वर्ष 2013-2014**

**का**

**प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण**

**(खंड - 1 भाग -2)**

**Part-1 DIV-2 Demandwise Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014**  
**वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-2 सारांश**

(राशि रुपये में)

| मांग सं०                          | क्रमांक एवं वर्ष | राशि            | आयोजना भिन्न        | राज्य योजना         | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत   | योग                 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| 08 - कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | खण्ड- 1 भाग-2    | B/13/2013       | 70,00,000           | 70,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 70,00,000           |
|                                   |                  | <b>योग - 08</b> | <b>70,00,000</b>    | <b>70,00,000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>70,00,000</b>    |
| 19 - पर्यावरण एवं वन विभाग        | खण्ड- 1 भाग-2    | B/9/2013        | 10,00,000           | 10,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 10,00,000           |
|                                   |                  | <b>योग - 19</b> | <b>10,00,000</b>    | <b>10,00,000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>10,00,000</b>    |
| 21 - शिक्षा विभाग                 | खण्ड- 1 भाग-2    | B/15/2013       | 1,000               | 1,000               | 0                       | 0                              | 0        | 1,000               |
|                                   |                  | B/17/2013       | 3,58,71,000         | 3,58,71,000         | 0                       | 0                              | 0        | 3,58,71,000         |
|                                   |                  | B/18/2013       | 1,39,52,000         | 1,39,52,000         | 0                       | 0                              | 0        | 1,39,52,000         |
|                                   |                  | B/19/2013       | 2,06,86,000         | 2,06,86,000         | 0                       | 0                              | 0        | 2,06,86,000         |
|                                   |                  | <b>योग - 21</b> | <b>7,05,10,000</b>  | <b>7,05,10,000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>7,05,10,000</b>  |
| 22 - गृह विभाग                    | खण्ड- 1 भाग-2    | B/4/2013        | 63,03,000           | 63,03,000           | 0                       | 0                              | 0        | 63,03,000           |
|                                   |                  | B/5/2013        | 34,50,000           | 34,50,000           | 0                       | 0                              | 0        | 34,50,000           |
|                                   |                  | B/8/2013        | 50,89,000           | 50,89,000           | 0                       | 0                              | 0        | 50,89,000           |
|                                   |                  | <b>योग - 22</b> | <b>1,48,42,000</b>  | <b>1,48,42,000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>1,48,42,000</b>  |
| 26 - श्रम संसाधन विभाग            | खण्ड- 1 भाग-2    | B/3/2013        | 6,40,000            | 6,40,000            | 0                       | 0                              | 0        | 6,40,000            |
|                                   |                  | <b>योग - 26</b> | <b>6,40,000</b>     | <b>6,40,000</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>6,40,000</b>     |
| 27 - विधि विभाग                   | खण्ड- 1 भाग-2    | B/1/2013        | 16,88,000           | 16,88,000           | 0                       | 0                              | 0        | 16,88,000           |
|                                   |                  | <b>योग - 27</b> | <b>16,88,000</b>    | <b>16,88,000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>16,88,000</b>    |
| 30 - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग      | खण्ड- 1 भाग-2    | B/6/2013        | 81,20,000           | 81,20,000           | 0                       | 0                              | 0        | 81,20,000           |
|                                   |                  | <b>योग - 30</b> | <b>81,20,000</b>    | <b>81,20,000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>81,20,000</b>    |
| 33 - सामान्य प्रशासन विभाग        | खण्ड- 1 भाग-2    | B/14/2013       | 59,73,000           | 59,73,000           | 0                       | 0                              | 0        | 59,73,000           |
|                                   |                  | <b>योग - 33</b> | <b>59,73,000</b>    | <b>59,73,000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>59,73,000</b>    |
| 37 - ग्रामीण कार्य विभाग          | खण्ड- 1 भाग-2    | B/12/2013       | 12,00,000           | 12,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 12,00,000           |
|                                   |                  | <b>योग - 37</b> | <b>12,00,000</b>    | <b>12,00,000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>12,00,000</b>    |
| 40 - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  | खण्ड- 1 भाग-2    | B/2/2013        | 34,08,000           | 34,08,000           | 0                       | 0                              | 0        | 34,08,000           |
|                                   |                  | B/10/2013       | 90,00,000           | 90,00,000           | 0                       | 0                              | 0        | 90,00,000           |
|                                   |                  | B/11/2013       | 14,02,05,000        | 14,02,05,000        | 0                       | 0                              | 0        | 14,02,05,000        |
|                                   |                  | <b>योग - 40</b> | <b>15,26,13,000</b> | <b>15,26,13,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>15,26,13,000</b> |
| 45 - गन्ना उद्योग विभाग           | खण्ड- 1 भाग-2    | B/7/2013        | 24,36,00,000        | 24,36,00,000        | 0                       | 0                              | 0        | 24,36,00,000        |
|                                   |                  | <b>योग - 45</b> | <b>24,36,00,000</b> | <b>24,36,00,000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>24,36,00,000</b> |
| 46 - पर्यटन विभाग                 | खण्ड- 1 भाग-2    | B/16/2013       | 25,00,00,000        | 0                   | 25,00,00,000            | 0                              | 0        | 25,00,00,000        |
|                                   |                  | <b>योग - 46</b> | <b>25,00,00,000</b> | <b>0</b>            | <b>25,00,00,000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>25,00,00,000</b> |
| <b>महायोग -</b>                   |                  |                 | <b>75,71,86,000</b> | <b>50,71,86,000</b> | <b>25,00,00,000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>75,71,86,000</b> |

## Part-1 DIV-2 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-2 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                       | क्रमांक एवं वर्ष | राशि       | मांग सं०    | आयोजना भिन्न | राज्य योजना | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | प्रभृत | योग         |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--------|-------------|
| 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएँ     | खण्ड- 1 भाग-2    | B/1/13-14  | 16,88,000   | 27           | 16,88,000   | 0                       | 0                              | 0      | 16,88,000   |
|                                   |                  | B/14/13-14 | 59,73,000   | 33           | 59,73,000   | 0                       | 0                              | 0      | 59,73,000   |
|                                   | योग - 2052       |            | 76,61,000   |              | 76,61,000   | 0                       | 0                              | 0      | 76,61,000   |
| 2053 - जिला प्रशासन               | खण्ड- 1 भाग-2    | B/6/13-14  | 81,20,000   | 30           | 81,20,000   | 0                       | 0                              | 0      | 81,20,000   |
|                                   |                  | योग - 2053 | 81,20,000   |              | 81,20,000   | 0                       | 0                              | 0      | 81,20,000   |
| 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ      | खण्ड- 1 भाग-2    | B/4/13-14  | 63,03,000   | 22           | 63,03,000   | 0                       | 0                              | 0      | 63,03,000   |
|                                   |                  | B/5/13-14  | 34,50,000   | 22           | 34,50,000   | 0                       | 0                              | 0      | 34,50,000   |
|                                   |                  | B/8/13-14  | 50,89,000   | 22           | 50,89,000   | 0                       | 0                              | 0      | 50,89,000   |
|                                   | योग - 2070       |            | 1,48,42,000 |              | 1,48,42,000 | 0                       | 0                              | 0      | 1,48,42,000 |
| 2205 - कला एवं संस्कृति           | खण्ड- 1 भाग-2    | B/13/13-14 | 70,00,000   | 08           | 70,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 70,00,000   |
|                                   |                  | B/15/13-14 | 1,000       | 21           | 1,000       | 0                       | 0                              | 0      | 1,000       |
|                                   |                  | B/17/13-14 | 3,58,71,000 | 21           | 3,58,71,000 | 0                       | 0                              | 0      | 3,58,71,000 |
|                                   |                  | B/18/13-14 | 1,39,52,000 | 21           | 1,39,52,000 | 0                       | 0                              | 0      | 1,39,52,000 |
|                                   |                  | B/19/13-14 | 2,06,86,000 | 21           | 2,06,86,000 | 0                       | 0                              | 0      | 2,06,86,000 |
|                                   | योग - 2205       |            | 7,75,10,000 |              | 7,75,10,000 | 0                       | 0                              | 0      | 7,75,10,000 |
| 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | खण्ड- 1 भाग-2    | B/3/13-14  | 6,40,000    | 26           | 6,40,000    | 0                       | 0                              | 0      | 6,40,000    |
|                                   |                  | योग - 2210 | 6,40,000    |              | 6,40,000    | 0                       | 0                              | 0      | 6,40,000    |
| 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी     | खण्ड- 1 भाग-2    | B/9/13-14  | 10,00,000   | 19           | 10,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 10,00,000   |
|                                   |                  | योग - 2406 | 10,00,000   |              | 10,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 10,00,000   |
| 2506 - भूमि सुधार                 | खण्ड- 1 भाग-2    | B/2/13-14  | 34,08,000   | 40           | 34,08,000   | 0                       | 0                              | 0      | 34,08,000   |
|                                   |                  | B/10/13-14 | 90,00,000   | 40           | 90,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 90,00,000   |
|                                   | योग - 2506       |            | 1,24,08,000 |              | 1,24,08,000 | 0                       | 0                              | 0      | 1,24,08,000 |
| 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | खण्ड- 1 भाग-2    | B/12/13-14 | 12,00,000   | 37           | 12,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 12,00,000   |
|                                   |                  | योग - 2515 | 12,00,000   |              | 12,00,000   | 0                       | 0                              | 0      | 12,00,000   |

## Part-1 DIV-2 Expenditure Details of First Supplementary Budget for the Year 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरण का खण्ड-1 भाग-2 सारांश

(राशि रुपये में)

| मुख्य शीर्ष                              | क्रमांक<br>एवं वर्ष | राशि       | मांग<br>सं०  | आयोजना भिन्न | राज्य योजना  | केन्द्रीय योजनागत<br>योजना | केन्द्र द्वारा प्रायोजित<br>योजना | प्रभृत | योग          |
|------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|
| 3454 - जनगणना सर्वेक्षण<br>तथा सांख्यिकी | खण्ड- 1 भाग-2       | B/11/13-14 | 14,02,05,000 | 40           | 14,02,05,000 | 0                          | 0                                 | 0      | 14,02,05,000 |
|                                          | योग - 3454          |            | 14,02,05,000 |              | 14,02,05,000 | 0                          | 0                                 | 0      | 14,02,05,000 |
| 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत<br>परिव्यय      | खण्ड- 1 भाग-2       | B/16/13-14 | 25,00,00,000 | 46           | 0            | 25,00,00,000               | 0                                 | 0      | 25,00,00,000 |
|                                          | योग - 5452          |            | 25,00,00,000 |              | 0            | 25,00,00,000               | 0                                 | 0      | 25,00,00,000 |
| 6860 - उपभोक्ता उद्योगों के<br>लिए कर्ज  | खण्ड- 1 भाग-2       | B/7/13-14  | 24,36,00,000 | 45           | 24,36,00,000 | 0                          | 0                                 | 0      | 24,36,00,000 |
|                                          | योग - 6860          |            | 24,36,00,000 |              | 24,36,00,000 | 0                          | 0                                 | 0      | 24,36,00,000 |
| महायोग -                                 |                     |            | 75,71,86,000 |              | 50,71,86,000 | 25,00,00,000               | 0                                 | 0      | 75,71,86,000 |

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                         |             | Non Plan  |           |                             |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                      |             | मतदेय     |           | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                   | चरम परिव्यय | आय-व्ययक  |           | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                      |             | आवर्तक    | अनावर्तक  |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                    | 2           | 3         | 4         | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 27</b>                                                                                                                  |             |           |           |                             |                             |                           |
| बजट शीर्ष खण्ड II- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएँ<br>00 -<br>090 - सचिवालय<br>0018 - विधि विभाग |             |           |           |                             |                             |                           |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                    | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 5101 मोटर गाड़ी                                                                                                                      | 0           | 16,88,000 | 0         | 0                           | 16,88,000                   | 16,88,000                 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                          | 0           | 16,88,000 | 0         | 0                           | 16,88,000                   | 16,88,000                 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>8000 - N2052000900018</b>                                                                                      |             |           |           |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

विधि विभाग के लिए दो नई गाड़ियों के क्रय हेतु मोटरगाड़ी मद में राशि की आवश्यकता है। राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

1CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                         |                              | Non Plan    |           |                             |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                              | मतदेय       |           | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                   | चरम परिव्यय                  | आय-व्ययक    |           | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                      |                              | आवर्तक      | अनावर्तक  |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                    | 2                            | 3           | 4         | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 33</b>                                                                                                                                                                  |                              |             |           |                             |                             |                           |
| बजट शीर्ष खण्ड II- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएँ<br>00 -<br>090 - सचिवालय<br>0051 - उच्च जातियों के लिए राज्य<br>आयोग<br><br><u>विषय शीर्ष</u> |                              |             |           |                             |                             |                           |
|                                                                                                                                                                                      | रूपये में                    | रूपये में   | रूपये में | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा                                                                                                                                                   | 0                            | 1,14,73,000 | 55,00,000 | 55,00,000                   | 1,14,73,000                 | 59,73,000                 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                          | 0                            | 1,14,73,000 | 55,00,000 | 55,00,000                   | 1,14,73,000                 | 59,73,000                 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                                                   | <b>8000 - N2052000900051</b> |             |           |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

14CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                                                                                                                           |             |           |           |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                                                                                                                     |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                     | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                        | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                      | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 30</b>                                                                                                                                    |             |           |           |                |                |              |
| बजट शीर्ष खण्ड 11- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 2053 - जिला प्रशासन<br>00 -<br>094 - अन्य स्थापनाएं<br>0010 - अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय |             |           |           |                |                |              |
| <b>विषय शीर्ष</b>                                                                                                                                      | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 0101 वेतन                                                                                                                                              | 32,00,000   | 0         | 0         | 0              | 32,00,000      | 32,00,000    |
| 0103 - जीवन यापन भत्ता                                                                                                                                 | 28,80,000   | 0         | 0         | 0              | 28,80,000      | 28,80,000    |
| 0104 मकान किराया भत्ता                                                                                                                                 | 3,00,000    | 0         | 0         | 0              | 3,00,000       | 3,00,000     |
| 0105 परिवहन भत्ता                                                                                                                                      | 1,50,000    | 0         | 0         | 0              | 1,50,000       | 1,50,000     |
| 0106 चिकित्सा भत्ता                                                                                                                                    | 50,000      | 0         | 0         | 0              | 50,000         | 50,000       |
| 0107 अन्य भत्ता                                                                                                                                        | 10,000      | 0         | 0         | 0              | 10,000         | 10,000       |
| 0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति                                                                                                                              | 1,50,000    | 0         | 0         | 0              | 1,50,000       | 1,50,000     |
| 1101 यात्रा व्यय                                                                                                                                       | 1,50,000    | 0         | 0         | 0              | 1,50,000       | 1,50,000     |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                                                                                     | 7,50,000    | 0         | 0         | 0              | 7,50,000       | 7,50,000     |
| 1303 दूरभाष                                                                                                                                            | 1,20,000    | 0         | 0         | 0              | 1,20,000       | 1,20,000     |
| 1306 वर्दी/पोशाक                                                                                                                                       | 60,000      | 0         | 0         | 0              | 60,000         | 60,000       |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                       | 3,00,000    | 0         | 0         | 0              | 3,00,000       | 3,00,000     |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                            | 81,20,000   | 0         | 0         | 0              | 81,20,000      | 81,20,000    |
| <b>विपत्र कोड- 8000 - N2053000940010</b>                                                                                                               |             |           |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय हेतु वेतनादि एवं अन्य मद में राशि की आवश्यकता है । राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई । इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है । यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

6CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                                                                                                                                  |             |           |           |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                            |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                            | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                               | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                             | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 22</b>                                                                                                                                                                           |             |           |           |                |                |              |
| बजट शीर्ष खण्ड 11- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ<br>00 -<br>105 - विशेष जांच आयोग<br>0007 - भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा जांच आयोग<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 0101 वेतन                                                                                                                                                                                     | 47,64,000   | 0         | 0         | 0              | 47,64,000      | 47,64,000    |
| 1101 - यात्रा व्यय                                                                                                                                                                            | 1,00,000    | 0         | 0         | 0              | 1,00,000       | 1,00,000     |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                                                                                                                            | 1,00,000    | 0         | 0         | 0              | 1,00,000       | 1,00,000     |
| 1302 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव                                                                                                                                                                 | 6,39,000    | 0         | 0         | 0              | 6,39,000       | 6,39,000     |
| 1303 दूरभाष                                                                                                                                                                                   | 1,00,000    | 0         | 0         | 0              | 1,00,000       | 1,00,000     |
| 1304 विद्युत प्रभार                                                                                                                                                                           | 6,00,000    | 0         | 0         | 0              | 6,00,000       | 6,00,000     |
| <b>योग-</b>                                                                                                                                                                                   | 63,03,000   | 0         | 0         | 0              | 63,03,000      | 63,03,000    |
| <b>विषय कोड- 8000 - N2070001050007</b>                                                                                                                                                        |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा जांच आयोग वेतनादि एवं दूरभाष, विद्युत प्रभार, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय एवं वाहन का ईंधन एवं कार्यालय मद में राशि की आवश्यकता है। राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

4CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                               |             | Non Plan  |           |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                                                                                |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                         | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                            | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                          | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 22                                                                                                                                                                               |             |           |           |                |                |              |
| बजट शीर्ष खण्ड 11- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ<br>00 -<br>105 - विशेष जांच आयोग<br>0014 - कोसी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 0101 वेतन                                                                                                                                                                                  | 8,40,000    | 0         | 0         | 0              | 8,40,000       | 8,40,000     |
| 0103 - जीवन यापन भत्ता                                                                                                                                                                     | 12,40,000   | 0         | 0         | 0              | 12,40,000      | 12,40,000    |
| 0104 मकान किराया भत्ता                                                                                                                                                                     | 4,05,000    | 0         | 0         | 0              | 4,05,000       | 4,05,000     |
| 0107 अन्य भत्ता                                                                                                                                                                            | 2,13,000    | 0         | 0         | 0              | 2,13,000       | 2,13,000     |
| 0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति                                                                                                                                                                  | 1,60,000    | 0         | 0         | 0              | 1,60,000       | 1,60,000     |
| 1101 यात्रा व्यय                                                                                                                                                                           | 6,00,000    | 0         | 0         | 0              | 6,00,000       | 6,00,000     |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                                                                                                                         | 9,00,000    | 0         | 0         | 0              | 9,00,000       | 9,00,000     |
| 1302 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव                                                                                                                                                              | 2,00,000    | 0         | 0         | 0              | 2,00,000       | 2,00,000     |
| 1303 दूरभाष                                                                                                                                                                                | 1,00,000    | 0         | 0         | 0              | 1,00,000       | 1,00,000     |
| 1304 विद्युत प्रभार                                                                                                                                                                        | 1,00,000    | 0         | 0         | 0              | 1,00,000       | 1,00,000     |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                                                           | 3,31,000    | 0         | 0         | 0              | 3,31,000       | 3,31,000     |
| योग-                                                                                                                                                                                       | 50,89,000   | 0         | 0         | 0              | 50,89,000      | 50,89,000    |
| विपन्न कोड- 8000 - N2070001050014                                                                                                                                                          |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

कोसी बांध कटान न्यायिक जाँच आयोग के वेतनादि एवं अन्य मद में राशि की आवश्यकता है। राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

8CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                            |                       | Non Plan  |           |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय Voted                                                                                                                                                             |                       |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                      | चरम परिव्यय           |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                         | आवर्तक                | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                       | 2                     | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| मांग सं०- 22                                                                                                                                                            |                       |           |           |                |                |              |
| बजट शीर्ष खण्ड 11- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ<br>00 -<br>105 - विशेष जांच आयोग<br>0016 - मधुबनी पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग | रूपये में             | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                                                       |                       |           |           |                |                |              |
| 0101 वेतन                                                                                                                                                               | 15,00,000             | 0         | 0         | 0              | 15,00,000      | 15,00,000    |
| 0107 - अन्य भत्ता                                                                                                                                                       | 2,00,000              | 0         | 0         | 0              | 2,00,000       | 2,00,000     |
| 1101 यात्रा व्यय                                                                                                                                                        | 2,00,000              | 0         | 0         | 0              | 2,00,000       | 2,00,000     |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                                                                                                      | 5,00,000              | 0         | 0         | 0              | 5,00,000       | 5,00,000     |
| 1302 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव                                                                                                                                           | 5,50,000              | 0         | 0         | 0              | 5,50,000       | 5,50,000     |
| 1303 दूरभाष                                                                                                                                                             | 50,000                | 0         | 0         | 0              | 50,000         | 50,000       |
| 1304 विद्युत प्रभार                                                                                                                                                     | 50,000                | 0         | 0         | 0              | 50,000         | 50,000       |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                                        | 4,00,000              | 0         | 0         | 0              | 4,00,000       | 4,00,000     |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                             | 34,50,000             | 0         | 0         | 0              | 34,50,000      | 34,50,000    |
| <u>विपन्न कोड-</u>                                                                                                                                                      | 8000 - N2070001050016 |           |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

मधुबनी पुलिस फायरिंग न्यायिक जांच आयोग के वेतनादि एवं अन्य मद में राशि की आवश्यकता है । राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई । इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है । यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

5CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न <b>Non Plan</b>                       |             |           |           |                |                |              |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| मतदेय <b>Voted</b>                                 |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                    | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                  | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 08</b>                                |             |           |           |                |                |              |
| बजट शीर्ष खण्ड II- 8000 - आकस्मिकता निधि           |             |           |           |                |                |              |
| मुख्य शीर्ष- 2205 - कला एवं संस्कृति               |             |           |           |                |                |              |
| 00 -                                               |             |           |           |                |                |              |
| 102 - कला एवं संस्कृति का संवर्धन                  |             |           |           |                |                |              |
| 0001 - कला और संस्कृति का संवर्धन                  |             |           |           |                |                |              |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                  | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 1304 विद्युत प्रभार                                | 0           | 70,00,000 | 0         | 0              | 70,00,000      | 70,00,000    |
| <u>योग-</u>                                        | 0           | 70,00,000 | 0         | 0              | 70,00,000      | 70,00,000    |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>8000 - N2205001020001</b>    |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्रेमचंद रंगशाला पटना के विद्युत प्रभार हेतु राशि की आवश्यकता है। राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

13CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                       |             | Non Plan  |           |                             |                             |                           |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                    |             | मतदेय     |           | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा | चरम परिव्यय | आय-व्ययक  |           | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                    |             | आवर्तक    | अनावर्तक  |                             |                             |                           |
| 1                                                  | 2           | 3         | 4         | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 21</b>                                |             |           |           |                             |                             |                           |
| बजट शीर्ष खण्ड II- 8000 - आकस्मिकता निधि           |             |           |           |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2205 - कला एवं संस्कृति               |             |           |           |                             |                             |                           |
| 00 -                                               |             |           |           |                             |                             |                           |
| 105 - सार्वजनिक पुस्तकालय                          |             |           |           |                             |                             |                           |
| 0001 - सार्वजनिक पुस्तकालय                         |             |           |           |                             |                             |                           |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                  | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                   | 0           | 1,000     | 0         | 0                           | 1,000                       | 1,000                     |
| <u>योग-</u>                                        | 0           | 1,000     | 0         | 0                           | 1,000                       | 1,000                     |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>8000 - N2205001050001</b>    |             |           |           |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

व्यावसायिक एवं विशेष सेवायें हेतु टोकन मनी के रूप में राशि की आवश्यकता है एवं शेष राशि का उपबंध पुनर्विनियोग द्वारा कराया जाएगा। राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                                |             | Non Plan  |           |                       |                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |             | मतदेय     |           | Voted                 |                             |                             |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                          | चरम परिव्यय |           |           | आय-व्ययक<br>2013-2014 | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                             |             | आवर्तक    | अनावर्तक  |                       |                             | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014   |
| 1                                                                                                                                                                                           |             | 2         | 3         | 4                     | 5                           | 6 = 5+7                     |
| मांग सं०- 21                                                                                                                                                                                |             |           |           |                       |                             |                             |
| बजट शीर्ष खण्ड II- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 2205 - कला एवं संस्कृति<br>00 -<br>105 - सार्वजनिक पुस्तकालय<br>0004 - प्रमंडलीय पुस्तकालय - सहायक अनुदान<br><br><u>विषय शीर्ष</u> |             | रूपये में | रूपये में | रूपये में             | रूपये में                   | रूपये में                   |
| 3104 सहायक अनुदान-वेतन                                                                                                                                                                      | 0           | 0         | 6,00,000  | 6,00,000              | 2,12,86,000                 | 2,06,86,000                 |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                                                                               | 0           | 0         | 6,00,000  | 6,00,000              | 2,12,86,000                 | 2,06,86,000                 |
| <u>विपन्न कोड-</u> <b>8000 - N2205001050004</b>                                                                                                                                             |             |           |           |                       |                             |                             |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

प्रमण्डलीय पुस्तकालय को सहायक अनुदान वेतन मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

19CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                                    |             | Non Plan  |           |                      |                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |             | मतदेय     |           | Voted                |                                |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                              | चरम परिव्यय | आय-व्ययक  |           | वर्तमान<br>2013-2014 | संशोधित<br>अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                                 |             | आवर्तक    | अनावर्तक  |                      |                                |                           |
| 1                                                                                                                                                                                               | 2           | 3         | 4         | 5                    | 6 = 5+7                        | 7                         |
| <b>मांग सं०- 21</b>                                                                                                                                                                             |             |           |           |                      |                                |                           |
| बजट शीर्ष खण्ड II- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 2205 - कला एवं संस्कृति<br>00 -<br>105 - सार्वजनिक पुस्तकालय<br>0005 - जिला केंद्रीय पुस्तकालय - सहायक अनुदान<br><br><u>विषय शीर्ष</u> |             |           |           |                      |                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                 | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में            | रूपये में                      | रूपये में                 |
| 3104 सहायक अनुदान-वेतन                                                                                                                                                                          | 0           | 0         | 12,00,000 | 12,00,000            | 3,70,71,000                    | 3,58,71,000               |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                   | 0           | 0         | 12,00,000 | 12,00,000            | 3,70,71,000                    | 3,58,71,000               |
| <u>विपन्न कोड-</u> <b>8000 - N2205001050005</b>                                                                                                                                                 |             |           |           |                      |                                |                           |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

जिला केन्द्रीय पुस्तकालय को सहायक अनुदान - वेतन मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

17CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                                                                                                                                |             |           |           |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                          |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                          | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                             | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 21</b>                                                                                                                                                                         |             |           |           |                |                |              |
| बजट शीर्ष खण्ड 11- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 2205 - कला एवं संस्कृति<br>00 -<br>105 - सार्वजनिक पुस्तकालय<br>0006 - अनुमंडलीय पुस्तकालय - सहायक अनुदान<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 3104 सहायक अनुदान-वेतन                                                                                                                                                                      | 0           | 0         | 2,00,000  | 2,00,000       | 1,41,52,000    | 1,39,52,000  |
| <b>- योग-</b>                                                                                                                                                                               | 0           | 0         | 2,00,000  | 2,00,000       | 1,41,52,000    | 1,39,52,000  |
| <b>विपत्र कोड- 8000 - N2205001050006</b>                                                                                                                                                    |             |           |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

अनुमण्डलीय पुस्तकालय के सहायक अनुदान वेतन मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

18CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                                            |             | Non Plan  |           |                             |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | मतदेय     |           | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                      | चरम परिव्यय | आय-व्ययक  |           | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                                         |             | आवर्तक    | अनावर्तक  |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2           | 3         | 4         | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 26</b>                                                                                                                                                                                     |             |           |           |                             |                             |                           |
| बजट शीर्ष खण्ड II- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी<br>102 - कर्मचारी राज्य बीमा योजना<br>0001 - कर्मचारी राज्य बीमा योजना |             |           |           |                             |                             |                           |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                                                                                       | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति                                                                                                                                                                               | 0           | 8,40,000  | 2,00,000  | 2,00,000                    | 8,40,000                    | 6,40,000                  |
| <b>- योग-</b>                                                                                                                                                                                           | 0           | 8,40,000  | 2,00,000  | 2,00,000                    | 8,40,000                    | 6,40,000                  |
| <b>विपन्न कोड- 8000 - N2210011020001</b>                                                                                                                                                                |             |           |           |                             |                             |                           |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

डा० वीरेन्द्र कुमार ठाकुर के हृदय रोग का ईलाज हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई । इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है । यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

3CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                       |                              | Non Plan  |           |                             |                             |                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                    |                              | मतदेय     |           | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा | चरम परिव्यय                  | आय-व्ययक  |           | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                    |                              | आवर्तक    | अनावर्तक  |                             |                             |                           |
| 1                                                  | 2                            | 3         | 4         | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 19</b>                                |                              |           |           |                             |                             |                           |
| बजट शीर्ष खण्ड II- 8000 - आकस्मिकता निधि           |                              |           |           |                             |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष- 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी         |                              |           |           |                             |                             |                           |
| 01 - वानिकी                                        |                              |           |           |                             |                             |                           |
| 001 - निदेशन तथा प्रशासन                           |                              |           |           |                             |                             |                           |
| 0001 - निदेशन और प्रशासन                           |                              |           |           |                             |                             |                           |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                  | रूपये में                    | रूपये में | रूपये में | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 5101 मोटर गाड़ी                                    | 0                            | 10,00,000 | 0         | 0                           | 10,00,000                   | 10,00,000                 |
| <u>योग-</u>                                        | 0                            | 10,00,000 | 0         | 0                           | 10,00,000                   | 10,00,000                 |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                 | <b>8000 - N2406010010001</b> |           |           |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर के लिए नये वाहन के क्रय हेतु राशि की आवश्यकता है। राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

9CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                                         |             | Non Plan  |           |                             |                             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |             | मतदेय     |           | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                   | चरम परिव्यय | आय-व्ययक  |           | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                                      |             | आवर्तक    | अनावर्तक  |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                    | 2           | 3         | 4         | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 40</b>                                                                                                                                                                                  |             |           |           |                             |                             |                           |
| बजट शीर्ष खण्ड II- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 2506 - भूमि सुधार<br>00 -<br>101 - जोतों और काश्तकारी का विनियमन<br>0001 - भू-अर्जन के मामले में भू-धारी को मुआवजा<br><br><u>विषय शीर्ष</u> |             |           |           |                             |                             |                           |
|                                                                                                                                                                                                      | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 3302 मुआवजा                                                                                                                                                                                          | 0           | 34,08,000 | 0         | 0                           | 34,08,000                   | 34,08,000                 |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                        | 0           | 34,08,000 | 0         | 0                           | 34,08,000                   | 34,08,000                 |
| <u>विपन्न कोड-</u> <b>8000 - N2506001010001</b>                                                                                                                                                      |             |           |           |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

न्याय निर्णय के अनुपालन में भू अर्जन के मामले में भू धारी को मुआवजा हेतु राशि की आवश्यकता है । राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई । इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है । यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

2CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                                                                                     |             | Non Plan  |          |                             |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | मतदेय     |          | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                                                               | चरम परिव्यय | आय-व्ययक  |          | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | आवर्तक    | अनावर्तक |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2           | 3         | 4        | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 40</b>                                                                                                                                                                                                                              |             |           |          |                             |                             |                           |
| बजट शीर्ष खण्ड II- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 2506 - भूमि सुधार<br>00 -<br>101 - जोतों और काश्तकारी का विनियमन<br>0002 - बिहार भूमि सुधार अधिनियम<br>1961 के अन्तर्गत अर्जित अवशेष भूमि के<br>विरुद्ध मुआवजा<br><br><u>विषय शीर्ष</u> |             |           |          |                             |                             |                           |
| 3302 - मुआवजा                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 90,00,000 | 0        | 0                           | 90,00,000                   | 90,00,000                 |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 90,00,000 | 0        | 0                           | 90,00,000                   | 90,00,000                 |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>8000 - N2506001010002</b>                                                                                                                                                                                                  |             |           |          |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

धार्मिक संस्थानों के अधिग्रहीत भूमि के विरुद्ध देय मुआवजा के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता है। राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

10CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| <b>आयोजना भिन्न Non Plan</b>                                                                                                                                                        |             |           |           |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>मतदेय Voted</b>                                                                                                                                                                  |             |           |           |                |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                  | चरम परिव्यय |           | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                     | आवर्तक      | अनावर्तक  | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                   | 2           | 3         | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 37</b>                                                                                                                                                                 |             |           |           |                |                |              |
| बजट शीर्ष खण्ड II- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>00 -<br>001 - निदेशन एवं प्रशासन<br>0009 - अभियंत्रण स्थापना<br><br><u>विषय शीर्ष</u> | रूपये में   | रूपये में | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| 1305 विधि प्रभार                                                                                                                                                                    | 0           | 5,00,000  | 0         | 0              | 5,00,000       | 5,00,000     |
| 2003 - प्रशिक्षण व्यय                                                                                                                                                               | 0           | 7,00,000  | 0         | 0              | 7,00,000       | 7,00,000     |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                         | 0           | 12,00,000 | 0         | 0              | 12,00,000      | 12,00,000    |
| <u>विपत्र कोड-</u> <b>8000 - N2515000010009</b>                                                                                                                                     |             |           |           |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

विधि प्रभार एवं प्रशिक्षण व्यय के अन्तर्गत राशि की आवश्यकता है। राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

12CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                          |                              | Non Plan     |           |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                       |                              | मतदेय        |           | Voted          |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                    | चरम परिव्यय                  |              | आय-व्ययक  | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                                       | आवर्तक                       | अनावर्तक     | 2013-2014 | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                                     | 2                            | 3            | 4         | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 40</b>                                                                                                                                                                   |                              |              |           |                |                |              |
| बजट शीर्ष खण्ड II- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 3454 - जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी<br>01 - जनगणना<br>101 - जनगणना आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण<br>0002 - जनगणना स्थापना, 2011 | रूपये में                    | रूपये में    | रूपये में | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u><b>विषय शीर्ष</b></u>                                                                                                                                                              |                              |              |           |                |                |              |
| 1301 कार्यालय व्यय                                                                                                                                                                    | 0                            | 5,70,15,000  | 0         | 0              | 5,70,15,000    | 5,70,15,000  |
| 2003 - प्रशिक्षण व्यय                                                                                                                                                                 | 0                            | 56,98,000    | 0         | 0              | 56,98,000      | 56,98,000    |
| 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ                                                                                                                                                      | 0                            | 7,74,92,000  | 0         | 0              | 7,74,92,000    | 7,74,92,000  |
| <u><b>योग-</b></u>                                                                                                                                                                    | 0                            | 14,02,05,000 | 0         | 0              | 14,02,05,000   | 14,02,05,000 |
| <u><b>विपत्र कोड-</b></u>                                                                                                                                                             | <b>8000 - N3454011010002</b> |              |           |                |                |              |

**अभ्युक्ति (कैफियत) :**

जनसंख्या रजिस्टर से द्वितीय चरण के कार्य एवं प्रचार प्रसार हेतु राशि की आवश्यकता है। राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

11CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना                                                                                                                                                              |             | State Plan   |             |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                     |             | मतदेय        |             | Voted          |                |              |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                  | चरम परिव्यय |              | आय-व्ययक    | वर्तमान धनराशि | संशोधित अनुमान | अनुपूरक आगणन |
|                                                                                                                                                                     | आवर्तक      | अनावर्तक     | 2013-2014   | 2013-2014      | 2013-2014      | 2013-2014    |
| 1                                                                                                                                                                   | 2           | 3            | 4           | 5              | 6 = 5+7        | 7            |
| <b>मांग सं०- 46</b>                                                                                                                                                 |             |              |             |                |                |              |
| बजट शीर्ष खण्ड II- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय<br>80 - सामान्य<br>800 - अन्य व्यय<br>0103 - पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण | रूपये में   | रूपये में    | रूपये में   | रूपये में      | रूपये में      | रूपये में    |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                                                   |             |              |             |                |                |              |
| 5302 भू-अर्जन                                                                                                                                                       | 0           | 28,00,00,000 | 3,00,00,000 | 3,00,00,000    | 28,00,00,000   | 25,00,00,000 |
| - <u>योग-</u>                                                                                                                                                       | 0           | 28,00,00,000 | 3,00,00,000 | 3,00,00,000    | 28,00,00,000   | 25,00,00,000 |
| <u>विपन्न कोड-</u> <b>8000 - P5452808000103</b>                                                                                                                     |             |              |             |                |                |              |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण हेतु भू अर्जन मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई । इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है । यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

16CF

**2013-2014 के प्रथम अनुपूरक आगणन के विवरण**

| आयोजना भिन्न                                                                                                                                                                                         |                              | Non Plan     |           |                             |                             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |                              | मतदेय        |           | Voted                       |                             |                           |
| शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा                                                                                                                                                   | चरम परिव्यय                  | आय-व्ययक     |           | वर्तमान धनराशि<br>2013-2014 | संशोधित अनुमान<br>2013-2014 | अनुपूरक आगणन<br>2013-2014 |
|                                                                                                                                                                                                      |                              | आवर्तक       | अनावर्तक  |                             |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                    | 2                            | 3            | 4         | 5                           | 6 = 5+7                     | 7                         |
| <b>मांग सं०- 45</b>                                                                                                                                                                                  |                              |              |           |                             |                             |                           |
| बजट शीर्ष खण्ड II- 8000 - आकस्मिकता निधि<br>मुख्य शीर्ष- 6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज<br>04 - चीनी<br>190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज<br>0001 - चीनी फैक्टरियों को उधार |                              |              |           |                             |                             |                           |
| <u>विषय शीर्ष</u>                                                                                                                                                                                    | रूपये में                    | रूपये में    | रूपये में | रूपये में                   | रूपये में                   | रूपये में                 |
| 5501 - ऋण एवं अग्रिम                                                                                                                                                                                 | 0                            | 24,70,00,000 | 34,00,000 | 34,00,000                   | 24,70,00,000                | 24,36,00,000              |
| <u>योग-</u>                                                                                                                                                                                          | 0                            | 24,70,00,000 | 34,00,000 | 34,00,000                   | 24,70,00,000                | 24,36,00,000              |
| <u>विपत्र कोड-</u>                                                                                                                                                                                   | <b>8000 - N6860041900001</b> |              |           |                             |                             |                           |

अभ्युक्ति (कैफियत) :

चीनी फैक्ट्रीयों को बकाये भविष्य निधि अंशदान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गई। इसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से किया जाना है। यह अनुसूची निधि का उपबंध करती है। इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है।

7CF

